संशोधित प्रति
28.7.2001

सर्व शिक्षा अभियान

दीर्घ कालीन योजना
(2001–2010)

तथा

वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट
(2001–2002)

जनपद - बाँदा

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-11493
Date 09-07-2002.

बांदा

अनुक्रमणिका

क्र0 सं0	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	जिले की पृष्ठभूमि	1–6
2.	शैक्षिक परिदृश्य	7–16
3.	नियोजन प्रक्रिया	17–24
4.	सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्य एवं उद्देश्य	25–27
5.	समस्याएं एवं रणनीतियाँ	28–33
6.	शिक्षा की पहुँच का विस्तार–1, (नवीन विद्यालय)	34–38
7.	शिक्षा की पहुँच का विस्तार–1, (ई0जी0एस0 / ए0आई.ई0)	39–50
8.	ठहराव में वृद्धि	51–81
9.	प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक उन्नयन	82–117
10.	परियोजना प्रबन्ध एवं अनुश्रवण	118–141
11.	परियोजना लागत	142-155
12.	वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट	156-165
	परिशिष्ट	
	महत्वपूर्ण शासनादेश	

अध्याय - 1

जिले की पृष्ठभूमि
जनपद बांदा

परिचय -

त्रेता युग के महर्षि वाम देव के नाम पर जनपद बांदा का नाम पडा। यह जनपद विन्ध्य पर्वत माला के भूभाग मे स्थित है जो कि चित्रकूट धाम मण्डल के अन्तर्गत है। जनपद की उत्तरी सीमा को छूता हुआ जनपद फतेहपुर स्थित है। इसका दक्षिणी भाग विन्ध्य पर्वत श्रेणियों के साथ मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है पश्चिमी सीमा पर केन नदी से घिरे हुये महोवा एवं हमीरपुर जनपद है। और जनपद की पूर्वी सीमाएं बाघे नदी के पार इसी जनपद से निकाला हुआ चित्रकूट जनपद स्थित है।

जनपद बांदा मर्यादा पुरूषोत्तम राम के वनवास, गोस्वामी तुलसीदास की जन्म स्थली, सती अनुसुइया, महर्षि अगस्त्य महर्षि अत्री महर्षि व्यास की कर्मस्थली के कारण सम्पूर्ण देश के लिये भिज्ञ है। यह जनपद महाराजा विराट, कवि पदमाकर असदुल्ला खान के नाम से भी विख्यात है। नील कण्ठेश्वर का प्राचीन शिव मंदिर इसी जनपद के कालीजर किल पर स्थित है।

भौगोलिक परिदृश्य -

जनपद बांदा का कुल क्षेत्रफल 4171.09 वर्ग कि.मी. है। जनपवद के कुल क्षेत्रफल का 14.9 प्रतिशत वनीय क्षेत्र है। बांदा की पहचान बुन्देलखण्ड के रूप मे होती है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र आर्थिक सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से अत्यन्त पिछड़ा क्षेत्र है। विन्ध्य पर्वत उपत्तिका मे स्थित होने की वजह से दुर्गम व बीहड़ इलाका है। जहाँ यातायात के साधनों का अत्यत अभाव है और घने जंगलों के कारण दस्यु ग्रस्त भी है। आज भी सुदूरवर्ती क्षेत्रो मे स्थिति इतनी विषम है कि पीने का पानी भी उपलब्ध नही हो पाता है। रोजगार के अवसर नगण्य है भूमि पथरीली है, सिंचाई के साधनों के अभाव के कारण कृषि कार्य अच्छी तरह से

नही हो पाता है। यहाँ की जनता जीविकोपार्जन के लिये औद्योगिक शहरो को पलायन करने के लिये विवश है। निर्धनता के कारण यहाँ की जनता दबंगो के घरो पर बंधुवा मजदूर के रूप मे भी कार्य करने का विवश है।

आर्थिक परिदृश्य

इस जनपद की जनता की निर्धनता, सड़को का अभाव, जल स्तर का नीचे होना, बिजली समस्या रोजगार का अभाव औद्योगिक इकाइयो की नगण्यता आदि सभी कारण मिलकर शिक्षा की प्रगति मे बाधक है।

जनपद का आधा भूभाग असिंचित होने के कारण गेहूँ चना एवं तिलहन की खेती के कार्यो मे उपयोग किया जाता है। जिसमे पैदावार की मात्रा अत्यन्त कम होती है। एवं आधा भूभाग सिंचित है जिसमे प्रमुख रूप से धान पैदा किया जाता है। विकास खण्ड नरैनी की अन्तर्गत तहसील क्षेत्र अतर्रा पर्सन बादशाह चावल के लिए प्रसिद्ध है।

दर्शनीय स्थल

जनपद के नरैनी विकास खण्ड मे विश्व विख्यात कालिंजर दुर्ग स्थित है। जहाँ पर शेरशाह सूरी वीरगति को प्राप्त हुये थे। ऐतिहासिक दुर्ग कालिंजर को गत वर्ष सरकार द्वारा पर्यटक स्थल घोषित किया गया है। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा एवं महाशिवरात्रि को ऐतिहासिक विशाल मेला लगता है।

जनपद की विकास खण्ड बड़ोखर खुर्द की ग्राम सभा हथौड़ा मे जामिया अरबिया महाविद्यालय स्थित है जिसमे देश विदेश के विद्यार्थी पढ़ने आते है। एवं शिक्षा ग्रहण करके अपने देश वापिस होते है

दर्शनीय स्थल

जपनद को प्रशासनिक आधार पर 04 तहसीलों मे बांटा गया है विकास खण्ड के आधार पर 08 विकास खण्डो मे बांटा गया है। इसके अतिरिक्त 2 नगरपालिका एवं 6 - टाउन एरियों में बंटा है। ग्रामीण क्षेत्रो मे 72 न्याय पंचायत 718 राजस्व ग्राम है। जनपद की प्रशासनिक इकाईयां सारणी के रूप मे दिखाया गया है। -

सारणी 1.1

जनपद की प्रशासनिक इकाइयां

क्रमांक	स्थान	संख्या
1.	तहसील	04
2.	विकास खण्ड	08
3.	न्याय पंचायत	72
4.	ग्राम पंचायत	450
5.	राजस्व ग्राम	718
6.	बस्तियां	485
7.	आबाद ग्राम	675
8.	नगरीय क्षेत्र	08
9.	नगर निगम	
10.	नगर महापालिका	
11.	टाउन एरिया	06
12.	नगर पालिका	02
13.	वार्ड	49

स्रोत: जिला सांख्यकी पत्रिका 1998

जनपद बांदा में क्रमशः बांदा, नरैनी, अतर्रा एवं बबेरू कुल 4 तहसीलें हैं जनपद में क्रमशः बडोखरखुर्द, महुवा, नरैनी, जसपुरा तिन्दवारी, बबेरू बिसण्डा एवं कमासिन सहित कुल 8 विकास खण्ड हैं साथ ही बांदा एवं अतर्रा कुल 2 नगर पालिकायें एवं नरैनी, मटौंघ, तिन्दवारी, बबेरू, ओरन एवं विसण्डा कुल 6 टाउन एरिया है। उक्त के अतिरिक्त 43 गैर आबाद ग्राम स्थित है।

जनसंख्या -

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार जनपद बांदा की सम्पूर्ण जनसंख्या 1266143 है जिसमें 180839 नगरीय क्षेत्र में कुल जनसंख्या का 14.28 प्रतिशत है तथा 1085304 ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या है जो कि कुल जनसंख्या का 85.07 प्रतिशत है। इस जनपद में से चित्रकूट जनपद बनाया गया है।

जनगणना 2001 के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या 1500253 है जिसमें पुरूषों की कुल जनसंख्या 806543 है जबकि महिलाओं की जनसंख्या 693710 है। 0-6 वर्ग के बच्चों की संख्या 288283 है जो कुल जनसंख्या का 19.2 प्रतिशत है। जिसमें प्रति 1000 पुरूषों के सापेक्ष 860 महिलायें है।

अनुसूचित जाति के कुल जनसंख्या 355509 जो कुल जनसंख्या का 28.08 प्रतिशत है। जनपद में जनसंख्या का घनत्व 340 प्रतिवर्ग कि.मी. है। अल्पसंख्यक का कुल प्रतिशत 6.46 प्रतिशत है। उपरोक्त विवरण निम्नांकित वर्णित किया गया है।

1.5.1	1991 के अनुसार	पुरूष		690990
		महिला		575153
		योग:		1266143
	2001 की जनगणना के अनुसार	पुरूष		806543
		महिला		693710
		योग:		1500253
1.5.2	वृद्धि दर 1.7			
1.5.3	लिंग अनुपात	1000 पुरूषों पर 860 महिलायें		
1.5.4	जनसंख्या घनत्व	340 प्रति वर्ग किलोमीटर		
1.5.5	अनुसूचित जाति पुरूष	पुरूष	188621	22.43%
		महिला	156888	21.08%
		योग:	355509	21.40%

स्रोत: जिला सांख्यकी पत्रिका 1998

नोट : जनगणना 2001 के अनुसुचित जाति की संख्या अभी प्राप्त नहीं हुई है।

जनपद में विकास खण्डवार / नगर क्षेत्रवार जनसंख्या सारणी 1.2 में दर्शायी गई है।

सारणी 1.2

विकास खण्ड/नगर क्षेत्रवार जनसंख्या विवरण

क्र. सं.	नाम	1991 की जनसंख्या							2001 की अनुमानित जनसंख्या					
		कुल जनसंख्या			अनु0 जाति की कुल जनसंख्या				कुल जनसंख्या			अनु0 जाति की कुल जनसंख्या		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	प्रति0	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1.	जसपुरा	43045	36470	79515	5185	4428	9613	12.09	53877	45647	99524	6490	5542	12032
2.	तिन्दवारी	68135	55886	124021	13193	10828	24021	19.37	85281	69949	155230	16513	13553	30066
3.	बड़ोखर खुर्द	74514	60468	134982	16501	13546	30047	22.26	93272	75678	168950	20652	16953	37608
4.	बबेरू	78477	65813	144290	17391	14642	32033	22.2	98226	82374	180600	21767	18327	40094
5.	कमासिन	65094	54577	119671	14540	12009	26549	22.18	81775	68311	149786	18198	15031	33229
6.	बिसण्डा	71801	60502	132303	21323	18056	39379	29.76	89869	75727	165596	2689	22600	49289
7.	महुआ	83271	69140	152411	23438	19037	42475	27.87	104226	86539	190765	29336	23828	53164
8.	नरैनी	107883	90228	198111	23399	19714	43113	21.76	135032	112933	247965	29287	24675	53962
योग	ग्रामीण क्षेत्र	592220	493084	1085304	134970	112260	247230		741258	617158	1358416	168933	140511	309444
	नगर क्षेत्र	98770	82069	180839	15730	13084	28814		125356	100990	226346	19688	16377	36065
ग्रामीण एवं नगरीय कुल जनसंख्या		690990	575153	1266143	150700	125334	276044		866614	718148	1584762	188621	156888	345509

स्रोत - जिला सांख्यिकी पत्रिका वर्ष 1998

नोट : जनगणना 2001 की क्षेत्रवार जनसंख्या अभी उपलब्ध नहीं है।

उक्त तालिका की विवेचना से स्पष्ट है कि जनपद में सबसे अधिक जनसंख्या विकास खण्ड नरैनी की है जबकि सबसे कम जनसंख्या विकास खण्ड जसपुरा की है। जनपद में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 276044 है जो कुल जनसंख्या का 21.76 प्रतिशत है विकास खण्ड नरैनी में अनुसूचित जाति की

जनसंख्या 43113 सबसे अधिक तथा विकास खण्ड जसपुरा की जनसंख्या 9613 सबसे कम है। जनपद बांदा में 1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जन जाति की संख्या मात्र 43 थी।

जनपद सामाजिक संरचना की दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र है जिसमें कुलसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 24.21 सामाजिक रूढ़िवादिता के कारण महिलाओं की दृष्टि से अत्यन्त पिछड़ा पन है। कुल जनसंख्या के 34.1 प्रतिशत लोग कृषि कार्यो पर निर्भर है। जिसमें 10.3 प्रतिशत कृषि श्रमिक के रूप में है। समस्त जोतों में लंघु एवं सीमान्त जोतों का प्रतिशत 58.6 यह दर्शाता है कि जनपद में छोटे कृषकों की अधिकता है।

जनपद में कुल 8 विकास खण्ड है। जनसंख्या के मामले में इनकी काफी विषमतायें है। जहाँ एक ओर विकास खण्ड जसपुरा की जनसंख्या 99524 है वही विकास खण्ड नरैनी की जनसंख्या 247965 है।

सामाजिक संरचना –

जनपद बांदा में अभी भी अर्द्ध सामन्तवादी समाज देखने को मिलता है। लगभग 75 प्रतिशत सीमान्त कृषकों के पास एक एकड़ से कम भूमि है। उत्पादन के साधन कुछ ही लोगों के नियंत्रण में है। और अधिकतर जनसंख्या उन पर आश्रित है। डी.आर.डी.ए. के लेटेस्ट एस्टीमेट के अनुसार 56 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। अधिकांश गरीब लोग कर्जदार है। और 5 से 7 प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज दे रहे है। अधिकांश श्रमिक जीविकोपार्जन हेतु काम की तलाश में सामाजिक पिछड़े का मुख्य कारण निरक्षरता है। जिससे विकास कार्यक्रमों में सामुदायिक सहभागिता पर्याप्त नही प्राप्त हो पाती है।

अध्याय - 2

शैक्षिक परिदृश्य

साक्षरता दर-

जनपद बांदा की साक्षरता दर 35.7 प्रतिशत है जो प्रदेश की साक्षरता दर 41.6 से काफी कम है। ग्रामीण क्षेत्र की साक्षरता दर नगर क्षेत्र की साक्षरता दर की अपेक्षा और भी नीचे है। नगर क्षेत्र की साक्षरता दर 60.05 और ग्रामीण क्षेत्र की साक्षरता दर मात्र 32.0 है। ग्रामीण क्षेत्र की मात्र 12.2 प्रतिशत महिलायें ही साक्षर है जबकि पुरूषों का साक्षरता प्रतिशत 48.26 है। जनपद बांदा में 48.26 प्रतिशत पुरूष प्रदेश की कुल पुरूष साक्षरता 52.11 के सापेक्ष में जनपद बांदा में 48.26 है। जनपद बांदा में 48.26 प्रतिशत पुरूष है। एवं प्रदेश की कुल महिला साक्षरता 19.02 के सापेक्ष में जनपद बांदा में 12.02 महिलायें ही साक्षर है।

ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की साक्षरता दर कम होने का कारण सामाजिक आर्थिक समस्यायें हैं जनसमुदाय की धारणा है कि महिलाओं का कार्य मात्र गृहस्थी देखना है जनपद की साक्षरता दर निम्न सारणी में दर्शायी गयी है -

सारणी 2.1

जनपद तथा राज्य स्तर की साक्षरता दर

क्र.स.	साक्षरता का प्रकार	राज्य की साक्षरता दर 1991	जनपद की साक्षरता दर 1991
1.	कुल साक्षरता	61.60 प्रति.	35.70
2.	ग्रामीण साक्षरता	36.66 प्रति.	32.00
3.	नगरीय साक्षरता	61.03 प्रति.	60.00
4.	कुल पुरूष साक्षरता	55.73 प्रति.	51.50
5.	कुल महिला साक्षरता	25.31 प्रति.	16.44
6.	ग्रामीण पुरूष साक्षरतादर	52.05 प्रति.	48.30
7.	ग्रामीण महिला साक्षरता	19.02 प्रति.	12.02
8.	नगरीय पुरूष साक्षरता	69.68 प्रति.	72.78

9.	नगरीय महिला साक्षरता	50.38 प्रति.	44.46

स्रोत - जनपदीय सांख्यकी पत्रिका 1998

नोट : 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद की साक्षरता दर 54.84 है। पुरुष साक्षरता दर 69.89 तथा महिला साक्षरता दर 37.10 है। विगत दशक में जनपद की साक्षरता दर में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।

उपरोक्त सारणी की विवेचना से स्पष्ट है कि महिलाओं की साक्षरता दर नगरीय क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र में काफी कम है।

जनपद की विकास खण्डवार साक्षरता दर वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर निम्न सारणी उल्लिखित है।

सारणी 2.2

विकास खण्डवार साक्षरता

क्र.स.	विकास खण्ड का नाम	पुरुष प्रतिशत	महिला प्रतिशत	योग प्रतिशत
1.	जसपुरा	52.2	16.3	35.9
2.	तिन्दवारी	55.9	19.9	39.9
3.	बडोखर खुर्द	54.2	15.8	37.3
4.	बबेरू	51.3	12.8	34.1
5.	कमासिन	46.4	9.1	29.7
6.	बिसण्डा	44.4	8.4	28.2
7.	महुआ	51.1	14.9	34.9
8.	नरैनी	44.9	11.0	29.8
	औसत ग्रामीण क्षेत्र	48.3	12.2	32.0
	नगर क्षेत्र	72.78	44.46	60.0
	जनपद की कुल साक्षरता	51.50	16.44	35.70

स्रोत - जनपदीय सांख्यकी पत्रिका 1998

नोट : जनगणना 2001 के अनुसार विकास खण्डवार/नगर क्षेत्र वार साक्षरता दर का विवरण उपलब्ध नही है। अत: 1991 की साक्षरता दर अंकित की गयी है।

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि विकास खण्ड विसण्डा की साक्षरता जनपद की औसत साक्षरता दर से काफी नीचे है। ग्रामीण क्षेत्र की कुल पुरूष साक्षरता दर 48.03 और नगर क्षेत्र की कुल पुरूष साक्षरता 72.78 प्रतिशत है तथा ग्रामीण क्षेत्र की महिला साक्षरता 12.2 प्रतिशत है एवं नगर क्षेत्र की कुल महिला साक्षरता 44.46 प्रतिशत है स्पष्ट है कि नगर क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र साक्षरता अत्यन्त कम है। बिसण्डा में मात्र 8.4 विकास खण्ड कमासिन मात्र 9.1 तथा नरैनी में 11.0 प्रतिशत महिलायें ही साक्षर है जो कि अत्यन्त कम हैं इनमें बालिका शिक्षा के लिए विशेष प्रयास करने होगें। विकास खण्ड तिन्दवारी का साक्षरता प्रतिशत 39.9 और महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत 19.9 है जो जनपद के औसत से अधिक है इसका मुख्य कारण विकास खण्ड तिन्दवारी का साक्षरता प्रतिशत 39.9 और महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत 19.9 है जो जनपद के औसत से अधिक है इसका मुख्य कारण विकास खण्ड तिन्दवारी का जनपद मुख्यालय के निकट होना तथा आवागमन के साधन अच्छे होना है।

शैक्षिक संस्थाओं का विवरण

जनपद बांदा में उपलब्ध शैक्षिक संस्थायें निम्न सारणी में दर्शायी गयी है-

सारणी 2.3

जनपद की शैक्षिक संस्थाएं

क्रम	विवरण	परिषदीय/शासकीय			मान्यता प्राप्त विद्यालय			कुल योग			गैर मान्यता प्राप्त		
		ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग
1.	प्राथमिक विद्यालय	1060	32	1112	103	123	226	1183	155	1338	8	6	14
2.	माध्यमिक विद्यालय सम्बद्ध प्राइमरी अनुभाग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	312	08	320	62	54	116	374	62	436	–	–	–
4.	माध्यमिक विद्यालय से सम्बद्ध उच्च प्राथमिक अनुभाग (अनुदानित)	13	22	35	–	–	–	13	22	35	–	–	–
5.	केन्द्र विद्यालय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

6.	नवोदय विद्यालय	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.	हाईस्कूल	8	—	8	15	06	21	23	06	29	—	—	—
8.	इण्टरमीडिएट	3	2	5	10	20	30	13	22	35	—	—	—
9.	डिग्री कालेज	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10.	स्नातकोत्तर महाविद्यालय	—	—	2	—	2	2	—	4	4	—	—	—
11.	विश्वविद्यालय	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12.	तकनीकी संस्थान (आई.आई.टी./पालीटेक्निक)	2	2	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—
13.	कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14.	आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या	755	—	755	—	—	—	755	—	755	—	—	—
15.	मकतब / मदरसे	—	—	—	11	6	17	9	4	13	20	10	30
16.	संस्कृत पाठशालायें	—	—	—	15	3	18	15	3	18	—	—	—
17.	बी.आर.सी.	8	—	8	—	—	—	8	—	8	—	—	—
18.	एन.पी.आर.सी.	72	—	72	—	—	—	72	—	72	—	—	—
19.	डी.आई.ई.टी.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20.	विकलांग संस्थायें (मूक बधिर विद्यालय)	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—

स्रोत : विभागीय आंकड़े

सारणी की विवेचना से स्पष्ट है कि जनपद में केन्द्रीय विद्यालय नवोदा विद्यालय जिला शिक्षक एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना मेडिकल कालेज नही है विकलांग विद्यालय एक है। जो समाज कल्याण धारा संचालित है। इस संस्थाओं के अभाव में शिक्षण कार्य बाधित होता है जनपद में जिला स्तरीय शिक्षण संस्थान की विशेष आवश्यकता है।

विद्यालय संख्या

विवरण	1998-99		1999-2000		2000-2001	
	परिषदीय	मान्यता	परिषदीय	मान्यता	परिषदीय	मान्यता
उच्च प्राथमिक विद्यालय	250	93	250	98	250+69*	111
प्राथमिक विद्यालय	1012	175	1013	206	1112	227

जनपद में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत एवं कार्यरत अध्यापकों का विवरण निम्न प्रकार है -

सारणी 2.4

शिक्षकों की उपलब्धता

	सृजित	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत शिक्षमित्रों की संख्या
परिषदीय प्राथमिक विद्यालय	3076	2732	344	578
परिषदीय उच्च प्राथमिक वि0	1204	913	291	-

स्रोत- विभागीय आंकड़े

विद्यालयों की संख्या एवं छात्र नामांकन की दृष्टि से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की अत्यंत कमी है तथा कार्यरत अध्यापकों में काफी अध्यापक वाह्य जनपद के है जो प्रति वर्ष अर्न्तजनपदीय स्थानान्तरण के कारण अध्यापक संख्या को प्रभावित करते है शैक्षिक गुणवत्ता के सुधार के लिये नामांकन के अनुपात में अध्यापकों की नियुक्ति आवश्यक है।

विद्यालयों की उपलब्धता

कुल ग्रामों की संख्या तथा राज्य सरकार के मानक के अनुसार असेवित ग्रामों की संख्या तथा कुल बस्तियों की संख्या तथा असेवित बस्तियों की संख्या निम्न सारणी में दर्शायी गयी है।

सारणी 2.5

प्राथमिक स्तर परिषदीय अथवा मान्यता प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

	1 कि.मी. से कम दूरी पर	1 कि.मी. से अधिक किन्तु 1.5 कि.मी. से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	जनपद की साक्षरता दर 1991
ऐसे ग्रामो की संख्या जिनकी आबादी 300 से अधिक है	582	292	63
ऐसी बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 300 से अधिक है।	90	55	90

स्रोत- विभागीय आंकड़े

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि 300 से अधिक आबादी वाले ऐसे 153 ग्राम है जहाँ पर विद्यालय 1.5 कि.मी. की दूरी से अधिक पर स्थित है।

सारणी 2.6

परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालय की उपलब्धता

	3 कि.मी. से कम दूरी पर परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध	3 कि.मी. से अधिक दूरी पर परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध	उच्च प्राथमिक अनुपात 1.2 करने हेतु आवश्यक अतिरिक्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या
ऐसे ग्रामों की संख्या जिनकी आबादी 800 से अधिक है।	188	132	236
ऐसी बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 800 से अधिक है।	-	-	235

कुल प्राथमिक विद्यालय (ग्रा.)	1080
नये प्रस्तावित	29
1:2 के अनुपात में उ0प्रा0वि.	555
वर्तमान में उपलब्ध	320

उपरोक्त से स्पष्ट है कि 800 से अधिक आबादी वाले ऐसे ग्राम 132 है जहाँ पर परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 3 कि.मी. से अधिक की दूरी पर अवस्थित है। उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक विद्यालय 1:2 के अनुपात में रहे इसके लिये अतिरिक्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता है। और इनकी स्थापना से असेवित बस्तियां स्वत: ही संचित हो जायेगी।

विद्यालयों में भौतिक सुविधाएं

जनपद के विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक सुविधाओं का निम्न सारणी में दिया गया है।

सारणी 2.8

प्राथमिक स्तर	रूरल (ग्रामीण) विकास खण्डवार	अर्बन (नगर क्षेत्र) नगर क्षेत्रवार	योग
प्राथमिक विद्यालय भवन	1112 1080	32	1112
एक कक्षीय विद्यालय की संख्या	19		
दो कक्षीय वि. की संख्या	505		
तीन कक्षीय वि. की संख्या	494		
चार कक्षीय वि. की संख्या	82		
पाँच कक्षीय वि. की संख्या	12		
5 कक्ष से अधिक वाले विद्यालय	-		
2. मरम्मत योग्य विद्यालय	217	लघु मरम्मत योग 93	वृहत्त मरम्मत योग्य 124
4. शौचालय	शौचालय युक्त विद्यालय 810	शौचालय विहीन विद्यालय 142 योग	शौचालय की आवश्यकता 142
5. हैण्डपम्प	हैण्डपम्प युक्त 862	हैण्डपम्प विहीन 123 योग	हैण्डपम्प की आवश्यकता 123
6. चहारदीवारी उच्च प्राथमिक स्तर	चाहारदीवारी युक्त 162	चाहारदीवारी विहीन 950 योग	चहारदीवारी आवश्यकता 950
7. उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन	कुल विद्यालय की सं. 320	भवनयुक्त 320	भवनहीन जर्जर (पुर्ननिर्माण योग्य)
8. मरम्मत योग्य	लघु मरम्मत 55	वृहत्त मरम्मत 67	
9. एक कक्षीय विद्यालय	-		
दो कक्षीय विद्यालय	07		

प्राथमिक स्तर	रूरल (ग्रामीण) विकास खण्डवार	अर्बन (नगर क्षेत्र) नगर क्षेत्रवार	योग
तीन कक्षीय विद्यालय	137		
चार कक्षीय विद्यालय	155		
पाँच कक्षीय विद्यालय	21		
5 से अधिक कक्ष वाले विद्यालय			
10. शौचालय	शौचालय युक्त 294	शौचालय विहीन 26	आवश्यकता 26
11. हैण्डपम्प	हैण्डपम्प युक्त 296	हैण्डपम्प विहीन 24	24
12. चहारदिवारी	चहारदिवारी युक्त 55	चहारदिवारी विहीन 55	265

स्रोत - विभागीय आंकड़े

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सुविधायें -

जनपद में 1112 प्राथमिक विद्यालय संचालित है अभी भी कुछ बस्तियां असेवित है। उनमें नवीन प्राथमिक विद्यालय संचालित किए जायेंगें। जनपद में कुल परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में से 19 एक कक्षीय 505 दो कक्षीय 494 तीन कक्षीय 82 चार कक्षीय एवं 12.5 कक्षीय विद्यालय है। कुल प्राथमिक विद्यालयों में 810 विद्यालय शौचालय युक्त एवं कुल 862 हैण्डपाइप युक्त है। चाहारदिवारी युक्त केवल 162 विद्यालय है।

परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सुविधायें -

जनपद में कुल 320 उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। एव प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक से एक दो के अनुपात में लेने पर अभी 235 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता है। कुल 320 में 55 लघु मरम्मत योग्य एवं 67 वृहद मरम्मत योग्य है। जनपद में कोई भी उच्च प्राथमिक विद्यालय एक कक्षीय नही है। दो कक्षीय विद्यालय 7 तीन कक्षीय विद्यालय 137 चार कक्षीय विद्यालय 155 तथा 5 कक्षीय विद्यालय 21 है कुल 320 उच्च प्राथमिक विद्यालय में 294

शौचालययुक्त है। तथा 296 में पेय जल की सुविधा उपलब्ध है। चाहारदीवारी युक्त केवल 55 विद्यालय है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त दशम वित्त आयोग के अन्तर्गत जनपद बांदा में 12 विद्यालय भवन, 12 शौचालय, 12 हैण्डपम्प तथा 12 चहारदीवारी का निर्माण कराया गया।

सारणी 2.9

वर्तमान में भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता

क्र.सं.	सुविधा का नाम	प्राथमिक			उच्च प्राथमिक		
		कमी	11वें वित्त आयोग	शुद्ध मांग	कमी	11वें वित्त आयोग	शुद्ध मांग
1.	नवीन विद्यालय	29		29	235		235
2.	विद्यालय पुर्ननिर्माण	31		31	11		11
3.	अतिरिक्त कक्षा कक्ष	1478		1478	450		450
4.	पेयजल	123		123	24		24
5.	शौचालय	142		142	26		26
6.	चाहारदीवारी	950		950	265		265

स्रोत- विभागीय आंकड़े

नोट : विद्यालय/भौतिक सुविधाओं की वृद्धि के लिये आगामी वर्षों के लिये केवल 11वें वित्त आयोग में ही लक्ष्य निर्धारित है।

प्राथमिक स्तर के शैक्षिक आंकड़ें व महत्वपूर्ण इण्डीकेटर्स (बांदा)

यह जनपद बेसिक शिक्षा परियोजना का जनपद रहा है तथा कम्प्यूटराइज्ड ई0एम0आई0एस0 इकाई सक्रिय रूप में कार्य रहती रही है। बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1997–98 से नीपा द्वारा विकसित डायस साफ्टवेयर संचालित किया गया तथा वार्षिक शैक्षिक सांख्यिकी तैयार की जाती रही। शैक्षिक सांख्यिकी का उपयोग वार्षिक कार्ययोजना के निर्माण व बी0ई0पी0 परियोजनाओं से संबंधित निर्णयों में किया गया।

ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार विगत वर्षों में स्थिति निम्नवत् है –

प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन	1997–98	1998–99	1999–2000	2000–2001
कक्षा 1	55552	49376	51735	
कक्षा 2	46914	47331	48220	
कक्षा 3	37071	41578	44324	
कक्षा 4	26436	30567	36135	
कक्षा 5	22608	23678	27475	
योग	188581	192530	207889	
जी0ई0आर0				
कुल	83.63	88.45	93.68	
बालिका	68.34	74.77	80.82	
एन0ई0आर0				
कुल	78	79	80	
बालिका	66	69	71	

जनपद के नामांकन में औसतन 2 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है। जी0ई0आर0 एवं एन0ई0आर0 में प्रतिवर्ष सुधार हुआ है। बालिकाओं का जी0ई0आर0/एन0ई0आर0 बालिकाओं के जी0ई0आर0/एन0ई0आर0 के समतुल्य हो गया है। यह महत्वपूर्ण संकेत परिलक्षित हुआ है कि कुल नामांकन के सापेक्ष कक्षा 5 के नामांकन में निरन्तर वृद्धि हुई है जिससे यह पुष्टि होती है कि अधिक से अधिक बच्चे कक्षा 5 तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु अग्रसर हो रहे है।

बी0ई0पी0 जनपदों में परियोजनाओं के बाद प्राथमिक विद्यालयों एवं शिक्षकों की संख्या में हुई वृद्धि का विवरण निम्नवत् है :-

	परियोजना के पूर्व	2000 की स्थिति	प्रतिशत वृद्धि
प्राथमिक विद्यालय (परिषदीय)	794	1112	40
प्राथमिक अध्यापक (परिषदीय)	2278	3076	35

7 वर्ष की अवधि में विद्यालयों की संख्या में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा शिक्षकों की संख्या में 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई। औसतन रूप से विद्यालयों की संख्या में 6 प्रतिशत तथा शिक्षकों की संख्या में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विद्यालयों की उपलब्धता बढ़ी है तथा शिक्षा के सार्वजनीकरण की दिशा में सफल प्रयास हुये है।

ड्राप आउट दर

वर्ष	कक्षा 1	कक्षा 2	कक्षा 3	कक्षा 4	कुल	बालिका
1998	11.00	10.57	16.32	9.41	41	44
1999	6.25	4.98	11.47	8.39	31	33
2000	0.50	2.09	10.40	11.79	24	27

प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट दर में लगातार कमी आयी है। विगत तीन वर्ष में ड्राप आउट दर 47 प्रतिशत से घटकर 25 प्रतिशत हो गया है, जो महत्वपूर्ण है। यह और भी अधिक उल्लेखनीय है कि बालक व बालिकाओं की ड्राप आउट दर में अन्तर समाप्त हो रहा है।

रिपीटीशन दर व 5 कक्षाएं पूर्ण करने में औसत वर्षों की संख्या

वर्ष	रिपीटीशन दर	5 कक्षाएं पूर्ण करने में औसत वर्षों की संख्या
1998	2.73	6.82
1999	2.90	6.24
2000	3.55	6.27

रिपीटीशन दर मात्र 3.55 है तथा प्राथमिक स्तर की 5 कक्षाएं पूर्ण करने में बच्चों को औसत रूप से अब 6.27 वर्ष ही लग रहे हैं अर्थात् शिक्षा प्रणाली की कार्यकुशलता में वृद्धि हुई है।

अध्यापक–छात्र अनुपात वर्ष 2000–01 — **1:55**

एकल अध्यापिकीय विद्यालयों का प्रतिशत वर्ष 2000–01 — **7.72**

छात्र कक्षा–कक्ष अनुपात (2000–01) — **1:56**

परियोजना के अन्तर्गत अतिरिक्त शिक्षकों के पद सृजित हुये है। इसके अतिरिक्त शिक्षामित्र भी तैनात किये गये। फलस्वरूप एकल अध्यापकीय विद्यालयों के प्रतिशत में काफी कमी आयी। छात्र अध्यापक अनुपात में भी सुधार हुआ। नामांकन में वृद्धि के कारण अभी भी छात्र–अध्यापक 1:55 है जिसे सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षा मित्र तैनात कर निर्धारित मानक 1:40 पर लाना होगा। यद्यपि छात्र कक्षा–कक्ष अनुपात में विगत वर्षों में सुधार हुआ है किन्तु अभी भी यह 1:56 है। इसे निर्धारित मानक 1:40 पर लाने के लिए अतिरिक्त कक्षाकक्षों के निर्माण की आवश्यकता है।

उच्च प्राथमिक के आंकड़े व इण्डीकेटर्स (परिषदीय)

जनपद–बांदा

उच्च प्राथमिक नामांकन व वृद्धि (तीन वर्ष)

वर्ष	कक्षा 6	कक्षा 7	कक्षा 8	योग	गत वर्ष के सापेक्ष प्रतिशत वृद्धि
1998-1999	18794	15490	10681	44965	-
1999-2000	19673	17040	11749	48462	7.7
2000-2001	24493	19419	15069	58981	19

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर पर असेवित बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय स्थापित किये गये। विद्यालयों की उपलब्धता तथा परियोजना कार्यकमों के सफल संचालन के फलस्वरूप प्राथमिक स्तर पर नामांकन में अभूतपूर्व वृद्धि हुयी जिससे उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन में वृद्धि तीव्र गति से हुयी है, जिसे स्थायित्व प्रदान करने की महती आवश्यकता है।

ट्रांजिशन (कक्षा 5 से कक्षा 6)

वर्ष	कक्षा 5	कक्षा 6	ट्रांजिशन दर
1998-1999	23678	18794	-
1999-2000	28557	19673	83
2000-2001	29817	24493	82

सारिणी से स्पष्ट है कि कक्षा–5 उत्तीर्ण काफी बच्चे कक्षा–6 में प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं। इस स्थिति का प्रमुख कारण यह है कि प्राथमिक कक्षा पूरी करने के पश्चात निकट दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध न होने के कारण बच्चे शिक्षा छोड़ देते हैं।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में वृद्धि

	संख्या 1993	संख्या 2000	वृद्धि
उच्च प्राथमिक विद्यालय	250	319	28%
उच्च प्राथमिक अध्यापक	1003	1204	20%

प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात

	परि0 प्रा0 विद्यालय संस्था	परि0 उच्च प्रा0 विद्यालय संस्था	उच्च प्रा0 विद्यालय सम्बद्ध माध्यमिक वि0	योग (3+4)	प्रा0 विद्यालय उच्च प्रा0 विद्यालय अनुपात
1	2	3	4	5	6
योग	1112	319	30	349	1:3.2

यद्यपि बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक स्तर तक के कार्यक्रम संचालित थे किन्तु मुख्य बल प्राथमिक शिक्षा पर ही दिया गया। यथा संभव उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित भी किये गये।

प्राथमिक स्तर की शिक्षा का अधिक विस्तार होने के फलस्वरूप प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुपात में अभीष्ट सुधार न हो सका फलस्वरूप कक्षा–5 के उत्तीर्ण बच्चों को आगे पढ़ने के पर्याप्त अवसर सुगमता से उपलब्ध नहीं हो सके। जैसा कि सारिणी से स्पष्ट है, माध्यमिक विद्यालयों के साथ सम्बद्ध 6–8 अनुभागों को सम्मिलित करने पर भी ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात 1:3.2 है।

अध्याय -3

नियोजन प्रक्रिया-

सर्व शिक्षा अभियान ऐसा अभियान है जिसके अन्तर्गत विद्यालय न जाने वाले उन बच्चों को 2003 तक विद्यालय तक पहुचना एवं इसके उपरान्त उनका विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित करके ड्राप आउट दर को शून्य करना है। शिक्षा के क्षेत्र में इस योजना में नीचे अर्थात ग्राम एवं मजरे से की योजनाओं को विकास खण्ड स्तर पर समेकित कर जिला स्तरीय योजना तैयार की गयी है।

सूक्ष्म नियोजन तथा ग्राम शिक्षा योजना

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत सूक्ष्म नियोजन की प्रक्रिया को विशेष महत्व दिया गया। इसका प्रयोजन यह था कि प्रत्येक बस्ती तथा ग्राम के प्रत्येक परिवार के 6-11 वय वर्ग के बालकों तथा बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति का आँकलन किया जाय। सूक्ष्म नियोजन प्रारम्भ करने हेतु ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों, ग्राम के उत्साही प्रबुद्ध व्यक्तियों तथा अध्यापकों के लिये इसके उद्देश्यों तथा विधियों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण आयोजित किया गया और प्रत्येक ग्राम में बस्तियों की सूची तैयार की गई। बस्तियों की सूची परिशिष्ट में दी गयी है। इस जनपद में सर्वप्रथम 1994-95 में तथा दूसरा चरण 1998-2000 तक सभी ग्रामवासियों के सहयोग से बस्ती तथा प्रत्येक परिवार से सम्बन्धित सभी सूचनाओं जिनकी सूची पहले से तैयार थी, का एकत्रीकरण किया गया और एकत्रित सूचनाओं/आँकड़ों का विश्लेषण करके समस्याओं/आवश्यकताओं की पहचान की गई।

सूक्ष्म नियोजन से प्रत्येक ग्राम के लिये निम्नलिखित सूचनायें एकत्रित की गईं।

- ग्राम में 6-11 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या
- विद्यालय/अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या
- विद्यालय न जाने वाले वच्चों की संख्या
- शिक्षा ग्रहण न करने वाले बच्चों के विद्यालय/अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र न जाने का कारण

- यदि ग्राम में विद्यालय/अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र नहीं है तो क्या मानक के अनुसार विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता है?
- यदि मानक के अनुसार नवीन विद्यालय खोला जाना सम्भव नहीं है तो ग्रामवासी शिक्षा की क्या व्यवस्था प्रस्तावित करते हैं?
- क्या ग्राम में स्थित प्राथमिक विद्यालय के भवन एवं उपलब्ध भौतिक संसाधन पर्याप्त है?
- यदि नहीं, तो इनके सुधार के लिए ग्रामवासियों के क्या सुझाव है?
- क्या विद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती छात्र संख्या के अनुसार है तथा छात्र-अध्यापक अनुपात क्या है?
- क्या अध्यापक नियमित रूप से विद्यालय आते है?
- शिक्षण कार्य की स्थिति/शिक्षा की गुणवत्ता के विषय में ग्रामवासियों के विचार।

सूक्ष्म नियोजन द्वारा उपरोक्त सूचना एकत्र करने के पश्चात निम्न कार्य ग्रामवासियों के सहयोग से किये गये।

1. परिवार सर्वेक्षण
2. स्कूल का मानचित्रण/शैक्षिक मानचित्र
3. सूचनाओं का विश्लेषण
4. ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण

शैक्षिक मानचित्रण, विश्लेषण, ग्राम शिक्षा योजना निर्माण की तैयारी -

ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम शिक्षा समिति के सभी सदस्यों, उत्साही युवक-युवतियों, शिक्षकों/शिक्षिकाओं की एक सभा बुलाकर गाँव की शैक्षिक समस्याओं के साथ-साथ अन्य समस्याओं तथा आवश्यकताओं पर चर्चा की गई। समूहों द्वारा सर्वेक्षण प्रपत्रों के माध्यम से गाँव के समस्त परिवारों का सर्वेक्षण भी कराया गया।

इसके पश्चात शैक्षिक मानचित्रण के द्वारा गाँव की सम्पूर्ण स्थिति को परिलक्षित किया गया। प्राप्त सूचनाओं एवं स्कूल मानचित्रण के विश्लेषण के द्वारा ग्रामवासियों के सहयोग से गाँव की उत्तम व्यवस्था के लिये ग्राम शिक्षा योजना बनायी गई।

शैक्षिक मानचित्रण द्वारा प्रत्येक ग्राम के लिये निम्नलिखित सूचनायें एकत्र की गईं।

1. बस्ती की पूरी जनसंख्या

2. विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्या

3. स्त्री-पुरुष की जनसंख्या

4. पढ़ने व न पढ़ने वाले बच्चों की संख्या

5. बाल श्रमिकों के विषय में जानकारी

6. विकलांग बच्चों के विषय में जानकारी

7. बालिका शिक्षा की स्थिति

उपरोक्त सभी तथ्यों, समस्याओं आदि पर बस्ती के लोगों व समुदाय के सभी सदस्यों से विचार-विमर्श के दौरान उभरे बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए परिवारों/बस्तियों के विवरण को समेकित करके ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गई। इस योजना को अद्यावधिक बनाने के उद्देश्य से वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 में पुन: उपरोक्त सारी प्रक्रिया दोहराई गई ताकि बस्तीवार शैक्षिक योजनायें उपलब्ध हो सकें। इन सभी योजनाओं का रिकार्ड पूर्व में विकासखण्ड स्तर पर रखा गया किन्तु इनका समुचित उपयोग नही किया जा सका। फलस्वरूप वर्ष 1998-99 में माइक्रोप्लानिंग डाटा को अद्यावधिक बनाने के साथ ही जो ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गयी उन्हें ग्राम स्तर पर ही विद्यालय में रखा गया ताकि इनका उपयोग गाँव स्तर पर आसानी से हो सके। वर्ष 1998-2000 तक माइक्रोप्लानिंग के जो आँकड़े एकत्र किये गये थे उन्हें जनपद स्तर पर संकलित किया गया तथा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने हेतु इसी को आधार बनाया गया है।

माइक्रोप्लानिंग से प्राप्त परिवारवार/बस्तीवार आँकड़ों को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपयोगी बनाने हेतु विकासखण्ड के सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों की सहायता से वर्गीकृत व विकासखण्डवार संकलित किया गया। 6-14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों को दो श्रेणी में विभक्त किया गया। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित शिक्षा गारन्टी योजना तथा वैकल्पिक शिक्षा/नवाचार शिक्षा योजना कार्यक्रमों को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या 6-8 वर्ष तथा 9-14 वर्ष समूहों में आंकलित की गयी। इन बच्चों में बालकों व बालिकाओं की संख्या पृथक-पृथक ज्ञात की गयी। इसके अतिरिक्त ऐसे बच्चों की संख्या भी आंकलित की

गयी जो कामकाजी है, पैतृक व्यवसाय में माता-पिता की सहायता करते है अथवा सड़क छाप बच्चे (स्ट्रीट चिल्ड्रेन) है।

सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़ो के आधार पर उन बस्तियों की सूची भी तैयार की गयी है, जो नवीन विद्यालय खोले जाने का मानक पूरा करते है तथा विद्यालय प्रस्तावित किये गये है। उन बस्तियों की सूची भी तैयार की गयी जिनमें शिक्षा गारन्टी केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जाना सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के प्लान की संरचना में अधिक से अधिक बस्तीवार सूचना एकत्रित कर उपयोग में लायी गयी तथा विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या का आँकलन करते हुए उनकी शिक्षा व्यवस्था हेतु कार्यक्रम रखे गये है। इन सूचनाओं का विस्तृत विवरण पुस्तिका के अध्याय-7 में दर्शाया गया है।

ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा समस्त समुदाय की सहभागिता से सूक्ष्म नियोजन का अद्यावधिक चक्र सर्व शिक्षा अभियान की दीर्घकालीन योजना की प्रथम वार्षिक योजना 2001-2002 के क्रियान्वयन के दौरान पूर्ण किया जायगा। इसके द्वारा प्राप्त आँकड़ो/सूचनाओं का उपयोग वार्षिक कार्य योजना 2002-2003 के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने हेतु किया जायगा।

जहाँ तक नगरीय क्षेत्रों के सुसंगत शैक्षिक आँकड़ो का सम्बन्ध है, इन क्षेत्रों में परियोजना पूर्व गतिविधियों (प्री प्रोजेक्ट एक्टीविटीज़) के अन्तर्गत सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है जो प्रगति पर है। इस सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़ो का सारिणीयन व संकलन किया जायगा तथा निष्कर्षों का उपयोग वर्ष 2002-2003 की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट तैयार करते समय किया जायगा।

सूक्ष्म नियोजन के आंकड़ो को प्रति वर्ष अद्यतन किया जायेगा तथा इनका उपयोग आगामी वार्षिक योजनाओं में एंव बजट के निर्माण के समय ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 कार्यक्रम के निर्धारण में किया जायेगा।

स्कूल चलो अभियान–

"स्कूल चलो अभियान" के अन्तर्गत जनपद में 1 जुलाई 2000 से 15 जुलाई 2000 तक "स्कूल चलो अभियान" सघन रूप से क्रियान्वित किया गया। इसके अन्तर्गत यह प्रयास किया गया कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के सभी बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जाये। प्रत्येक विद्यालय में बाल गणना पंजिकायें तैयार की गईं तथा ग्राम स्तर पर, पंचायत ब्लाक स्तर पर गोष्ठियाँ की गईं और बच्चों की प्रभात फेरियाँ निकाल कर शिक्षा के महत्व पर चर्चा की गई, जिसके कारण शिक्षा के प्रति लोगों में रुचि जागृत हुई।

उपरोक्त अभियान के फलस्वरूप शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु जो वातावरण सृजित हुआ उसका लाभ उठाया गया और ग्रामीणों की समस्याओं के निदान हेतु सुझाव लेकर तद्नुसार व्यवस्था करने की प्रक्रिया इस अभियान के अन्तर्गत अपनायी गयी। इसको ध्यान में रखकर जनपद बाँदा में बच्चों का स्कूल न जाना, ड्राप आउट होना आदि पर विभिन्न वर्गों से चर्चायें की गईं।

जनपद में वर्ष 2000–2001 में "स्कूल चलो अभियान" के अन्तर्गत निम्नांकित बच्चे नामांकित हुए हैं। 6–11 आयु वर्ग के 229857 के लक्ष्य के सापेक्ष 222917 छात्रों का पंजीकरण किया गया है तथा 11–14 आयु वर्ग के 74637 के लक्ष्य के सापेक्ष 50008 छात्रों का नामांकन किया गया।

"स्कूल चलो अभियान" को गति प्रदान करने जनपद के प्रभारी मन्त्री माननीय श्री राधे श्याम गुप्त राजस्व मन्त्री ने समय–समय पर जिले में पधार पर जन सामान्य को अभिप्रेरित किया। जनपद के आठों विकास खण्डों तथा 450 ग्राम सभाओं में विचार गोष्ठियाँ, रैलियाँ आयोजित की गईं। इननें विकास खण्ड स्तर तथा जिला स्तर के सभी विभागों के अधिकारियों ने सक्रिय योगदान देकर जन जन को शिक्षा की आवश्यकता के विषय में जागरूक बनाया। ब्लाक संसाधन केन्द्र तथा न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों ने इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

जनपद में 6–11 आयु वर्ग के 15578 बालक, 16193 बालिका कुल 31771 बच्चे विद्यालय में नहीं जा रहे हैं, जिनको सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से औपचारिक अथवा अनौपचारिक शिक्षा से जोड़ा जायेगा।

सर्व शिक्षा अभियान की योजना तैयार करने हेतु सर्व प्रथम जिला स्तर पर बी0एस0ए0 तथा डायट के कार्यकर्ताओं की एक टीम का गठन किया गया। इस टीम ने योजना बनाने के सम्बन्ध में प्रशिक्षण, सीमेट इलाहाबाद से प्राप्त किया है और उसके पश्चात् जिले में विकास खण्ड स्तर ग्राम तथा मजरा स्तर पर एफ0जी0डी0 निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित किये गये। जिला स्तर पर जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक की गई, जिसमें योजना बनाने तथा सभी विभागों से सर्व शिक्षा अभियान में सहयोग देने पर बल दिया गया। जिले में विभिन्न स्थानों पर फोकस ग्रुप डिस्कशन तथा सहभागी चर्चाओं के माध्यम से निम्नलिखित आवश्यकतायें चिन्हित की गईं –

1. विद्यालय असेवित क्षेत्र
2. शाला त्यागी के कारण
3. विद्यालय भवनों तथा संसाधनों की स्थिति
4. विद्यालय कार्यक्रमों में जन सहभागिता की स्थिति
5. अपबन्धित वर्ग तथा बालिकाओं की शिक्षा सम्बन्धी बाधायें।

स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत प्रमुख बल ठहराव में वृद्धि लाने, विशेषकर बालिकाओं के ठहराव पर दिया जाता है और तद्नुसार अभिभावकों को अभिप्रेरित किया जाता है, जिसके लिए सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम संचालित किये जाते है। आगे भी स्कूल चलों अभियान में मुख्य बल नामांकन की अपेक्षा बालिकाओं के ठहराव में वृद्धि पर अधिक रहेगा। ताकि नामांकित बालिकाएँ प्राथमिक शिक्षा करने के उपरान्त ही विद्यालय छोड़ें।

विभिन्न स्तरों पर आयोजित बैठकों तथा फोकस ग्रुप डिस्कशन से उभरे निष्कर्षों का विवरण संलग्न सारिणी में दिया गया है:-

क्रम	दिनांक	स्थान	प्रतिभगियों की संख्या व विवरण	विचार विमर्श के मुददे
1.	8.2.2001	बी0आर0सी0 बड़ोखर	खण्ड विकास अधिकारी क्षेत्र पंचायत के सदस्य प्रभारी एन0पी0आर0 सी0 समन्वयक ए.बी.एस.ए. कुल प्रतिभागी 7	बच्चों का विद्यालय न जाने का कारण उनके अभिभावकों का औद्योगिक शहर दिल्ली सूरत जैसे औद्योगिक जैसे औद्योगिक जगहों में रोजगार की तलाश में जाना है।
2.	9.2.2001	महुआ बी आर सी	बी0डी0ओ0, परियोजना अधिकारी सदस्य, ए0बी0एस0ए0/बी0आर0सी0 ग्राम प्रधान सम्मानित 4, अध्यापक एवं व्यक्ति पंचायत सदस्य कुल प्रतिभागी 9	अध्यापक द्वारा शिक्षण के अलावा अन्यकार्य करने में शिक्षण व्यवस्था में बाधा। बच्चों का नियमित विद्यालय में न जाना। पाठशाला के अन्तर्गत नामांकन कराया जाना। किन्तु बच्चों का प्रतिदिन उपस्थित न होना। अध्यापकों का देरी से विद्यालय में आना एवं जल्दी जाना। कक्षा वार अध्यापकों को शिक्षण कार्य दिया जाये। अध्यापकों द्वारा अभिभावकों से सम्पर्क किया जाये।
3.	9.2.2001	प्रा0वि0, गिरवा वि0 ख0 महुआ	परियोजना अधिकारी अनौपचारिक शिक्षा प्रभारी एन पी आर सी, ए बी एस स, ग्राम प्रधान चिकित्सा, तीन जन प्रतिनिधि (अल्प संख्यक कुल प्रतिभागी) -15	अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों का विद्यालयों में न जाकर मकतब में जाना। अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यालयों की अलग से व्यवस्था। पढ़ने लिखने के बाद नौकरी का क्या भरोसा। बालिका विद्यालयों की अलग से व्यवस्था। व्यवसायिक कार्यक्रम पर विशेष बल दिया गया है। कृषि सम्बन्धी शिक्षा पर बल

				दिया जाये। अध्यापकों का सलाह में अभिभावक सम्पर्क करने की सलाह एवं नियमित विद्यालयों में उपस्थिति।
4.	12.2.2001	बिसण्डा विकास खण्ड	▪ खण्ड विकास अधिकारी। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी। ▪ प्रति उप विद्यालय निरीक्षक। ▪ परियोजना अधिकारी। ▪ बी आर सी सह समन्यवक। ▪ बी आर सी सह समन्यवक। ▪ सभी संकुल प्रभारी। ▪ ग्राम प्रधान -7। ▪ नागरिक -11	अधिकांश ग्राम प्रधानों व अन्य नागरिकों ने बच्चों का शिक्षित न होना विद्यालयों की कमी तथा शिक्षकों के अधिकतर अनुपस्थित रहने एवं रोजगारपरक शिक्षा का अभाव दर्शाया गया तथा इसके सुधारात्मक सुझाव दिये गये कि अध्यापकों को निवास से दूर वाले खण्ड में रखा जाये। कुछ प्रधानों ने सुझाव दिया कि उन्हें जिले के बाहर रखा जाये। बालिकाओं की शिक्षा कम होने के कारण विद्यालयों का दूर होना तथा सामाजिक व्यवस्था का अवरोध होना बताया। इस हेतु वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र का सुझाव दिया गया।
5.	16.2.2001	ब्लाक संसाधन केन्द्र नरैनी	▪ उप बेसिक शिक्षा अधिकारी परियोजना अधिकारी। ▪ सहा0 बे0 शि0 अधिकारी। ▪ नोडल परियोजना अधिकारी बांदा ▪ एस0 डी0 आई। ▪ बी0 आर सनन्यवक। ▪ संकुल प्रभारी ▪ शिक्षक संघ के मंत्री ▪ ग्राम प्रधान -5	बैठक में विचार विमर्श में बात सामने उभर कर सामने आयी कि अधिकांश बालिकायें विद्यालय नहीं जाती है। क्योंकि यह छोटे छोटे बच्चों की देख रेख करनी पड़ती है। सयानी बालिकायें घरेलू काम काज के कारण विद्यालय नहीं आती। इनके लिये ई सी सी ई केन्द्र खोले जांय ताकि छोटे भाई बहिन इस केन्द्र में रहें और बालिका नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित रह सकें। बालिकाओं कह शिक्षा में कार्यानुभव को शामिल किया जाये।

6.	17.2.2001	जौहरपुर वि0 खण्ड तिंदवारी	• ग्राम प्रधान ए.बी. एस.ए. • सचिव प्रधानाध्यापक। • ग्राम शिक्षा के समिति के सदस्य-8। • ग्राम नागरिक -11। • ग्राम नागरिक -12। • कुल प्रतिभागी -23।	बच्चों के मानक के अनुसार शिक्षक नही है और न ही शिक्षकों मे शिक्षण के प्रति रूचि है। विद्यालय का वातावरण आकर्षित नही है। मानक के अनुसार शिक्षक दिये जाये तथा शिक्षकों से शिक्षण कार्य के अलावा और कोई अन्य कार्य न लिये जाये प्रतिमाह बच्चों के अभिभावकों की बैठक की जाये।
7.	19.2.2001	ग्राम पंचायत कार्यालय इटैवा बिसण्डा	• परियोजना अधिकारी • सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी • ग्राम प्रधान • सचिव • प्रा0अ0 • ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य -6 • सम्भ्रान्त नागरिक-11	विद्यालयों मे बच्चों का नामांकन तो हो जाता है परन्तु पूरे बच्चे स्कूल कभी नही जाते है। विद्यालयों मे बच्चों को ठहराव मे वृद्वि के लिए विद्यालय के शिक्षकों का रात्रि निवास भी आवश्यक है इनको सेवार्य तहसील से बाहर की जाय।
8.	23.2.2001	कार्यालय ग्राम पंचायत बाधा बिसण्डा व साथी	• सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी • ग्राम प्रधान • ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य • बी0 आर सी सह समन्वयक • ग्राम नागरिक-18	विद्यालयों मे मानक के अनुसार शिक्षकों का न होना। चहारदीवारी का न होना। शिक्षकों मे शिक्षण कार्य के प्रति रूचि नही है। मानक के अनुसार शिक्षक दिये जाये। विद्यालयों की चहार दीवारी बनवाई जाये शिक्षकों से कोई अन्य कार्य न लिये जाये।

9.	24.2.2001	कार्यालय ग्राम पंचायत ओरन ग्रामीण बिसण्डा	परियोजना अधिकारी ए बी एस ए ग्राम प्रधान सदस्य -6 नागरिक -12	गरीबी के कारण बच्चों का स्कूल न आना। बालिकाओं को रोजगार परक शिक्षा विद्यालय में न मिलना। गरीब बच्चों को यूनीफार्म (ड्रेस) अवश्य दी जाये तथा पोष्टाहार भी दिया एवं बालिकाओं को सिलाई केन्द्र व कढाई एवं ए आई ई केन्द्र खोले जायें।
10	25.2.2001	कार्यालय जिला अधिकारी सभागार बांदा	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उप बेसिक शिक्षा अधिकारी। जिला विद्यालय निरीक्षक। मुख्य चिकित्सा अधिकारी। जिला युवा कल्याण अधिकारी। जिला सूचना अधिकारी। ब्लाक प्रमुख बिसण्डा। जिला हरिजन समाज कल्याण अधिकारी। परियोजना अधिकारी महुआ। परियोजना अधिकारी बिसण्डा। ए बी एस ए जसपुरा। ए बी एस ए नरैनी। स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि। ग्राम प्रधान महुआ	इस बैठक में निम्न मुख्य मुद्दों पर चर्चा हुई। विधालय असेवित क्षेत्र। शाला त्यागी के कारण। विधालयों भवनों तथा संसाधनों की स्थिति। विधालय कार्यक्रमों में जन सहभागिता के अभाव का कारण। अपवंचित वर्ग तथा बालिकाओं की शिक्षा सम्बन्धी बाधायें। परिवार से सम्बन्धित कारण जैसे बड़े बच्चों का कृषि कार्यों में संलग्न होना। गरीबी के कारण जीविकोपार्जन सम्बन्धी समस्याओं के चलते बच्चों का घरेलू कार्यों में लग जाना। परिवार के लोगों का निरक्षर होना जिसके विशेष रूप से बालिकाओं का निरक्षर रहना। सामाजिक सुरक्षा एवं भेद भाव

11	24.2.2001	बी आर सी जसपुरा।	ए बी एम ए बी डी ओ प्रधान अध्यापक ग्राम प्रधान बी आर सी प्रभारी। जनप्रतिनिधि 3 ग्राम सभा सदस्य महिला 2 कुल प्रतिभागी(9)	अध्यापकों का विधालयों से दूर निवास होने के कारण देर से विद्यालय मे आना एवं जल्दी चले जाना। विद्यालयों का वातावरण सुदृढ न होना। विद्यालयों मे शैक्षिक वातावरण तैयार किये जाये। बाल विवाह जैसी कुरीतियों के कारण बालिकाओं का शैक्षिक एवं शारीरिक विकास मे बाधा। पढने के बाद नौकरी की अनिश्चितता। अधिकांश बच्चों का बीच मे ही विधालय छोड कर चला जाना। अध्यापकों का छात्रों के प्रति सहानभूति पूर्ण व्यवहार होना अनिवार्य है। चर्तुमास (बरसात) मे जल भराव के कारण बच्चों का विद्यालय न पहुंच पाना।
12	24.2.2001	बी आर सी कमालिन	ए बी एम ए. बी डी ओ प्रधान अध्यापक ग्राम प्रधान बी आर सी प्रभारी एक जनप्रतिनिधि ग्राम सभा सदस्य महिला 2 पुरूष 2 कुल प्रतिभागी (8)	दस्यु प्रभावित क्षेत्र होने के कारण निकटस्थ मजरों के बच्चों का विद्यालय न आना। गरीबी के कारण अभिभावकों का शहरी क्षेत्रों की तरफ जीविकोपार्जन हेतु भाग जाना। अध्यापकों द्वारा शिक्षणों कार्य मे रूचि न लेना तथा अधिकांशत: विद्यालयों से अनुपस्थित रहना। बालिकाओं को ग्रहउपयोगी शिक्षा का अभाव एवं उनके लिए अलग विद्यालयों की स्थापना। अधिकांश लोगो का कृषि कार्यो पर निर्भर होना। एवं माता पिता का निरक्षर होना सामाजिक कुरीतियों की भरमार। कक्षा वार अध्यापकों को उत्तरदायित्व सौपना एवं सम्बन्धित अध्यापको का बच्चों के माता पिता से माह मे दो बार सम्पर्क करना।

सोशल एसेसमेंट स्टडी-

जनपद बांदा के सोशल एसेसमेंट स्टडी में (एस.ए.एस.) से ज्ञात होता है कि लगभग 10 प्रतिशत 6-11 वय वर्ग के बच्चे स्कूल से बाहर हैं। किन्तु जिसमें मुख्यत: अत्यन्त गरीब परिवार के बच्चे हैं जिसके पास कोई भी भूमि नहीं है अर्थात भूमिहीन कृषक, सीमान्त कृषक, बांस की टोकरी बनाने वाले परिवार, ईट भठ्ठों में काम करने वाले परिवार अन्य कार्य करने वाले परिवार हैं। इन परिवारों के बच्चे मुख्यत: स्कूल जाने की अपेक्षा पारिवारिक कार्यों से सम्बद्ध हैं जोकि इन परिवारों के जीवन यापन के लिये आवश्यक है।

इन परिवारों की बालिकायें बच्चों की देखभाल के लिये तथा अन्य घरेलू कार्यों/आर्थिक कार्याकलापों में संलग्न हैं। लगभग 10 से 15 प्रतिशत अत्यन्त ही गरीब परिवार बच्चों सहित गावों से शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं। जिससे वे स्कूल नही जा पाते हैं और कुछ महीने बाद वापस आते ही लगभग 2 से 4 प्रतिशत 6-11 वय वर्ग के बच्चे विभिन्न शारीरिक विकलांगता के कारण विद्यालय नही जाते है। ऐसे बच्चों हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत ई0जी0एस0 एवं ए0आई0ई0 की स्थापना की जायेगी तथा विकलांगों हेतु पृथक से नवाचार शिक्षा का प्रचार प्रसार करते हुये यथोचित व्यवस्था की जायेगी।

प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न एजेन्सीज/विभागों से समन्वय व सहयोग

प्रारंभिक शिक्षा के विकास व उन्नयन हेतु निम्नांकित विभागों से सुनियोजित ढंग से सहयोग प्राप्त किया जाता है–

(A) आई.सी.डी.एस. के साथ समन्वय

जिला कार्यक्रन अधिकारी व समन्वयक बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य कर्मी, N.G.O. आदि को सम्मिलित कर जिला संदर्भ समूह तथा विकास खण्ड संदर्भ समूह का गठन किया जाता है और निम्नवत् आई.सी.डी.एस. के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है–

1- ऑगनबाड़ी केन्द्रों का समय स्कूलों के समय के अनुसार निर्धारित किया जाता है।
2- ऑगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना विद्यालय प्रांगण में या उनके निकट की जाती है।
3- ऑगनबाड़ी केन्द्रों को शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध करायी जाती है।
4- केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रशिक्षण क्षमता का विकास किया जाता है।
5- केन्द्रों के संचालन के अतिरिक्त समस्या हेतु आनुपालिक ढंग से अतिरिक्त मानदेय दिया जाता है।

(B) स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय

स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित करके प्रत्येक वर्ष परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा, जिससे चिन्हित रोगी छात्र–छात्राओं के उपचार हेतु उनके अभिभावकों को अवगत कराया जा सके तथा बच्चों के स्वास्थ्य की समुचित देख भाल हो सके। स्वास्थ्य वार्ड का रखरखाव विद्यालय स्तर पर किया जाता है। स्वास्थ्य परीक्षण हेतु राजकीय चिकित्सक अथवा पंजीकृत चिकित्सकों की सेवाएं ली जाती हैं। चिकित्सकों के आने–जाने की व्यवस्था विभाग से की जाती है।

(C) समाज कल्याण विभाग से समन्वय

समाज कल्याण विभाग के सहयोग से प्राथमिक विद्यालयों व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनु० जाति के सभी बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु कमशः 300/– व 480/– प्रति छात्र की दर से प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

(D) ग्राम पंचायतों से समन्वय

असेवित क्षेत्रों में नवीन विद्यालयों की स्थापना हेतु ग्राम पंचायतों के सहयोग से ग्राम पंचायत भूमि प्रबंध समितियों द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जाती है, जहाँ पर विद्यालयों का निर्माण कर संचालित किया जाता है।

(E) खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से समन्वय

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के समन्वय एवं सहयोग से प्रत्येक विद्यालय में 80% मासिक उपस्थिति वाले प्रत्येक छात्र–छात्रा को 3 किलोग्राम प्रति छात्र की दर से पोषाहार योजनान्तर्गत खाद्यान वितरित कराया जाता है।

(F) विकलांग कल्याण विभाग से समन्वय

विकलांग कल्याण विभाग के सहयोग से विकलांग छात्र–छात्राओं को उपकरण (टायसाइकल, वैसाखी आदि) उपलब्ध कराने हेतु सहयोग प्राप्त किया जाता है। बच्चों के चिन्हीकरण में सहयोग किया जाता है। शासन द्वारा यह आदेश भी जारी किये गये हैं कि विकलांगों की सहायतार्थ उपकरणों/संयंत्रों के वितरण में छात्र–छात्राओं को प्राथमिकता दी जाये।

(G) उ०प्र० जल निगम/ यू.पी. एग्रो से समन्वय

इन दोनों विभागों के सहयोग से प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र–छात्राओं के लिए पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हैण्डपम्पों की स्थापना की जाती है।

(H) युवा कल्याण विभाग से समन्वय

युवा कल्याण विभाग से समन्वय स्थापित कर छात्रों की कीडा प्रतियोगिता सम्पादित करायी जाती है ताकि उनमें खेल भावना का विकास हो सके। नेहरू युवा केन्द्रों तथा युवक मंगल दल के कार्यकर्ताओं के सहयोग से छात्र नामांकन में वृद्धि हेतु कार्यक्रम चलाये जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ग्राम शिक्षा समितियों व स्थानीय समुदाय की सामुदायिक सहभागिता विकसित की जाती है।

(I) पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से समन्वय

इन दोनों विभागों से समन्वय स्थापित कर पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक बच्चों को 300/– प्रति छात्र प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति वितरित करायी जाती है ताकि इन छात्रों को गणवेश एवं आवश्यक पठन सामग्री उपलब्ध हो सके।

(J) जिला ग्राम्य विकास अभिकरण विभाग से समन्वय

शिक्षा के उन्नयन हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (D.R.D.A.) से समन्वय स्थापित कर विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु 40% धनराशि शिक्षा विभाग से प्रदान कर शेष 60% धनराशि ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त कर विद्यालय भवनों का निर्माण कराया जाता है जिससे अधिक से अधिक विद्यालयों को आच्छादित किया जा सके।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपरोक्त सभी विभागों से समन्वय स्थापित कर समुचित सहयोग प्राप्त किया जायेगा। उपर्युक्त विभागों के साथ पूर्व से ही कन्वर्जेन्स स्थापित है जिसे आगे भी जारी रखा जायेगा।

Co-ordination with various deptt.

अध्याय – 4

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य

भारत सरकार द्वारा कक्षा 1–8 तक की प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु राज्यों में "सर्व शिक्षा अभियान" संचालित करने का निर्णय लिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान केन्द्र पुरोनिधानित योजना के रूप में चलाया जायेगा। नवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि तक केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य अंशदान का प्रतिशत 85:15, दसम् पंचवर्षीय योजना में अंशदान का प्रतिशत 75:25 तथा उसके आगे की अवधि के लिए केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य अंशदान का प्रतिशत 50:50 रहेगा।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य रूप से निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये गये है :–

- वर्ष 2003 तक सभी बच्चों का विद्यालय, शिक्षा गारंटी केन्द्र, वैकल्पिक स्कूल, बैक टू स्कूल शिविर आदि के माध्यम से शत प्रतिशत नामांकन।
- वर्ष 2007 तक समस्त बच्चों द्वारा कक्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर लेना।
- वर्ष 2010 तक सभी बच्चों द्वारा कक्षा 8 तक की प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करना।
- गुणवत्तापरक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना।
- बालक–बालिका तथा समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन, ठहराव व सम्प्राप्ति में अन्तर समाप्त करना।
- वर्ष 2010 तक सार्वभौमिक ठहराव।

उक्तवत अंकित राष्ट्रीय लक्ष्यों को जनपद के लिये भी मान लिया गया है। उक्त वृहद लक्ष्यों के साथ ही जनपद के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, जिनका विवरण आगे पृष्ठों में अंकित है।

नामांकन के लक्ष्य

बाल संख्या तथा नामांकन प्रोजेक्शन हेतु अपनायी गयी विधा

जनगणना – 2001 से प्रदेश की जनपदवार जनसंख्या के आँकड़े प्राप्त हो गये हैं। जनगणना – 1991 की जनसंख्या के आँकड़ों को आधार मानते हुए विगत 10 वर्षो में जनपद की जनसंख्या में हुई वृद्धि के आधार पर नीपा, नयी दिल्ली के माड्यूल में वर्णित 'कम्पाउण्ड रेट आफ ग्रोथ मेथेड' से जनपद की वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात की गयी। जनपद की वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर 1.7 % है। इस वार्षिक वृद्धि दर से वर्ष 2002 से 2010 तक प्रत्येक वर्ष की जनपद की कुल जनसंख्या प्रक्षेपित की गयी है।

जनगणना 2001 की आयुवर्गवार जनसंख्या के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। अतः जनगणना 1991 की आयु वर्गवार जनसंख्या के प्रतिशत को मानते हुए वर्ष 2001 तथा इससे आगे की प्रक्षेपित जनसंख्या में 6-11 वर्ष की बालसंख्या ज्ञात करने के लिये 14.9% तथा 11-14 वर्ष की बालसंख्या ज्ञात करने के लिये 6.2% का अनुपात लिया गया है। वर्ष 2001 की जनगणना के विभिन्न आयुवर्ग की जनसंख्या, ग्रामीण/ नगरीय, अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिये विशिष्ट आंकड़े उपलब्ध होने पर इन आंकड़ों का पुनरावलोकन आगामी वार्षिक योजनाओं में किया जा सकता है।

नामांकन के प्रोजेक्शन हेतु वर्तमान जी०ई०आर० को आधार मानते हुए नीपा, नयी दिल्ली द्वारा प्रतिपादित 'इनरोलमेंट रेशियो मेथड' से 2002 से 2010 तक का जी०ई०आर० प्रक्षेपित किया गया। वर्ष विशेष के लिये प्रक्षेपित जी०ई०आर० तथा प्रक्षेपित बाल संख्या से उस वर्ष के लिए नामांकन प्रक्षेपित किया गया है। प्राथनिक स्तर (6-11) के लिए वर्ष 2003 तक तथा उच्च प्राथमिक स्तर (11-14) के लिये वर्ष 2007 तक शत–प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। चूँकि कुल नामांकन में कुछ ओदर ऐज तथा अण्डर ऐज बच्चे भी होंगे अतः जी०ई०आर० का लक्ष्य 100 से अधिक रखा गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2003 के बाद तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2007 के बाद जी०ई०आर० में वृद्धि कम होगी क्योकि जितने बच्चे 6-11 वर्ष व 11-14 वर्ष में बढ़ेंगे उतने ही लगभग नानांकन में बढ़ेगें।

वर्ष 2001 से 2010 तक वर्षवार प्रक्षेपित जनपद की 6.11 वर्ष की बाल संख्या व नामंकन तथा 11.14 की बाल संख्या व नामांकन निम्नवत् है।

सारिणी 4.1

प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य

जनपद – बाँदा

वर्ष	6-11 वय वर्ग के बच्चों की संख्या			नामांकन			जी०ई०आर०
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
2000-01	117357	106180	223537	109142	98747	207889	92
2001-02	119352	107985	227337	116965	105825	222790	98
2002-03	121381	109821	231202	126236	114214	240450	104
2003-04	123445	111688	235132	133320	120623	253943	108
2004-05	125543	113586	239130	140608	127217	267825	112
2005-06	127677	115517	243195	146829	132845	279674	115
2006-07	129848	117481	247329	151922	137453	289375	117
2007-08	132055	119478	251534	155825	140985	296810	118
2008-09	134300	121510	255810	159817	144596	304414	119
2009-10	136583	123575	260158	163900	148290	312190	120

सारिणी 4.2

उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य

जनपद – बाँदा

वर्ष	11-14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या			नामांकन			जी०ई०आर०
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
2000-01	48833	44183	93016	38578	34905	73483	79
2001-02	49663	44934	94597	41717	37745	79462	84
2002-03	50507	45698	96205	44952	40671	85623	89
2003-04	51366	46475	97841	48284	43686	91970	94
2004-05	52239	47265	99504	51194	46320	97514	98
2005-06	53127	48068	101196	54190	49030	103220	102
2006-07	54031	48886	102916	57272	51819	109091	106
2007-08	54949	49717	104666	59345	53694	113039	108
2008-09	55883	50562	106445	60913	55112	116025	109
2009-10	56833	51421	108255	62517	56564	119080	110

ठहराव के लक्ष्य

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जिले की प्लान संरचना में वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा वर्ष 2010 तक उच्च प्रायमिक स्तर पर शत प्रतिशत ठहराव का लक्ष्य रखा गया है। तद्नुसार प्राथमिक स्तर पर 'ड्राप आउट' कम करने के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, जो निम्नवत हैं-

वर्ष	प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट की दर
2000-01	24
2001-02	21
2002-03	18
2003-04	14
2004-05	10
2005-06	6
2006-07	4
2007-08	0
2008-09	0
2009-10	0

परियोजना कियान्वयन के दौरान जनपद में 'ड्राप आउट' के संबंध में हुयी प्रगति तथा अनुश्रवण हेतु प्रत्येक तीन वर्ष पर प्राथमिक स्तर का ड्राप आउट तथा उच्च प्राथमिक स्तर का ड्राप आउट ज्ञात करने हेतु पृथक-पृथक 'कोहोर्ट स्टडी' करायी जायेगी।

अध्याय - 5

समस्याऐं एवं रणनीति:-

जनपद मे विभिन्न स्तरो पर कराये गये फोकस ग्रुप डिस्कसन मे प्राप्त विचारो के विशलेषणोपरान्त उपलब्ध संसाधनों के सापेक्ष व्यवहारिक एवं सन्तुलित रणनीति बनायी गयी है। इसमे छात्र नामांकन के अनुसार अध्यापक/अध्यापिकाओं की तैनाती, नये भवनों का निर्माण, जीर्ण-शीर्ण भवनों की मरम्मत, हैण्डपम्प एवं शौचालयों का निर्माण, साज-सज्जा एवं विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण का निम्नवत प्रयास किया गया।

समस्यायें	रणनीति
(अ) पहुँच:-	महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार लाने हेतु महिला मंगल दल महिला समाख्या, बाल विकास परियोजना के कार्यकत्री/कार्यकर्ता, ए. एन.एम. कला जत्था, जनसम्पर्क ग्राम शिक्षा समितियें की सक्रिय सहभागिता एवं जागरूक नागरिकों का सहयोग लिया जायेगा।
शिक्षा की उपदेशिता संदिग्ध है।	उच्च प्राथमिक विद्यालय में व्यवसायिक शिक्षा के कार्यक्रमों को जोड़ा जायेगा जिससे विद्यार्थियों को स्वावलम्बन एंव करके सीखने की प्रकृति का विकास हो सके और आर्थिक पिछड़ापन दूर हो सके। विशेषकर ग्रामीण आंचल की बालिकाओं के लिए सिलाई, कढ़ाई, फल संरक्षण, बुनाई स्थानीय क्राफ्ट एवं नगरीय क्षेत्र एवं इससे निकट के ग्रामीण क्षेत्रों में मेहदी, फाइन आर्ट, ब्यूटी पार्लर, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, चटाई निर्माण , जूट कपड़े के

	बैग आदि सिखाने का प्राविधान किया जायेगा। सिलाई शिक्षा के लिए मशीनों की व्यवस्था प्रस्तावित है।
असंवित एवं मलिन बस्तियों में विद्यालय सुविधा का न होना	1.5 कि.मी. तथा 300 की आबादी वाले ग्रामों/बस्तियों में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जायेगी तथा 6 से 8 वय वर्ग के 30 बच्चों में 1 कि.मी. विद्यालय से दूरी के मानक पर ई.जी.एस. केन्द्र खोले जायेंगे तथा 9 से 14 वय वर्ग तक के बच्चों के लिए ए.आई.ई. केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। नगर क्षेत्र में द्विपाली योजना एवं किराये के भवनों में चलने वाले विद्यालय जहाँ छात्र संख्या कम है विकास प्राधिकरण का सहयोग लिया जायेगा।
भौगोलिक कठिनाई जैसे नदी, नाले, जंगल आदि के कारण शिक्षा में अवरोध	भौगोलिक कठिनाईयों को दूर करने के उद्देश्य से मानक के अनुसार शिक्षा गारंटी योजना एवं वैकल्पिक / नवाचार शिक्षा के केन्द्र खोले जायेगें तथा कालान्तर में मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा।
विद्यालयों में भौतिक संसाधनों का अभाव जैसे फर्नीचर, बिजली के नामांकन के सापेक्ष उपस्थिति के आधार पर कक्षा-कक्षों की अनुपलब्धता, शौचालय, पेयजल एंव चाहरदीवारी की कमी	छात्र संख्या के आधार पर विद्यालयों में आतरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण कराया जायेगा। जिन विद्यालायों में स्वच्छ पेयजल एवं शौचालयों, चाहरदीवारी की व्यवस्था नही है। वहाँ पर इनका निर्माण प्रस्तावित किया जायेगा। उच्च प्राथमिक विद्यालय/प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के बैठने के लिये काष्ठोपकरण की व्यवस्था उपलब्ध है।

(ब) ठहराव

शिक्षा के प्रति अभिभावक, बच्चों में जागरूकता का अभाव। अभिभावक की सोच की बच्चा शिक्षित होकर रोजगार से जुड़े।	शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास है न कि एक मात्र रोजगार उपलब्ध कराना। जबकि अभिभावक की सोच है कि उसका बच्चा पढ़ लिख कर नौकरी करे। यथा स्थिति में रोजगार के सीमित अवसर है इस सोच में सकारात्मक सोच पर बल दिया जायेगा।
बच्चों के व्यक्तित्व रूचि में कमी।	बच्चों को विद्यालय बोझिल न लगे इस हेतु रूचिपूर्ण पाठ्यक्रम का समावेश किया जायेगा।।
शिक्षक की व्यवहार कुशलता एवं व्यक्तित्व में ह्रास।	शिक्षक का छात्रा के प्रति मृदु व्यवहार हो, मानवीय मूल्यों एवं संवेदनाओं में समन्वयन हो। शिक्षक की छवि छात्रा के मस्तिष्क में सकारात्मक, गुणवत्तापरक एवं विशिष्ट प्रभावोत्पादक के रूप में प्रतिबिम्ब हो इस हेतु शिक्षक को प्रेरित किया जायेगा।
विद्यालय में छात्र संख्या के सापेक्ष अध्यापकों की कमी।	ग्राम शिक्षा समिति का सहयोग प्राप्त कर शिक्षण व्यवस्था सुचारू की जायेगी। 40-1 के अनुपात पर अध्यापकों एवं शिक्षा मित्रों की व्यवस्था की जायेगी। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विषयाध्यापकों की नियुक्ति प्रस्तावित है। जहाँ पर उच्च प्राथमिक विद्यालयों के साथ-साथ प्राथमिक विद्यालय संचालित हो सके वहाँ उच्च प्राथमिक विद्यालय का

	प्रधानाध्यापक ही प्रबंधनतंत्र का पूर्ण संचालन करें। कक्षा 1 से 8 तक एक ही समय विभाग चक्र बनाया जायेगा। जिससे सभी अध्यापक कक्षा 1 से 8 तक के पाठ्यक्रम से भली-भाँति परिचित होंगे तथा अध्यापकों की कमी दूर होगी।
अध्यापक से अपने विभाग के साथ-साथ अन्य विभागों के कार्यों का निष्पादन कराया जाना।	अपरिहार्य परिस्थितियों में ही राष्ट्रीय महत्व के कार्य अध्यापकों से कराये जायें। जिससे उनके शैक्षिणक कार्य में व्यवधान उत्पन्न न हो तथा छात्र प्रत्येक दिन विद्यालय में आकर अपने कार्य को अपेक्षित महसूस न करें। अध्यापकों को पठन-पाठन के लिये पूर्ण उत्तरदायी बनाया जायेगा।
विद्यालय का वातावरण अनाकर्षक होना	बच्चों को समूहों में बैठाकर शिक्षण कार्य कराने तथा समूह चर्चा हेतु विद्यालय अनुदान में 6''X6'' की प्लास्टिक की चटाई आवश्यकतानुसार क्रय की जायेगी। सहायक शिक्षण सामग्री (टी.एल.एस.) बच्चों की सहायता से तैयार की जायेगी जो पाठ के अनुरूप होगी। इससे करके सीखने की क्षमता का विकास होगा तथा अध्यापकों का शिक्षण कार्य प्रभावी होगा।
गरीबी के कारण छात्रों के पास पाठ्य पुस्तकों का न होना।	कक्षा 1 से 8 तक के समस्त छात्राओं तथा अनु. जाति के छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी जानी प्रस्तावित है।

(स) गुणवत्ता

अध्यापकों का छात्रानुपात/मानक के अनुरूप न होना।	विद्यालय में अध्यापकों की कमी अथवा अधिक छात्रों में कम अध्यापकों के कारण पठन-पाठन में गुणवत्ता का ह्रास बना रहता है अत: 40:1 के मानक के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति प्रस्तावित है तथा प्राथमिक स्तर पर कम से कम 02 अध्यापक प्रति विद्यालय प्रस्तावित है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विषयाध्यापकों की कमी के फलस्वरूप विज्ञान, गणित, अंग्रेजी एवं संस्कृत, उर्दू शिक्षा में व्यव्धान हो रहा है। वालिकाओं के लिए गृहविज्ञान अध्यापकों का अभाव है। गुणवत्ता में वृद्धि हेतु उपरोक्तानुसार अतिरिक्त अध्यापकों की व्यवस्था प्रस्तावित है।
अध्यापक, अभिभावकों एवं छात्रों में सामंजस्य न होना।	अभिभावकों का निरन्तर अध्यापक के साथ सम्पर्क बना रहे इस हेतु त्रैमासिक अभिभावक सम्मेलन आयोजित कराया जायेगा। जिसमें अधिकतर महिलाओं/विषेशकर अपवंचित/उपेक्षित वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करायी जायेगी। इस सम्मेलन में कोटिपूरक शिक्षा पर वल दिया जायेगा तथा उनके विचारों/समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर निदान की कार्यवाही की जायेगी। नियमित अध्यापक/अभिभावक समिति की वैठकें भी होती रहेंगी। उपरोक्त सभी प्रकार के कार्यक्रमों में ग्राम शिक्षा समिति का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा।
सतत् मूल्यांकन का अभाव।	कोटिपूरक शिक्षा के लिए सतत् एवं प्रभावी मूल्यांकन अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मूल्यांकन मासिक,

	त्रैमासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा के रूप में कराया जायेगा। मूल्यांकन के पश्चात् कमजोर छात्रों के अभिभावकों से सम्पर्क स्थापित कर निदानात्मक शिक्षण की व्यवस्था छुट्टियों में की जायेगी।
सक्रिय समाज सहभागिता का अभाव	अभिभावकों/ग्रामवासियों में यह सोच विकसित हो सके कि यह विद्यालय हमारा है, विद्यालय में अच्छी पढ़ाई से ही हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा और इसी से आने वाले समय में गाँव की प्रगति हो सकेगी तथा जागरूक नागरिक बनेंगे इस कार्य में ग्राम शिक्षा समिति का सहयोग लिया जायेगा। ग्राम पंचायतों स्कूलों का सतत् पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेंगी। गरीब बच्चों के लिये गणवेश, स्लेट, कापी, पेन्सिल तथा प्रतिभावान बच्चों को पुरस्कृत हेतु समुदाय को प्रेरित किया जायेगा।
विशेष आवश्कता वाले अथवा विकलांग बच्चों की शिक्षण की व्यवस्था।	विकलांग बच्चों का सर्वेक्षण कराकर सूचना ली जायेगी। मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से ए.डी.पी.आई. को बच्चों के उपकरण उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव भेजना सुनिश्चित किया जायेगा। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के प्रति अध्यापक को सवेदनशील बनाने का प्रयास किया जायेगा। प्रत्येक प्रकार के प्रशिक्षण में इस प्रकार के बच्चों के प्रति व्यवहार, शिक्षण आदि के सम्बन्ध में चर्चा की जायेगी।

सर्व शिक्षा अभियान

के अन्तर्गत

प्रस्तावित कार्यक्रम

अध्याय - 6

शिक्षा की पहुँच का विस्तार - नवीन विद्यालय

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शत्-प्रतिशत् नामांकन कराने हेतु यह आवश्यक है कि ऐसी बस्तियां जहाँ के बच्चे अन्य निकटस्थ विद्यालयों में पहुँचने में कठिनाई महसूस करते हैं और अपनी शारीरिक अथवा भौगोलिक कारणों से प्राथमिक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, उन बस्तियों में शिक्षा की व्यवस्था करके नामांकन को बढ़ाया जायेगा। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत विद्यालयों का निर्माण कराया जायेगा। इसके लिए सर्व प्रथम सम्पूर्ण जनपद की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए असेवित एवं अपहुँच वाली वस्त्यों को चिन्हित किया जा चुका है। क्योंकि यह जनपद पूर्व में भी वी. ई.पी. से आच्छादित रहा है अत: कतिपय अवशेष वस्तियां ही इस माइक्रोप्लानिंग के पश्चात असेवित के रूप में उभर कर आई हैं। चूँकि सर्व शिक्षा अभियान की मंशा 2003 तक समस्त प्राथमिक विद्यालयों में शत प्रतिशत नामांकन की है अत: अवशेष चिन्हित निर्माण कार्य की इस अवधि के पूर्व ही करा लिए जायेगें। ताकि 2003 तक शत प्रतिशत नामांकन के लक्ष्य को पूर्ण किया जा सके। असेवित वस्तियों में नवीन विद्यालयों की स्थापना के प्रस्ताव आगे सारणी में दर्शाये गये हैं।

निर्माण कार्य की प्रक्रिया -

निर्माण की प्रक्रिया निम्नवत होगी।

1. माइक्रोप्लानिंग के आधार पर चिन्हित असेवित वस्तियों में आवश्यकता के अनुसार नवीन प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को प्रस्तावित किया जायेगा।
2. स्थल चिन्हांकन तथा भूमि की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति द्वारा कराई जायेगी।

3. स्थल चयन के पश्चात ग्राम शिक्षा निधि मे प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त कर दी जायेगी।

4. विद्यालय निर्माण के लिए ग्राम प्रधान एवं प्रधानाध्यापक पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगें। धन का हिसाब किताब प्र0अ0 के पास रहेगा।

5. धनराशि का ग्राम शिक्षा निधि मे पहुँच जाने पर निर्माण कार्य तीन माह के अन्दर पूर्ण कराया जायेगा। इस आशय का शपथ पत्र निर्माण कार्य आरम्भ करने से पूर्व ही प्राप्त कर लिया जायेगा।

6. निर्माण कार्य को अबोध गति से चलाने एवं निर्माण कार्य के तुरन्त बाद नामांकन प्रारम्भ करने के लिए निर्माण कार्य के प्रस्ताव पास होने के साथ ही एक प्र0अ0 को उस नवीन विद्यालय में पद स्थापित कर दिया जायेगा। एवं निर्माण कार्य पूर्ण होते ही एक शिक्षा मित्र की व्यवस्था कर दी जायेगी।

सारणी 6.1

प्राथमिक स्तर

ब्लाक का नाम	1 कि.मी. से कम दूरी पर	1 कि.मी. से अधिक किन्तु 1.5 कि.मी. से कम दूरी पर	1.5 कि.मी. से अधिक दूरी पर उपलब्ध बस्तियों
जसपुरा	42	31	21
तिन्दवारी	51	-	4
बडोखर	38	64	28
बबेरू	134	-	
कमासिन	-	1	7
बिसण्डा	5	7	3
महुआ	64	60	40
नरैनी	82	50	104
नगर क्षेत्र	65	32	20
योग	481	245	227

सारणी 6.1.1

प्रस्तावित विद्यालय

क्रम. सं.	विकास खण्ड का नाम	असेवित बस्तियों की संख्या	प्रस्तावित नवीन प्राथमिक विद्यालय		
1.	जसपुरा	16	03		
2.	तिन्दवारी	4	1		
3.	बडोखर	11	2		
4.	बबेरू	96	4		
5.	कमासिन	99	02		
6.	बिसण्डा	25	04		
7.	महुआ	57	03		
8.	नरैनी	177	10		
	योग:	485	29		

उपरोक्त में से केवल 29 प्राथमिक विद्यालय स्थापित किये जायेगे। शेष बस्तियों में ई.जी.एम./ए.आ.ई. केन्द्र स्थापित किये जायेंगे और सभी असेवित बस्तियों को इस सुविधा से आच्छादित किया जायेगा। विकास खण्ड वार प्रस्तावित व विद्यालयों की संख्या सारणी 6.1.1 में दी गयी है।

सारणी 6.2

प्रस्तावित नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय

1.	संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालय	320
2.	प्रा0वि0 की संख्या के 2.1 मानक के आधार पर उच्च प्रा0 विद्यालय	555
3.	आवश्यक नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय	235

जनपद में नवीन प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता तथा विद्यालय में भौतिक सुविधाओं के आंकलन हेतु प्रति वर्ष त्वरित सर्वेक्षण कराया जायेगा, जिसके आधार पर आगामी वर्षों में बजट एवं कार्ययोजना में नवीन विद्यालयों तथा भौतिक सुविधाओं की स्थापना का प्रस्ताव सम्मिलित किया जायेगा। सर्वेक्षण कार्य हेतु रू0 2 लाख का वित्तीय प्राविधान किया जायेगा।

विकास खण्डवार 30 प्रा0वि0 की संख्या सारणी 6.2 में दर्शायी गयी है।

सारणी 6.1 दूरी के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति एवं सारणी 6.2 दूरी एवं प्राथमिक विद्यालयों से 1.2 अनुपात में उ0प्र0 विद्यालयों की कमी की स्थिति को स्पष्ट करती है सारणी 6ए से स्पष्ट है कि 1 कि.मी. से कम दूरी पर उपलब्ध प्रा0 विद्यालय की संख्या सर्वाधिक (134) विकास खण्ड बबेरू में है। जबकि विकास खण्ड नरैनी में 1.5 कि.मी. से अधिक दूरी पर उपलब्ध प्रा0वि0 की संख्या सर्वाधिक (104) है। स्पष्ट है कि नरैनी को ही सर्वाधिक प्राथा0 विद्यालय की आवश्यकता है। इसी प्रकार उ0प्रा0 स्तर में भी 3 कि.मी. से अधिक दूरी पर सर्वाधिक (51) विद्यालय नरैनी में ही है। अर्थात नरैनी को उ0प्रा0 वि0 की अधिक चाहिए है। स्पष्ट है कि विकास खण्ड नरैनी का अभी भी संतृप्त किए जाने की नहती आवश्यकता है। प्राथमिक एवं उ0प्रा0 के अनुपात 1.2 के आधार पर अभी भी 235 प्रा0 विद्यालयों की आवश्यकता जनपद बांदा को है।

1. शिक्षक

प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में 1 परिषदीय शिक्षक एवं एक शिक्षामित्र . की व्यवस्था की जायेगी इसी प्रकार प्रत्येक उच्च प्रा. विद्यालयों में एक प्रधानाध्यापक एवं चार सह अध्यापकों की व्यवस्था की जायेगी।

2. फर्नीचर

परिषदीय प्रा0 विद्यालय में कम से कम 4 कुर्सी, 2 मेज एवं एक अलमारी, टाटपट्टी, बाल्टी, लोटा एवं घन्टी की व्यवस्था की जायेगी जिसके लिए प्राथमिक विद्यालयों हेतु 535 इजार एवं उच्च प्रा0 स्तर हेतु 11750 हजार धनराशि प्रस्तावित है।

3. साज-सज्जा

साज सज्जा हेतु प्रत्येक प्रा. विद्यालयों में रू. 2000 प्रतिवर्ष उच्च प्रा0 वि0 हेतु रू. 2000.00 प्रति विद्यालय प्रति वर्ष दिया जायेगा।

4. चहारदिवारी

जनपद के प्रत्येक विद्यालय में चहारदिवारी की आवश्यकता के आधार पर प्रा0 विद्यालय में 922 एवं उ0प्र0 विद्यालयों में 265 चहारदिवारी प्रस्तावित है जिसके लिये कुल 47480 (हजार) धनराशि प्रस्तावित है।

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना लागत में कमी लाने की व्यवस्था

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रति दो प्राथमिक विद्यालयों पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की उपलब्धता बनायी गयी है। पूर्व से संचालित प्राथमिक विद्यालय में आवश्यक भूमि, भवन, हैण्डपम्प, शौचालय आदि यथा संभव उपलब्ध हैं। जनपद में नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की योजना 1:2 के अनुपात के आधार पर बनायी गयी है। सम्यक विचारोपरान्त यह तय किया गया है कि नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना वर्तमान प्राथमिक विद्यालयों का उच्चीकरण करते हुए प्राथमिक विद्यालय के परिसर में ही की जायेगी, जिससे प्राथमिक विद्यालय में उपलब्ध भूमि, भवन, हैण्डपम्प, शौचालय, चाहरदीवारी आदि भौतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके फलस्वरुप नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना में हैण्डपम्प, शौचालय आदि मदों पर बचत की जा सकेगी।

शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता हेतु सर्वेक्षण :

प्रथमतः नवीन प्रथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बस्ती की आबादी एवं दूरी के मानक के अनुसार की जायेगी। बस्ती में छात्र-छात्राओं की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये जनपद में नवीन प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता एवं विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं के आंकलन हेतु त्वरित सर्वेक्षण प्रतिवर्ष कराया जायेगा जिसके आधार पर आगामी वर्ष के बजट एवं वार्षिक कार्य योजना में नवीन विद्यालयों तथा भौतिक सुविधाओं की स्थापना का प्रस्ताव सम्मिलित किया जायेगा। सर्वेक्षण कार्य के लिये रुपये 2 लाख का वित्तीय प्रावधान प्रतिवर्ष रखा गया है। सर्वेक्षण से प्राप्त आकडों/सूचना का प्रयोग परियोजना के द्वितीय वर्ष से किया जायेगा।

विद्यालय निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण

विद्यालय भवन, शौचालय, हैण्डपम्प, चाहरदीवारी आदि निर्माण कार्य ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किये जायेंगे। निर्माण कार्यों का तकनीकी पर्यवेक्षण विकासखण्ड पर उपलब्ध ग्रामीण अभियंत्रण सेवा/लघु सिंचाई विभाग के अभियंताओं से कराया जायेगा। इस सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था का विवरण अध्याय-10 परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण में दिया गया है।

अध्याय - 7

शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा

E.G.S. / A.I.E. योजना

7.1 शिक्षा गारण्टी योजना (ई. जी. एस.)

इस योजना के अन्तर्गत 6-8 वय वर्ग के वच्चों को पंजीकृत कराया जायेगा जो ग्राम बस्ती मजरा मोहल्ले प्राथमिक विद्यालय से एक किलोमीटर की दूरी पर है। तथा उस बस्ती मे तीस बच्चे उपलब्ध हों वहाँ पर इस प्रकार के केन्द्र खोले जायेंगे इन केन्द्रों पर कक्षा एक व दो की पढ़ाई होगी। इन केन्द्रों पर अनुदेशक प्रति केन्द्र प्रस्तावित है।

7.2 वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा (ए. आई. ई.)

यह कार्यक्रम 9-14 वय वर्ग के वच्चों के लिए है जो किन्हीं कारणों से न तो स्कूल गये है अथवा ड्राप आउट हो गये है। ऐसे सुविधा वंचित अभाव ग्रस्त वच्चों के लिए वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। जिस वस्ती मजरे मे बीस बच्चे उपलब्ध होंगे वहाँ ए.ई.आई केन्द्र खोले जायेंगे। ए.ई. आई. केन्द्र दो प्रकार के होंगे।

1. प्राथमिक स्तर
2. उच्च प्राथमिक स्तर

प्राथमिक स्तर के केन्द्र पर एक अनुदेशक उच्च प्राथमिक के केन्द्र पर दो अनुदेशक की व्यवस्था की जायेगी।

7.3 माइक्रोप्लानिंग के आधार पर नियोजन -

क. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति

ख. जिन वस्तियों मे वालिकाओ का शिक्षा प्रतिशत कम हो।

ग. जिन क्षेत्रों में ड्राप आउट के कारण विद्यालय न जाने वाले वच्चों की संख्या अधिक न हो

घ. बाल श्रमिक घुमन्तू विकलांक आदि वच्चों की संख्या अधिक हो।

7.4 ई जी एस तथा ए.ई.आई केन्द्रों का स्वरूप

जनपद बाँदा की असेवित वस्तियों एवं शालात्यागी छात्र छात्राओं के लिए शिक्षा गारण्टी केन्द्र तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र चरणवद्ध रूप में खोले जाने का प्रस्ताव है।

सारिणी - 1 तथा 2

क्रम	ब्लाक	E.G.S.		A.I.E.	
		बच्चों की संख्या	केन्द्र सं.	बच्चों की संख्या	केन्द्र सं.
1.	जसपुरा	3069	70	950	47
2.	तिंदवारी	1169	38	529	26
3.	बडोखर	3450	115	1549	77
4.	बबेरू	201	06	20	01
5.	कमासिन	4639	154	2082	104
6.	बिसण्डा	2965	98	923	46
7.	महुआ	524	17	235	11
8.	नरैनी	5287	176	2373	118
9.	नगरक्षेत्र	1868	61	837	41

सारिणी नं.1 6-8 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले वच्चों के लिए ई जी एस सेन्टर प्रस्तावित किए गए है तथा सारिणी नं.2 में 9-14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले वच्चों के लिए ए आई ई केन्द्र प्रस्तावित किए गए हैं।

ई.जी.एस. एवं ए.आई.ई. केन्द्रों को चरणबद्ध तरीके से खोलने का प्रस्ताव-

चरण	ई जी एस	ए आई ई	कुल योग
प्रथम	349	107	456
द्वितीय	200	300	500
तृतीय	125	125	250
कुल योग	674	532	1206

इस प्रकार उच्च प्राथमिक वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र भी चरण बद्ध तरीके से खाले जाने का प्रस्ताव है।

प्रथम चरण - 26

द्वितीय चरण - 31

तृतीय चरण - 50

7.5 शिक्षा गारण्टी केन्द्रों का संचालन -

ई.जी.एस. केन्द्रो का संचालन का समय प्रात: 10 बजे से 4 बजे तक होगा। ए.ई.आई केन्द्रो का संचालन का समय प्रतिदिन चार घंटे का होगा। यह सभी केन्द्र दिन मे ही संचालित किए जायेंगे।

7.6 अनुदेशकों का चयन -

अनुदेशकों का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। अनुदेशक उसी स्थान तथा समुदाय का होगा जहाँ पर ई.जी.एस. एवं ए.आई.ई. केन्द्र स्थापित होना है। अनुदेशक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल होगी तथा उम्र 18 वर्ष अनिवार्य है। महिलाओं को वरीयता दी जायेगी। चयन का आधार हाईस्कूल के प्राप्तांको का प्रतिशत होगा। अनुदेश को आमंत्रण पत्र ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्गत किया जायेगा। अनुदेशक का कार्य संतोषजनक न होने पर आमंत्रण पत्र ग्राम

शिक्षा समिति द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा उसके स्थान पर समिति दूसरे व्यक्ति को आमंत्रण पत्र निर्गत करेगी। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

नगर क्षेत्र के ई जी एस एवं ए आई ई केन्द्रो पर अनुदेशको का चयन शिक्षा अधीक्षक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उप बेसिक शिक्षा अधिकारी सभासद वरिष्ठ प्रधान अध्यापक की समिति द्वारा किया जायेगा। ई जी एस एवं ए आई ई केन्द्र मकतब एवं मदरसो मे भी खोले जायेंगे। इन मकतब एवं मदरसो के अनुदेशक मौलवी एवं मुस्लिम समुदाय का ही सदस्य होगा। उच्च प्राथमिक केन्द्र हेतु अनुदेशक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट होगी तथा आयु 21 वर्ष हो महिला अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी।

7.7 अनुदेशकों का प्रशिक्षण -

अनुदेशको का प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं शिक्षण संस्थान डायट मे सम्पन्न होगा। यह प्रशिक्षण तीस दिन का होगा एवं आवासीय होगा। अनुदेशको के प्रशिक्षण डायट के प्रवक्ता एवं ए.बी.एस.ए. ए.डी.आई. द्वारा दिया जायेगा। प्रशिक्षण मे अनुदेशको को मानदेय के रूप मे कोई भी धनराशि नहीं दी जायेगी।

7.8 अनुदेशकों का मानदेय वितरण -

अनुदेशको का मानदेय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अग्रिम रूप से एक हज़ार रुपये प्रति अनुदेशक की दर से 6 माह का मानदेय ग्राम शिक्षा समितियों के संयुक्त खाते मे भेज दिया जायेगा। जिसे अनुदेशक के पूरे माह केन्द्र पर कार्य करने के पश्चात ग्राम प्रधान एवं सचिव चैक के माध्यम से माह के प्रथम सप्ताह में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दिया जायेगा।

नगर क्षेत्र के अनुदेशको के मानदेय का भुगतान शिक्षा अधीक्षक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा। अनुदेशक का कार्य संतोषजनक होने पर ही शिक्षा अधीक्षक भुगतान की कार्यवाही करेंगे। यह धनराशि

वरिष्ठ प्रधान अध्यापक एवं सभासद के संयुक्त खाते में स्थानान्तरित कर दी जायेगी। अनुदेशकों का मानदेय चैक द्वारा भुगतान किया जायेगा।

पर्यवेक्षण -

ई जी एस एवं ए आई ई केन्द्रों का पर्यवेक्षण एस.बी.एस.ए. एस.डी.आई. बी.आर.सी. प्रभारी एन पी आर सी तथा ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों द्वारा किया जायेगा।

नगर क्षेत्र में शिक्षा अधीक्षक सहायक शिक्षा अधीक्षक सभासद द्वारा किया जायेगा।

अनुदेशकों की मासिक बैठकें ए.बी.एस.ए. एस.डी.आई. द्वारा की जायेगी।

नगर क्षेत्र की मासिक बैठकें शिक्षा अधीक्षक द्वारा सम्पन्न की जायेगी।

अनुदेशकों की मासिक बैठकों में जनपद स्तरीय अधिकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उप बेसिक शिक्षा अधिकारी अनुश्रवण हेतु पहुँचेंगे। इन केन्द्रों का पर्यवेक्षण प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान अध्यापक करते रहेंगे तथा शिक्षण कार्य की प्रगति अपने अधिकारियों को प्रति माह मीटिंग में देते रहेंगे। ग्राम शिक्षा समिति की शिकायत स्वरूप इन केन्द्रों के संचालन पर नज़र रखेगी और समय समय पर अपने सुझाव अनुदेशकों को देगी। डायट के अधिकारी भी इन केन्द्रों पर समय समय पर अनुश्रवण हेतु जायेंगे। पर्यवेक्षण का कार्य सभी अधिकारियों द्वारा एक रोस्टर प्रणाली द्वारा किया जायेगा। जिससे सभी केन्द्रों का पर्यवेक्षण नियमित होता रहे।

7.9 निःशुल्क शिक्षण सामग्री -

ई जी एस / ए आई ई केन्द्रों की साज सज्जा एवं शिक्षण सामग्री हेतु धनराशि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ग्राम शिक्षा समिति के खातों में भेज दी जायेगी। यह समितियाँ अपनी आवश्यकतानुसार उपरोक्त सामग्री नियमानुसार बाज़ार मूल्य पर क्रय करके सीधे अनुदेशकों का उपलब्ध करायेंगे। केन्द्र पर पढ़ने

वाले वच्चों को पाठ्य पुस्तकें भी ग्राम शिक्षा समिति क्रय करके अनुदेशकों के माध्यम से वच्चों को उपलब्ध करायेंगे। यह पाठ्य पुस्तकें वही होंगी जो प्राथमिक विद्यालयों में पूर्व से ही चल रही हैं, अर्थात अलग से कोई इनकी पाठ्य पुस्तकें नहीं होंगी।

7.10 छात्र/छात्राओं का मूल्यांकन -

शिक्षा गारण्टी योजना एवं वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों पर पढ़ने वाले वच्चों का यूनिट मूल्यांकन प्रतिमाह अनुदेशकों द्वारा अनिवार्य रूप से किया जायेगा। अनुदेशक द्वारा वच्चों का तिमाही छमाही तथा वार्षिक मूल्यांकन मौखिक तथा लिखित परीक्षा के आधार पर किया जायेगा। अनुदेशक द्वारा यह प्रयास किया जायेगा कि ई जी एस और ए.आई.ई. केन्द्रों पर पढ़ने वाले वच्चों को औपचारिक विद्यालयों की मुख्य धारा में उपयुक्त कक्षा में जिसके लिए वह योग्य हैं किसी भी समय प्रवेश कराया जायेगा। अनुदेश का यह मुख्य दायित्व होगा कि अधिक से अधिक वच्चों को कम से कम समय में शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित करायें।

अनुदेशक के शिक्षण कार्य का मूल्यांकन ए.बी.एस.ए./एस.डी.आई./बी.आर.सी. प्रभारी/ शंकुल प्रभारी ग्राम शिक्षा समितियाँ तथा जिला स्तरीय अधिकारी प्रतिमाह करेंगे। मूल्यांकन आख्यायें सम्बन्धित प्राथमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक के पास सुरक्षित रखी जायेंगी और उच्चाधिकारियों के निरीक्षण के दौरान वह आख्यायें अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जायेंगी।

जो वच्चे कक्षा 5 के स्तर का पाठ्यक्रम पूर्ण कर लेंगे उनकी वार्षिक परीक्षा औपचारिक विद्यालयों के कक्षा 5 के वच्चों के साथ अनुदेशक एवं सम्बन्धित प्रधान अध्यापक द्वारा नियमानुसार करायी जायेगी तथा उत्तीर्ण छात्रों को कक्षा 6 में प्रवेश दिलाया जायेगा।

7.11 प्रबन्धन लागत

ई.जी.एस. / ए.आई.ई. केन्द्रों की अधिकतम लागत में 5 प्रतिशत धनराशि राज्य एवं जिला / विकास खण्ड स्तर पर प्रशासनिक प्रबन्धन पर होने वाला व्यय भी सम्मिलित है। विकास खण्ड स्तर पर प्रबन्धन की अधिकतम लागत निम्नवत रखी जायेगी।

80-100 केन्द्रों के मध्य	2.50 लाख रुपये प्रति वर्ष
50-80 केन्द्रों के मध्य	2.00 लाख रुपये प्रति वर्ष
25-50 केन्द्रों के मध्य	1.50 लाख रुपये प्रति वर्ष
25 केन्द्रों से कम	100 रुपये प्रति छात्र/छात्रा प्रति वर्ष

7.12 बिज कोर्स / ग्रीष्म कालीन शिविर

ब्रिज कोर्स ऐसे स्थानों पर खोले जायेंगे जहाँ पर झुग्गी झोंपड़ी में सामूहिक रूप से सैकड़ों की संख्या में लोग रहते है और इनके बच्चों के लिए कोई प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था न हो। 9-14 वय वर्ग के बच्चों के लिए ही ब्रिज कोर्स खोले जायेंगे। ब्रिज कोर्स हेतु यह ध्यान में रखा जायेगा कि जहाँ ब्रिज कोर्स खोला जा रहा है वहाँ सरकारी भवन पुलिस चौकी/थाना पीने के पानी की व्यवस्था बच्चों के लिए अन्य आवश्यकतायें जैसे खेल का मैदान आदि उपलब्ध हो। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य औपचारिक विद्यालयों से वंचित रहे बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जायेगा। ब्रिज कोर्स कम से कम 50 बच्चों की उपलब्धता पर संचालित किया जायेगा। इन शिविरों में बच्चों के रहने खाने एवं उनकी सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था आदि निःशुल्क होगा। यह शिविर चार माह से 18 माह तक संचालित किए जायेंगे। इसके लिए तीन हज़ार रुपया प्रति छात्र अनुमन्य होगा और इसी मानक से सम्पूर्ण व्यवस्था का संचालन किया जायेगा।

7.13 जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति का गठन -

जिला स्तर पर जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति का गठन किया जायेगा। जो कालान्तर मे सर्व शिक्षा अभियान को संचालित करने वाली समिति कही जायेगी। जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति का गठन जिला अधिकारी की अध्यक्षता में किया जायेगा जिसमें निम्न सदस्य होंगे।

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
3.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य/सचिव
4.	डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आफीसर	सदस्य
5.	प्राचार्य जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान	सदस्य
6.	डिस्ट्रिक्ट लेवर आफीसर	सदस्य
7.	जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य
8.	वित्त एवं लेखाधिकारी बे.शि.परि.	सदस्य
9.	स्वैच्छिक संगठनों के दो प्रतिनिधि जिलाधिकारी द्वारा नामित	सदस्य

7.14 ग्राम शिक्षा समितियों की भूमिका -

प्रस्तावित शिक्षा गारण्टी / वैकल्पिक शिक्षा योजना के लिए ग्राम शिक्षा समिति के निम्नलिखित कर्तव्य एवं दायित्व प्रस्तावित है। . . . . . .

6-14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले वच्चों की माइक्रोप्लानिंग के आधार पर सर्वेक्षण कर उन्हे चिन्हित करना।

- कार्यक्रमों के संचालन हेतु वातावरण सृजित करना।
- अनुदेशकों का चयन करना।
- केन्द्रो का समय निर्धारित करना।

- केन्द्रों की साज-सज्जा हेतु शिक्षण सामग्री का बाज़ार मूल्यों पर नियमानुसार क्रय कर केन्द्रों का संचालन हेतु अनुदेशकों को उपलब्ध कराना।
- अनुदेशकों को प्रशिक्षणोपरान्त ही केन्द्र का दायित्व सौपना।
- अनुदेशकों की उपस्थिति, बच्चों की उपस्थिति एवं केन्द्र का प्रबन्धन एवं निरीक्षण करना।
- केन्द्रों मे पढ़ने वाले बच्चों को औपचारिक विद्यालयों में प्रवेश कराने के लिए लगातार प्रोत्साहित करना।
- नियमित रूप से अनुदेशक के मानदेय का भुगतान करना।

विकास खण्ड स्तरीय समिति की भूमिका -

कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विकासखण्ड स्तर पर समिति की निम्न भूमिका प्रस्तावित है।

- ग्राम शिक्षा समिति से प्राप्त प्रस्तावों को संकलित करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों की माइक्रोप्लानिंग कराना, समीक्षा करना तथा प्रस्तावों को तैयार करना।
- कलस्टर रिसोर्स पर्सन / न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयक की सहायता से केन्द्रों / शिविरों का भ्रमण एवं पर्याप्त पर्यवेक्षण / अनुश्रवण की व्यवस्था करना।
- जनपद एवं विकास खण्ड स्तर पर उपलब्ध सन्दर्भदाताओं की सहायता से प्रशिक्षण केन्द्र आयोजित कराना।

जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति के प्रमुख कर्तव्य एवं दायित्व -

जनपद मे सफल EGS & AIE हेतु जिला शिक्षा सलाहकार समिति को निम्नांकित दायित्व प्रस्तावित है।

- शिक्षा गारण्टी / वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र एवं नवाचार शिक्षा हेतु सम्पूर्ण जनपद में माइक्रोप्लानिंग कर आवश्यकतानुसार अपवंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षित करने हेतु विभिन्न योजनाओं के प्रस्तावों को ग्राम स्तर/विकास खण्ड स्तर से तैयार करा कर जिला स्तर पर प्रतिमाह समीक्षा करना।
- केन्द्र/ब्रिज कोर्स/ग्रीष्म कालीन क्षेत्राविशिष्ट सेमिनार/शिविर के प्रस्ताव को स्टेट सोसाइटी को प्रस्तुत करना।
- कार्यक्रमों का कार्यान्वयन सुनिश्चित कराना।
- अन्य विभागीय अधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ Convergence कार्यक्रमों का संचालन करना।
- स्टेट सोसाइटी द्वारा उपलब्ध करायी गयी मदवार धनराशियों को विकास खण्ड स्तरीय समितियों के माध्यम से ग्राम शिक्षा समिति अथवा स्वैच्छिक संगठनों के कार्यक्रमों से संचालनार्थ अग्रिम रूप में उपलब्ध कराना।

विकलांग बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र -

जनपद बाँदा में न पढ़ने वाले विकलांग बच्चों की संख्या 6148 है। इन बच्चों का विकास खण्डवार चिन्हान्कन कर प्राथमिकता के आधार पर ई.जी.एस. एवं ए.आई.ई. केन्द्रों की स्थापना की जायेगी।

विकलांग बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र पर अधिकतम 14 वर्ष के स्थान पर 18 वर्ष की आयु तक रखने का प्रावधान है। इसमें न्यूनतम छात्र संख्या को 15 से कम न किये जाने का प्रस्ताव है। जिस ग्राम/वस्ती/मजरे/टोले/मुहल्ले में विकलांग बच्चे हैं उनकी आवश्यकता को ध्यान में रख कर छात्र संख्या एवं उम्र में पूरी छूट दिया जाना प्रस्तावित है। कोई भी विकलांग शिक्षा से वंचित न रह जाये इस बात का पूर्ण प्रयास किया जावेगा। चलने में यदि असमर्थ हैं तो या तो

उसके घर पर केन्द्र खोला जायेगा अथवा साइकिल अथवा बैसाखी उपकरणों की आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध करना प्रस्तावित है।

बालिकाओं के वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र -

जिन ग्रामों/वस्तियों/मजरों/टोलों/मुहल्लों में बालिका साक्षरता दर न्यूनतम है ऐसे ग्रामो में बालिका वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोले जायेंगे तथा महिला अनुदेशिका की व्यवस्था की जायेगी। इसमें सामुदायिक सहभागिता, कलाजत्था, महिला मंगल दल, माँ-बेटी मेला, किशोरी संघ, आदि के सहयोगी से चेतन जागृति एवं बालिका शिक्षा मे रुचि को बढ़ाने का प्रयास किया जायेगा। महिला साक्षरता दर में न्यूनता के आधार पर ब्लाक नरैनी एवं कमास्तिन में बालिका शिक्षा केन्द्र प्राथमिकता के आधार पर खोले जाने प्रस्तावित है।

अल्पसंख्यकों के लिए वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र -

जनपद का अधिकांश 6 से 14 वर्ग का निरक्षर बच्चा अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित है जो केवल मकतब में धार्मिक शिक्षा ग्रहण करता है। इस कार्यक्रम में मकतबों मदरसों में वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोलने का प्रस्ताव फोकसग्रुप डिस्कसन के अन्दर आया तथा जिला स्तरीय फोकसग्रुप डिस्कसन की बैठक में निर्णय लिया गया कि इन मकतबों/मदरसों में उसी धर्म का व्यक्ति यदि हाईस्कूल उत्तीर्ण है तो उसे अनुदेशक के रूप में चिन्हित किया जाये और वहाँ पर नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करा कर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाये। इनका चयन मकतब कमेटी/ग्राम शिक्षा समिति के अनुमोदन से किया जायेगा।

ड्राप आउट (विद्यालय न जाने वाले छात्र)

सारिणी - 7.3

क्रम	विकास खण्ड	ना पढ़ने वाले			6-8 वय वर्ग			9-14 वय वर्ग		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1.	जसपुरा	1445	1624	3069	998	1121	2119	447	503	950
2	तिन्दवारी	691	988	1679	477	682	1159	214	306	520
3	बडाखर खुर्द	2385	2614	4999	1646	1804	3450	739	810	1549
4	बबेरू	126	165	291	87	114	201	39	51	90
5.	कमासिन	3641	3080	6721	2513	2126	4639	1128	954	2082
6.	बिसण्डा	1862	2026	3888	1657	1398	2965	295	628	923
7	महुआ	449	310	759	310	214	524	139	96	235
8	नरैनी	3790	3870	7660	2616	2671	5287	1174	1119	2373
9	नगर क्षेत्र	1189	1516	2705	821	1047	1868	368	469	837
	योग	15578	16193	31771	11035	11177	22212	4543	5016	9559

शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा प्रथम चरण हेतु प्रस्तावित केन्द्र

सारिणी - 7.4

क्रम	ब्लाक का नाम	असेवित बस्तियों की संख्या	प्रस्तावित ई.जी.एस. केन्द्र (6-8)	प्रस्तावित ए.आई.ई. केन्द्र	
				(9-11)	(11-14)
1.	जसपुरा	16	09	04	--
2.	तिन्दवारी	04	02	01	--
3.	बडाखर खुर्द	11	06	03	--
4.	बबेरू	25	16	05	--
5.	कमासिन	96	85	05	02
6.	बिसण्डा	99	86	09	02
7.	महुआ	57	45	09	--
8.	नरैनी	177	100	45	22
	योग	485	349	81	26

जनजाति/घुमन्तु परिवारों के बच्चों के लिए आवासीय शिक्षा व्यवस्था

बांटा के कुछ विकासखण्ड क्षेत्रों में जनजाति जन संख्या है। उन क्षेत्रों में जीविकोपार्जन के अत्यन्त न्यून अवसर होने के कारण ये परिवार काम की खोज में विभिन्न स्थानो पर घूमते रहते हैं तथा वर्ष भर इनके रहने का कोई निश्चित ठिकाना नहीं होता है। ऐसी स्थिति में इन परिवारों के बच्चों विशेषकर बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था बाधित होती रहती है। इसके अतिरिक्त कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक निम्न आर्थिक स्तर के कारण सम्पूर्ण परिवार, बच्चे जीविको पार्जन के कार्यो में संलग्न रहते है जिससे बच्चे नियमित विद्यालय नहीं जा पातें . बालिकायें तो विशेषकर सामाजिक, आर्थिक एवं भौगोलिक कारणों से अधिकांशतः विद्यालय नहीं भेजी जाती अथवा कक्षा 1–2 के बाद विद्यालय छोड़ देती हैं। ऐसे क्षेत्रों में बालिकाओं के लिए पूर्णकालिक आवासीय विद्यालयों की स्थापना बालिकाओ की शिक्षा की दिशा में कारगर कदम होगा । आवासीय विद्यालय मल्टीग्रेड, मल्टी लेवल होगे जिसमें 8–14 वर्ष तक की बालिकाओं को कक्षा 3 से 8 तक की शिक्षा दी जायेगी कक्षा 1 एवं 2 के लिए स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार विद्या केन्द्र की सुविधा प्रदान करते हुए क्षेत्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। आवासीय विद्यालयों में मुख्य पाठ्यक्रम के साथ–साथ उच्च कक्षाओं (कक्षा 3–8) में बालिकाओं के कौशल वृद्धि हेतु व्यवसायिक शिक्षा को भी जोड़ा जायेगा। व्यवसायिक शिक्षा/कौशल वृद्धि हेतु स्थानीय ट्रेड/व्यवसायों का उनकी आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए चयनकिया जायेगा ताकि विद्यालयी शिक्षा उनके वास्तविक जीवन में उपयोगी सिद्व हो सके । इस प्रकार के पाठ्य क्रम उपयोगी होने के साथ–साथ अभिभावकों को अपनी बालिकाओं को विद्यालय में नामांकित कराने एवं शिक्षा पूरी कराने हेतु भी प्रेरित एवं आकर्षित करेंगे।

आवासीय विद्यालयों मे नियनित महिला अध्यापिकाओं के साथ–साथ व्यवसायिक प्रशिक्षकों की भी व्यवस्था की जायेगी। ये पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक होंगे। विद्यालय में बालिकाओं के आवास, भोजन, पाठ्य पुस्तकों, विद्यालयी पोषाक आदि की व्यवस्था हेतु बजट का आंकलन कम से कम 50 बालिकाओं की संख्या के आधार पर किया गया है । इन विद्यालयों में प्रदेश के अन्य विद्यालयों की तरह सामान्य पाठ्य क्रम लागू किया जायेगा, अतः पाठ्यपुस्तकें भी वही होगी। किशोरी बालिकाओं को जीवनोपयोगी दक्षताएं प्रदान करने सम्बंधी प्राविधान इन पिछड़े क्षेत्रों की बालिकाओं में आत्मविश्वास एवं आत्मबल की वृद्धि करने में सहायक होंगा।

बालिकाओं को आवास व्यवस्था हेतु विद्यालय भवन का ही प्रयोग किया जायेगा। वस्तुतः विद्यालय भवन 'कक्षा–कक्ष–कम–डॉरमेट्री' के रूप में उपयोग किया जायेगा। भवन निर्माण के लिए राज्य सरकार का मानक रखा गया है। आवासीय विद्यालय का भवन उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन के समतुल्य होगा, जिसमें शौचालय, हैण्डपम्प व चाहरदीवारी का निर्माण भी कराया जायेगा। इन निर्माण कार्यो की इकाई लागत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित इकाई लागत के समान रखी गयी है।

आवासीय विद्यालय के संचालनार्थ उच्च प्राथमिक स्तर के 1 प्रधानाध्यापक, 2 सहायक अध्यापक, 1 रसोइया व 2 परिचारक/चौकीदार के पद रखे गये हैं। प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक अन्य उच्च प्राथमिक विद्यालयों की भाँति तैनात किये जायेंगें।

आवासीय विद्यालय के संबंध में बच्चों के भोजन आदि के स्पष्ट मानक व इकाई लागत पूर्व में निर्धारित नहीं है। अतः भारत सरकार की ई.जी.एस./ए.आई.ई. की गाइड लाइन्स में उच्च प्राथमिक स्तर के लिए अंकित प्रति शिक्षार्थी निर्धारित लागत अधिकतम रू. 3000/– प्रतिवर्ष की सीमा के अंदर रखते हुए कार्यक्रम की लागत अनुमानित की गयी है।

उक्त प्रस्ताव के अनुसार जनपद में दो आवासीय विद्यालयों की स्थापना परियोजना प्रारंभ के द्वितीय वर्ष से की जायेगी। प्रति आवासीय विद्यालय 50 बच्चों की संख्या रखी गयी है।

प्रस्तावित बजट

मद	प्रति बच्चा इकाई लागत प्रति वर्ष
भोजन व्यय (10 माह)	2000
विद्यालय पोशाक (2 जोड़ी)	400
पठन–पाठन सामग्री	100
आवश्यक बर्तन	50
स्टील ट्रंक	100
आकस्मिक मद	100
कुल योग	2750

प्रशासनिक व्यय

1. विद्यालय भवन हैण्डपम्प, शौचालय, चाहरदीवारी सहित	भवन हैन्डपम्प शौचालय चाहरदीवारी योग	रु0 2,70,000 रु0 22,000 रु0 10,000 रु0 40,000 रु0 3.42 लाख
2. फर्नीचर/साज सज्जा/ टाट–पट्टी	रु0 50,000/–	
3. वेतन प्रधानाध्यापक – 1 सहायक अध्यापक – 2 रसोइया – 1 परिचारक/चौकीदार – 2	दर प्रतिपद/प्रतिमाह रु0 7500 रु0 6500 X 2 रु0 3000 रु0 3000 X 2 योग	एक माह = 7500 = 13000 = 3000 = 6000 रु0 29500
4. अनुसंगिक व्यय	रु0 20000 प्रतिवर्ष	

परिवार सर्वेक्षण आंकड़ों का वार्षिक अद्यावधिकरण

माइक्रो–प्लानिंग के अन्तर्गत परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से 6-11 व 11-14 वर्ष के बच्चों के बारे में विवरण प्राप्त कर 'आउट ऑफ स्कूल' बच्चों को चिन्हित किया जाता है। 'अण्डर ऐज' व 'ओवर ऐज' बच्चों को चिन्हित करने तथा आयु वर्ग के स्थान पर विशिष्ट आयुवार बच्चों का विवरण प्राप्त करने हेतु वर्तमान सर्वेक्षण प्रपत्र को संशोधित किया जायेगा, ताकि वांछित अतिरिक्त सूचना प्राप्त हो सके। प्रति वर्ष हाउस होल्ड सर्वेक्षण आंकड़ों को अद्यतन किया जायेगा। इस कार्य हेतु प्रति वर्ष रू० 50,000/- की वित्तीय व्यवस्था रखी गयी है।

माइक्रो–प्लानिंग के अन्तर्गत हाउस होल्ड सर्वे के माध्यम से 11-14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या के विवरण की व्यवस्था है। बेसिक शिक्षा परियोजना द्वारा विकसित प्रपत्र के अनुसार परियोजना नियोजन में इस विवरण का प्रयोग किया गया है। इस आधार पर जनपद में 11-14 वय वर्ग के 9559 आउट ऑफ स्कूल बच्चे चिन्हित किये गये हैं। आगामी वर्षो में आंकड़ों के वार्षिक अद्यतन के समय इस सूचना का अंकन भी किया जायेगा कि बच्चे द्वारा किस कक्षा में ड्रॉप आउट किया गया है। यह सूचना प्राप्त करने हेतु हाउस होल्ड सर्वे से सम्बन्धित वर्तमान प्रपत्र को पुनरीक्षित किया जायेगा, ताकि वांछित सूचना का समावेश हो सके। परियोजना के द्वितीय वर्ष से उपरोक्त विवरण प्राप्त करने के लिये संशोधित प्रपत्र प्रयोग किया जायेगा।

अभिनव मॉडल्स 11-14 आयु वर्ग हेतु

11-14 आयु वर्ग के ऐसे बच्चों के लिये जो औपचारिक विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने में किन्हीं कारणों से असमर्थ रहे हैं, उनके लिये नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत स्थानीय परिवेश, बच्चों के विशिष्ट समूह की आवश्यकताओं तथा कालान्तर में औपचारिक विद्यालयों में समेकित किये जाने की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये कतिपय इन्नोवेटिव माडॅल्स विकसित किये जायेंगे। इस हेतु नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत अभिनव माडॅल्स विकसित करने के उद्देश्य से जनपद में रू० 50,000/- का इन्नोवेटिव फण्ड रखा जायेगा। पहले दो वर्ष में इस आयु वर्ग हेतु कम से कम 2-3 मॉडल विकसित किये जायेंगे। इस कार्य में वैकल्पिक शिक्षा के विशेषज्ञों, शिक्षा विदों, अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों आदि की सहायता प्राप्त की जावेगी।

ई0जी0एस0 वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

वैकल्पिक शिक्षा के विभिन्न मॉडल्स तथा नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत अभिनव कार्यक्रमों की रणनीति विकसित करने के लिए जनपद में उपलब्ध अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों को शिक्षा केन्द्रों के संचालन एवं पर्यवेक्षण में योगदान लिया जायेगा। स्वयंसेवी संगठनों के चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था स्थापित की जायेगी जिसके अन्तर्गत समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कर स्वयंसेवी संगठनों की सहभागिता आमंत्रित की जायेगी। स्वयं सेवी संगठनों से प्राप्त आवेदन पत्र/प्रस्ताव का डेस्ट टॉप अप्रेजल तथा फील्ड अप्रेजल कराया जायेगा। बेसिक शिक्षा विभाग के स्थानीय अधिकारियों एवं सन्दर्भ व्यक्तियों के सहयोग से स्वयं सेवी संगठनों के प्रस्ताव का अप्रेजल एवं चिन्हीकरण किया जायेगा। उपयुक्त पाये गये स्वयं सेवी संगठनों के कार्य क्षेत्र एवं आवश्यक बजट की संस्तुति सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा राज्य स्तरीय ई0जी0एस0/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना क्रियान्वयन समिति को प्रेषित की जायेगी। जनपद में जिला शिक्षा परियोजना समिति गठित है तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या रा0प0नि0/466/2001–2002 दिनांक 15 जून, 2001 द्वारा उक्त समिति की ई0जी0एस0/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना के क्रियान्वयन हेतु स्पष्ट अधिकार प्राप्त हो चुके है। सन्दर्भित कार्यालय ज्ञाप की प्रति परिशिष्ट में दी गई है। राज्य स्तर पर ई0जी0एस0, वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति कार्यालय ज्ञाप संख्या : रा0प0नि0/539/2001–2002 दिनांक 7 जून, 2001 द्वारा उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परिषद् के अधीन गठित की जा चुकी है। इस कार्यालय ज्ञाप की प्रति भी परिशिष्ट में दी गई है।

राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा संस्तुत स्वयं सेवी संगठन की सहभागिता सुनिश्चित करने तथा भारत सरकार की ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 योजना के तहत मानक के अनुरूप बजट स्वीकृत करने के अधिकार प्राप्त हैं: उक्त समिति के अनुमोदन के पश्चात् जनपद में चयनित स्वयं सेवी संगठन द्वारा एजुकेशन गारण्टी स्कीम, वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जायेगा।

इसी प्रकार जो स्वयं सेवी संगठन वैकल्पिक शिक्षा के क्षेत्र में पर्यवेक्षण अथवा अनुदेशकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का अनुभव रखते है, उनका भी सहयोग ई0जी0एस0, एजुकेशन गारण्टी स्कीम व नवाचार शिक्षा योजना के क्षमता विकास के लिए जनपद में लिया जायेगा। इन स्वयं सेवी संगठनों/सन्दर्भ संस्थाओं के अनुमोदन की प्रक्रिया भी उपर्युक्तानुसार रखी गई है।

अध्याय - 8

ठहराव में वृद्धि के कार्यक्रम

अतिरिक्ति कक्षा कक्ष:-

प्रत्येक कक्षा को अलग-अलग संचालित करने एव छात्रांकन को आधार मानकर प्राथमिक स्तर में अतिरिक्त कक्षा कक्षों की मांग की गई है।

जनपद बांदा में सभी के लिये शिक्षा परियोजना में वर्ष 1993-2000 तक भैतिक एवं अकादमिक सुविधायें सुधारने में प्रभावी कार्यवाही हुयी है। सभी के लिये शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत 289 नवीन प्राथमिक विद्यालय तथा 169 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कराया गया। पुर्ननिर्माण के अन्तर्गत 190 प्राथमिक विद्यालय तथा 34 उच्च प्राथमिक विद्यालय 432 विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्ष तथा 07 विद्यालयों में दो कक्षीय अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण कराया गया। 714 शौचालयों का निर्माण कराया गया। इन संसाधनों से जनपद में प्राथमिक शिक्षा के भौतिक संसाधनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुयी अब सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जो छूटे हुये अथवा अवशेष जो भौतिक संसाधन है उन्हे पूर्ण करने का प्रस्ताव है। अतिरिक्त नामांकन तथा ड्राप आउट में कमी आने से अतिरिक्त कक्षा कक्ष की आवश्यकता तथा अध्यापकों की अतिरिक्त आवश्यकता को देखते हुये 1112 प्राथमिक विद्यालयों में तथा 320 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता आंकी गयी।

सारणी 8.1

वर्तमान में भौतिक सुविधाओं की कमी/आवश्यकता

क्रम	आइटम सुविधा का नाम	प्राथमिक		उच्च प्राथमिक	
		कमी	मांग	कमी	मांग
1.	नवीन विद्यालय	29	29	235	235
2.	पुर्ननिर्माण विद्यालय	38	38	13	13
3.	अतिरिक्त कक्षा (कक्ष एवं नामांकन में वृद्धि के आधार पर)	1428	1428	450	450
4.	पेयजल सुविधा	159	159	41	41
5.	शौचालय	203	203	26	26
6.	चाहारदीवारी	922	922	265	265

अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता -

विद्यालयों में पहुँचने पर बच्चों की शिक्षा को गुणवत्ता पूर्वक बनाने के उद्देश्य से प्राथमिक विद्यालय में कम से कम एक प्रधान अध्यापक तथा एक सहायक अध्यापक की व्यवस्था की जायेगी। अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापकों की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

सारणी 8.2

भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता वर्षवार प्राथमिक स्तर

वर्ष	नवीन निर्माण	पुर्ननिर्माण	अतिरिक्त कक्षा कक्ष	शौचालय	हैण्डपम्प	चाहारदीवारी
2001-02	29	38	528	205	159	322
2002-03	--	--	450	--	--	300
2003-04	--	--	450	--	--	300

सारणी 8.3

भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता वर्षवार उच्च प्राथमिक स्तर

वर्ष	पुर्ननिर्माण	अतिरिक्त कक्षा कक्ष	शौचालय	हैण्डपम्प	चाहारदीवारी
2001-02	13	100	26	41	165
2002-03	--	100	--	--	50
2003-04	--	100	--	--	50
2004-05	--	100	--	--	--
2005-06	--	50	--	--	--
2006-07	--	--	--	--	--
2007-08	--	--	--	--	--
योग	13	450	26	41	265

अतिरिक्त कक्षा/कक्षों की मांग का आधार -

सभी उ0प्र0 विद्यालयों में 5 कक्ष होने चाहिये इस आधार पर निम्नलिखित आवश्यकता आंकी गई है।

7 दो कक्षीय विद्यालयों में, प्रत्येक में 3 कक्ष - 21

450

सारणी 8.4

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकास खंडवार प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता

क्रम	विकास खण्ड का नाम	पुर्ननिर्माण	अतिरिक्त कक्षा कक्ष	शौचालय	हैण्डपम्प	चाहारदीवारी	अति0 शिक्षक एवं शिक्षामित्र
1.	कमासिन	07	152	09	18	105	–
2.	बडोखर खुर्द	–	162	08	04	121	–
3.	जसपुरा	05	102	74	61	76	–
4.	महुआ	06	184	40	–	139	–
5.	तिन्दवारी	03	158	15	01	104	–
6.	बबेरू	10	164	10	20	108	–
7.	नरैनी	–	304	36	31	147	–
8.	बिसण्डा	07	172	03	10	117	–
9.	नगर क्षेत्र	–	30	08	14	5	–
	योग	38	1428	203	159	922	–

स्रोत : विभागीय आकंड़े

सारणी 8.5

नवीन निर्माण उच्च प्राथमिक विद्यालय

क्रम	विकास खण्ड का नाम	पुर्ननिर्माण	अतिरिक्त कक्षा कक्ष	शौचालय	हैण्डपम्प	चाहारदीवारी	अति0 शिक्षक एवं शिक्षामित्र
1.	कमासिन	–	28	–	05	28	–
2.	बडोखर खुर्द	–	48	–	–	39	–
3.	जसपुरा	–	33	17	19	25	–
4.	महुआ	05	84	04	–	43	–
5.	तिन्दवारी	02	51	06	02	30	–
6.	बबेरू	04	46	03	06	28	–
7.	नरैनी	–	84	07	05	37	–
8.	बिसण्डा	02	64	01	–	34	–
9.	नगर क्षेत्र	–	12	02	04	01	–
	योग	13	450	26	41	265	–

स्रोत : विभागीय आकंड़े

प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में 5 कक्षीय की पूर्ति करने हेतु 450 अतिरिक्त कक्षा कक्ष की आवश्यकता है।

सारणी की विवेचना से स्पष्ट है कि उर्पयुक्त संसाधनों की पूर्ति होने पर ठहराव में वृद्धि होगी। जिसकी बिन्दुवार आख्या निम्नवत है।

पुर्ननिर्माण - प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पुर्ननिर्माण जो कि जर्जर एवं ध्वस्त है जिसके कारण विद्यालयों का पुर्ननिर्माण एवं आकर्षक होना भी ठहराव में सहायक होगा। पुर्ननिर्माण प्राथमिक स्तर 38 एवं उच्च प्राथमिक स्तर 13 प्रस्तावित है।

मरम्मत:-

जनपद में 93 प्राथमिक विद्यालय तथा 55 उच्च प्राथमिक विद्यालय लघु मरम्मत योग्य है, जिनकी मरम्मत हेतु रु 20000/- की दर से वित्तीय व्यवस्था की जायेगी। 124 प्राथमिक विद्यालय तथा 67 उच्च प्राथमिक विद्यालय वृहद मरम्मत योग्य है, उनकी मरम्मत हेतु रु 70000/- की दर से धनराशि दी जायेगी। लघु मरम्मत की स्वीकृति का अधिकार जिला शिक्षा परियोजना समिति तथा वृहद मरम्मत की स्वीकृति का अधिकार परियोजना कार्यालय को होगा।

पेयजल - विद्यालयों में बच्चों के लिये पीने के पानी की सुविधा न होने से बच्चे बार-बार स्कूल से बाहर अपने घर भाग जाते हैं। विद्यालय परिसर में पेय जल की सुविधा हेतु हैण्ड पम्प की व्यवस्था होने पर बच्चों के ठहराव में वृद्धि होगी तथा बच्चे स्वस्थ रहेंगे। इस जनपद स्तर पर प्राथमिक विद्यालय में हैण्ड पम्प 159 एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर 41 हैण्ड पम्प प्रस्तावित है।

शौचालय व्यवस्था - विद्यालयों में शौचालय की व्यवस्था न होने पर बच्चे कठिनाई महसूस करते हैं, विशेषकर बालिकायें शौचालय के अभाव में विद्यालय नहीं आती है और धीरे-धीरे इस अव्यवस्था के कारण विद्यालय छोड़ देती हैं। अतः जनपद स्तर पर प्राथमिक विद्यालय में 203 तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 26 शौचालय प्रस्तावित किये गये हैं। जिसकी उपलब्धता पर बच्चों के ठहराव में वृद्धि होगी। एवं बालिका शिक्षा में अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।

चहारदीवारी - विद्यालयों में चाहारदीवारी ना होने के कारण बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था न होने के कारण अभिभावक बच्चों को विद्यालय नहीं भेजते है, चूंकि अधिकांशतः विद्यालय सड़क के किनारे होने के कारण दुर्घटना का भय रहता है। मध्यावकाश के समय बच्चे खेलकूद पसंद करते हैं। जिससे अध्यापकों को विशेष देखरेख करनी पड़ती हैं। चाहारदीवारी की व्यवस्था प्रत्येक विद्यालय में होने पर बच्चों के ठहराव में वृद्धि होगी एवं अध्यापक भी चाहारदीवारी से बाहर जाने वाले बच्चे पर ध्यान रखेंगे।

चहार दीवारी हेतु राज्य सरकार के मानक के अनुसार रूपये चालीस हजार की इकाई लागत रखी गई है रूपये चालीस हजार से लागत अधिक आने पर अत्यधिक धनराशि की व्यवस्था स्थानीय समुदाय के सहयोग से की जायेगी।

चहारदीवारी के निर्माण में कम लागत के विकल्पों को भी अपनाया जायेगा।

शिक्षा मित्र की व्यवस्था - एकल अथवा अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों में शासनादेश के अनुसार 578 शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की जा रही है।

सारणी 8.6

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्षवार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की आवश्यकता (सन्दर्भ सारणी 4.3)

वर्ष	प्रभावी नामांकन	1:40 के अनुपात में शिक्षक	सृजित	अतिरिक्त आवश्यकता		
				अध्यापक	शि0मि0	योग
2001-02	138185	3455	3076	189	190	379
2002-03	158294	3957	3455	251	251	502
2003-04	172146	4304	3957	173	174	347
2004-05	186530	4663	4304	179	180	359
2005-06	201465	5037	4663	187	187	374
2006-07	221394	5535	5037	249	249	498
2007-08	226265	5657	5535	61	61	122
2008-09	231242	5781	5657	62	62	124
2009-10	236328	5908	5781	63	64	127
			योग	1414	1418	2832

अध्यापकों की पूर्ति के लिये शिक्षा मित्रों की व्यवस्था शासनादेश के अनुसार की जायेगी।

विद्यालय अनुदान - बी.ई.पी. परियोजना में विद्यालय को आकर्षित एवं विकासोन्मुख संस्था के रूप में स्थापित हेतु 2000 रुपये प्रति प्रा0 विद्यालय तथा 4000 रुपये उच्च प्रा0 विद्यालय को दिया जा रहा था। यह धनराशि गाँव में हमारा अपना विद्यालय की परिकल्पना के स्वप्न को पूर्ण करने के लिये सर्व शिक्षा अभियान में भी दी जायेगी।

अध्यापक अनुदान - बी.ई.पी. परियोजना के अन्तर्गत प्रत्येक अध्यापक को सत्र के प्रारम्भ में एक मुश्त धनराशि उपलब्ध करायी गयी थी। जिसमें अध्यापकों द्वारा सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण छात्रों के सहयोग से किया। सर्वशिक्षा अभियान को आकर्षण बनाने हेतु प्रति अध्यापक 500 रुपये सत्र के प्रारम्भ में देने की व्यवस्था की गयी है।

नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण - 1 से 5 तक के परिषदीय विद्यालयों में नामांकित अनुसूचित जाति के बालक एवं समस्त बालिकाओं के लिये उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा नवविकसित पाठ्य पुस्तकें नि:शुल्क वितरित की गयी। नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण हेतु अनुमानित संख्या सारणी द्वारा प्रदर्शित है।

सारणी 8.7

कक्षा 1 से 5 तक वर्ष 2001 से 2010 तक नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण हेतु बच्चों की संख्या

क्रम	वर्ष	अनुसूचित जाति बालकों की संख्या	कुल बालिकाओं की संख्या अनुसूचित जाति सहित	कुल योग
1.	2001	33625	98379	132004
2.	2002	35979	106356	142335
3.	2003	38857	114859	153716
4.	2004	39711	117385	157096
5.	2005	40584	119967	160551
6	2006	41476	122606	164082
7.	2007	42388	125303	167691
8.	2008	43320	128059	171379
9.	2009	44273	130876	175149
10.	2010	45247	133755	179002

प्रतिवर्ष निर्धारित मानक के अनुसार सभी वर्ग की बालिकाओं व अनुसूचित जाति के बालकों को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। प्रत्येक विद्यालय मे बुक बैंक की स्थापना निर्धन छात्रों के लिए की जायेगी। जिसमें विद्यालय की कुल छात्र संख्या का 30 प्रतिशत या अधिकतम 100 सेट जो भी कम हो रखा जाना प्रस्तावित है।

11-14 वय वर्ग के बालक बालिकाओं के विद्यालय मे ठहराव के वृद्धि हेतु निशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करायी जानी प्रस्तावित है जो सारणी में दर्शाया गया है।

सारणी 8.8

उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2001-2010 तक निशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण हेतु बच्चों की संख्या

क्रम	वर्ष	अनुसूचित जाति बालकों की संख्या	कुल बालिकाओं की संख्या अनुसूचित जाति सहित	कुल योग
1.	2001	10860	33755	44615
2.	2002	11403	3542	46845
3.	2003	11973	37214	49185
4.	2004	12571	39074	51645
5.	2005	13325	41418	54743
6.	2006	14124	43903	58027
7.	2007	14971	46537	61508
8.	2008	15300	47560	62860
9.	2009	15636	48606	64242
10.	2010	15979	49675	65654

प्रतिवर्ष निर्धारित मानक के अनुसार सभी वर्ग की बालिकाओं व अनुसूचित जाति के बालकों हेतु नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करायी जानी प्रस्तावित है। प्रत्येक विद्यालय में बुक बैंक की स्थापना विद्यालयों के लिए की जायेगी। जिसमें विद्यालय की छात्र संख्या का 30 प्रतिशत रखा जाना प्रस्तावित है।

वालिका शिक्षा हेतु योजना-

जनपद बांदा की भौगोलिक संरचना इस प्रकार की है कि वर्ष के आधे भाग में वालिकाओं का ग्राम से बाहर जाना संम्भव नही हो पाता है। इससे यहां की वालिकाओं की शिक्षा का प्रतिशत अत्यन्त न्यून है उसमें भी अनुसूचित जाति एवं जनजाति की वालिकाओं का साक्षरता प्रतिशत अत्यधिक न्यून है। वालिकाओं में शत प्रतिशत साक्षरता दर प्राप्त करने हेतु प्रत्येक गांव एवं मजरों में विधालय/ शिशु शिक्षा केन्द्र की व्यवस्था की जायेगी। वालिकाओं के साक्षरता दर कम होने का प्रमुख कारण उनके अभिभावकों की आर्थिक स्थिति का भी कमजोर होना है परिवार के अधिकतर सदस्यों को रोजी रोटी मजदूरी पर जाना पड़ता है तथा 6-14 वय वर्ग की वालिकाओं को गृहकार्य छोटे भाई बहनो की देख रेख भोजन पकाने हेतु ईधन आदि की व्यवस्था भी करनी पड़ती है।

ऐसी वालिकाओं हेतु जिन्हे अभिभावक के मजदूरी पर जाने के कारण परिवार के छोटे बच्चों की देख रेख करनी पड़ती है। उन्हे विधालय में लाने हेतु शिशु शिक्षा केन्द्रो की व्यवस्था की जायेगी।

वालिका शिक्षा हेतु ऐसे पाठ्यक्रम को लागू किया जायेगा जिसके द्वारा उन्हे साक्षर बनाने के साथ-साथ गृह कार्य कताई, बुनाई, रंगाई, छपाई एवं आर्थिक प्रगति के सहयोगी अन्य गृहपयोगी जैसे आचार मुख्य निर्माण जैसी विधाओं का समावेश किया जायेगा। अभिभावक के मन की इस भ्रांति को दूर करने के लिए कि वालिकाओं के लिए शिक्षा की आवश्यकता नही है। विभिन्न माध्यमों जैसे प्रिन्टमीडिया, बैनर, पोस्टर एवं जनजागरण अभियान चलाकर ये समझाया जाना आवश्यक है कि यदि वालिका अशिक्षित रह गयी तो समाज का किसी भी प्रकार

से विकास सम्भव नही हो सकेगा। क्योंकि ये समस्त बालिकाए ही आगे चलकर एक एक परिवार का भार अपने कन्धों पर लेंगी। और यदि वे स्वंय शिक्षित नहीं है तो समाज की अगली पीढी को शिक्षित कर पाने में अपना सहयोग नही दे पाएगी। साथ ही गृहस्थी सम्बन्धी कार्यो को भी सुव्यवस्थित रूप से सम्पादित नही कर सकेगी। इसके लिए ऐसी बालिकाएं जो ग्रामीण क्षेत्रों मे काफी उम्र बीत जाने के बाद भी स्कूल तक नही पहुच सकी एवं अब अधिक उम्र की वजह से कक्षा 1 या 2 मे प्रवेश लेने मे झेंप महसूस करती है उनके लिए बालिका शिक्षा शिविर लगा कर उन्हे योग्यता के अनुसार सीधे अगली कक्षाओं में प्रवेश दिलाया जायेगा।।

ऐसे स्थान जहाँ की भौगोलिक एवं आर्थिक स्थिति इन बालिकाओं के शिक्षित होने मे बाधक है जहाँ पर दूर दूर तक विद्यालय नहीं है जहाँ की लडकियाँ अर्थात कार्यो में संलग्न है वहां पर ब्रिजकोर्स पूर्ण रूप से आवासीय होगे। और उनके शिक्षण के साथ-साथ कपडो की सफाई एवं स्वच्छता आदि का भी ध्यान रखा जायेगा। इससे पूर्व इन बालिकाओं के अभिभावकों को ये समझाया जाना चाहिए कि उनकी बालिकाओं को उस शिविर मे कोई परेशानी नही होगी। और उनके शिक्षक के रूप मे महिला अध्यापकों को ही नियुक्त किया जायेगा। साथ ही ऐसी व्यवस्था की जायेगी कि अभिभावक बीच बीच मे अपनी बालिकाओं से मिल सके। और ये जान सके कि उनकी बच्चियाँ शिविर में रह कर कुछ सीख रही है।

जनपद बांदा की भौगोलिक संरचना कुछ इस प्रकार की है कि यहाँ के ग्राम मजरे/ बस्ती यद्यपि मानक के अनुसार संवित है लेकिन फिर भी 3-6 वय वर्ग की बालिकाओं का विद्यालय तक पहुचना सम्भव नही हो पाता। अत: उनको

शिक्षा की मुख्य धारा में जोडने से पूर्व शिशु शिक्षा केन्द्र की स्थापना/ शिक्षा गारण्टी योजना प्रारम्भ की जायेगी। इन केन्द्रों को आकर्षक एवं रोचक बनाने हेतु बच्चों के पटन-पाठन सामाग्री के साथ-साथ उनके शारीरिक मानसिक एवं बौद्विक विकास में सहयोगी सामाग्रियों को भी प्रचुर मात्रा में उपलब्धता सुनिशित की जायेगी। उनके ड्राप आउट को समाप्त करने हेतु इन केन्द्रो पर महिला अभिभावकों की मासिक गोष्ठी का भी आयोजन किया जायेगा। समय समय पर शिक्षकाओं द्वारा महिला अभिभावकों से सम्पर्क के समय को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जायेगां। बच्चियों की उम्र को ध्यान में रखते हुए उन्हे परिसर में ही व्यवस्था सुनिशित की जायेगी। पूर्व से संचालित आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, शिशु शिक्षा केन्द्रों के सुदृढीकरण हेतु इस योजना के तहत उन्हे अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान कर एवं उनकी कक्षाएं निकटस्थ संचालित प्राथमिक विद्यालयों में संचालित करवा कर गतिशील बनाया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत सुदूर स्थिति गावों एवं अनूसूचित जाति बाहुल्य गावों को प्राथमिकता के आधार पर सेवित किया जायेगा।

समस्त जनपद में न्याय पंचायत स्तर पर किसी विशेषता (अपहुंच वाला गांव, अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव इत्यादि) के आधार पर एक माडल ग्राम का चुनाव किया जायेगा। एवं इस गांव में बालिकाओं का शतप्रतिशत नामांकन कराकर उन्हे उनकी सुविधाओं के अनुरूप विभिन्न प्रकार से उपयोगी शिक्षण सामाग्री के प्रयोग द्वारा शिक्षित किया जायेगा। एवं वहां के नामांकन प्रतिशत एवं उपलब्धियों को सम्पूर्ण न्याय पंचायत में प्रसंगित करने हेतु माडल क्लस्टर विलेज द्वारा साक्षर की गयी बालिकाओं के माध्यम से गांव गांव में गोष्ठी एवं नाटक नुक्कड सभाओं के आयोजनों द्वारा जन साधारण अभियान चलाकर पूरी न्याय पंचायत का शत प्रतिशत बालिका नामांकन लक्ष्य प्राप्त किया जायेगा। तथा सभी बालिकाओं को

कक्षा -2 तक की शिक्षा देने के उपरान्त उन्हें विधालयों में प्रवेश दिलाकर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा।

आर्थिक रूप से परिवार के मददगार होने पर शिक्षा को सत्र के बीच में छोडने वाली बालिकाए. शिक्षण सत्र के मध्य में गम्भीर रूप से बीमार होने के कारण शिक्षा छोडने वाली बालिकाओं एवं समाज में प्रभावित वाले विवाह के कारण कम उम्र में शादी हो जाने के कारण एवं अन्य अनेक शिक्षा को बीच में छोड देने से बालिकाओं को पुन: शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के लिए सर्वप्रथम पैरा टीचर्स की नियुक्ति कर गांव गांव में ग्रीष्म कालीन शिविरों का आयोजन किया जायेगा। जिसमें प्रथम मुख्य कार्य गांव की माइक्रोप्लानिंग कराकर ड्राप आउट हुई बालिकाओं के अभिभावकों से सम्पर्क किया जायेगा। उनके ड्राप आउट होने के कारणों की खोज एवं विश्लेषण किया जायेगा तथा अभिभावकों को पुन: बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करने हेतु उस गांव में संचालित ग्रीष्म कालीन शिविरों में एक्सट्रा कोचिंग में भेजने हेतु प्रेरित किया जायेगा। ग्रीष्म कालीन शिविरों के पाठ्यक्रम का निर्धारण इस प्रकार किया जायेगा कि निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत ही उसे समाप्त कर नए सत्र में आरम्भ होने वाली कक्षाओं में उनका प्रवेश कराया जा सके।

उच्च प्राथमिक स्तर पर कार्यानुभव योजना का संचालन किया जायेगा जिसके अन्तर्गत विभागीय पाठ्यक्रम के साथ साथ भावी जीवन में उपयोग होने वाली कार्य कलापों का समावेश किया जायेगा जिसमें घर की स्वच्छता साज सज्जा बच्चों के स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारियों उनके उपचार को सम्मिलित किया जायेगा। नारी जीवन में गृहणी के कार्यों से सम्बन्धित क्रिया कलाप जैसे अचार मुरब्बा का निर्माण, उनकी सुरक्षित रखने की विधि आदि का भी समावेश किया जायेगा। जिन

बालिकाएं अपने शिक्षण काल में ही स्वंय उनके निर्माण एवं प्रयोग में दक्ष होकर अपनी भावी जीवन में स्वावलम्बी बन सकें एवं परिवार की आर्थिक दशा में सहभागिता निभा सकें।

उपरोक्त सभी योजनाओं के सफल हेतु एवं बालिकाओं के शत प्रतिशत नामांकन के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु उनमें निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण सुनिशिचत किया जायेगा।

वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर राष्ट्रीय साक्षरता स्तर पर पुरूषों और महिलाओं की साक्षरता दर क्रमशः 62.2 एवं 39.29 प्रतिशत दर्शायी गयी है। जबकि उत्तर प्रदेश में 55.73 पुरूषों की साक्षरता के परिपेक्ष्य में मात्र 25.31 महिलायें हैं, साक्षर हैं। जनपद बांदा में पुरूषों की कुल साक्षरता 51.50 एवं महिलाओं की साक्षरता 16.44 प्रतिशत है। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में बालिकाओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है साथ ही राष्ट्रीय साक्षरता नीति 1986 में महिला साक्षरता एवं शिक्षा को विशेष रूप से रेखांकित किया है जनपद की महिला साक्षरता विकास, खण्डवार निम्न सारिणी में दर्शायी गयी है।

सारिणी -1
महिला साक्षरता दर

क्रम	विकास खण्ड का नाम	महिला साक्षरता प्रतिशत
1.	जसपुरा	16.30
2.	तिन्दवारी	19.90
3.	वडोखर	15.80
4.	वबेरू	12.80
5.	कमासिन	9.10
6.	विसण्ड	8.40
7.	महुआ	14.90
8.	नरैनी	11.00
	औसत योग	16.44

स्रोत - 1998 की सांखकीय पत्रिका के आधार पर।

उपरोक्त सारिणी की विवेचना से स्पष्ट है कि जनपद वांदा में महिला साक्षरता का प्रतिशत प्रदेश की महिला साक्षरता की तुलना में अत्यधिक कम है। तथा जनपद के अन्तर्गत विकासखण्ड विसण्डा कमासिन व नरैनी की महिला साक्षरता क्रमशः 8.4, 9.1, 11.0 प्रतिशत है। जो कि अन्य विकासखण्डों की तुलना मे कम है। तथा तिन्दवारी जसपुरा एवं वडोखर विकास खण्डों की महिला साक्षरता का प्रतिशत अन्य विकास खण्डों की अपेक्षा अधिक है। उसका कारण इन विकास खण्डो का जनपद की सीमा का जुडा होना है। सबसे कम साक्षरता का कारण विकास खण्डों का जनपद मुख्यालय से सुदूर अंचल एवं यातायात के साधनो का आभाव होना।

किसी भी राष्ट्र का विकास वहां की महिला साक्षरता से बहुत प्रभावित होता है। कहा जाता है कि एक महिला के शिक्षित होने पर एक परिवार शिक्षित

होता है। अत: बालिका शिक्षा हमारा एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है और सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बालको का नामांकन शत प्रतिशत करने के साथ ही सभी वर्गो की बालिकाओं को नामांकित कराना है।

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत बालिका शिक्षा हेतु विशेष प्रयास किये गये है। 3-6 वय वर्ग हेतु बच्चों की पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु शिशु शिक्षा केन्द्र खोले गये जिसके परिणामस्वरूप विद्यालयों में बालिका शिक्षा के नामांकन में वृद्धि हुयी है क्योंकि बालिकायें अक्सर इस वय वर्ग में अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल के कारण विद्यालय नही जा पाती थी। कक्षा 5 पास करने के बाद उच्च प्राथमिक कक्षाओं में बालिकाओं हेतु कार्यानुभव के अन्तर्गत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कार्यानुभव प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी। परिणामस्वरूप विद्यालयों की उपस्थिति में वृद्धि हुयी एवं ड्राप आउट की संख्या में कमी आयी।

सर्व शिक्षा अभियान में बालिका शिक्षा को बढावा देने हेतु प्रस्तावित रणनीतियाँ

बालिकाओं के ठहराव हेतु रणनीति

समूहों का निर्माण एवं प्रशिक्षण

माता शिक्षक संघ- ऐसे गाँव जहाँ प्राथमिक विद्यालय है उस गाँव की 10-12 सक्रिय माताओं तथा शिक्षकों के समूह का निर्माण कर उन्हें उनके कार्य एवं दायित्व के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु प्रशिक्षित किया जायेगा। ये माता शिक्षक संघ विशेष रूप से बच्चों की नियमित उपस्थित सुनिश्चित करने हेतु कार्य करेगें।

महिला प्रेरक दल - ऐसे गाँव/मजरे जो विद्यालय से कुछ दूरी पर होंगे वहाँ बालिकाओं की विद्यालय में उपस्थिति व ठहराव सुनिश्चित करने हेतु महिला प्रेरक दल गठित कर प्रशिक्षित किया जायेगा। महिला प्रेरक दल ही स्थानीय स्तर पर वै0शि0 केन्द्र/विद्या केन्द्र तथा विद्यालयों की विभिन्न गतिविधियों का अनुश्रवण कर समुदाय तथा शिक्षा विभाग पर दबाव बनाने हेतु प्रयास करेंगे।

- **ठहराव परिक्रमा तथा तारांकन**

- बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु ठहराव परिक्रमा प्रत्येक सप्ताह गाँव स्तर पर निकाली जायेगी जिसमें स्कूल के बच्चे, अध्यापक व अभिभावक शामिल होंगे। ठहराव परिक्रमा के दौरान जो बच्चे कम विद्यालय में उपस्थित रहते है उनके घर के बाहर थोड़ी देर तक खड़े होकर नारे लगाकर बच्चे को विद्यालय आने के लिये दबाव बनाया जायेगा।

- बच्चों की उपस्थिति के प्रति अभिभावकों एव बच्चों को सचेत करने के लिये बच्चों का हरा, पीला एवं लाल तारा निशान प्रतिमाह उनकी उपस्थिति के आधार पर दिया जायेगा। उपस्थिति के आधार पर निम्न प्रकार तारांकन किया जायेगा।
  - माह में 15 दिन या उसकी अधिक उपस्थिति - हरा निशान
  - माह में 14 दिन से 7 दिन तक की उपस्थिति - पीला निशान
  - माह में 6 दिन या उससे कम की उपस्थिति - लाल निशान

बच्चों तथा अभिभावकों को बच्चों को मिले निशान से अवगत कराया जायेगा तथा यह निशान प्रतिमाह चार्ट पर इंगित कर ग्राम स्तरीय समूहों की बैठकों में चर्चा किया जायेगा। बच्चों को रिबन से बने बैज प्रदान किये जायेंगे।

- सत्र के मध्य एवं सत्रान्त में अभिभावक सम्मेलन

  शिक्षा सत्र के मध्य में अभिभावकों की बैठक में छात्रों की उपस्थिति तथा इससे प्रभावित होने वाला उनका उपलब्धि स्तर दोनों के विषय में उन्हें अवगत कराते हुये नियमित आने वाले बच्चों के अभिभावकों को सम्मानित कर अन्य को प्रेरित किया जायेगा। प्रत्येक शिक्षा सत्र के अन्त में सत्रान्त समारोह में गाँव के समस्त अभिभावकों को बुलाकर ऐसे बच्चों तथा अभिभावकों को प्रोत्साहित करें। जिनके बच्चे नियमित विद्यालय आ रहे है। सत्रान्त समारोह में अगले सत्र के लिये बच्चों का नामांकन भी सुनिश्चित कराया जायेगा।

- कोहार्ट स्टडी

  अधिकतम शालात्याग दर वाले विद्यालयों में पिछले पाँच वर्षो का बच्चों का शालात्याग दर रजिस्टर से निकाल कर ऐसे बच्चों को सूचीबद्ध किया जायेगा जिन्होने पिछले पाँच साल में विद्यालय छोड़ा है। ऐसे बच्चों के लिये ग्रीष्म कालीन शिविरों के माध्यम से पुनः विद्यालय में लाने हेतु प्रयास किया जायेगा।

- ग्रीष्म कालीन शिविर

  ऐसे गाँव/ग्राम सभा जहाँ न्यूनतम 40 बालिकायें शाल त्यागी के रूप में चिन्हित की जायेगी उनमें 10 दिवसीय ग्रीष्म कालीन शिविर चलाकर उन्हें पुनः विद्यालय में दाखिल कराया जायेगा।

- "बेटी हो स्कूल में" - कला जत्था अभियान

  सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु कला जत्था एक सशक्त माध्यम है "बालिकायें बीच में विद्यालय न छोड़ दें" यह सुनिश्चित करने के लिये "बेटी हो स्कूल में" - कला जत्था अभियान चलाया जायेगा जिसमें स्थानीय कलाकारों को प्रशिक्षित कर गाँव-गाँव में नाटकों की प्रस्तुतियाँ की जायेगी। यह अभियान में चलाया जायेगा जहाँ महिला साक्षरता दर कम है तथा बालिका शाला त्याग दर अधिकतम है।

- शिक्षकों का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण

  बालिका शिक्षा के प्रति शिक्षकों का नज़रिया बदलने तथा उन्हें संवेदनशील हेतु अलग से शिक्षकों का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण किया जादेगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्य रूप से बच्चों/बालिकाओं के विद्यालय बीच में छोड़ देने के कारणों उनके निराकरण तथा उपायों/उपागमों पर चर्चा/अभ्यास कर उनका संवेदीकरण किया जायेगा।

कार्यक्रम

जनजागरण अभियान -

जनपद - बादा - में 2527 बालिकायें है जो अभी भी औपचारिक प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित नही है इन बालिकाओं का नामांकन सुनिशिचत करने के लिए जनजागरण अभियान चलाये जायेंगे। विशेषकर विकासखण्ड नरैनी कमासिन ऐसे है जहां पर बालिकाये घरों में काम करती है या अल्पसंख्यक है

अपेक्षाकृत पिछड़ी हुयी है इनके माह जुलाई से सितम्बर तक प्रतिमाह एक बार जनजागरण अभियान चलाया जायेगा इसके अन्तर्गत प्रभातफेरियां जुलूस तथा पोस्टर नारों का लेखन जनसम्पर्क कार्यक्रम तथा महिला मण्डल की बैठकों का आयोजन किया जायेगा।

बालिका शिक्षा हेतु क्षमता संवर्धन संख्या -

1. समस्त ग्राम शिक्षा समितियों को बालिका शिक्षा हेतु संवेदनशील बनाने के लिये प्रशिक्षण प्रदान किये जायेंगे।
2. महिला प्रेरक समूहों एम0टी0ए0 का गठन एवं प्रशिक्षण।
3. जनपद के समस्त विद्यालयों के सेवारत अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

जनपद के अत्यन्त पिछडे एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों विकास खण्डों न्याय पंचायतों ग्राम सभाओं मे बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से माडल क्लस्टर ग्राम सभा विकास कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

माडल क्लस्टर डेवलेपमेन्ट एप्रोच -

न्याय पंचायत को माडल बनाकर क्लस्टर के रूप में विकसित किया जायेगा इन क्लस्टर के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे ताकि इन न्याय पंचायतो की समस्त ग्राम सभाओं में 6-14 वय वर्ग की बालिका का शत प्रतिशत नामांकन ठहराव सुनिशिचत हो सके साथ ही साथ समुदाय में बालिकाओं की शिक्षा के प्रति स्वामित्व व उनकी भागीदारी भी विकसित हो। चयनित न्याय पंचायतो मे बालिकाओं मे आत्मविश्वास एवं आत्म छवि विकसित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तावित है जैसे ग्रीष्मकालीन शिविरए किशोरी संघों का गठन लाइफ स्किल ट्रेनिंग आदि आयोजित किये जायेंगे।

विशेष नामांकन अभियान -

चयनित क्लस्टर में पार्टीसिपेन्ट्री रूरल एप्रोच विधि से सूक्ष्म नियोजन किया जायेगा प्राप्त आंकडो के आधार पर उपरोक्त विकास खण्डो में नामांकन अभियान चलाया जाएगा। इस सम्बन्ध में समुदाय विशेष रूप से महिला प्रेरक समूह का सहयोग लिया जायेगा एवं निम्न कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

1. मीना कम्पैन

इसके माध्यम से प्रत्येक गांव स्तर पर गोष्ठियो का आयोजन फिल्म प्रदर्शन, बैनर चार्ट पोस्टर कला जत्था के माध्यम से माता पिता एवं अभिभावकों को प्रेरित किया जायेगा।

2. माँ बेटी मेला आयोजन -

ग्राम स्तर पर माँ बेटी मेले का आयोजन किया जायेगा उसके माध्यम से माताओं को अपनी लडकियों को स्कूल भेजने तथा कक्षा 8 तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रेषित किया जायेगा।

3. ग्राम सभा समितियों की न्याय पंचायत स्तर पर कार्यशाला -

इस कार्यक्रम के तहत एम0टी0ए0, पी0टी0ए0, वी0ई0सी0 महिला प्रेरक समूह ब्लाक तथा एन0पी0आर0सी0 केन्द्रो के सम्न्यवक के लिये सघन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा।

4. ग्राम शिक्षा समितियों, महिला प्रेरक समूहों का गठन एवं प्रशिक्षण -

बालिकाओं की शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं नामांकन विधालय में ठहराव में वृद्वि हेतु वी0ई0सी0एम0टी0ए0 को संवेदनशील बनना, नियमित प्रशिक्षण की

व्यवस्था की जायेगी इसके लिए जि0प्रा0शि0 कार्य के अन्तर्गतविकसित प्रशिक्षण मंजूषा प्रयोग की जायेगी।

5. सेवारत अध्यापक, बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों को बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाली कक्षा द्वारा कक्ष प्रक्रियाओं गतविधियों हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

ग्राम शिक्षा शिविर

ड्राप आउट बालिकाओं **को पुनः विद्यालय** से जोडने हेतु-

ड्राप आउट बालिकाओं को पुनः विधालयीं मुख्य धारा से जोडने हेतु 30 दिन का ग्रीष्म कालीन शिविर चलाया जाएगा और उनको कक्षा विशेष में पुनः नामांकित कराया जायेगा यह शिविर प्रा0 एवं उ0प्रा0 विद्यालयों में चलायें जायेंगे क्षेत्र का चयन बालिकाओं की ड्राप आउट दर को ध्यान में रखकर किया जायेगा।

विकास खण्ड के माडल क्लस्टर/ अन्य क्षेत्रों की चयनित ग्राम सभाओं में दस दिवसीय ग्रीष्म कालीन शिविर लगाने का प्रस्ताव है इन शिविरों में शालात्यागी बालिकाओं उनके अभिभावकों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रधानों एवं अन्य समूहों को बालिकाओं को विद्यालयों लाने के लिये प्रेरित किया जायेगा।

चयनित क्लस्टर में आवश्यकतानुसार बालिकाओं के लिये ब्रिज कोर्स आवासीय शिविर भी आयोजित किये जायेंगे ऐसे शिविर नगर क्षेत्र वादा तथा ऊपर उल्लिखित तीन विकास खण्डो मे प्रस्तावित किये जायेंगे इन शिविरों में 3 माह का ब्रिज कोर्स आयोजित कर शालात्यागी बालिकाओं को उनकी योग्यता के आधार पर सीधे कक्षा 5 तथा कक्षा 8 की परीक्षा दिलाकर मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जायेगा।

उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिये अन्य कार्यक्रम -

जनपद के प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कार्यानुभव शिक्षा को बढावा दिया जायेगा आधुनिक तकनीकि से जोडकर प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा खिलौना बनाना, कला चित्रण, रंगाई, सिलाई, कढाई, बुलाई की शिक्षा के साथ-साथ स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर टोकरियां, मिटटी के खिलौने कागज के खिलौने कागज के सामान बनाने की कला सिखाई जायेगी। कार्यानुभव योजना के कृषि पशुपालन, पुस्तककला, धातु कला आदि से सम्बन्धित सामान्य ज्ञान अनुभव आधारित कर विद्यालय के प्रति आकर्षण पैदा किया जायेगा।

विशेष वर्ग की शिक्षा - समेकित शिक्षा

भारत की लगभग 5-10 प्रतिशत जनसंख्या किसी न किसी विकलांगता से ग्रसित है। शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य को तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जब तक कि विभिन्न विकलांगता से ग्रसित बच्चों को विद्यालय नहीं लाया जाता। वर्तमान में इस जिले में 1522 विकलांग बच्चे बाल गणना के आधार पर अनुमानित है। इसके पश्चात एक मैडिकल बोर्ड द्वारा उन्हें विभिन्न प्रकार की विकलांगता के अनुसार श्रेणीबद्ध किया जायेगा और इन बच्चों के लिये समेकित अथवा व्यक्तिगत शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी। इसके प्रस्ताव तैयार करते समय निम्न मार्गदर्शिका को ध्यान में रखा जायेगा।

विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकलांग बच्चों की समोकित शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। विकलांग बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने हेतु सहायता प्रदान की जायेगी तथा बेसिक शिक्षा की मुख्य धारा से सम्मिलित किये जाने के लिये सुनियोजित कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत स्वयं सेवी संगठनों का योगदान महत्वपूर्ण एवं प्रभावी रहता है। समेकित शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वयं सेवी संगठनों द्वारा सामुदायिक जागृति, अभिभावक तथा शिक्षकों का संवेदीकरण, विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु शिक्षकों के कौशल विकसित करने छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण में अध्यापकों को संसाधन एवं सहायता उपलब्ध कराने, विकास खण्ड स्तर तथा विद्यालय स्तर पर शिक्षकों को सहायता प्रदान करने में सहयोग दिया जा सकता है। स्वयं सेवी संगठनों के चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था स्थापित है, जिसके तहत जनपद के अनुभवी, ख्याति प्राप्त स्वयं सेवी संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है। इन प्रस्तावों का डेस्क टॉप अप्रेजल/फील्ड अप्रेजल किया जाता है तथा कुशल एव अनुभवी संगठनों को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा चयनित किया जायेगा।

विकलांगता / अक्षमता के प्रकार

मुख्य रूप से विकलांगता पाँच प्रकार की होती है।

1. दृष्टि विकलांगता
2. श्रवण एवं वाणी विकलांगता
3. अस्थि विकार विकलांगता

4. मानसिक मन्दता

5. अधिगम मन्दता

विकलांगता / अक्षमता के कारण -

बच्चों में कुछ विकलांगतायें/अक्षमता जन्म से होती है तो कुछ जन्म के बाद विकसित होती है। बच्चों की अधिगम अक्षमता के निम्न कारण हो सकते है।

1. बौद्धिक क्रिया कलाप का निम्न स्तर एवं विकास की मन्द गति।
2. देखने में कठिनाई, सुनने एवं बोलने में कठिनाई।
3. हाथ पैर का क्षतिग्रस्त होना या हाथ पैर का न होना, अंगों की विकृति, मांस पेशियों के तालमेल न होने से क्रिया कलाप में कठिनाई।
4. मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं जैसे प्रत्यक्षीकरण अवधान, स्मृति विषयक समस्यायें।
5. दृष्टि तथा मांस पेशियों में तालमेल न होना।

कुछ कारण बच्चों के घर परिवार एवं विद्यालय से सम्बन्धित होते हैं।

- माता पिता के स्नेह में कमी
- बच्चों को हीन भावना से देखना
- सीखने के समान अवसर न मिलना
- शिशु स्तर पर लालन पालन के अनुपयुक्त तरीके अपनाना
- शिक्षक का बच्चों से कम लगाव होना
- सामान्य बच्चों का विकलांग बच्चो के साथ प्रतिकूल व्यवहार करना

अक्षमता के परिणाम

1. बच्चों में
   - आत्मनिर्भरता में कमी
   - चलने में परेशानी
   - समाज में उपेक्षित
2. परिवार में

- अधिक ध्यान देने की आवश्यकता
- आर्थिक बोझ अधिक आदि

अक्षम बच्चों की शिक्षा के सम्बन्ध में अनेक भ्रान्तियाँ है। बहुत से अध्यापकों का विश्वास है कि अक्षम बच्चों की शिक्षा के लिये विशेष तकनीकि की आवश्यकता होती है जबकि कम एवं मध्यम श्रेणी के विकलांग बच्चों को पढ़ाने के लिये विशेष तकनीकि की आवश्यकता नही होती, केवल अध्यापक को कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। विशेष प्रकार की तकनीक की आवश्यकता केवल उन बच्चों के लिये होती है जिनका रोग असाध्य या गम्भीर रूप धारण कर चुका है।

4. संवेदीकरण

अक्षम बच्चों की शिक्षा के लिये निम्न का संवेदीकरण आवश्यक है -

1. समुदाय का संवेदीकरण
2. परिवार एवं भाई-बहनो का संवेदीकरण एवं मार्गदर्शन
3. अध्यापकों का संवेदीकरण

संवेदीकरण हेतु सबसे पहला बिन्दु दृष्टिकोण परिवर्तन का है अक्षम बच्चों के लिये सहानुभूति तो सभी दिखा देते है। इन्हें सहानुभूति नहीं बल्कि सहायता की आवश्यकता है उनकी क्षमताओं को और विकसित करने की आवश्यकता है।

5. उपकरण एवं उपस्कर -

अक्षम बच्चों की विकलांगता की डिग्री एवं उपकरण एवं उपस्कर की आवश्यकता ज्ञात कराने के लिये बच्चो का डाक्टरों की टीम जिसमें एक आर्थोपेडिक्ट, एक इ.एन.टी. डाक्टर एवं आई स्पेसिलिस्ट हो, द्वारा मेडिकल

एसेसमेन्ट कराया जाता है फिर आवश्यकतानुसार उपस्कर की आपूर्ति करानी होगी। उपकरण एवं उपस्कर की आपूर्ति विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से की जाती है, इसके लिए निम्न संस्थाओं से सम्पर्क किया जा सकता है -

1. राष्ट्रीय दृष्टि एवं विकलांग संस्थान, 116 राजपुर रोड, देहरादून।
2. अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, बान्द्रा, मुम्बई।
3. एलिम्को, जी.टी. रोड, कानपुर - 208016
4. अमर ज्योति रिहैबिलिटेशन एण्ड रिसर्च सेन्टर, कर्कारडूमा, विकास मार्ग, दिल्ली।
5. भारत सरकार के सामाजिक न्याय मन्त्रालय द्वारा स्थापित कम्पोजिट फिटमेन्ट सेन्टर।
6. राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, मनोविकास नगर, सिकन्दराबाद।
7. नेशनल एसोसिएशन फॉर दि ब्लाइन्ड, एजूकेशन डिपार्टमेन्ट, कांटेन ग्रीन, एल.पी. कॉम्प्लेक्स, मुम्बई (महाराष्ट्र)
8. मंगलम, ए-445 इन्दिरा नगर, लखनऊ।
9. यू.पी. विकलांग केन्द्र 13 लूकरगंज, इलाहाबाद।

6. अध्यापकों का सेवारत प्रशिक्षण -

अध्यापकों के सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम मे समेकित शिक्षा का विन्दु विशेष रूप से लिया गया है जिसमें विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देने की विधा पर बल दिया गया है। समेकित शिक्षा के लिए प्राथमिक अध्यापकों को 05 दिन प्रशिक्षण दिया जाता है। इन अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रति विकास खण्ड 4-4 मास्टर ट्रेनर्स का चयन किया जाता है और इन मास्टर ट्रेनर्स का 10 दिवसीय प्रशिक्षण एडवान्स स्टडीज़ स्पेशल एजूकेशन, रूहेलखण्ड यूनिवर्सिटी, बरेली अमर ज्योति रिहैबिलिटेशन एण्ड रिसर्च सेन्टर कर्कारडूमा विकास

मार्ग, दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश विकलांग केन्द्र रूरल रिसर्च सोसाइटी, 13 लूकरगंज इलाहाबाद में आयोजित किया जा सकता है।

7. शिक्षकों के लिए सामग्री का विकास -

शिक्षकों द्वारा हस्त पुस्तिका का विकास किया नाम तथा पाँच विकलांगताओं - दृष्टि, श्रव्य, अधिगम, अस्थि एवं मानसिक विकलांगता पर फोल्डर्स के कियें गए है। जन समुदाय को संवेदनशील बनाने के लिये "आप क्या कर सकते है।" फोल्डर विकास किया गया है। विकलांग बच्चों के प्रति सामान्य बच्चों मे जागरूकता पैदा करने के लिए कक्षा-3 पर्यावरण अध्ययन विषय की पाठ्य पुस्तक मे "दोस्ती" नामक पाठ सम्मिलित किया गया है। शिक्षा समितियों एवं शिक्षकों के प्रशिक्षण मॉड्यूल मे विकलांगता के विषय मो शामिल किया गया है।

8. शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए विकसित प्रशिक्षण मॉड्यूल और सामग्रियों में निम्नलिखित पाठ्यक्रम का समावेश होता है -

- विकलांगता वाले बच्चों का कार्यात्मक आंकलन।
- विकलांग बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को समझाना।
- इन बच्चों के सभी समूहों के लिए शिक्षण रणनीति विकसित करना।
- कक्षा कक्ष प्रवन्ध और मूल्यांकन।
- इन बच्चों, इनके अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों को परामर्श और मार्गदर्शन देना।
- विकलांग बच्चों का आवश्यकताओं के सम्वन्ध मे अन्य वच्चों मे जागरूकता उत्पन्न करना।

9. स्वयं सेवी संस्थाओं की भागीदारी -

विशिष्ट आवश्यकता वाले वच्चों की शिक्षा के लिए तकनीकी सहायता देने हेतु ऐसी स्वयं सेवी संस्थाओं की भागीदारी ली जाती है जो विशिष्ट

आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षा के लिए कार्य कर रही हो और निम्न पात्रताएँ रखती हो।

- संस्था / सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के अन्तर्गत कम से कम तीन वर्ष पूर्व रजिस्टर्ड हो।
- संस्था के पास विकलांगता के क्षेत्र से विशेषज्ञ की उपलब्धता।
- विकलांगता के क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव।
- संस्था विकलांग जन अधिनियम 1995 की धारा 51 के अन्तर्गत पंजीकृत हो।

विकलांग छात्रों की संख्या विकासखण्डवार निम्न सारणी में दी गई है।

क्रम	विकासखण्ड का नाम	विकलांग छात्रों की संख्या
1.	जसपुरा	81
2.	तिन्दवारी	07
3.	वडोखर खुर्द	16
4.	बबेरू	78
5.	कमासिन	83
6.	विसण्डा	31
7.	महुआ	53
8.	नरैनी	93
	योग	442
	नगर क्षेत्र	42
	महायोग	484

स्रोत - विभागीय आँकड़े।

उपरोक्त सारिणी की विवेचना से स्पष्ट है कि विकासखण्ड नरैनी कमासिन एवं जसपुरा मे सबसे अधिक पढ़ने वाले विकलांग बच्चे क्रमशः 93, 83 एवं 81 है एवं विकाखण्ड तिन्दवारी एवं वडोखरा में सबसे कम विकलांग क्रमशः 07 एवं 16 बच्चे है ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा नगर क्षेत्र में विकलांगता कम है।

जनपद बाँदा में कुल विकलांग बच्चे 1522 है जिनमें 484 विकलांग बच्चे नामांकित है।

सामुदायिक गतिशीलता:

6-14 वय वर्ग के बच्चों की शिक्षा के सार्वजनीकरण में समुदाय की सक्रिय भूमिका है। ग्रामीण क्षेत्र मे रहने वाले निरक्षर लोगो की संख्या नगरीय क्षेत्रों मे रहने वालों की अपेक्षा अधिक है।

इसमें निरक्षर बालकों की संख्या गाँव एवं नगर दोनों में ही अधिक है। गाँव में नगरीय क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था हेतु अधिक संख्या में विद्यालय खोले गये। बालिकाओं के लिए अलग विद्यालय खोले गये। शिक्षा के विकेन्द्रीकरण को दृष्टिगत रखते हुए एवं समुदाय की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चत करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम शिक्षा समिति तथा नगर में वार्ड वार नगर शिक्षा समिति गठित की गयी। शैक्षिक योजना निर्माण तथा विद्यालय संचालन में सहयोग प्रदान करने सम्बन्धी अनेक अधिकारी शिक्षा समितियों को प्रदान किये गये।

कार्य योजना पूर्व गतिविधियाँ -

फोकस ग्रुप डिस्कसन -

ग्राम स्तर, न्याय पंचायत स्तर, विकास क्षेत्र स्तर तथा जिला स्तर पर विभिन्न स्थितियों फोकस ग्रुप डिस्कसन कराये गये इन ग्रुप डिस्कसन में ग्राम प्रधान गणमान्य व्यक्ति अध्यापक, अभिभावक अधिकारियों, अल्प संख्यक वर्ग तथा अनुसूचित जाति की महिलाओं द्वारा प्रभिभाग किया गया।

फोकस ग्रुप डिस्कसन में नामांकन, भवन, विज्ञान, शिक्षा, नैतिक शिक्षा, खेलकूद, मकतव को सुदृढ़ करना, गणवेश, बालिका शिक्षा आदि विन्दुओं पर चर्चा की गयी।

सूक्ष्म नियोजनः

जनपद पूर्व से ही सभी के लिए शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत आच्छादित रहा है। वर्ष 1998 में जनपद के प्रत्येक विकास क्षेत्र में शूक्ष्म नियोजन कराया गया था। सूक्ष्म नियोजन से पूर्व दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन विद्यालय स्तर पर किया गया। जिससे ग्राम/वस्ती को निर्माण की इकाई बनाया जाय तथा लोक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। सामुदायिक गतिशीलता के लिए गाँव वासियों से

चुनौतियों पर चर्चा की गयी। जैसे प्रत्येक बालिका को शिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रही है - बालिका के शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास किया जाना, शिक्षकों की कमी - स्थानीय शिक्षित बेरोजगारों से पठन पाठन की व्यवस्था समुदाय द्वारा करना, शिक्षक कार्य के प्रति उदासीन - अध्यापक की मानसिकता में बदलाव लाने हेतु सामाजिक आन्दोलनों को ग्राम स्तर पर क्रियाशील करना, बच्चों की शिक्षा मे आर्थिक परिस्थिति बाधा है। - शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता हेतु संसाधन जुटाना, बच्चों की शिक्षा हेतु आकर्षित करने हेतु आर्थिक सहायता देकर एंव पुरस्कृत कर प्रोतसाहित करना।

ग्राम शिक्षा समिति की आवश्यकता-

ग्राम मे ग्राम हेतु शिक्षा पर चर्चा की गई। सामुदायिक गतिशीलता को बनाये रखने के लिए ग्राम शिक्षा समिति की आवश्यकता है। सामुदाय को शिक्षा से जोड़ना, शिक्षक एवं शिक्षक कार्य मे सहयोग प्रदान करना, वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था एवं समस्याओं को ध्यान मे रखकर ग्राम शिक्षा योजना तैयार करने के लिए ग्राम शिक्षा समिति की आवश्यकता है।

विगत वर्षो ही नयी ग्राम शिक्षा समितियों का गठन हुआ है पंचायत राज्य व्यवस्था के अन्दर प्राथमिक शिक्षा की सम्पूर्ण गतिविधियों में ग्राम पंचायत का महत्त्ववपूर्ण स्थान है अत: ग्राम पंचायतों को शिक्षक के क्षेत्र मे प्रत्येक कार्य से अवगत कराने हेतु प्रशिक्षण देना अत्यन्त आवश्यक है। जनपद मे वर्ष 2001 मे 450 ग्राम शिक्षा समितियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। यह प्रशिक्षण जिला प्रशिक्षण के संसाधन के निर्देशन मे न्याय पंचायत स्तर पर दिया जाना प्रस्तावित है। प्रशिक्षण अवधि दो दिन की होगी तथा प्रशिक्षण स्थल न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र

पर होगा। इसी प्रकार 2002-2003 में 450 ग्राम शिक्षा समितियों को प्रशिक्षण देना प्रस्तावित है। प्रशिक्षण विभिन्न विषयों पर दिये जायेंगें। वर्ष 2005 व 2006 में नई ग्राम सभाओं का गठन हो जायेगा। तद्उपरान्त उक्तानुसार ही दो चरणों में ग्राम शिक्षा समितियों को प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है।

समुदायिक गतिशीलता कार्यक्रम में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

अभिभावकों, शिक्षकों तथा स्थानीय समुदाय में बच्चों की शिक्षाके प्रति जागृति उत्पन्न करने तथा अनुकूल वातावरण सृजित करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये है। इन कार्यक्रमों से स्वयं सेवी संगठनों को जोड़ा जायेगा। विशेष रूप से ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण, ग्राम स्तरीय सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय व स्थानीय समुदाय को परस्पर समीप लाने की प्रक्रिया में स्वयं सेवी संगठनों का महत्वपूण्र योगदान लिया जा सकता है। इस हेतु स्वयं सेवी संगठनों के चिन्हीकरण के लए जनपद स्तर पर एक निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था अपनाई जायेगी, जिसके अन्तर्गत जनपद स्तर पर ख्याति प्राप्त एवं अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेंगे। इन प्रस्तावों को डेस्क आूप अप्रेजल तथा फील्ड अप्रेजल स्थानीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा औ संस्तुति प्रदान की जायेगी। स्वयं सेवी संगठनों के चयन का निर्णय जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा किया जायेगा।

विद्यालय में बागवानी हेतु समुदाय को गतिशील बनाया जायेगा-

आकर्षक परिवेश हेतु बागवानी का विशेष महत्व है। इसके लिए वृक्षारोपण, पुष्पवाटिका हेतु जनाकार लोगों की सहायता ली जायेगी उन्हीं से पौध आदि की व्यवस्था कराकर विद्यालय मे उनका रोपण कराया जायेगा। उद्यान विभाग के सहयोग से बागवानी की व्यवस्था कर विद्यालय को आकर्षक बनाया जायेगा।

साज-सज्जा में सहयोग -

विद्यालय में फर्नीचर टाट पट्टी, श्याम पट्ट चाक, शैक्षिक उपकरण आदि की व्यवस्था में ग्राम के जानकार एवं अनुभवी लोगों की मदद ली जायेगी तथा

ग्राम शिक्षा समिति की मदद ली जायेगी। गरीब वच्चों के लिए समुदाय के लोगों से उनके गणवेश, स्लेट, पेंसिल, कॉपी आदि की सामग्री की व्यवस्था के लिए सहयोग लिया जायेगा। प्रतिभावान वच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कृत करने की व्यवस्था भी समुदाय से करायी जायेगी।

विद्यालय सुदृढ़ीकरण में सक्रियता -

कक्ष निर्माण, भवन की मरम्मत, चाहारदीवारी निर्माण, मिट्टी भराव, विद्यालय प्रागढ़ की भूमि ऊँची नीची होने पर समतल कराने हेतु समुदाय का सक्रिय सहयोग लिया जायेगा।

विद्यालय प्रवेश निर्माण मे सहयोग-:

वातावरण एवं आकर्षक परिवेश हेतु वच्चों के गणवेश का विशेष महत्व है। ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, अभिभावकों एवं जानकार लोगो की मदद से विधालय में गरीव वच्चों के लिए गणवेश की व्यवस्था करायी जायेगी। जिससे वच्चे अलग से आकर्षक एवं शिष्ट लगे और अन्य वच्चों से उनकी पृथक से विशिष्ट पहचान हो तथा स्कूल न जाने वाले वच्चे अपने को अपराध भावना से देखे और स्वंय भी विद्यालय जाने के लिए तैयार हो सकें।

राष्ट्रीय पर्व एवं अन्य पर्वो पर चेतना जागृति :-

राष्ट्रीय पर्वो मे प्रभात फेरी, सांस्कृतिक कार्यक्रम में जन सहयोग लिया जायेगा। अपवंचित वर्ग के अभिभावकों एवं वच्चों को इससे जोडा जायेगा। प्रतियोगी आयोजित कर सम्मानित व्यक्तियो द्वारा वच्चों को पुरस्कृत कर इन्हें प्रोत्साहित किया जायेगा।

अध्यापक सहयोग-

समुदाय के शिक्षित लोगो को इस बात के लिए प्रेरित किया जायेगा कि वे विद्यालयों में शिक्षण कार्य के लिए समय दे तथा अध्यापक के कार्य मे सहयोग करें।

विद्यालय पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण में सहयोग-

ग्राम के सम्मानित व्यक्ति शिक्षित एवं जागरूक अभिभावकों को इस वात के लिए गतिशील वनाया जाय कि वे अपना विद्यालय की भावना से विद्यालय का सतत पर्यवेक्षण करते रहे। और मासिक रूप से उसका अनुश्रवण भी करें तथा शैक्षिक गुणवत्ता मे उत्तोरत्र संवर्द्धन हेतु अपना सकारात्मक सहयोग प्रदान करें।

अध्याय – ९
गुणवत्ता के लिए नियोजन

जनपद बाँदा में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति में बदलाव के लिए वर्ष 1993 में 'बेसिक शिक्षा परियोजना' आरम्भ की गई थी। परियोजना के अन्तर्गत भौतिक सुविधाओं तथा संसाधनों का सृजन और संवर्द्धन करने के अतिरिक्त गुणवत्ता सुधार हेतु कार्यक्रमों का संचालन किया गया। अविभाजित जनपद बाँदा से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, चित्रकूट के अकादमिक नेतृत्व में प्रशिक्षण, अकादमिक पर्यवेक्षण, शिक्षकों का कार्यस्थल पर सहयोग–समर्थन हेतु योजनाबद्ध कार्य किया गया। इस कार्य में जनपद में स्थापित 08 बी.आर.सी. तथा 72 एन.पी.आर.सी. की महत्वपूर्ण भूमिका रही। शिक्षक प्रशिक्षण तथा अकादमिक पर्यवेक्षण ग्राम शिक्षा समितियों, ई.सी.सी.ई. कार्यकत्रियां तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के संचालन हेतु प्रशिक्षण और क्षमता विकास का कार्य किया गया। बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत डायट चित्रकूट द्वारा ही जनपद बाँदा में अकादमिक नेतृत्व प्रदान किया गया था।

शिक्षकों को सहयोग–समर्थन की व्यवस्था–

जनपद में शिक्षकों की शैक्षिक गुणवत्ता वृद्धि हेतु प्रत्येक स्तर पर अध्यापकों के सहयोग व समर्थन की व्यवस्था है। विद्यालय, एन0 पी0 आर0 सी0, बी0 आर0 सी0 स्तर पर फीड बैक के अनुसार आवश्यकतानुसार शैक्षिक सपोर्ट की व्यवस्था की गई है। इस हेतु डायट चित्रकूट स्तर पर विद्यालयों, एन0 पी0 आर0 सी, बी0 आर0 सी0 को शैक्षिक सपोर्ट प्रदान करने के उद्देश्य से कार्यशालायें आयोजित की गई। इस कार्यशाला में जनपद बाँदा के विशेषज्ञ बेसिक शिक्षाधिकारी, उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी एस0 डी0 आई0, समन्वयक, सह समन्वयक व समस्त संकुल प्रभारियों के अतिरिक्त डायट चित्रकूट के वरिष्ठ प्रवक्ताओं एवं प्रवक्ताओं ने प्रतिभाग किया। कार्यशाला में विभिन्न प्रशिक्षणों के मूलभूत पैरामीटर्स व इंडीकेटर्स, सहायक सामग्री निर्माण, शैक्षिक भ्रमण के चैक बिन्दु, विद्यालय भ्रमण प्रपत्र पर चर्चा व आदर्श पाठ की तैयारी तथा उसका प्रस्तुतीकरण भी किया गया। ब्लाक संसाधन केन्द्रों द्वारा संस्थान को भेजे जाने वाले प्रत्यावेदन प्रारूप पर भी चर्चा हुई। बी0 आर0 सी0 व एन0 पी0 आर0 सी के लिये तीन माह की कार्ययोजना तथा विद्यालय की मासिक बैठक हेतु एजेण्डा भी कार्यशाला में प्रतिभागियों द्वारा तैयार कर प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रत्येक स्तर पर आवश्यकता अनुसार फीड बैक के आधार पर शैक्षिक सपोर्ट के द्वारा कार्यरत अध्यापकों के स्तर, शैली व कक्षा के वातावरण में सकारात्मक सुधार की व्यवस्था की गई हैं।

डायट के प्रवक्ताओं को शैक्षिक सपोर्ट हेतु एक विकास खण्ड का मेन्टर निर्धारित किया गया है, जहाँ शैक्षिक सुधार कार्यक्रम का निर्धारण माह में एक दिन कोरग्रुप की बैठक में प्रवक्ताओं द्वारा किया जाता है। प्रत्येक माह 2 एन.पी.आर.सी. और 4 प्राथमिक विद्यालयों का अनुश्रवण किया जाता है और यथा स्थान शैक्षिक सहयोग भी दिया जाता हैं। इसी प्रकार बी.आर.सी. के समन्वयक अपने विकास खण्ड के विद्यालयों का पर्यवेक्षण एवं शैक्षिक सपोर्ट करते हैं और उन्हें गुणवत्ता के आधार पर श्रेणी प्रदान करते हैं। एन.पी. आर.सी. के संकुल प्रभारी भी अपने क्षेत्र के विद्यालयों का अनुश्रवण करके शैक्षिक सपोर्ट देते हैं। प्रतिमाह बी.आर.सी. समन्वयक द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन पर डायट की "अकादमिक संसाधन समूह" की बैठक में

कठिनाइयों के निवारण हेतु कार्यक्रम बनाये जाते हैं। डायट, बी.आर.सी. द्वारा वर्तमान में लागू की जा रही अकादमिक पर्यवेक्षण प्रणाली के आधार पर जनपद के विद्यालयों की स्थिति में उत्तरोत्तर सुधार हुआ है।

इस हेतु प्रत्येक ब्लाक प्रभारी डायट प्रवक्ता/वरिष्ठ प्रवक्ता तथा बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 प्रभारियों द्वारा विद्यालय की शैक्षिक स्थिति, बाह्य वातावरण व कक्षीय वातावरण के आधार पर ग्रेडिंग की व्यापक व्यवस्था की गई। इस हेतु डायट स्तर पर निरीक्षण फारमेट तैयार किया गया है।

डायट स्तर से सहयोग व सनर्थन हेतु प्रत्येक माह ब्लाक समन्वयक व प्रभारियों की कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। जिसमें शैक्षिक बिन्दुओं, समस्याओं तथा भावी कार्ययोजनाओं पर चर्चा कर अग्रिम रणनीति तय की जाती है। उपरोक्त बैठक में प्राप्त समस्याओं/सूचनाओं तथा प्राप्त निरीक्षण आख्याओं की समीक्षा हेतु प्रत्येक माह एकेडिमिक कोर टीम की बैठक की जाती है जिसमें निरीक्षण आख्याओं के आधार पर उन स्थलों का चयन किया जाता है जहां-जहां शैक्षिक सपोर्ट की आवश्यकता हैं।

एकेडिमिक कोर टीम में डायट के वरिष्ठ प्रवक्ता/प्रवक्ता हैं। जबकि एकेडिमिक रिसोर्स ग्रुप में जनपद के बी0एस0ए0 सहित बी0आर0सी0 व एन0पी0आर0सी0 समन्वयक, शिक्षाविद व एन0जी0ओ0 सदस्य भी हैं।

यह अनुभव किया गया कि बेसिक शिक्षा परियोजना से आच्छादित प्राथमिक विद्यालयों तथा शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो की जा सकी किन्तु कतिपय क्षेत्र अनाच्छादित रहे जिन्हें समुचित प्रकार से सहयोग और पर्यवेक्षण नहीं प्रदान किया जा सका यथा-

1. उच्च प्राथमिक स्तरीय विद्यालयों तथा शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं पर पूरा ध्यान नहीं दिया जा सका।
2. अशासकीय हाईस्कूल, इण्टर कालेज के साथ संचालित कक्षा 6-8 तथा 1-5 के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं-कठिनाइयों के निवारण, शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर में सुधार और शिक्षकों की कठिनाइयों को दूर करने हेतु अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में नहीं लाया गया।
3. मकतब मदरसों में अध्ययनरत बच्चे तथा उनके शिक्षक भी जनपद में संचालित गुणवत्ता विकास कार्यक्रम से लाभान्वित नहीं हो सके।

सहायक शिक्षण सामग्री के संदर्भ में प्रायः अध्यापकों में रूचि व शिक्षण हेतु अपेक्षित मनोवृत्ति की कमी देखी गई है। उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयोग किये जाने वाले शिक्षण अधिगम सामग्री की तुलना में प्राथमिक स्तरीय शिक्षण अधिगम सामग्री के स्तर में कोई विशेष अन्तर नहीं देखा जा रहा है।

इसी प्रकार अध्यापकों से यह भी पता चलता है कि पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि न होने से अध्यापकों की क्षमता प्रभावित हुई है। पर्यावरणीय अध्ययन के साथ शिक्षण अधिगम सामग्री बनाये जाने की आवश्यकता अध्यापकों द्वारा महसूस की जा रही है।

2. स्कूल पूर्व शिक्षा की सुविधा :

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण में 'स्कूल पूर्व शिक्षा' की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुये जनपद बाँदा में यू.पी.-बी.ई.पी. में 50 शिशु शिक्षा केन्द्रों का संचालन आई.सी.डी.एस. के साथ समन्वय से किया

गया। महिला एवं बाल विकास विभाग उ0प्र0 द्वारा जनपद में संचालित परियोजना के आंगनबाड़ी केन्द्रों में से केन्द्रों का चयन कर इन्हें शिशु शिक्षा केन्द्रों के रूप में विकसित किया गया। इन केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों तथा सहायिकाओं को 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट में दिये गये। इनके पर्यवेक्षण हेतु संबंधित एन.पी.आर.सी. सनन्वयकों को भी प्रशिक्षित किया गया। इन केन्द्रों तथा समीपस्थ प्राथमिक विद्यालय की समय–सारिणी में अनुरूपता लाई गयी। केन्द्र का समय दो घंटा बढ़ाकर बच्चे खासकर लड़कियों को अपने छोटे भाई–बहनों की देखभाल से मुक्त कर विद्यालय शिक्षा हेतु अवसर दिया गया।

छोटे बच्चों में अपनी अभिव्यक्ति करने, दूसरे की बातों को सुनकर वार्तालाप करने एवं विद्यालय आने हेतु विद्यालय के प्रति आकर्षण बढ़ता है और बच्चों का शर्मीलापन दूर होता है। जिससे उसे विद्यालय में प्रवेश के समय सामान्जस्य स्थापित करने में सुविधा होती है। साथ ही ये केन्द्र प्राथमिक विद्यालयो में चलाये जाते हैं जिससे बच्चा अन्य बच्चों में घुलमिल कर अपने आप को विद्यालय के वातावरण के अनुसार ढालते हुए परिपक्वता की ओर बढ़ता है और उसमें माता पिता से अलग रहने की तथा अन्य बच्चों के साथ मिलजुल रहने की प्रवृत्ति का विकास होता है।

बेसिक शिक्षा परियोजना की ओर से केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों तथा सहायिका के अतिरिक्त मानदेय, अभिमुखीकरण, प्रशिक्षण और प्रतिवर्ष सात दिवसीय पुनश्चर्या प्रशिक्षण, केन्द्रों के लिए खेल सामग्री, उपकरण, शिक्षण सामग्री हेतु रु0 5000 तथा आकस्मिक व्यय हेतु वार्षिक रु0 1500 भी प्रदान किया गया। शिशु शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण से ग्राम शिक्षा समिति तथा प्रधानाध्यापक को भी जोड़ा गया।

शिशु शिक्षा केन्द्रों के अध्ययन (Shishu Shiksha Kendra: An UP BEP Initiative, NCERT, 1998) से निम्नवत् निष्कर्ष सामने आये–

1. शिशु शिक्षा केन्द्रों के बच्चे अधिक विकसित अनुशासित, आत्मविश्वासी और गतिविधियों में अधिक भाग लेते पाये गये।
2. समुदाय के सदस्यों का मत था कि इन केन्द्रों का सकारात्मक प्रभाव बालक–बालिकाओं के नामांकन तथा उपस्थिति पर पड़ा है, खासकर केन्द्रों को प्राथमिक विद्यालय में स्थानांतरित करने के बाद।
3. सामान्य निष्कर्ष था कि केन्द्रों का समय बढ़ाये जाने से बालिकाओं के नामांकन और स्कूल में भागीदारी में वृद्धि हुई।
4. प्राथमिक विद्यालयों में इन केन्द्रों से आने वाले बच्चों के ठहराव में बहुत वृद्धि हुई।

जनपद में शिशु शिक्षा केन्द्रों की प्राभावकारिता को दृष्टिगत रखते हुये स्कूल पूर्व शिक्षा सुविधा के विस्तार की आवश्यकता है।

ग्राम शिक्षा समिति :

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत विद्यालय प्रबन्धन तथा क्रियान्वयन में स्थानीय समुदाय की सहभागिता बढ़ाने के लिए, स्कूलों के प्रति समुदाय के लगाव को प्रोत्साहित करने के लिए ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया है। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है तथा इसमें महिलाओं, अनुसूचित जाति जनजाति के अभिभावकों, स्वयं सेवी संगठन के सदस्यों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। समिति का सदस्य सचिव परिषदीय विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है। इसके अतिरिक्त समिति में विकलांग बच्चों के अभिभावकों

को भी सम्मिलित करने के निर्देश हैं। विद्यालय भवन की मरम्मत, अनुरक्षण, विद्यालय की अन्य सुविधाओं, भवन निर्माण आदि का उत्तरदायित्व ग्राम शिक्षा समिति का है। इसके अतिरिक्त ग्राम शिक्षा समिति विद्यालय तथा शिक्षकों के कार्यों का भी पर्यवेक्षण करती हैं।

बेसिक शिक्षा परियोजना में जनपद बाँदा में डायट के नेतृत्व में 450 ग्राम शिक्षा समितियों को तीन दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा प्रशिक्षण के दो चक्र आयोजित किये गये हैं। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के लिए जिला संसाधन समूह (डी.आर.जी.) तथा ब्लाक संसाधन समूह (बी.आर.जी) का गठन किया गया। ब्लाक संसाधन समूह में नेहरू युवा केन्द्रों के स्वयं सेवकों, शिक्षकों, स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं। बी.आर.जी. सदस्यों को प्रशिक्षण डायट स्तर पर प्रदान किया गया तथा इस अनुक्रम में बी.आर.जी. के सदस्यों ने ग्राम शिक्षा समितियों के लिए विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण आयोजित किया। ये प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर आयोजित किये गये तथा ये निम्नांकित बिन्दुओं पर आधारित थेः–

1. प्रतिभागितापरक विश्लेषण और समस्या समाधान अभ्यास कार्य।
2. कौशल निर्माण अभ्यास कार्य।
3. समुदाय तथा ग्राम शिक्षा समिति के अभ्यासों का सफलतापूर्वक प्रस्तुतीकरण
4. प्रतिभागिता उपागम, रोल प्ले, केस स्टडी, क्षेत्र भ्रमण और सम्प्रेषण अभ्यास।

जनपद में ग्राम शिक्षा समितियों को अधिक क्रियाशील बनाने, विद्यालय की गतिविधियों में उनकी प्रतिभागिता को बढ़ाने तथा शैक्षिक विकास हेतु विद्यालयों में योगदान देने के लिए आयोजित इस प्रशिक्षण में स्कूल मैपिंग तथा माइक्रोप्लानिंग अभ्यास भी किये गये तथा इसके आधार पर ग्राम शिक्षा योजनायें तैयार की गई। ग्राम शिक्षा योजना विद्यालय स्तर पर संरक्षित की गई है तथा उनका क्रियान्वयन किया जाता है।

विद्यालय स्तर पर नियोजन, स्कूल न आने वाले बच्चों की पहचान तथा उनके स्कूल न आने के कारणों की पहचान के लिए सूक्ष्म नियोजन और विद्यालय मानचित्रण का कार्य किया गया है। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के दौरान 'ग्राम शिक्षा समिति – संकल्प एवं प्रयास' नामक माड्यूल तथा एक कार्य पुस्तिका का उपयोग किया गया है जिसमें सूक्ष्म नियोजन और विद्यालय मानचित्रण के विभिन्न प्रारूप संकलित हैं। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण तथा विद्यालय विकास योजना के निर्माण से विद्यालय के क्रियाकलापों में समुदाय की भागीदारी बढ़ी है, स्कूल के क्रियाकलापों का स्थानीय स्तर से पर्यवेक्षण में सुविधा हुई है तथा स्कूल न आने वाले बच्चों खासकर लड़कियों के नामांकन में लक्ष्य के अनुरूप वृद्धि हुई है।

विद्यालय में समय–समय पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य प्रतिभाग तो करते है परन्तु अभी भी उनका सहयोग पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हैं। ग्राम शिक्षा समितियाँ पूर्णतः सक्रिय नहीं है। इसका कारण ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों में पर्याप्त रूचि की कमी, तथा नियमित बैठकों का अभाव है। अतः ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है जिससे वे विद्यालय की गतिविधियों में सकारात्मक भूमिका निभा सकें एवं बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति बढ़ाने में सहायक हो सके। जहां तक बच्चों की शिक्षा में परिवार के सहयोग का प्रश्न है, स्थिति संतोषप्रद नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश परिवार के प्रत्येक सदस्य छोटे से लेकर बड़े तक अपने जीविकोपार्जन कार्य में लगे रहते हैं। प्रायः अशिक्षित होने के कारण बच्चों को शैक्षिक वातावरण नहीं दे पाते तथा विद्यालय के द्वारा दि गये गृहकार्य में बच्चों को कोई सहयोग भी नहीं दे पाते।

शिक्षकों की स्थिति और मुद्दे :

गुणवत्ता विकास खासकर बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर में वृद्धि करने और कक्षा की प्रक्रिया में बदलाव लाने में शिक्षक की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। जनपद बाँदा में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान चित्रकूट के नेतृत्व में 'बेसिक शिक्षा परियोजना' के अंतर्गत शिक्षक की क्षमता बढ़ाने, उनके विषयवस्तु–ज्ञान में अभिवृद्धि और शिक्षण कौशलों में अपेक्षित बदलाव लाने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई गई थी। बी.ई.पी. के पूर्व 'एस.ओ.पी.टी.' कार्यक्रम के दौरान जो कठिनाइयां अनुभव की गई थीं वे इस प्रकार हैं –

- प्रशिक्षण कार्यक्रम की विषयवस्तु शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं से सीधे जुड़ी हुई न होकर सभी शिक्षकों, चाहे वे जिस स्तर के हों, के लिए एक समान थी तथा कक्षा की वास्तविकताओं और प्रक्रियाओं से इसे जोड़ने में कठिनाई हुई।
- प्रशिक्षण में प्रतिवर्ष सभी शिक्षकों को शामिल नहीं किया जा सका वरन् सीमित संख्या में शिक्षकों को ही प्रशिक्षण प्रदान किया जा सका।
- प्रशिक्षण के उपरांत "फालोअप" खासकर विकासखंड और न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षकों को सहयोग प्रदान करने की व्यवस्था नहीं की जा सकी।

इन अनुभवों के आधार पर 'बेसिक शिक्षा परियोजना' के अंतर्गत सेवारत् शिक्षकों के लिए प्रतिवर्ष प्रशिक्षण आयोजित किये गये। ये प्रशिक्षण सभी शिक्षकों– परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक तथा प्रधानाध्यापकों, नवनियुक्त शिक्षकों के लिए आयोजित किये गये। डायट स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स तथा संदर्भ व्यक्तियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। विकास खंड स्तरीय इन प्रशिक्षणों का पर्यवेक्षण और अनुश्रवण डायट सदस्यों द्वारा किया गया।

बेसिक शिक्षा परियोजना में दिये गये सेवारत शिक्षक–प्रशिक्षण का विवरण :

प्राथमिक स्तर – बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत शिक्षक प्रशिक्षणों की नियमित व्यवस्था की गई थी। प्राथमिक स्तर पर सभी प्रधानाध्यापकों तथा सहायक अध्यापकों को पांच चक्रों का प्रशिक्षण निम्नवत् दिया गया।

प्रथम चक्र – प्रथम चक्र का प्रशिक्षण न्यूनतन अधिगम स्तर, दक्षताओं, बहुकक्षा शिक्षण तथा समूह शिक्षण का कक्षाओं में क्रियान्वन कैसे किया जाये, से सम्बन्धित था। इसका मुख्य उद्देश्य अध्यापकों को कक्षा 5 तक के सभी विषयों (भाषा, गणित, पर्यावरणीय अध्ययन) के न्यूनतम अधिगम स्तर तथा इनसे सम्बन्धित दक्षताओं का ज्ञान कराना था। इसके साथ–साथ इसका उद्देश्य यह भी था कि प्रत्येक विद्यालय में 6–11 वय वर्ग के बालक/बालिकाओं का शतप्रतिशत नामांकन, धारण व सम्प्राप्ति को ध्यान में रखा जाये। शिक्षक सीखने – सिखाने के प्रति अपना रूझान केन्दित करें तथा शिक्षण बाल केन्द्रित हों।

शिक्षण विधा प्रशिक्षण के अनुरूप हो तथा शिक्षण स्व निर्मित सहायक सामग्री की सहायता से किया जाय। सहायक सामग्री विषयानुकूल, सस्ती, सुलभ व आकर्षक हो।

एकल विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु बहुकक्षा शिक्षण तथा समूह शिक्षण पर भी बल दिया गया। शिक्षण अधिगम की जांच हेतु सतत व व्यापक मूल्यांकन की भी चर्चा की गयी।

समुदाय की सहभागिता बनाये रखने हेतु राष्ट्रीय पर्वो पर शिक्षक–अभिभावक गोष्ठियों का आयोजन, ग्राम शिक्षा समिति की बैठकों का आयोजन भी समय–समय पर किये जाने पर बल दिया गया।

भाषा व गणित शिक्षण को दक्षता एवं गतिविधियों पर आधारित करने, विज्ञान व गणित शिक्षण के समय 'किट' का प्रदर्शन, कमजोर छात्रों के लिये उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था आदि बिंदुओं पर प्रशिक्षण दिया गया।

प्रधानाध्यापक में योग्यता, व्यवहार कुशलता, दूरदर्शिता एवं नेतृत्व गुणों का भी विकास करने के लिये प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण प्रधानाध्यापकों के लिए 10 दिवसीय और सहायक अध्यापकों के लिए 8 दिवसीय था।

द्वितीय चक्र :

द्वितीय चक्र के प्रशिक्षण में भाषा दक्षता प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण के मुख्य उद्देश्य छात्रों में उनके स्तरानुकूल भाषा ज्ञान को विकसित करना, उनके सस्वर पाठ, सस्वर वाचन एवं स्वपपठन की क्षमताओं को विकसित करना था।

अध्यापकों को यह भी बताया गया कि भाषा शिक्षण के समय क्षेत्रीय भाषा, बच्चों की भाषा के प्रयोग पर बल दें तथा दिया गया ज्ञान सरल सुलभ व बोधगम्य हो। अध्यापक भाषा की पुस्तकों में निहित कठिनाइयों को विभिन्न विधाओं जैसे शब्दार्थ, विलोम शब्द, तत्सम शब्द एवं समानार्थी शब्दों एवं वाक्य प्रयोगों को माध्यम बना कर स्पष्ट करें। भाषा की दक्षताओं के स्तरानुकूल पाठों के रूचिकर एवं बोधगम्य बनाने के साथ–साथ प्रकरण से सम्बन्धित स्वनिर्मित सामग्री के निर्माण में छात्रों की पूर्ण सहभागिता प्राप्त करें। छात्र प्रगति पंजिका विषयवार तैयार की जाय जिससे छात्रों की व्यक्तिगत प्रगति का विषयवार मापन किया जा सके। यह प्रशिक्षण 6 दिवसीय था।

तृतीय चक्र :

तृतीय चक्र के प्रशिक्षण में अनुपूरक अध्ययन सामग्री (भाषा) का प्रशिक्षण दिया गया। बच्चों में भाषा के प्रति रूचि एवं उनकी अभिव्यक्ति क्षमता के विकास हेतु उनको कहानी, कविता, नाटक, वाद–विवाद, तथा अंत्याक्षरी प्रतियोगिताओं को हाव भाव के साथ कराने पर बल देने, मुखौटै व अन्य शिक्षण सामग्री को शिक्षण के समय प्रयोग करने, सहायक शिक्षण सानग्री को व्यवस्थित रूप से रखने के लिये प्रत्येक कक्षा में शैक्षिक कोर्नर का निर्माण करने, कविता, कहानी, लेखन प्रतियोगिता का विद्यालय, संकुल व बी0आर0सी0 स्तर पर आयोजन कराने आदि बिंदुओं पर चर्चा की गयी तथा कक्षा में बच्चों के लिए अनुपूरक पुस्तक इन्द्रधनुष के उपयोग का प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण 6 दिवसीय था।

चतुर्थ चक्र :

चतुर्थ चक्र प्रशिक्षण में गणित शिक्षण का प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों में गणित जैसे नीरस विषय को रोचकता के साथ–साथ सरल और बोधगम्य बनाना था। शिक्षण में

स्वनिर्मित सरल, सुबोध, सुगम्य एवं परिवेश से प्राप्त सहायक सामग्री के प्रयोग को सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। सामग्री निर्माण में बच्चों की सहभागिता को प्रमुखता दी गई। प्रशिक्षण के दौरान इन बिंदुओं पर बल दिया गया: गणित शिक्षण के समय गणित किट का प्रयोग प्रत्येक अधिगम क्षेत्र को विकसित करने हेतु प्रकरण व स्तर के अनुसार किया जाये। सहायता व सहारा के माध्यम से छात्र/अध्यापक सक्रिय रहें। अधिगम को स्थायी व प्रभावी बनाने हेतु अध्यापक अभ्यास कार्य पर बल दें। गणित के प्रत्येक तथ्य तथा सिद्धान्त को उनके दैनिक जीवन से जोड़ते हुये उसकी उपयोगिता को सिद्ध किया जाये। करके सीखना और सीख कर करना विधा का गणित शिक्षा में प्रयोग किया जाये। विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों का निर्माण बच्चों द्वारा कागज या गत्ते से कराया जाये जिससे वह उन आकृतियों से परिचित हो सकें। गणित में विभिन्न स्तरों पर पिछड़े बालकों हेतु उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाये। छात्रों को समूह में कार्य कराने की विधि पर बल दिया जाये। यह प्रशिक्षण 6 दिवसीय था।

पंचम चक्र :

इस प्रशिक्षण में निम्न बिन्दुओं पर बल दिया गया।

1. पर्यावरण में पायी जाने वाली विभिन्न वस्तुओं से छात्रों को परिचित कराना।
2. प्राकृतिक वातावरण के सन्तुलन के महत्व को समझना।
3. पर्यावरण प्रदूषित करने वाले कारणों की जानकारी देना।
4. सामाजिक वातावरण का ज्ञान कराना।
5. सामाजिक कुरीतियों के दोषों का ज्ञान कराना तथा उनसे दूर रहने के लिए प्रोत्साहित करना।
6. छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान देने पर अधिक बल
7. स्वयं सीखने पर बल
8. कहानी तथा गतिविधियों द्वारा शिक्षण पर बल
9. स्थानीय संसाधनों से शिक्षण में सहायक सामग्री का निर्माण तथा उपयोग
10. विज्ञान के सिद्धान्त तथा तथ्यों को प्रयोग द्वारा करके समझने पर बल

यह प्रशिक्षण 6 दिवसीय था।

बेसिक शिक्षा परियोजना में उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्यापक प्रशिक्षण :

गणित प्रशिक्षण : गणित को सरल एवं सरस बनाने के लिए छात्रों में गणित के प्रति रूचि उत्पन्न हो सके एवं छात्र दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों का निवारण कर सके।

उद्देश्य :

1. छात्रों में तार्किक एवं रचनात्मक शक्ति का विकास
2. छात्रों को गणित के नियमों से परिचित करना।
3. छात्रों में खोज प्रवृत्ति का विकास करना।
4. छात्रों में शुद्धता तथा शीघ्रता से कार्य करने का अभ्यास डालना।

विज्ञान प्रशिक्षण

उद्देश्य :

1. छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना।
2. अन्ध विश्वास को दूर करना तथा सत्य के प्रति निष्ठा उत्पन्न करना।
3. सामान्य ज्ञान की जिज्ञासा उत्पन्न करना।
4. छात्रों को स्वयं करके सीखने का अवसर दिया जाना।
5. कक्षा में विज्ञान शिक्षण की विधियों और विषयवस्तु की ज्ञान शिक्षकों को कराना। विज्ञान शिक्षण के कठिन स्थलों की जानकारी तथा सहायक सामग्री का उपयोग करना।

प्रशिक्षणों के संचालन की व्यवस्था और अनुश्रवण –

बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत जनपद बाँदा में बी.आर.सी. तथा एन.पी.आर.सी. की स्थापना की गई। बी.आर.सी. स्तर पर एक समन्वयक तथा एक सह समन्वयक और एन.पी.आर.सी. स्तर पर एक समन्वयक का चयन तथा पदस्थापन किया गया था जो कार्यरत शिक्षक ही हैं। इनको विभिन्न बिन्दुओं पर आयोजित प्रशिक्षण प्रदान किया गया–

1. बी.आर.सी. के कार्य तथा दायित्व संबंधी आधारभूत 5 दिवसीय प्रशिक्षण जो समर्थन मॉडयूल पर आधारित था।
2. अकादमिक पर्यवेक्षण एवं सहयोग संबंधी तीन दिवसीय प्रशिक्षण।
3. ये प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किये गये।

बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयकों, सह–समन्वयकों को उनके कार्य तथा दायित्वों के सम्बंध में पांच दिवसीय तथा अकादमिक पर्यवेक्षण के संदर्भ में तीन दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किये गये। सनन्वयकों द्वारा नियमित विद्यालय भ्रमण, आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण, विद्यालयों, एन.पी.आर.सी. तथा बी.आर.सी. का उनके भौतिक–अकादमिक पक्षों के आधार पर श्रेणीकरण, एन.पी.आर. सी. स्तर पर मासिक बैठकों में शिक्षकों की समस्याओं के समाधान, शिक्षण सामग्री मेलों का आयोजन आदि उपायों के माध्यम से नियमित गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम संचालित किया गया।

समन्वयकों की भूमिका :

बी.आर.सी. द्वारा वर्तमान में प्रमुख रूप से निम्नांकित कार्य किये जा रहे हैं–

1. बी.आर.सी. संदर्भ केन्द्र के रूप में विकसित किया गया है जिसका उपयोग शिक्षक अपनी अकादमिक कठिनाइयों के समाधान हेतु करते हैं।
   - विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का नियोजन, आयोजन और फालोअप
   - विद्यालय भ्रमण, मासिक बैठकों का आयोजन, कक्षाओं का अवलोकन और उन्हें फीडबैक प्रदान करते हैं।
   - वार्षिक कार्ययोजना तथा बजट का निर्माण कर उसका क्रियान्वयन करते हैं।
   - शिशु शिक्षा केन्द्रों तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों का अनुश्रवण करते हैं।
   - एन.पी.आर.सी. स्तरीय क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करते हैं।

- ई.एम.आई.एस. के आंकड़ों का संकलन।
- डायट के मार्गदर्शन में विकास खंड स्तरीय गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, सूक्ष्म नियोजन तथा शाला मानचित्रण, वातावरण सृजन आदि कार्यों का आयोजन करते हैं।

एन.पी.आर.सी. समन्वयकों की भूमिका–

संकुल स्तर पर शैक्षिक अकादमिक तथा पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के केन्द्रिक बिन्दु एन.पी.आर.सी. हैं। स्थानीय समुदाय को अभिप्रेरित करना, सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय मानचित्रण अभ्यास में ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण आयोजित करना, शिक्षकों के अनुभवों का परस्पर–विनिमय, स्कूल भ्रमण तथा शिक्षकों को सहयोग प्रदान करना आदि एन.पी.आर.सी. समन्वयकों के प्रमुख कार्य हैं। इसके अतिरिक्त सन्वयकों द्वारा किये जाने वाले मुख्य कार्य निम्नवत् हैं–

1. शिक्षकों की मासिक बैठकों तथा कार्यशालाओं का आयोजन।
2. वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों तथा शिशु शिक्षा केन्द्रों का भ्रमण तथा पर्यवेक्षण करना।
3. स्कूल चलो अभियान, बालगणना तथा ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का संकलन तथा टेस्ट चेकिंग।
4. ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय शिक्षण योजना का विकास करना।
5. बी.आर.सी. को सहयोग प्रदान करना, मासिक बैठकों में प्रतिभाग तथा सूचनाओं का आदान प्रदान।
6. कार्यों तथा कार्यक्रमों की रिपोर्ट तैयार कर बी.आर.सी. तथा डायट को भेजना।

टी.एल.एम. तथा अनुपूक अध्ययन सामग्री विकास :

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत प्राथमिक कक्षाओं हेतु हिन्दी भाषा की अनुपूरक अध्ययन सामग्री के रूप में 'इन्द्रधनुष' नाम की पाँच पुस्तकों (5 कक्षाओं हेतु) का विकास किया गया जिनका उद्देश्य बच्चों में भाषा अध्ययन के प्रति रूचि जागृत करना तथा उनकी भाषिक क्षमता का विकास करना था। इन पाठ्यपुस्तकों का विकास राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा लेखकों, शिक्षकों, विशेषज्ञों तथा चित्रकारों की सहायता से सहभागितापरक प्रक्रिया के अन्तर्गत किया गया तथा मुद्रण के उपरान्त ये प्राथमिक विद्यालयों को वितरित की गई इसके अतिरिक्त सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण का एक चक्र मूलतः अनुपूरक अध्ययन सामग्री के समुचित उपयोग पर केन्द्रित कर आयोजित किया गया था।

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत शिक्षण सामग्री के निर्माण तथा उपयोग को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से रु0 500/– की धनराशि शिक्षक अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई गई थी। इस धनराशि के समुचित उपयोग हेतु तथा शिक्षकों में पाठ्यवस्तु आधारित शिक्षण सामग्री के विकास के संदर्भ में अभिमुखीकरण हेतु एन.पी.आर.सी., बी.आर.सी. तथा जनपद स्तर पर मेटीरियल मेलों का आयोजन किया गया जिसके बेहतर परिणाम सामने आये तथा कक्षा–कक्ष में शिक्षण के दौरान संबंधित शिक्षण सामग्री के उपयोग को बढ़ावा मिला।

ऐक्शन रिसर्च :

एक्शन रिसर्च की दृष्टि से जनपद, विकासखण्ड, न्याय पंचायत तथा स्कूल स्तर पर क्षमता विकास हेतु सीमेट, इलाहाबाद द्वारा शिक्षकों तथा डायट अभिकर्मियों के लिए प्रशिक्षण, डायट में आयोजित किया गया। जिसके फलस्वरूप शिक्षकों की स्थानीय दैनिक समस्याओं को केन्द्र में रखकर एक्शन रिसर्च का

कार्य किया गया तथा प्राप्त परिणामों का उपयोग कक्षा–कक्ष की प्रक्रिया, स्कूल स्तरीय समस्याओं के समाधान तथा स्कूलों को अधिक आकर्षक बनाने मे किया गया।

इन प्रशिक्षणों का कक्षा में प्रभाव :

प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक शिक्षकों के शिक्षण कौशल में दक्षता लाने हेतु उनको प्राथमिक कक्षाओं की भाषा, गणित, अनुपूरक अध्ययन सामग्री और पर्यावरणीय अध्ययन विषय के शिक्षण हेतु प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही अन्य प्रशिक्षण जैसे सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण, शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन विषयों से सम्बन्धित प्रशिक्षण का प्रभाव अध्यापकों के क्रियाकलापों में दिखाई पड़ा। कक्षा में इन प्रशिक्षणों के माध्यम से गुणवत्ता व स्तर में स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति एवं उनके ठहराव में भी निश्चित रूप से वृद्धि हुई है। कक्षा में बच्चों की सोच व कल्पना में भी इसका प्रभाव परिलक्षित होता है। गणित जैसे नीरस विषय के प्रति भी बच्चों की रोचकता व जिज्ञासा में निश्चित रूप से वृद्धि हुई है। गणित के मुख्य तथ्य व सिद्धान्तों का वे कहीं किन्ही स्थलों पर दैनिक जीवन में प्रयोग भी करते है। वहीं भाषा में भी सभी स्तरों पर बच्चों के शब्द भण्डार में वृद्धि दृष्टिगोचर होती है। बच्चे गणितीय उपकरणों (किट) आदि में भी रूचि रखते है। बाल केन्द्रित शिक्षण पर शत–प्रतिशत अध्यापक बल दे रहे हैं। समूह में गतिविधि आधारित शिक्षण का प्रयास अध्यापक कर रहे हैं। शिक्षक द्वारा क्रियाओं का प्रदर्शन विद्यार्थी के सीखने में सहयोग प्रदान कर रहा है। छात्रों में सक्रियता दिखायी पड़ रही है।

उच्च प्राथमिक स्तर के अध्यापकों को भी गणित एवं विज्ञान विषयों का प्रशिक्षण दिया गया। विज्ञान एवं गणित किट के उपकरणों के प्रयोग की जानकारी दी गयी। अधिकांश विद्यालयों में अध्यापकों ने गणित एवं विज्ञान किट के उपकरणों का प्रयोग करके कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाया है। छात्रों ने भी उन सामग्रियों का निर्माण परिवेश से प्राप्त सामग्री द्वारा किया। कक्षा में छात्रों की सक्रियता पूर्व की अपेक्षा अधिक दिखायी दे रही है। अध्यापक कठिन सम्बोधों को सरल से सरल ढंग से गतिविधि आधारित शिक्षण द्वारा बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। किन्तु प्राथमिक विद्यालय में प्रशिक्षणोपरान्त दिक्कतें देखने की मिलती हैं।

प्राइमरी स्तर के पाठ्यक्रम को क्रिया आधारित/गतिविधि आधारित शिक्षण के द्वारा पूरा करने में अधिक समय लगता है इसलिए पाठ्यक्रम पूरा करने के भय से कुछ अध्यापक परम्परागत ढंग से शिक्षण करते हैं। पाठ योजना की तैयारी न होने के कारण कुछ अध्यापक विद्यालयों में प्रभावी शिक्षण नहीं कर पाते।

डायट चित्रकूट के निर्देशन में जनपद के शिक्षक प्रशिक्षणों का आयोजन विकास खंड स्तर पर तथा ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर किया गया था। शिक्षक प्रशिक्षणों का आयोजन करने के लिए जिन संदर्भ व्यक्तियों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया गया वे मुख्यतः अवकाश प्राप्त शिक्षा अभिकर्मी थे। शिक्षक प्रशिक्षणों के विशद अनुभव में दो कठिनाई बिन्दुओं का उल्लेख ध्यान देने योग्य है–

1. प्रशिक्षक मुख्यतः अवकाश प्राप्त शिक्षा अभिकर्मी थे इसलिए प्रशिक्षणों के दौरान शिक्षकों की पृच्छाओं का समाधान तथा प्रशिक्षण को कक्षा, पाठ्यपुस्तकों तथा पाठ्यक्रम से जोड़ने में कठिनाई हुई।
2. शिक्षक प्रशिक्षण पैकेज में प्रशिक्षण के फालोअप की रणनीति तथा कार्ययोजना सम्मिलित न होने से प्रशिक्षण का समुचित फालोअप नहीं किया जा सका कि प्रशिक्षण के दौरान बताये गये कौशलों, रणनीतियों और शिक्षण विधाओं का किस सीमा तक कक्षा में उपयोग किया जा रहा है।

पूर्व प्रशिक्षणों में कमी यह रही है कि विषय वस्तु के ज्ञान को अलग–अलग करके देखा गया है उदाहरण के लिये पहले भाषा का प्रशिक्षण दिया गया, अगले वर्ष अनुपूरक सहायक सामग्री को उपयोग करने का जबकि यदि दोंनो को साथ–साथ दिया जाता तो यह अधिक उपयोगी होता। इसी प्रकार विभिन्न अकादमिक योग्यता वाले अध्यापकों को एक ही मानसिक स्तर पर रखते हुये प्रशिक्षण दे दिया गया जबकि उनकी योग्यता अनुभव एवं आवश्यकता अनुसार लक्ष्य परक व आवश्यकता परक प्रशिक्षण होना चाहियें।

कक्षा में शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने हेतु पाठ योजना तैयार करने में 20–30 वर्ष पुराने अध्यापक स्वयं को असमर्थ पा रहे है। रूचि का अभाव है। प्रायः यह भी देखा गया है कि अध्यापक कक्षा 1 को पढाने में ज्यादा उत्सुक है बजाय अन्य कक्षाओं के जहॉ गम्भीर विषय जैसे पर्यावरणीय अध्ययन, विज्ञान आदि है।

प्रोत्साहन योजनाएँ :

प्राथमिक विद्यालय में छात्रों के नामांकन एवं ठहराव के लिए सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गयी हैं। जनपद के 14 वर्ष तक के आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के बालकों तथा सभी बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी गई हैं। जिसके फलस्वरूप छात्रों के नामांकन में वृद्धि हुई है। बच्चों के लिए पोषाहार कार्यक्रम चलाया गया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रो के निर्धन अभिभावकों को भी सहारा मिला।

बी.ई.सी. के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय के विकास में सहयोग देने वाली ग्राम शिक्षा समिति को क्रमशः 15000 एवं 10000 के प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार निर्धारित किये गये थे। जिसके कारण अन्य ग्राम शिक्षा समितियों में नई चेतना जागृत हुई है।

बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतिम वर्ष में जनपद में प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत समस्त बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें वितरित की गई थीं तथा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 80 हजार लाख छात्र–छात्राएं लाभान्वित हुईं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय को बुक बैंक हेतु भी निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के प्रत्येक के 10 सेट उपलब्ध कराये गये थे जिनका उपयोग विद्यालय के अन्य छात्र–छात्राओं द्वारा किया जाता है। इससे कक्षा में शिक्षण के दौरान प्रत्येक बच्चे के पास पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है तथा शिक्षण प्रक्रिया बेहतर हुई है।

शैक्षिक सम्प्राप्ति के अनुसार बच्चों का स्तर

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात करने के लिए कक्षा–2 एवं कक्षा–5 के बच्चों का भाषा एवं गणित में परीक्षण किया गया। प्रथम सर्वेक्षण जिसे आधारभूत सर्वेक्षण कहते हैं, 1992–93 में किया गया। मध्यावधि मूल्यांकन जुलाई 1996 में और अन्तिम मूल्यांकन अगस्त 2000 में, निर्धारित विधि से चयनित विद्यालयों में किया गया।

सारणी 1 : कक्षा 2 एवं 5 में भाषा तथा गणित की मध्यमान उपलब्धि

कक्षाएं	भाषा			गणित		
	N	M	SD	N	M	SD
कक्षा 2	662	84.19	15.00	662	94.58	5.50
कक्षा 5	675	87.14	12.04	675	89.08	12.28

स्रोत : एफ.ए.एस. रिपोर्ट, 2000

सारणी संख्या 1 में भाषा तथा गणित विषयों की कक्षा 2 एवं कक्षा 5 में मध्यमान उपलब्धि एवं मानक विचलन दर्शाये गये हैं। कक्षा 2 भाषा में औसत उपलब्धि 84.19 प्रतिशत तथा मानक विचलन 15.00 है जबकि कक्षा 2 गणित में औसत उपलब्धि 94.58 प्रतिशत एवं मानक विचलन 5.50 है। सारणी 2 यह भी दर्शाती है कि कक्षा 5 भाषा में औसत उपलब्धि 87.14 प्रतिशत है जबकि मानक विचलन मात्र 12.04 है इसी प्रकार कक्षा 5 गणित में मध्यमान 89.08 प्रतिशत एवं मानक विचलन 12.28 है। कक्षा 5 में दोनों ही विषयों भाषा एवं गणित में मानक विचलन का कम होना यह दर्शाता है कि सभी छात्र लगभग समान स्तर के हैं।

सारणी 2 : कक्षा 2 में भाषा तथा गणित में लिंगवार मध्यमान उपलब्धि

	बालक			बालिका		
	N	M	SD	N	M	SD
भाषा	346	84.70	14.30	316	83.70	15.70
गणित		94.50	5.50		94.70	5.60

स्रोत : एफ.ए.एस. रिपोर्ट, 2000

सारणी संख्या 2 यह दर्शाती है कि कक्षा 2 भाषा में बालकों की औसत उपलब्धि 84.70 प्रतिशत है जबकि गणित में यह उपलब्धि 94.50 प्रतिशत है।

कक्षा 2 भाषा एवं गणित में बालिकाओं की उपलब्धि भी बालकों के सापेक्ष लगभग समानता पर है। भाषा में बालिकाओं की औसत उपलब्धि 94.50 प्रतिशत तथा गणित में 94.70 प्रतिशत है।

सारणी 3 : कक्षा 5 भाषा तथा गणित में लिंगवार मध्यमान उपलब्धि

कक्षाएं	बालक			बालिका		
5	N	M	SD	N	M	SD
भाषा	388	86.6	12.1	287	87.8	11.9
गणित		88.8	12		89.4	12.7

स्रोत : एफ.ए.एस. रिपोर्ट, 2000

सारणी 3 प्रदर्शित करती है कक्षा 5 भाषा में बालकों की औसत उपलब्धि 86.6 प्रतिशत जबकि गणित में 88.8 प्रतिशत है। इसी प्रकार लगभग बालकों के समान ही बालिकाओं की औसत उपलब्धि भाषा में 87.8 प्रतिशत तथा गणित में 89.4 प्रतिशत है। इससे यह स्पष्ट होता है कि बालक एवं बालिकाओं की उपलब्धि भाषा एवं गणित में समान है।

सारणी 4 : कक्षा 2 भाषा तथा गणित में वर्गवार मध्यमान उपलब्धि

कक्षाएं	अनु.जाति / जनजाति			अन्य		
2	N	M	SD	N	M	SD
भाषा	256	84.40	14.60	406	84.10	15.30
गणित		94.20	5.30		94.90	5.70

स्रोत : एफ.ए.एस. रिपोर्ट, 2000

सारणी 4 दर्शाती है कक्षा 2 भाषा में अनुसूचित जाति / जनजाति के छात्रों की औसत उपलब्धि 84.40 प्रतिशत है जबकि अन्य वर्ग में यह 84.10 प्रतिशत है। इसी प्रकार कक्षा 2 गणित में अनुसूचित जाति / जनजाति बालकों की औसत उपलब्धि 94.20 प्रतिशत एवं मानक विचलन 5.30 है और अन्य वर्ग के बालकों की औसत उपलब्धि 94.90 प्रतिशत एवं मानक विचलन 5.70 है।

सारणी 5 : कक्षा 5 भाषा एवं गणित में वर्गवार औसत उपलब्धि

कक्षाएं	अनु.जाति / जनजाति			अन्य		
5	N	M	SD	N	M	SD
भाषा	210	87	3.3	149	84.7	15.1
गणित		88.4	12.5		89.2	12.6

स्रोत : एफ.ए.एस. रिपोर्ट, 2000

सारणी 5 प्रदर्शित करती है कि अनुसूचित जाति / जनजाति के बालकों की कक्षा 5 भाषा में औसत उपलब्धि अन्य वर्ग के बालकों के लगभग समान है। अनुसूचित जाति / जनजाति की बालकों की भाषा में औसत उपलब्धि 87 प्रतिशत है जबकि अन्य वर्ग के बालकों की उपलब्धि 84.7 प्रतिशत है। कक्षा 5 गणित में अनुसूचित जाति / जनजाति के बालकों की औसत उपलब्धि 88.4 प्रतिशत एवं अन्य वर्ग के बालकों की औसत उपलब्धि 89.2 प्रतिशत है।

सारणी 6 : कक्षा 2 भाषा एवं गणित में आधारभूत, मध्यावधि एवं अन्तिम मूल्यांकन सर्वेक्षण में उपलब्धि

	आधारभूत सर्वेक्षण			मध्यावधि सर्वेक्षण			अन्तिम मूल्यांकन		
	N	M	SD	N	M	SD	N	M	SD
भाषा	448	62.15	28.5	691	58.40	25.65	662	84.19	15.00
गणित	448	42.57	31.92	691	54.79	27.57	662	94.58	5.50

स्रोत : एफ.ए.एस. रिपोर्ट, 2000

सारणी 6 दर्शाती है कि कक्षा-2 भाषा में अन्तिम मूल्यांकन में औसत उपलब्धि 84.19 प्रतिशत रही जबकि यह मध्यावधि में 58.40 तथा आधारभूत सर्वेक्षण में 62.15 प्रतिशत थी इसी प्रकार कक्षा 2 गणित में भी अन्तिम मूल्यांकन सर्वेक्षण में बालकों की औसत उपलब्धि 94.58 प्रतिशत प्राप्त हुई जबकि यह आधारभूत सर्वेक्षण में 42.57 प्रतिशत तथा मध्यावधि सर्वेक्षण मूल्यांकन में औसत उपलब्धि 54.79 प्रतिशत रही। उपर्युक्त सारणी 7 से यह स्पष्ट होता है कि कक्षा 2 भाषा एवं गणित में मध्यावधि एवं आधारभूत मूल्यांकन सर्वेक्षण की तुलना में अन्तिम मूल्यांकन सर्वेक्षण में सार्थक बढ़ोतरी हुई जो उद्देश्यानुसार 50 प्रतिशत से भी अधिक रही।

सारणी 7 : कक्षा 5 भाषा एवं गणित में आधारभूत सर्वेक्षण, मध्यावधि सर्वेक्षण तथा अन्तिम सर्वेक्षण में उपलब्धि

	आधारभूत सर्वेक्षण			मध्यावधि सर्वेक्षण			अन्तिम मूल्यांकन		
	N	M	SD	N	M	SD	N	M	SD
भाषा	380	43.20	16.50	505	46.17	13.55	675	87.14	12.04
गणित	380	37.58	16.27	505	37.30	17.23	675	89.08	12.28

स्रोत : एफ.ए.एस. रिपोर्ट, 2000

सारणी 7 प्रदर्शित करती है कि कक्षा 5 भाषा में आधारभूत मूल्यांकन सर्वेक्षण में जहाँ बच्चों की औसत उपलब्धि मात्र 43.20 प्रतिशत थी वही मध्यावधि में यह बढ़कर 46.17 प्रतिशत एवं अन्तिम मूल्यांकन सर्वेक्षण में 87.14 प्रतिशत हो गयी। इसी प्रकार गणित में आधारभूत मूल्यांकन सर्वेक्षण में औसत उपलब्धि 37.58 प्रतिशत से बढ़कर मध्यावधि में 37.30 प्रतिशत तथा अन्तिम मूल्यांकन सर्वेक्षण में यह बढ़कर 89.08 प्रतिशत रही।

क्लास रूम आब्जरवेशन स्टडी के मुख्य निष्कर्ष–

बांदा के चयनित विकास खण्डों के चयनित 10 विद्यालयों में दिनांक 16.8.2000 से 26.8.2000 तक क्लास रूप में आब्जरवेशन स्टडी की गई जिसके मुख्य निष्कर्ष अधोलिखित हैं–

❖ **शिक्षकों के बारे में** – इस अध्ययन में पाया गया कि शिक्षकों का शिक्षण प्रायः व्यवस्थित था उनका विषय ज्ञान पर्याप्त था। अध्यापक कियाशील तथा कर्तव्य निष्ठ थे किन्तु उनमें छात्र सहभागिता का अभाव था तथा अधिकांश शिक्षक मूल्यांकन के प्रति सजग नहीं थे। नवाचारी विधियों का प्रयोग कतिपय अध्यापकों ने ही किया।

❖ **कक्षा की प्रकिया के बारे में** – कक्षा में प्रायः व्याख्यान विधियों का ही प्रयोग ज्यादा किया जाता है। प्रश्नोत्तर के पश्चात प्रायः अध्यापकीय कथनों की अधिकता रहती है। क्रिया आधारित शिक्षण पर कम बल दिया जाता है। छात्र सहभागिता भी संतोषजनक नहीं थी।

❖ **शिक्षण विधियां**– अधिकांश कक्षाओं में परम्परागत शिक्षण विधियों का ही प्रयोग किया जा रहा है। कुछ कक्षाओं में किया कलाप आधारित शिक्षण विधियों का भी प्रयोग किया जा रहा है।

❖ **शिक्षण सामग्री का प्रयोग**– प्रायः अध्यापक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करते हैं किन्तु सामग्री के प्रयोग करने का तरीका सुव्यवस्थित नहीं था। परिवेश में उपलब्ध सहायक सामग्री का उपयोग भी कम हो रहा है। सहायक सामग्री के निर्माण एवं उनके प्रयोग की विधियों की जानकारी हेतु उनके प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

❖ 85 प्रतिशत विद्यालयों में पीने के लिए पानी की सुविधायें उपलब्ध हैं। बालिकाओं के लिए 80 प्रतिशत शौचालय हैं जिनमें 75 प्रतिशत साफ सुथरे मिले हैं।

❖ 90 प्रतिशत विद्यालय में अध्यापकों के लिए कुर्सियां तथा मेज उपलब्ध हैं।

❖ लगभग 47 प्रतिशत विद्यालय में पर्याप्त स्थान का अभाव पाया गया।

❖ लगभग सभी बच्चों के पास पाठ्य पुस्तकें पाई गयी।

❖ 16.2 प्रतिशत शिक्षक ही शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग शिक्षण कार्य में करते पाये गये।

❖ शिक्षकों में से अधिकांश प्रतिशत शिक्षण में बच्चों की सक्रिय भागीदारी का प्रयास करता है।

❖ अक्षम बच्चों की शिक्षा के प्रति शिक्षकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन पाया गया तथा उन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास स्पष्ट रूप से दिखाई दिये।

❖ बालिकाओं के नामांकन में 7 से 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

❖ सभी के लिए शिक्षा से सम्बन्धित विद्यालयों में 79 प्रतिशत औसत उपस्थिति पाई गई।

जनपद में विशेष बच्चों के बारे में :

बाल श्रमिक–जनपद आर्थिक दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। जनपद में पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जाति द आदिवासी जातियों की जनसंख्या पर्याप्त है जिनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं है। फलस्वरूप इस आबादी के कुछ बच्चे जीविकोपार्जन हेतु कार्य करते हैं जिसके कारण वे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है किन्तु यह योजना जिन उद्देश्यों को लेकर चलाई जा रही है उनमें आशानुरूप सफलता नहीं मिल पा रही है। अतः ऐसे बच्चों की शिक्षा के लिए भी ध्यान देने के लिए आवश्यकता है।

बाल श्रमिकों का जीवन गरीबी के शिकंजों से जकड़ा रहता है। जिनके माता–पिता आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, क्योकि इनके पास आय के स्रोत नहीं होते हैं। धनाभाव में भी माता–पिता अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और विद्यालय में प्रवेश कराते है। किन्तु परिस्थितिवश घर के काम में अथवा बाहर के काम में बच्चे को लगा देते हैं। शहरी मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चे अपने जीविकोपार्जन के लिए कूड़े कचरे से पालिथिन की थैली आदि सामग्रियों को बटोर कर विक्रय कार्य में लगे रहते हैं।

बाल श्रमिकों तथा मलिन बस्तियों में रहने वाले ऐसे बच्चों को औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से जोड़ना कठिन है अतः इन बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है। ये बच्चे प्राथमिक विद्यालयों की निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ रहते हैं और इनके पास समय कम होता है। साथ ही ये बच्चे औपचारिक स्कूल की कक्षा में प्रवेश लेने की उम्र (6 वर्ष) को भी प्रायः पार कर जाते हैं अतः इनका प्रवेश कक्षा 1 के बजाय इनके स्तर के अनुरूप कक्षा में कराना ही उपयुक्त होगा।

बाल श्रमिक तथा मलिन बस्तियों में रहने वाले ऐसे बच्चों को औपचारिक पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि 8 वर्ष पूर्ण कराने के स्थान पर कम अवधि के पाठ्यक्रम और तदनुरूप शिक्षण सामग्री विकसित करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त इन बच्चों को जीवनोपयोगी कौशलों और कार्यानुभव की शिक्षा देना भी उपयुक्त होगा।

डायट के प्रवक्ताओं के द्वारा प्रत्येक माह अपने आवंटित विकास खण्डों में निरीक्षण तथा अनुश्रवण और क्लासरूम आब्जर्वेशन स्टडी 1998 तथा 2000 से शिक्षकों की अकादमिक समस्याएं ज्ञात हुई–

लम्बे समय से शिक्षण करने वाले अध्यापक नवीन शिक्षण विधा को मानसिक रूप से स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। परम्परागत ढंग से ही शिक्षण कार्य करने में विश्वास करते हैं। कुछ अध्यापक अपनी शैक्षिक योग्यता की कमी के कारण तथा नवीन पाठ्य पुस्तक के विषय वस्तु के ज्ञान के अभाव में बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पाते हैं। अध्यापकों का कहना है कि नयी विधा से शिक्षण कार्य करने पर पाठ्यक्रम को पूरा नहीं किया जा सकता। उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक का मानना है कि प्राथमिक विद्यालय से प्रवेश लेने वाले बच्चे सभी विषयों में न्यूनतम अधिगम स्तर के मानक को पूर्ण नहीं कर पाते हैं। यद्यपि बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति में पूर्व की अपेक्षा सुधार हुआ है परन्तु अभी भी इसमें सुधार की व्यापक आवश्यकता है।

एस. एस. ए. के अन्तर्गत प्रस्तावित आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण

सर्वशिक्षा अभियान गुणवत्तापरक प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का अत्यंत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। जनपद बाँदा में 6–14 वयवर्ग के सभी बालक–बालिकाओं को वर्ष 2010 तक जीवनोपयोगी तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है जिसे स्कूली शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन करके तथा समुदाय की भागीदारी सहित प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की रणनीति के द्वारा प्राप्त किया जायेगा। कार्यक्रम के लक्ष्य इस प्रकार हैं–

1. 6–14 वय वर्ग के सभी बच्चों को स्कूल, ई.जी.एस. केन्द्र, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में लाया जायेगा।
2. सभी बच्चे पांच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी करें, यह लक्ष्य वर्ष 2007 तक प्राप्त कर लिया जायेगा।
3. सभी बच्चे आठ वर्ष की शिक्षा पूरी करें, यह लक्ष्य वर्ष 2010 तक प्राप्त किया जायेगा।
4. गुणवत्तापरक शिक्षा जो जीवनोपयोगी कौशलों पर बल देती हो, प्रदान की जायेगी।
5. प्राथमिक स्तर पर बालक–बालिकाओं, समुदायों और समूहों के मध्य अंतर को 2007 तक तथा समग्र प्रारंभिक स्तर पर 2010 तक समाप्त कर लिया जायेगा।
6. लक्ष्य समूह (6–14) के सभी बच्चों का स्कूल में ठहराव का लक्ष्य 2010 तक सुनिश्चित किया जायेगा।

इन लक्ष्यों की प्राप्ति में शिक्षक तथा बेहतर शिक्षण प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

बाँदा जनपद में डायट की स्थापना नहीं है। पूर्व में जनपद बाँदा में डायट चित्रकूट द्वारा शैक्षिक सहयोग प्रदान किया जाता रहा है और अब जनपद बाँदा में डायट की स्थापना की जायेगी। सर्व शिक्षा अभियान में नवस्थापित डायट द्वारा सर्वप्रथम गुणात्मक परिवर्तन के लिए जनपद का एक 'विजन' विकसित किया जायेगा जिसमें जनपद– विकासखंड, न्याय पंचायत तथा स्कूल स्तरीय अभिकर्मियों की

भागीदारी होगी। इस हेतु 4 दिवसीय वीजनिंग कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा। सर्वप्रथम जनपद स्तरीय अभिकर्मियों यथा डायट के संकाय सदस्यों, जिला परियोजना कार्यालय के कर्मियों, विकासखण्ड तथा न्याय पंचायत स्तरीय अभिकर्मियों के लिए डायट स्तर पर वीजनिंग कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी जिनमें मुख्यतः सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों, बच्चों की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों, शिक्षकों, विद्यालयों तथा कक्षा–कक्षों की प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए सहभागिता आधारित निष्कर्ष और सहमतियाँ तय की जायेंगी। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य होगा कि परियोजना के अंतर्गत समस्त स्तरीय अभिकर्मियों में परिवर्तन के लक्ष्यों के प्रति समान विचार–अवधारणाएं बन सकें। शिक्षकों के लिए भी वीजनिंग कार्यशालाओं का आयोजन न्याय पंचायत स्तर पर किया जायेगा।

कार्यरत शिक्षकों की दक्षता तथा उनके शिक्षण कौशल में अभिवृद्धि, उनके विषय ज्ञान को बढ़ाने के लिए शिक्षक–प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे। सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण वर्ष में एक बार आयोजित करने की रणनीति के स्थान पर सेवारत प्रशिक्षणों को सतत् प्रक्रिया के रूप में संचालित किया जायेगा। शिक्षक प्रशिक्षणों का इस प्रकार श्रृंखलाबद्ध नियोजन किया जायेगा कि प्रशिक्षण का एक प्रमुख भाग बी.आर.सी. स्तर पर 6–8 दिवसों की अवधि के लिए तथा इसके अनुक्रम में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएँ बी.आर.सी. और मुख्यतः एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित किये जायेंगे। प्रशिक्षण की यह कार्ययोजना शिक्षकों के लिए नियमित आधार पर अभिमुखीकरण में सहायक सिद्ध होगी।

बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षण अनुभवों, वर्तमान में अनुभूत आवश्यकताओं यथा : बहुकक्षा–बहुस्तरीय शिक्षण प्रविधियों की जानकारी, वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाना, प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए विकसित नवीन पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तुओं के बेहतर और प्रभावी उपयोग आदि के आलोक में ये सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे।

प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण–

प्रथम वर्ष में पाठ्यपुस्तको पर केन्द्रित 8 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्राथमिक विद्यालयों के सभी सहायक, प्रधान अध्यापकों और शिक्षामित्रों को प्रदान किया जायेगा। इस आठ दिवसीय प्रशिक्षण के उपरांत इसी के अनुक्रम में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी। जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. वीजनिंग कार्यशालाएं– 3 दिवसीय – एन.पी.आर.सी. स्तर पर
2. बहुकक्षा शिक्षण की दृष्टि से पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु एक–एक दिवसीय तीन कार्यशालाएं–एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी।
3. मैटीरियल मेला – एक दिवसीय – एन.पी.आर.सी. स्तर पर
4. विकासखण्ड स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण के फालोअप के अंतर्गत एन.पी.आर.सी. स्तर पर मासिक प्रशिक्षण/कार्यशालाएं जो पाठ प्रस्तुतीकरण पर केन्द्रित होंगी।

ये वर्ष के 5 महीनों में आयोजित की जायेंगी। इनका प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा एजेण्डा डायट द्वारा तैयार कर उपलब्ध कराया जायेगा।

एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित इन प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं तथा गोष्ठियों का अभिलेखन भी किया जायेगा तथा बी.आर.सी. तथा डायट द्वारा इनका नियमित पर्यवेक्षण किया जायेगा।

प्रथम वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से व्यय अनुमानित है तथा इस हेतु रू0 47 लाख प्रस्तावित है।

द्वितीय वर्ष में इसी प्रकार 'भाषा तथा गणित' की विषयवस्तु आधारित तथा बहुकक्षा शिक्षण विधियों पर आधारित 7 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इस 7 दिवसीय प्रशिक्षण के उपरांत तथा इसी तारतम्य में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. बहुकक्षा शिक्षण तथा बहुस्तरीय शिक्षण हेतु बी.आर.सी. स्तर पर 3 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जिसमें मुख्यतः शिक्षण विधियों, प्रथम वर्ष के दौरान शिक्षण सामग्री निर्माण के अनुभवों के आधार पर सामग्री निर्माण, समय तथा सामग्री प्रबंधन आदि बिन्दुओं पर प्रशिक्षण दिया जायेगा।
2. एन.पी.आर.सी. स्तर पर मासिक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे जो वर्ष के 7 महीनों में आयोजित होंगे तथा इनमें बी.आर.सी. स्तरीय प्रशिक्षण के फालोअप को ध्यान में रखकर डायट द्वारा तैयार किये गये एजेण्डा का उपयोग किया जायेगा।
3. वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाने के लिए शिक्षण रणनीतियों सम्बंधी 3 दिवसीय प्रशिक्षण एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित किया जायेगा।

द्वितीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी रु0 70 प्रतिदिन की दर से अनुमानितः है। तथा रू0 47 लाख प्रस्तावित है।

तृतीय वर्ष में 'विज्ञान तथा समाजिक विषय और मूल्यांकन' पर केन्द्रित 8 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इस तारतम्य में बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. स्तर पर अन्य प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. बी.आर.सी. स्तर पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला जो विज्ञान शिक्षण को रुचिकर बनाने, सामग्री निर्माण तथा पाठ प्रस्तुतियों पर आधारित होगा।
2. बी.आर.सी. स्तर पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला जो सामाजिक विषय शिक्षण को प्रभावी बनाने तथा पाठ प्रस्तुतियों पर आधारित होगा।
3. बी.आर.सी. स्तर पर सतत् तथा व्यापक छात्र मूल्यांकन हेतु प्रश्नों/टेस्ट आइटम निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।
4. प्रशिक्षणों के फालोअप के लिए एन.पी.आर.सी. स्तरीय मासिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं 5 माह में आयोजित की जायेंगी जिनका एजेण्डा डायट द्वारा तैयार किया जायेगा।

तृतीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानितः है। तथा रू0 47 लाख प्रस्तावित है।

चतुर्थ वर्ष में 'शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तथा सामग्री निर्माण उपयोग' पर केन्द्रित 5 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इसी तारतम्य बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. स्तर पर अन्य प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. प्रशिक्षण के फालोअप हेतु एन.पी.आर.सी. स्तरीय मासिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं वर्ष के 7 महीनों में आयोजित की जायेंगी जिनका एजेण्डा डायट द्वारा तैयार किया जायेगा।
2. एन.पी.आर.सी. स्तर पर अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकसित करने हेतु 2 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी जिसमें न्यायपंचायत में स्थित प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों को आमंत्रित किया जायेगा।
3. एन.पी.आर.सी. स्तर पर गणित शिक्षण हेतु आदर्श पाठ योजनाओं की प्रस्तुती तथा सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।
4. कक्षा शिक्षण में दृश्य–श्रव्य उपकरणों के उपयोग सम्बंधी 2 दिवसीय कार्यशाला एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेगी।

इन प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रू0 70 की दर से अनुमानित है। तथा इस हेतु रू0 48 लाख प्ररतावित है।

पाँचवे वर्ष में प्राथमिक शिक्षकों के लिये उपर्युक्त प्रशिक्षणों के आधार पर पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जिसमें अभिप्रेरण एक प्रमुख बिन्दु होगा। इसके उपरांत आगामी प्रशिक्षणों की रूपरेखा तथा विषयवस्तु का निर्धारण उपर्युक्त प्रशिक्षणों के अनुभवों और फीडबैक के आधार पर किया जायेगा। इन प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से रु. 48 लाख अनुमानित है।

प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिये उपर्युक्त प्रस्तावित प्रशिक्षणों के अतिरिक्त शिक्षकों के लिए अन्य विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे, जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. प्रत्येक विद्यालय से एक –एक शिक्षक को अंग्रेजी तथा संस्कृत शिक्षण हेतु 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जो अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तकों के कक्षा में उपयोग तथा सामग्री निर्माण के संबंध में होगा।
2. जिन प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू भाषा–भाषी बच्चे तथा शिक्षक हैं ऐसे शिक्षकों के लिए उर्दू विषय शिक्षण के लिए 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
3. जिन अध्यापकों की शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडियट अथवा उससे कम है उनके लिये विषय वस्तु आधारित 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
4. जिन शिक्षकों का शैक्षिक अनुभव 15–20 वर्षों से अधिक है उनके लिए नवीन शिक्षण विधियों पर आधारित 06 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।
5. नवनियुक्त सहायक अध्यापकों के लिए 10 दिवसीय सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा जिसमें प्रतिवर्ष नवीन नियुक्त होने वाले सहायक अध्यापक–अध्यापिकाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
6. जो शिक्षक पदोन्नति प्राप्त कर प्रधानाध्यापक बनेंगे उनके लिए तथा अन्य प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालयों के लिए भी 05 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जो मुख्यतः नेतृत्व, समय–प्रबंधन, विद्यालयी अभिलेखों के रखरखाव, स्कूल पर्यवेक्षण आदि बिन्दुओं पर केन्द्रित होगा।

उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों का प्रशिक्षण

बेसिक शिक्षा परियोजना के अधीन उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के प्रशिक्षण अनुभव के आधार पर प्रतिवर्ष प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। जिसमें सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक, हाईस्कूल तथा इण्टर कालेजों में संचालित कक्षा 6–8 के शिक्षक–शिक्षिकाएं प्रतिभाग करेंगे। प्राथमिक कक्षाओं के विपरीत उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा शिक्षण में शिक्षण विधियों की तुलना में पाठ्यवस्तु का महत्व अधिक है तथा शिक्षकों के विषय ज्ञान में अपेक्षित स्तर की वृद्धि की आवश्यकता अनुभव की गई है। इस आधार पर उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नवत् आयोजित किये जायेंगे–

प्रथम वर्ष में शिक्षकों को विज्ञान विषय के शिक्षण, विषय वस्तु, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा जो 8 दिवसीय होगा। इस अनुक्रम में विकासखण्ड स्तर पर विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा सम्बंधित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। एन.पी.आर.सी. स्तर पर 1 दिवसीय मैटीरियल मेला का आयोजन किया जायेगा जिसमें शिक्षकों द्वारा शिक्षण सामग्री तैयार कर प्रदर्शित की जायेगी। इसी अनुक्रम में बी.आर.सी. स्तर पर भी 1 दिवसीय मैटीरियल मेला आयोजित किया जायेगा। प्रथम वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 14 लाख प्रस्तावित है।

द्वितीय वर्ष में शिक्षकों को गणित विषय के शिक्षण हेतु विषय–वस्तु, शिक्षण विधियों, सामग्री निर्माण तथा उपयोग संबंधी 07 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इस अनुक्रम में विकासखण्ड स्तर पर गणित विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा सम्बंधित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। एन.पी.आर.सी. स्तर पर 1 दिवसीय गणित मेला का आयोजन किया जायेगा जिसमें शिक्षकों द्वारा शिक्षण सामग्री तैयार कर प्रदर्शित की जायेगी। इसी अनुक्रम में बी.आर.सी. स्तर पर भी 1 दिवसीय गणित मेला आयोजित किया जायेगा। द्वितीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 14 लाख प्रस्तावित है।

तृतीय वर्ष में अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय के शिक्षण हेतु शिक्षकों को विषय वस्तु तथा शिक्षण विधियों पर आधारित प्रशिक्षण दिया जायेगा जो 06 दिवसीय होगा। इस अनुक्रम में विकासखण्ड स्तर पर अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा सम्बंधित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। उपर्युक्त के अतिरिक्त भाषा शिक्षण हेतु शिक्षकों के सहयोग से अनुपूरक अध्ययन

सामग्री का विकास करने हेतु क्रमशः बी.आर.सी तथा एन.पी.आर.सी. स्तर पर 2 दिवसीय तथा 1 दिवसीयं कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी। तृतीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 15 लाख प्रस्तावित है।

चौथे वर्ष उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के लिए हिन्दी भाषा शिक्षण तथा बच्चों के मूल्यांकन पर केन्द्रित प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जो 08 दिवसीय होगा। शिक्षक प्रशिक्षण के इस क्रम में बी.आर. सी. स्तर पर हिन्दी भाषा शिक्षण हेतु अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास हेतु 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

भाषा शिक्षण हेतु पाठ्यपुस्तकों के आधार पर आदर्श पाठों की तैयारी तथा प्रस्तुति की जायेगी। इसके साथ–साथ भाषा शिक्षण हेतु सामग्री निर्माण हेतु 2 दिवसीय कार्यशाला एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेगी। प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर एन. पी.आर.सी. स्तरीय मासिक बैठकें वर्ष के 6 माह में सुनिश्चित की जायेंगी जिनका पर्यवेक्षण एन.पी.आर.सी. तथा डायट के संकाय सदस्य भी करेंगे।

उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र–छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली सम्बंधी शिक्षकों के अभिमुखीकरण के उपरांत इस तारतम्य में 'टेस्ट आइटम' बनाने हेतु 2 दिवसीय तथा 1 दिवसीय कार्यशालाएं क्रमशः एन.पी.आर.सी. तथा बी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी। चौथे वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 15 लाख प्रस्तावित है।

पाँचवें वर्ष में उपर्युक्त प्रशिक्षण के आधार पर पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जो 06 दिवसीय होगा। इन प्रशिक्षणों के उपरान्त आगामी प्रशिक्षणों की विषय वस्तु की रूपरेखा इन प्रशिक्षणों के अनुभवों तथा फीडबैक के आधार पर निर्धारित की जायेगी तथा उसी के अनुरूप प्रशिक्षण पैकेज का विकास किया जायेगा। पाँचवे वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 15 लाख प्रस्तावित है।

उपर्युक्त सभी प्रशिक्षण डायट के नेतृत्व में विकास खण्ड स्तर पर संचालित किये जायेंगे। प्रशिक्षणों में दूरस्थ शिक्षा माध्यम का अधिकतम उपयोग किया जायेगा।

उपर्युक्त प्रशिक्षण के अतिरिक्त उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के लिए कुछ विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे जिसका विवरण इस प्रकार है–

1. **कम्प्यूटर उपयोग सम्बंधी प्रशिक्षण** – सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते हुए प्रभाव तथा भावी समय की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि बच्चों को कम्प्यूटर संबंधी जानकारी दी जाये। इस हेतु प्रथम वर्ष में प्रत्येक विकास खण्ड में कुल 08 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षण की व्यवस्था हेतु शिक्षकों का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण के लिये डायट के सदस्यों को एक मास का आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान कराने के उपरांत उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिये 1 माह का प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा। इस हेतु प्रशिक्षण माड्यूल का विकास डायट तथा एस.सी.ई.आर.टी के सहयोग से किया जायेगा। इस प्रकार प्रशिक्षित उच्च प्राथमिक शिक्षक अपने विद्यालयों में छात्र–छात्राओं को कम्प्यूटर उपयोग संबंधी शिक्षण प्रदान करेंगे। पाइलट आधार पर चलाये गये इस

कार्यक्रम का अनुश्रवण डायट के प्रशिक्षित सदस्यों द्वारा किया जायेगा तथा कार्यक्रम की सफलता के आधार पर इसके विस्तार की कार्यवाही आगामी वर्ष में की जायेगी।

2– जेण्डर सेंसिटाइजेशन –

कक्षा में बालिकाओं के प्रति व्यवहार में संवेदनशीलता लाने हेतु वी0आर0सी0 स्तर पर दो दिवसीय कार्यशालायें आयोजित को जायेंगी जिसमें प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय से एक शिक्षक प्रतिभाग करेंगे।

3– नेतृत्व प्रशिक्षण

सभी उ0 प्र0 वि0 के प्रधानाध्यापकों को नेतृत्व प्रशिक्षण तथा समय प्रबंधन एवं विद्यालय–प्रबंधन का प्रशिक्षण डायट स्तर पर प्रदान किया जायेगा। यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा तथा इसके लिए प्रशिक्षण माडयूल का विकास सीनेट इलाहाबाद के सहयोग से डायट द्वारा किया जायेगा।

4– अन्य प्रशिक्षण

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के अतिरिक्त डायट के नेतृत्व में अन्य प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. **शिक्षामित्र /आचार्य जी प्रशिक्षण**– जनपद के 578 शिक्षामित्रों तथा 349 ई.जी.एस. केन्द्रों के आचार्य जी के लिए 30 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण शिक्षा मित्रों के लिए सेवारत शिक्षक प्रशिक्षणों के अतिरिक्त होगा। इसके अतिरिक्त शिक्षा मित्र आचार्य जी के लिए 15 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी प्रतिवर्ष आयोजित किया जायेगा।

2. **वैकल्पिक शिक्षा** – जनपद में प्रस्तावित 107 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों के लिए आधारभूत प्रशिक्षण 15 दिवसीय होगा तथा प्रतिवर्ष डायट में आयोजित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 10 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी आयोजित किया जायेगा। प्रशिक्षण माड्यूल का विकास डायट द्वारा तथा एस.सी.ई.आर.टी के सहयोग से जनपद स्तर पर किया जायेगा। वैकल्पिक शिक्षा का पर्यवेक्षण एन.पी.आर.सी., बी.आर.सी. के समन्वयकों द्वारा किया जायेगा तथा पर्यवेक्षण हेतु क्षमता विकास हेतु समन्वयकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जायेगा।

3. **ई.सी.सी.ई केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण** – पूर्व प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से 100 शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जायेगी तथा इनकी कार्यकत्रियों तथा सहायिकाओं के लिए 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण हेतु राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद द्वारा विकसित प्रशिक्षण माड्यूल का उपयोग किया जायेगा।

   ई.सी.सी.ई. केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों के प्रशिक्षण हेतु वर्ष 1997 में राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास किया गया था। कालान्तर में इस मॉड्यूल को अनुभूत आवश्यकताओं के आलोक में संशोधित किया गया। राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद तथा राज्य परियोजना

कार्यालय, लखनऊ के सहयोग से इस प्रकार "आधारशिला" (भाग । व ।।) प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास किया गया है। अनुदेशकों का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा तथा प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं : स्कूल रेडिनेस, बच्चों की देखभाल को प्रोत्साहित करने, सहयोग करने हेतु समुदाय का संवेदीकरण, 3–6 वय वर्ग के बच्चों के संज्ञानात्मक, शारीरिक विकास, भाषाई कौशलों का विकास, बच्चों में सामाजिक–संवेगात्मक और सृजनात्मक अभिव्यक्ति, सौन्दर्यानुभूति के विकास हेतु अभ्यास आदि। प्रशिक्षण सात दिवसीय है और इसका 40 प्रतिशत समय खेल सामग्री, शैक्षिक सामग्री के विकास में लगाया जाता है तथा इसके अतिरिक्त 5 केन्द्रों का भ्रमण भी कराया जाता है। इस मॉड्यूल का आगामी तीन–चार वर्षो तक उपयोग किया जायेगा। तदनंतर इसकी समीक्षा की जायेगी।

4. **बी.आर.सी/ एन.पी.आर.सी समन्वयकों का प्रशिक्षण**– बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों को सहयोग तथा पर्यवेक्षण प्रदान किया गया था। एस.एस.ए परियोजना में अशासकीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल इण्टर कालेज में संचालित कक्षा 6–8 के शिक्षकों को भी अकादमिक सहयोग प्रदान किया जाना है। इस प्रकार बी.आर. सी., एन.पी.आर.सी समन्वयकों की क्षमता में अभिवृद्धि की आवश्यकता है। इस दृष्टि से बी.आर. सी., एन.पी.आर.सी समन्वयकों का उनके कार्य तथा दायित्व सम्बंधी अकादमिक पर्यवेक्षण के संदर्भ में 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण माड्यूल का विकास राज्य स्तर पर किया गया है तथा इसे जनपद की आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित परिवर्तित कर उपयोग किया जायेगा। बी. आर.सी., एन.पी.आर.सी. के समन्वयक सेवारत शिक्षकों के लिए आयोजित समस्त प्रशिक्षणों को भी प्राप्त करेंगे तथा इसके अतिरिक्त समय–समय पर शिक्षामित्र, वैकल्पिक शिक्षा, शिक्षा गारंटी योजना, ई.सी.सी.ई. तथा अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु विकसित किये गये प्रशिक्षण मॉड्यूल के आधार पर भी इनकी क्षमता का विकास किया जायेगा। जिससे बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत इन कार्यक्रमों का भी बेहतर अनुश्रवण तथा सहयोग कर सकें।

5. **ए.बी.एस.ए, एस.डी.आई प्रशिक्षण**– जनपद में विकासखण्ड स्तर पर गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों के नियोजन तथा क्रियान्वयन में ए.बी.एस.ए एस.डी.आइ. की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस दृष्टि से इनका 5 दिवसीय ओरियेन्टेशन कार्यक्रम डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस हेतु प्रशिक्षण मॉडयूल का विकास सीमेट द्वारा डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत किया गया है। ए.बी.एस.ए., एस. डी.आई. के लिए अनुबोधात्मक प्रशिक्षण का आयोजन सीमेट द्वारा डायट स्तर पर किया जायेगा। इस प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं– अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रशासनिक नियंत्रण तथा कार्यक्रमों का अनुश्रवण, विद्यालयों, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी., वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों, ई.सी.सी.ई. केन्द्रों, ई. जी.एस. केन्द्रों आदि का अकादमिक पर्यवेक्षण आदि। अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु आयोजित प्रशिक्षण, ई.एम.आई.एस., माइक्रोप्लानिंग तथा सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों हेतु आयोजित प्रशिक्षणों में भी प्रतिभाग करेंगे।

6. **ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण** – स्कूल की गतिविधियों में समुदाय की भागीदारी बढ़ाने, स्थानीय स्तर पर पर्यवेक्षण की कारगर व्यवस्था लागू करने, बच्चों खासकर बालिकाओं का नामांकन शत प्रतिशत करने, ग्राम शिक्षा योजनाएं बनाकर उसका क्रियान्वयन करने की दृष्टि से ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों तथा जागरूक अभिभावकों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर आयोजित किये जायेगें। ये प्रशिक्षण प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल पर आयोजित किये जायेंगे तथा एस.एस.ए. के प्रथम वर्ष में इसका आरम्भ किया जायेगा। प्रशिक्षण माड्यूल का विकास राज्य स्तर पर डी.पी.ई.पी.– ।।। के अन्तर्गत किया गया है जिसे वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप जनपद स्तर पर संशेधित परिवर्द्धित किया जायेगा। ग्राम शिक्षा समितियों के लिए 03 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जिसमें निम्नांकित सदस्य प्रतिभाग करेंगे– ग्राम शिक्षा समितियों के सभी सदस्य और महिला सदस्य, युवक मंगल दल के सदस्य, मॉडल क्लस्टर एप्रोच की दृष्टि से चयनित क्षेत्रों या जिन क्षेत्रों में सामुदायिक सहभागिता में प्रयासों को और अधिक बढ़ावा देने की आवश्यकता है ऐसे क्षेत्रों में डब्ल्यू.एम.जी., एम.टी.ए., पी.टी.ए., युवक मंगल दल के सदस्यों की प्रशिक्षण में प्रतिभागिता बढ़ाने के प्रयास किये जायेंगे। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के फलस्वरूप अद्यतन माइक्रोप्लानिंग और स्कूल मैपिंग अभ्यास से प्राप्त आंकड़ों और स्कूल विकास योजनाएं प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त स्कूल सुविधाओं के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित किया जाता है। विद्यालय में नामांकित न होने वाले बच्चों की स्थिति ज्ञात कर उनके स्कूल जाने के प्रयास किये जाते हैं। स्कूलों के कार्यों में समुदाय की भागीदारी बढ़ती है। स्कूलों की गतिविधियों में समुदाय द्वारा पर्यवेक्षण से शिक्षकों के उत्तरदायित्व का पालन सुनिश्चित होता है जिससे बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति का स्तर बढ़ता है।

7. **एस.एस.ए. परियोजना स्टाफ का प्रशिक्षण –**

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला परियोजना कार्यालय के अभिकर्मियों तथा डायट स्टाफ का प्रशिक्षण सीमेट द्वारा आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रथम वर्ष में आयोजित होगा। प्रशिक्षण संबंध कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के दिशा निर्देशों तथा कार्ययोजना की रणनीतियों के संबंध में जनपदीय टीम को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। आगामी वर्षो में आवश्यकता अनुसार रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे।

सभी प्रकार के प्रशिक्षणों के अनुभवों की विभिन्न स्तरों पर शेयरिंग की जायेगी तथा इनका डाक्यूमेन्टेशन भी किया जायेगा।

शिक्षण समय को बढ़ाना :

प्रत्येक माह डायट के प्रवक्ताओं द्वारा विद्यालय अनुश्रवण के दौरान प्राथमिक विद्यालय की समय सारिणी का अध्ययन किया गया। प्राथमिक विद्यालय में समय सारिणी का प्रयोग अधिकांश विद्यालयों में किया जाता है। वर्ष में 220 दिन कुल कार्य दिवस के लिए खुला। निर्धारित तिथियों का अवकाश भी विद्यालय में हुआ तथा 200 दिवस शिक्षण के लिए उपलब्ध हुए।

सारणी – 9

	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
कुल कार्य दिवस	220	220
परीक्षा	03	06
अन्य कार्य	07	07
नष्ट हो जाने वाले दिन	10	10
शिक्षण दिवस	200	197

स्रोत – डायट, चित्रकूट

सारणी – 10

स्कूल समय सारिणी (साप्ताहिक) के अनुसार उपलब्ध शिक्षण समय सप्ताह के अनुसार –

	प्राथमिक स्तर वादन / समय	उच्च प्राथमिक स्तर वादन / समय
भाषा–1 हिन्दी	40 मिनट x 6	40 मिनट x 6
भाषा–2 अंग्रेजी	40 मिनट x 6	40 मिनट x 6
भाषा–3 संस्कृत	40 मिनट x 6.	40 मिनट x 6
विज्ञान	40 मिनट x 6	40 मिनट x 6
गणित	40 मिनट x 6	40 मिनट x 6
सामाजिक विषय	40 मिनट x 6	40 मिनट x 6
समाजोपयोगी कार्य	40 मिनट x 6	40 मिनट x 6
कला शिक्षण	40 मिनट x 6	40 मिनट x 6

स्रोत – डायट, चित्रकूट

उपर्युक्त सारिणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कार्य हेतु 200 दिन तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 197 दिन ही उपलब्ध हो पाते हैं जबकि विभाग द्वारा न्यूनतम 220 कार्यदिवस सुनिश्चित किये जाने के निर्देश हैं। अतः सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षण कार्य हेतु उपलब्ध दिवसों की संख्या कम से कम 220 दिन सुनिश्चित की जायेगी। परीक्षाओं, समुदाय से सम्पर्क तथा अन्य कार्यों में नष्ट हो जाने वाले दिनों को क्रमशः समाप्त किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शिक्षक शिक्षण कार्य के लिए विद्यालयों में कम से कम 220 दिन उपलब्ध रहें। इसके अतिरिक्त उपलब्ध शिक्षण समय के अधिकतम उपयोग हेतु शिक्षकों को समय प्रबन्धन, सामग्री प्रबन्धन, स्कूल की गतिविधियों के आयोजन में बच्चों की भागीदारी बढ़ाने, समुदाय से उपलब्ध हो सकने वाले मानव संसाधनों का विद्यालय–गतिविधियों में उपयोग आदि उपायों को बढ़ावा दिया जायेगा।

पाठ्य सामग्री –

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विकसित प्राथमिक कक्षाओं की नवीन पाठ्यपुस्तकों को जुलाई, 2000 के सत्र में प्राथमिक विद्यालयों में लागू किया गया। इन पाठ्यपुस्तकों का उपयोग सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत भी वर्ष 2005 तक जारी रहेगा। तदुपरान्त एस0सी0ई0आर0टी, उ0प्र0 द्वारा प्राथमिक कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों का यथाआवश्यक संशोधन किये जाने पर तदनुरूप पाठ्यपुस्तकें वितरित करने की व्यवस्था भी सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत लागू की जायेगी। निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण से लगभग 1.32 लाख बालिकायें तथा बालक लाभान्वित होंगे और इस पर लगभग 198 लाख रु0 व्यय होगा। नवीन पाठ्यपुस्तकों के आधार पर विकसित शिक्षक–संदर्शिकाएं जो डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत विकसित की गई थीं उन्हें सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी प्राथमिक शिक्षकों के लिए उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय पर एक सेट उपलब्ध कराया जायेगा तथा इस पर अनुमानतः रु0 2.50 लाख धनराशि व्यय होगी।

प्राथमिक कक्षाओं (1–5) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम बेसिक शिक्षा परियोजना उ0प्र0 द्वारा जुलाई, 1999 में तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं (6–8) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम जनवरी, 2000 में अनुमोदित किये जाने के उपरान्त मुद्रित कराकर सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों को वितरित किया गया है। यह पाठ्यक्रम आगामी पाठ्यक्रम संशोधन की कार्यवाही किये जाने तक लागू रहेगा। शिक्षकों को प्रशिक्षण तथा कार्यशालाओं आदि के माध्यम से इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा कि वे इसका अधिकतम उपयोग कक्षा शिक्षण में करें। इस हेतु बी0आर0सी0 एन0पी0आर0सी0 स्तर पर विशेष रूप से कार्यशालाओं का आयोजन तथा फालोअप किया जायेगा।

कक्षा 6–8 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर नवीन पाठ्यपुस्तकों का विकास एस0सी0ई0आर0टी0 के तत्वावधान में किया जा रहा है। ये पाठ्यपुस्तकें एस0सी0ई0आर0टी0 के विशिष्ट संस्थानों, राज्य संदर्भ समूह के सदस्यों, शिक्षकों, बाह्य विशेषज्ञों आदि के सहयोग से सहभागिता आधारित प्रक्रिया के अन्तर्गत विकसित की जा रही हैं। इन पाठ्यपुस्तकों की फील्ड ट्रायलिंग वर्ष 2001–02 में की जायेगी तथा इसके उपरान्त जुलाई, 2002 से आरम्भ होने वाले शैक्षिक सत्र में इन्हें लागू किया जायेगा। इन पाठ्यपुस्तकों के आधार पर शिक्षक संदर्शिकाओं का भी विकास किया जायेगा तथा ये शिक्षक संदर्शिकाएं प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षकों के उपयोग हेतु एक सेट उपलब्ध करायी जायेंगी। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति जनजाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करायी जायेंगी जिससे 45 हजार बच्चे लाभान्वित होंगे तथा इस पर अनुमानतः धनराशि 67.50 लाख व्यय होगी।

किशोरी बालिकाओं के लिए पाठ्य सामग्री

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों में उच्च प्राथमिक स्तर पर विशेष बल दिया जायेगा। उच्च प्राथमिक स्तर में अध्ययनरत बालिकाओं को ध्यान में रखकर इस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित की जायेगी जो किशोरी बालिकाओं की जीवन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके तथा भावी जीवन के लिये अच्छी तरह तैयार कर सके। यह विशेष रूप से ध्यान दिया जायेगा कि किशोरी बालिकाएं जीवनोपयोगी कौशलों का यथेष्ठ एवं सम्यक ज्ञान प्राप्त कर सकें। इस हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित कर उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उपलब्ध कराई जायेगी।

7– गुणवत्ता विकास में डायट की भूमिका –

जनपद में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों के संचालन के लिए डायट की स्थापना की जायेगी।

अकादमिक नेतृत्व प्रदान करना –

डायट द्वारा प्रत्येक स्तर पर अकादमिक नेतृत्व प्रदान किया जायेगा। गुणवत्ता विकास के लिए जनपद तथा उप जनपद स्तर पर वार्षिक कार्ययोजनाएं विकसित की जायेंगी। जनपद, विकासखण्ड, न्यायपंचायत स्तरीय

अभिकर्मियों के लिए प्रशिक्षणों का नियोजन तथा क्रियान्वयन, अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु अभिमुखीकरण तथा क्रियान्वयन, विभिन्न स्तरीय अभिकर्मियों की क्षमता का विकास, शोध एवं मूल्यांकन, नवाचार कार्यक्रमों का संचालन तथा अनुश्रवण, सामग्री विकास, ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का विश्लेषण तथा उपयोग आदि प्रमुख दायित्वों का डायट द्वारा जनपद स्तर पर निर्वाह किया जायेगा।

इन कार्यक्रमों का समग्र लक्ष्य होगा शिक्षकों का कार्यस्थल पर सहयोग, समर्थन प्रदान करने की उपयुक्त रणनीतियों का विकास करने हेतु संस्थागत क्षमता संवर्द्धन करना। इस हेतु डायट द्वारा निम्नवत् कार्यवाही की जायेगी।

क्षमता विकास करना –

जनपद स्तर पर डायट की अकादमिक नेतृत्व प्रदान करने की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। प्राथमिक उच्च प्राथमिक शिक्षकों को विषय वस्तु तथा शिक्षण विधा आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने, बी. आर. सी. , एन. पी. आर. सी. समन्वकों को पर्यवेक्षण के लिए प्रशिक्षित करने, वैकल्पिक शिक्षा, बी0ई0सी0 प्रशिक्षण, ई.सी.सी. प्रशिक्षण, समेकित शिक्षा हेतु प्रशिक्षण आदि मुख्य दायित्वों के निर्वहन हेतु डायट की क्षमता विकास करने के लिए "संस्थागत क्षमता विकास "कार्यक्रम" को लागू किया जायेगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों तथा स्वयंसेवी संगठनों से रिसोर्स नेटवर्किंग भी की जायेगी। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में किये जा रहे नवीनतम शोध–मूल्यांकनों का उपयोग कार्यक्रमों के कियान्वयन में सुनिश्चित किया जायेगा। डायट द्वारा ए. बी.एस.ए. / एस.डी.आई. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक तथा प्रधान अध्यापक और बी.आर.सी. के समन्वयक, एन.पी.आर.सी. के संकुल प्रभारी की क्षमता विकास विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से कराया जायेगा। राज्य स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों में डायट के सदस्यों को प्रशिक्षित करके क्षमता में वृद्धि की जायेगी। वाह्य संस्थानों के विशिष्ट तथा अनुभवी व्यक्तियों, संस्थाओं के अनुभवों से लाभ उठाकर डायट के संकाय सदस्यों हेतु वार्ता / व्याख्यान का आयोजन करके सहायक अध्यापकों में क्षमता विकास किया जायेगा। उनमें नेतृत्व की क्षमता, प्रबन्ध एवं नियोजन की क्षमता, शैक्षिक सपोर्ट की क्षमता का विकास किया जायेगा।

अकादमिक संदर्भ समूह का सुदृढ़ीकरण :

जनपद स्तर पर गुणवत्ता विकास के लिए कार्यक्रमों का नियोजन, क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण करने, गुणवत्ता विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों यथा प्रशिक्षण आदि से प्राप्त फीडबैक का विश्लेषण कर उनका समाधान प्रस्तुत करने हेतु अकादमिक संसाधन समूह गठित किया जायेगा जिसमें डायट स्टाफ के अतिरिक्त बाह्य विशेषज्ञ शिक्षा विद, योग्य शिक्षक आदि सदस्य होंगे। अकादमिक संसाधन समूह के क्षमता विकास के पूर्व इसमें उच्च प्राथमिक स्तर पर भी अकादमिक सहयोग प्रदान करने की दृष्टि से हाईस्कूल तथा इण्टर कालेज स्तर के शिक्षकों को जोड़ा जायेगा तथा इनकी क्षमता संवर्द्धन हेतु एस0सी0ई0आर0टी0 के सहयोग से 'क्षमता विकास कार्यशाला' डायट स्तर पर आयोजित की जायेगी। ये कार्यशालाएं मुख्यतः अकादमिक पर्यवेक्षण, विषय शिक्षण तथा स्कूलों का प्रबन्ध, शिक्षकों की समस्याओं का निवारण आदि बिन्दुओं पर केंद्रित होंगी तथा प्रत्येक वर्ष 05 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी।

गुणवत्ता सुधार में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों में प्रदेश के अन्तर्गत स्थापित शासकीय संस्थाओं अथवा स्वैच्छिक संगठनों में जो अकादमिक संसाधन उपलब्ध हैं, उनका सहयोग जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की क्षमता की विकास, अकादमिक सन्दर्भ समूह को सक्रिय बनाने, जिला तथा विकास खण्ड स्तर पर विकास खण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयकों तथा मास्टर ट्रेनर्स की क्षमताओं के विकास में लिया जायेगा।

इसके अतिरिक्त अकादमिक पर्यवेक्षण एवं समर्थन प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न स्तर पर क्षमता विकास करने में भी उक्त संस्थाओं की सहभागिता प्राप्त की जायेगी। इस सम्बन्ध में जनपद स्तर पर अनुभवी व ख्याति प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों से प्रस्ताव प्राप्त किया जायेगा तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा स्वैच्छिक संगठनों का चयन किया जायेगा।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण –

डायट में प्रवक्ताओं को भी कम्प्यूटर सिस्टम के उपयोग की जानकारी अवश्य रखनी है। अतः इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी। संस्थान स्तर पर नियोजन तथा अनुश्रवण में कम्प्यूटर की सहायता से कार्य करने की व्यवस्था को बढ़ाया जायेगा। इसके अतिरिक्त उच्च प्राथमिक कक्षाओं में भी बच्चों को कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है, जैसा कि ऊपर वर्णित है, इस हेतु भी कम्प्यूटर शिक्षण हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

शिक्षण सामग्री का विकास करना –

शिक्षण सामग्री तथा अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास का प्रशिक्षण डायट स्तर पर प्रदान कर एन. पी.आर.सी. पर संकुल प्रभारी द्वारा कुशल अध्यापक की सहभागिता से शिक्षण सामग्री का विकास किया जायेगा तथा इसी प्रकार कमशः विकास खण्ड एवं जनपद स्तर पर अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास किया जायेगा। इस कार्य में बी. ई. पी. के अन्तर्गत पूर्व में की गयी सामग्री विकास की प्रकिया के अनुभवों से लाभ उठाया जायेगा।

पाठ्यकम को स्थानीय संदर्भो के अनुरूप बनाने के लिए सामग्री निर्माण

हर क्षेत्र की अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भाषायी विशिष्टता होती है। बुन्देलखण्ड उ0प्र0 का एक ऐसा क्षेत्र है जो सामाजिक सांस्कृतिक एवं भाषा की दृष्टि से अन्य क्षेत्रों से भिन्न है। साथ ही साथ जनपद चित्रकूट के 5 में से 4 विकास खण्डों में आबादी का एक बहुत बडा हिस्सा कोल आदिवासियों का है जिनके रीति रिवाज, रहन सहन एवं भाषा भी अन्य वर्गो से भिन्न है।

अतः ऐसी आबादी के बच्चों की शिक्षा के लिए अलग तरह की पाठ्य सामग्री होगी। पाठ्य क्रम को स्थानीय संदर्भो के अनुकूल बनाने के लिए बुन्देली भाषा एवं कोल आदिवासियों की भाषा में कक्षा 1 और 2 के लिए प्राइमर का निर्माण किया जायेगा जिसका प्रयास बेसिक शिक्षा परियोजना में भी किया गया था किन्तु पूर्ण नहीं हो सका। अतः कक्षा 1 और 2 के लिए भाषा की पुस्तकों का निर्माण, स्थानीय त्योहारों एवं लोकगीतों का संग्रह आदि करने की आवश्यकता है। इसके लिए डायट में स्थानीय भाषा के कवियों एवं साहित्यकारों के माध्यम से उक्त कार्य सम्पादित कराया जायेगा। परिवेशीय सामग्री के माध्यम से बच्चों में शिक्षण के प्रति रूचि बढेगी तथा अधिगम सुगम एवं प्रभावी होगा।

बी0ई0पी0 के अन्तर्गत शिक्षकों को रु0 500/– अनुदान के रूप में दिया गया था तथा इसका उद्देश्य यह था कि शिक्षक कक्षा में आवश्यकतानुसार शिक्षण सामग्री के निर्माण में इसे व्यय करेंगे। शिक्षक इससे चार्ट, पोस्टर, अन्य पठन सामग्री सहायक सामग्रियों विशेषकर विज्ञान और गणित शिक्षण में उपयोगी सामग्री तथा उपकरण आदि का क्रय कर रहे हैं। विषय आधारित तथा पाठ्यक्रम और

पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण सामग्री के निर्माण तथा उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु इस अनुदान की महत्वपूर्ण भूमिका हैं। इस दृष्टि से सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षक अनुदान की योजना को जारी रखा जायेगा तथा सभी शिक्षकों को प्रतिवर्ष रु0 500/– शिक्षक अनुदान के रूप में प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में प्रदत्त विज्ञान किट का उपयोग भी सुनिश्चित किया जायेगा। इस हेतु पूर्व की भांति विभिन्न स्तरों पर मेटिरियल मेले भी आयोजित किये जायेंगे।

न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षण सामग्री की प्रदर्शनी लगायी जायेगी। तत्पश्चात इनकी प्रदर्शनी जिला स्तर पर डायट में करायी जायेगी। जिससे अध्यापकों के अन्तर्गत निहित क्षमता का विकास हो सकेगा।

कार्यशाला, गोष्ठियों का आयोजन –

प्राथमिक विद्यालय की विभिन्न समस्याओ के निराकरण हेतु कार्यशालायें एवं गोष्ठियाँ डायट पर की जायेगी। वर्तमान में बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षकों की मासिक गोष्ठी का आयोजन किया जाता है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर मुख्यतः केन्द्रित है। इस बैठक में शिक्षकों की अकादमिक समस्याओं का समाधान करने के अतिरिक्त आदर्श पाठ का प्रस्तुतीकरण, सामग्री निर्माण आदि का कार्य किया जाता है। इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी मासिक स्तरीय इन गोष्ठियों को और अधिक उत्पादक बनाने हेतु डायट स्तर से वार्षिक कार्ययोजना बनाने में एन.पी.आर.सी, बी.आर.सी. की सहायता की जायेगी तथा तैयार की गई वार्षिक कार्ययोजना के आधार पर गोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा। यह कार्यक्रम मुख्यतः उपर्युक्तवत् शिक्षण सामग्री निर्माण, शिक्षकों की कक्षा में अनुभूत कठिनाइयों के निवारण, आदर्श पाठ के प्रस्तुतीकरण आदि बिन्दुओं पर आधारित होगा। निम्नांकित विषयों पर कार्यशालाएं तथा गोष्ठियाँ आयोजित की जायेंगी–

1. बच्चों की संप्राप्ति स्तर के आंकड़ों की शेयरिंग।
2. अनुपूरक अध्ययन सामग्री निर्माण।
3. विज्ञान शिक्षण हेतु शिक्षकों के लिए अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास।
4. छात्र–छात्राओं की अधिगम सम्प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु टेस्ट आइटम का निर्माण।
5. स्कूल पूर्व शिक्षा की तैयारी के लिए कथा–कविता का संकलन।

शोध एवं मूल्यांकन –

जनपदीय परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा एवं शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए शोध कार्यों का महत्व निर्विवाद हैं। अतः निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार संस्थान विभिन्न विषयों जैसे पाठ्यक्रम, कक्षा शिक्षण, निरीक्षण, विद्यालय प्रबन्ध, मूल्यांकन आदि क्षेत्रों में वास्तविक स्थिति का आंकलन कर व्यावहारिक कठिनाइयों के परिप्रेक्ष्य में उनके निवारणार्थ क्रियात्मक शोध करके प्राप्त निष्कर्षों को क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं, शिक्षक, प्रशिक्षक, निरीक्षक तक पहुँचाकर उनके द्वारा आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। शिक्षकों, समन्वयकों को एक्शन रेसर्च सम्बन्धी प्रशिक्षण सीमेट के सहयोग से प्रदान किया जायेगा। एक्शन रिसर्च के लिए शिक्षकों को धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी शिक्षक डायट के नेतृत्व में एक्शन रिसर्च हेतु अपनी परियोजना का निर्माण कर इसे क्रियान्वित करेंगे। डायट की भूमिका मुख्यतः एक्शन रिसर्च हेतु शिक्षकों की क्षमता का विकास करने तथा इन शोध परियोजनाओं का सुचारू रूप से क्रियान्वयन कर पूर्ण कराना है।

डायट द्वारा शिक्षकों की शिक्षण क्षमता का भी अध्ययन तथा मूल्यांकन किया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बच्चों की सम्प्राप्ति स्तर का अध्ययन किया जायेगा। डायट द्वारा एस.सी.ई.आर.टी. के सहयोग से जनपद स्तर पर "क्लास रूम ऑब्जर्वेशन स्टडी" भी की जायेगी।

एक्शन रिसर्च :–

जनपद में विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों द्वारा एक्शन रिसर्च का कार्य किये जाने की दृष्टि से 05 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी तथा इन कार्यशालाओं के आयोजन में मुख्यतः सीमेट, इलाहाबाद और एस0सी0ई0आर0टी0, लखनऊ का सहयोग प्राप्त किया जायेगा। बी.आर.सी., एन.पी.आर. सी. को इस दृष्टि से सक्षम बनाया जायेगा कि शिक्षक अपनी अनुभूत समस्याओं के निदान के लिए स्वयं अपनी कार्ययोजना बनाएं और समाधान ढूँढने में कामयाब हो सकें। इस प्रकार क्रियात्मक शोध की प्रक्रिया को संकुल स्तर तक तथा अनंतर विद्यालय स्तर तक ले जायेंगे। क्रियात्मक शोध हेतु प्रस्तावित क्षेत्र इस प्रकार हैं–

1. शिक्षक अनुदान का सार्थक उपयोग किस प्रकार संभव है ?
2. बहुकक्षा शिक्षण परिस्थितियों में विभिन्न विषयों का शिक्षण किस प्रकार हो ?
3. बच्चों के सतत् व्यापक मूल्यांकन में कक्षा के बच्चों का सहयोग।
4. कक्षा की प्रक्रिया में जनभागीदारी बढ़ाने के तरीके।
5. शिक्षक प्रशिक्षण का कक्षा में क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु संकेतकों (इण्डीकेटर्स) का विकास।
6. कार्य–निष्पादन के आधार पर चिह्नित कमजोर विद्यालयों में 'प्रबंधन' के मुद्दे।
7. 'विद्यालय विकास योजना' के प्रभावी क्रियान्वयन के उपाय।
8. महिला शिक्षिकाओं का रोल–परसेप्शन परिवर्तित करने के लिए रणनीतियाँ।
9. कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए कारगर शिक्षण तकनीक।
10. जहां बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति का स्तर कम है उसके कारणों की पहचान।
11. विद्यालयों के सन्दर्भ में समुदाय के सहयोग के अभाव के कारण का अध्ययन ।
12. बच्चों की विद्यालय में अनियमित उपस्थिति के कारणों का अध्ययन
13. मध्यान्तर के पश्चात विद्यालय से छात्रों के पलायन के कारणों का विश्लेषणात्मक निरूपण
14. अध्यापकों के पठन् पाठन के स्तर में वृद्धि हेतु प्रत्येक 6 माह बाद मूल्यांकन ।

न्यूज लेटर का प्रकाशन–

संस्थान स्तर पर प्रतिमाह न्यूजलेटर का प्रकाशन किया जायेगा जिसमें संस्थान की महीने भर की समस्त शैक्षिक गतिविधियों, नवाचारों एवं उल्लेखनीय कार्यो को प्रकाशित किया जायेगा।

डायट बी0आर0सी0 से शिक्षकों, शिक्षा अभिकर्मियों के लिए न्यूज लेटर का मासिक / त्रैमासिक प्रकाशन की व्यवस्था की जायेगी जिसमें उस अन्तराल की शैक्षिक गतिविधियों, नवाचारों या अन्य उल्लेखनीय कार्यो का विवरण दिया जायेगा।

ऑकड़ों का विश्लेषण, नियोजन तथा प्रशिक्षण में उपयोग –

ई.एम.आई.एस. के द्वारा प्राप्त आँकड़ों के विश्लेषण से प्रत्येक ब्लाक/प्रत्येक गाँव/प्रत्येक विद्यालय की मूलभूत समस्या/आवश्यकताओं की जानकारी मिलती है. इसके द्वारा ब्लाकवार, ग्रामवार, विद्यालयवार, लिंगवार तथा श्रेणीवार छात्रों की जानकारी कर सकते हैं। किस स्थान पर ड्राप आउट की अधिकता है। इसकी समस्या का अध्ययन कर सकते हैं। विद्यालय न जाने वाली बालिकाओं के विषय में अध्ययन कर उन्हें विद्यालय में नामांकित किया जा सकेगा।

ई.एम.आई.एस. आंकड़े के विश्लेषण से क्वालिटी इन्डीकेटर्स के संदर्भ में बच्चों की स्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत किया जायेगा। उदाहरण के लिए रेपिटिशन रेट, कम्प्लीशन रेट, बच्चों द्वारा शिक्षण चक्र को पूरा करने में लगा समय इत्यादि।

डायट द्वारा ई.एम.आई.एस. से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जायेगा। जिससे उनका उपयोग नियोजन तथा कियान्वयन में हो सकेगा।

मूल्यांकन प्रणाली

छात्रों के मासिक, वार्षिक, मूल्यांकन की प्रणाली की जो व्यवस्था वर्तमान में है, उचित हैं किन्तु सुधार के लिए छात्रों के उपलब्धि के मूल्यांकन और उन्हें फीड बैक प्रदान करने के लिए सतत–व्यापक मूल्यांकन प्रणाली विकसित की जायेगी।

एस.सी.ई.आर.टी., उ0प्र0 द्वारा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों में शैक्षिक सम्प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु 'सतत एवं व्यापक मूल्यांकन' संबंधी एक प्रणाली का विकास किया गया है। इसका वर्तमान में फील्ड ट्रायल किया जा रहा है। इस 'सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली' को अंतिम-स्वरूप प्रदान कर सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी उपयोग किया जायेगा तथा इस पर आधारित प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण जुलाई, 2001 से आरम्भ होने वाले शैक्षिक सत्र में आयोजित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि सतत् व्यापक मूल्यांकन संबंधी प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों के प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास नहीं किया जायेगा वरन् इसे सर्व शिक्षा अभियान में नियमित शिक्षक–प्रशिक्षण मॉड्यूल में एक अंश के रूप में ही रखा जायेगा तथा मुख्यतः एतद्–विषयक प्रशिक्षण डायट, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. स्तरीय अभिकर्मियों को प्रदान किया जायेगा जिससे वे इस प्रणाली का क्रियान्वयन विद्यालय स्तर पर सुनिश्चित करा सकें।

डायट स्तर पर आयोजित होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण/कार्यशाला तथा उनके प्रतिभागी निम्नवत् सारिणी द्वारा प्रदर्शित है–

क्र.सं.	कार्यक्रम	प्रतिभागी	अवधि
1.	विजनिंग कार्यशाला	डायट के संकाय सदस्य, डी.पी.ओ. स्टाफ, ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई. बी.आर.सी. समन्वयक	04 दिन
2.	शिक्षक प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	चुने हुए प्रशिक्षक	10 दिन
3.	शिक्षामित्र/आचार्य जी का प्रशिक्षण	शिक्षामित्र, आचार्यजी	
	1. आधारभूत प्रशिक्षण		30 दिन
	2. रिफ्रेशर प्रशिक्षण		15 दिन
4.	वैकल्पिक शिक्षा के अनुदेशकों का प्रशिक्षण	अनुदेशक	
	1. आधारभूत प्रशिक्षण		15 दिन
	2. रिफ्रेशर प्रशिक्षण		10 दिन
5.	वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के प्रबन्धन हेतु प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक	03 दिन

6.	ई.सी.सी.ई. केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण	ई.सी.सी.ई. केन्द्रों की कार्यकर्त्रियाँ तथा सहायिकाएं	07 दिन
7.	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयकों का प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक	07 दिन
8.	ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई. का प्रशिक्षण	ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई.	05 दिन
9.	ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण हेतु बी.आर.जी. का प्रशिक्षण	बी.आर.जी. के सदस्य	03 दिन
10.	कम्प्यूटर शिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के चयनित शिक्षक	01 माह
11.	अंग्रेजी तथा संस्कृत विषयों के शिक्षण हेतु प्रशिक्षण	चुने हुए शिक्षक प्रशिक्षण	05 दिन
12.	उर्दू शिक्षकों का प्रशिक्षण	उर्दू शिक्षक	05 दिन
13.	सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण	नवनियुक्त सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय	10 दिन
14.	नेतृत्व प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति प्राप्त करने वाले शिक्षक	05 दिन
15.	एक्शन रिसर्च हेतु प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. के चुने हुए समन्वयक तथा चयनित शिक्षक	05 दिन
16.	मेटीरियल मेला	चुने हुए शिक्षक	03 दिन
17.	सतत् व्यापक मूल्यांकन हेतु प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. सम0 डायट स्टाफ, चुने हुए शिक्षक	03 दिन
18.	अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, बी.आर.सी. एन.पी.आर.सी. समन्वयक	03 दिन
19.	कार्यानुभव प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. के चुने हुए सम0 तथा चयनित उच्च प्रा0वि0 के शिक्षक	05 दिन
20.	अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास हेतु कार्यशाला (हिन्दी/स्थनीय बोली)	चिन्हित शिक्षक शिक्षिकाएं	03 दिन
21.	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान शिक्षण हेतु सामग्री विकास	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल इण्टर कालेज के चुने हुए शिक्षक	03 दिन
22.	गणित शिक्षण हेतु सामग्री विकास कार्यशाला	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल इण्टर कालेज के चुने हुए शिक्षक	03 दिन
23.	अकादमिक संदर्भ समूह की क्षमता विकास कार्यशाला	अकादमिक संदर्भ समूह के सदस्य	05 दिन
24.	कक्षा शिक्षण में श्रव्य–दृश्य माध्यम से उपयोग संबंधी कार्यशाला	बी.आर.सी. समन्वयक, चुने हुए विद्यालयों के शिक्षक	02 दिन
25.	बहुश्रेणी शिक्षण हेतु सेल्फ लर्निंग मेटीरियल का विकास संबंधी कार्यशाला	चुने हुए शिक्षक	05 दिन
26.	वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक	02 दिन
27.	संस्थागत क्षमता विकास कार्यशाला	डायट के संकाय सदस्य	03 दिन
28.	बाल श्रमिकों हेतु संचालित वैल्पिक शिक्षा केन्द्रों हेतु शिक्षण सामग्री का विकास	डायट संकाय सदस्य	05 दिन

अकादमिक सुपरविजन में डायट, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. की समेकित भूमिका

अकादमिक सुपरविजन में डायट बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. की समेकित भूमिका रहेगी। एन.पी. आर.सी. अनुश्रवण का प्रतिवेदन बी.आर.सी. को देगा, तथा समीक्षा करके बी.आर.सी. अपना प्रतिवेदन डायट में प्रस्तुत करेगा। डायट में ए.आर.जी. के सदस्यों द्वारा मुख्य समस्याओं पर चर्चा करके भविष्य का एजेन्डा तैयार करेगें। डायट जनपद स्तर पर अकादमिक नेतृत्व प्रदान करेगा तथा इसके निर्देशन में बी.आर.सी, एन.पी.आर.सी. कार्य करेंगे। प्रत्येक स्तर पर मासिक बैठकों का आयोजन, भ्रमण, कार्यों का अनुश्रवण तथा "श्रेणीकरण" के माध्यम से प्रभावी कार्य संस्कृति का विकास किया जायेगा। अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में अशासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों, हाईस्कूल, इण्टर कालेज में 6–8 कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों, वैकल्पिक शिक्षा, ई.सी.सी.ई., ई.जी.एस. केन्द्रों को भी लाया जायेगा।

बी.आर.सी. तथा एन.पी.आर.सी. में गुणवत्ता विकास में प्रस्तावित भूमिका के संदर्भ में इनका प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण डायट स्तर पर किया जायेगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का बल इस बात पर होगा कि बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत चलायी गई अकादमिक पर्यवेक्षण प्रणाली को अधिक सुदृढ़ तथा सक्षम बनाया जा सके। विद्यालयों, एन.पी.आर.सी., बी.आर.सी. का उनके कार्य निष्पादन के आधार पर श्रेणीकरण किया जायेगा तथा अपेक्षित स्तर का प्रदर्शन न करने वाले विद्यालयों, संसाधन केन्द्रों को चिन्हित कर उन पर विशेष बल दिया जायेगा।

बी.आर.सी. की भूमिका :

ब्लॉक स्तर पर स्थापित ये संसाधन केन्द्र डायट के नेतृत्व में गुणवत्ता विकास हेतु अपनी वार्षिक कार्ययोजना विकसित करेंगे।

- सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण– आयोजन करेंगे।
- विद्यालयों में प्रशिक्षणों के प्रभाव का पर्यवेक्षण करेंगे।
- वैकल्पिक शिक्षा, ई.जी.एस., शिशु शिक्षा केन्द्रों का पर्यवेक्षण करेंगे।
- समुदाय के सदस्यों का बी.आर.सी. के माध्यम से प्रशिक्षण तथा समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिए पंचायतराज संस्थाओं तथा अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करेंगे।
- ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण करेंगे।
- अकादमिक समस्याओं के निवारण हेतु एन.पी.आर.सी. तथा डायट के मध्य सक्रिय कड़ी का कार्य करेंगे।
- बी.आर.सी. स्तर पर गुणवत्ता विकास हेतु 'संदर्भ समूह' विकसित करेंगे।
- शोध एवं मूल्यांकन अध्ययन के लिए शिक्षकों को सहयोग प्रदान करेंगे।
- 'स्कूल डेवलपमेन्ट प्लान' का विकास कराने तथा अकादमिक अनुश्रवण का कार्य करेंगे।
- बी.आर.सी. स्तर पर सामग्री निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे।
- प्राथमिक शिक्षा के प्रति समुदाय, अभिभावकों तथा संचार माध्यमों को अभिप्रेरित कर संवेदनशील बनायेंगे।

एन.पी.आर.सी. की भूमिका–

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र अपनी वार्षिक कार्ययोजना विकसित करेंगे।

- शिक्षकों के लिए मासिक प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे।
- विद्यालयों, वैकल्पिक शिक्षा, ई.सी.सी.ई. तथा ई.जी.एस. केन्द्रों का अकादमिक पर्यवेक्षण करेंगे।
- वी.ई.सी. के सदस्यों, डब्लू. एम.जी./पी.टी.ए./एम.टी.ए. सदस्यों का प्रशिक्षण आयोजित करेंगे।
- ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण करेंगे।

- स्कूल भ्रमण तथा आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण करेंगे।
- शोध एवं मूल्यांकन अध्ययन के लिए शिक्षकों को सहयोग प्रदान करेंगे।
- 'स्कूल डेवलपमेन्ट प्लान' का विकास कराकर इसका अनुश्रवण करेंगे।
- एन.पी.आर.सी., अभिभावकों, शिक्षकों तथा बच्चों के लिए एक स्रोत केन्द्र के रूप में अपने आपको विकसित करेंगे।

12. नवाचार कार्यक्रम –

1. डायट द्वारा विभिन्न ग्रामों के जन–समुदाय जिसमें ग्राम शिक्षा समिति, स्कूल न जाने वाले बच्चों के अभिभावक, व्यवसाय करने वाले बच्चों के अभिभावक, ग्राम प्रधान, सम्मिलित थे तथा न्याय पंचायत संकुल प्रभारी, उच्च प्रा. वि. के प्रधानाध्यापक के साथ एफ.जी.डी. के दौरान यह तथ्य संज्ञान में आया कि जो बच्चे अपने व्यवसाय में संलग्न होने के कारण विद्यालय में नहीं जाते हैं या जिन्होंने प्राथमिक स्तर की पढ़ाई पूर्ण कर विद्यालय जाना बंद कर दिया है, उन्हें पुनः विद्यालय में लाने के लिए ठहराव बनाए रखने के लिए तथा उन्हें स्वावलंबी बनाने हेतु कौशल विकास में दक्ष करने के लिए कार्यानुभव, प्रशिक्षण बहुत प्रभावी होगा। इसी प्रकार यदि लड़कियों को उनकी इच्छानुसार, फैशन डिजाइनिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, फूड प्रजर्वेशन आदि का प्रशिक्षण देने से उनका उ.प्रा. स्तर पर विद्यालय में ठहराव बनाए रखने के लिए सहायता मिलेगी। इससे पूर्व एक विकास खंड के उ0प्रा0वि0 में बालिकाओं के लिए इसका पाइलट प्रोजेक्ट चलाया जा चुका है, जिसके परिणाम बहुत सकारात्मक रहे हैं। इससे न केवल बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि हुई है, अपितु उनका ठहराव भी बना रहा है।

बालिकाओं केलिये कार्यानुभव कार्यक्रम उनके ठहराव में अत्यन्त सहायक होता है। ठहराव पर प्रभाव की दृष्टि से किये गये अध्ययन के अनुसार (Evaluation of the Pilot Project of work experience for girls of upper primary schools in UP, 1998 C.K. Misra) जिन स्थानों पर यह योजना संचालित की गई वहाँ कोई भी छात्रा विद्यालय से 'ड्राप आउट' नही हुई। यह निष्कर्ष इस धारणा की पुष्टि करता है कि कौशल विकास के कार्यक्रम उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के धारण में मदद करते हैं।

इस आधार पर बालिकाओं के लिए कार्यानुभव शिक्षण को जनपद में नवाचार कार्यक्रम के रूप में संचालित किया जायेगा। इस हेतु सर्वप्रथम जनपद के 08 विकासखण्डों में तीन तीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों /कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालयों को चिन्हित किया जायेगा। इस कार्य में यह योजना है कि प्रत्येक उ0प्रा0वि0 की स्थानीय आवश्यकता के आधार पर वहां बच्चों को ऐसे कौशल में प्रशिक्षित किया जाए जिससे वे तैयार सामान को विक्रय करके तथा भविष्य में भी उनको आर्थिक सहायता प्राप्त हो।

2. मिनी विज्ञान प्रयोगशाला को स्थापित करना तथा विज्ञान शिक्षण में सुधार

1–प्रत्येक ब्लाक संसाधन स्तर पर एक ऐसे विद्यालय का चुनाव किया जायेगा जिसको विज्ञान की दृष्टि से पूर्ण रूप से सुसज्जित एवं सुदृढ़ीकृत किया जायेगा। इसमें हाईस्कूल कक्षा तक के लिए समस्त वैज्ञानिक उपकरणों की व्यवस्था की जायेगी ।

2–डायट में विभिन्न स्तरों के विज्ञान क्लबों की स्थापना की जायेगी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए क्विज, भाषण प्रतियोगिताएं एवं प्रदर्शनी आदि के नियमित आयोजन किए जायेंगें।

3–विज्ञान विषय की पत्रिकाओं तथा साहित्य को क्लब में मंगाया जायेगा तथा सभी को लाभ लेने का अवसर दिया जायेगा।

3. धीमी गति से सीखने वाले बाच्चों की उपचारात्मक शिक्षा :

शैक्षिक भ्रमण के दौरान यह ज्ञात हुआ कि कक्षा में ऐसे छात्र होते हैं जो किसी विषय को सीखने में अधिक समय लगाते हैं। ऐसे बालकों की शिक्षा की विशेष व्यवस्था की जाएगी। बुद्धि मापक परीक्षाओं द्वारा बच्चों की मानसिक योग्यता का पता लगाकर धीमी गति से सीखने वाले बच्चों का पता लगाया जाएगा एवं इन की शिक्षा हेतु विशेष बातों का ध्यान रखा जाएगा। यथा – इन बच्चों को शिक्षा प्रदान करते समय दृश्यश्रव्य उपकरणों का विशेष रूप से प्रयोग किया जएगा। इससे इन बालकों को अमूर्त तथा सूक्ष्म विषयों को समझाने में सुविधा होगी। समय–समय पर सभी बालकों की चिकित्सा जांच कराई जाएगी, ताकि उनके शारीरिक दोषों का पता लगाया जा सके तथा उनका उपचार किया जाएगा। इन बालकों के लिए अभ्यास के लिए विशेष अवसर जुटाए जाएंगे तथा ऐसे प्रश्न निर्मित किए जाएंगे जो सरल एवं रोचक हों। इन बालकों के लिए पाठ्य सामग्री विकसित करके दी जाएगी तथा बालकों की रूचि के अनुसार कठिन विषयों पर छोटी–छोटी प्रायोजनाओं पर कार्य करने के लिए दिया जाएगा। इन बालकों के लिए गृह कार्य की विशेष व्यवस्था की जाएगी। गृह कार्य की जांच नियमित की जाएगी तथा शेष कार्य भी पूरा कराया जाय। इन बालकों के माता पिता से सतत् संपर्क रखा जाएगा, जिससे बालकों की व्यक्तिगत समस्याओं का निदान हो सकेगा। इन बालकों को कार्य की पुनरावृत्ति कराई जाएगी। अभ्यास के लिए अधिक समय दिया जाएगा तथा विशेष सुविधा एवं सहानुभूति रखी जाएगी। समयबद्ध तरीके से परीक्षा के द्वारा शैक्षिक संप्राप्ति का पता लगाया जाएगा। यह कार्यक्रम उच्च प्राथमिक स्तर पर एक ब्लाक के विद्यालयों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया जाएगा।

नवीन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना

जनपद बाँदा में इस समय ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित नहीं है। जो ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जनपद में संचालित था, वह ज़िले के विभाजन के फलस्वरूप जनपद चित्रकूट में चला गया है।इसलिये जनपद में नवीन ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किया जाना अत्यावश्यक है। ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की नवीन स्थापना हेतु धनराशि का प्रावधान सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नहीं किया गया है। नवीन ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु टीचर एजूकेशन स्कीम के अन्तर्गत पृथक से राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कार/ प्रोत्साहन की व्यवस्था –

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जनपद में विभिन्न स्तरों पर किया जायेगा। कार्यक्रम के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन में विकास खण्ड, न्याय पंचायत तथा ग्राम स्तरीय अभिकर्मियों एवं शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सर्व शिक्षा अभियान हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना के क्रियान्वयन विशेषकर गुणवत्ता विकास हेतु कार्यक्रमों का सुचारू संचालन एवं प्रत्येक स्तर पर उपयुक्त कार्य संस्कृति को स्थापित तथा प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उप–जनपद तथा अन्य स्तरों पर कार्यरत अभिकर्मियों एवं शिक्षकों में स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा विकसित करने और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रोत्साहन दिया जायेगा और पुरस्कृत भी किया जायेगा।

जनपद में प्रति वर्ष उत्कृष्ट कार्य–निष्पादन वाले 2 बी.आर.सी. को रू. 10,000 की दर से तथा प्रत्येक विकास खण्ड में 1 एन.पी.आर.सी. को रू. 7,000 की दर से पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। इसी प्रकार प्रत्येक विकास खण्ड में से कार्य निष्पादन के आधार पर चयनित दो ग्राम शिक्षा समितियों को क्रमशः रू.15,000 तथा रू.10,000 की दर से पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग ग्राम शिक्षा समिति अपने निर्णयानुसार विद्यालय को समृद्ध बनाने में कर सकेगी। शिक्षकों को नवाचार के लिये प्रेरित करने के लिये, पठन–पाठन के उत्कृष्ट मानदण्ड स्थापित करने की दृष्टि से प्रतिभाशाली एवं योग्य शिक्षकों का चुनकर प्रत्येक विकास खण्ड में से एक–एक अध्यापक को पुरस्कृत किया जायेगा तथा इस हेतु उन्हें रू. 5,000 प्रदान किया जायेगा। पुरस्कार की धनराशि का उपयोग बी.आर.सी, एन.पी.आर.सी. समन्वयकों व शिक्षकों के ज्ञान अभिवृद्धि व अन्तर्राज्यीय भ्रमण/ एक्सपोजर विजिट पर किया जायेगा।

गुणवत्ता सुधार में सामुदायिक सहभागिता

शैक्षिक सत्र में दो बार छमाही परीक्षा के बाद, (दिसम्बर) एवं वार्षिक परीक्षा के बाद, (नई) में विद्यालय समारोह आयोजित किये जायेंगे, जिसमें ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य एवं अभिभावक प्रतिभाग करेंगे। इस अवसर पर छात्र– छात्राओं के रिपोर्ट कार्ड वितरित किये जायेंगे तथा बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति पर समुदाय के सदस्यों से चर्चा की जायेगी।

अध्याय-10

परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण

सर्व शिक्षा अभियान की परियोजना वर्तमान व्यवस्था की सम्पूरक व्यवस्था के रूप में संचालित की जायेगी। इसकी अवधि वर्ष 2001 से वर्ष 2010 तक की होगी। इस अवधि में 6-14 आयु के सभी बालक/ बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जायेगी तथा सभी कार्यक्रम एंव उनका प्रबंधन उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा। इस अवधि में पर्याप्त क्षमता एंव प्रबंधन कौशल विकसित कर लिये जाने का लक्ष्य है।

परियोजना का प्रबंधन टीम भावना पर आधारित होगा और इसमें व्यक्तिगत पहल के लिये पर्याप्त अवसर उपलब्ध होगें। प्रबंधन लोकतांत्रिक होगा और इससे यह अपेक्षा होगी कि यह अधिकतम जन सहभागिता सुनिश्चित कर सके। समय-समय पर समीक्षा और रणनीतियों के परिवर्तन के लिये इसे तत्पर रहना होगा और यह परिवर्तन भी सहभागिता पर आधारित होगें। इससे सबसे निचले स्तर पर जबावदेही, दिन-प्रतिदिन कार्यक्रमों का अनुश्रवण किया जायेगा। अध्यापकों व छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी।

प्रबंध तन्त्र : संवेदनशील और लचीली प्रणालीः-

सर्व शिक्षा अभियान की समस्त प्रक्रियाओं में सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करते हुये विकेन्द्रीकृत शैक्षिक प्रबंधन प्रणाली स्थापित कर प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना है। इस व्यापक कार्य के सम्पादन के लिये प्रशासनिक कार्यो के निष्पादन में उच्च कोटि का लचीलापन लाने, जवाबदेही सुनिश्चित करने की प्रणाली स्थापित करने, वित्तीय निवेशों को अवाध प्रवाह प्रदान करने और नवाचारात्मक विधियों के साथ प्रयोग की सुविधा निर्मित करने के साथ उ0 प्र0 सर्व शिक्षा अभियान ने एक प्रबंध तन्त्र तैयार किया है, जो निम्नवत् दर्शाया जा सकता है-

(ङ) ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक समझें जायें।

(च) पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसे निहित की जाये लघु दण्ड देने की सिफारिश करना।

(छ) बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यों को करना, जिन्हे राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जायें।

उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत यह समिति नीति निर्धारण के साथ-साथ मुख्य कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करती रही है, जिसमें विद्यालय भवनों का निर्माण, परीषद में सुधार, शैक्षिक उपकरणों की आपूर्ति आदि सम्मिलित है। ग्राम शिक्षा समिति बेसिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यो में जनता की सहभागिता हासिल करने में सफल हुई है। सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत भी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा विद्यालय प्रबंधन एंव शैक्षिक नियोजन सम्बन्धी सारे कृत्यों का सम्पादन किया जायेगा। इसे अधिक प्रभावी बनाने एंव सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के साथ-साथ बस्ती/ ग्राम स्तर पर शैक्षिक योजना तैयार करने और इसका समयबद्ध क्रियान्वयन करने हेतु इसके सदस्यों को माइक्रोप्लानिंग आदि विधाओं में सक्षम बनाया जायेगा ताकि बुनियादी स्तर से प्रारभिक शिक्षा का लक्षित विकास हो सके।

उपर्युक्त के अतिरिक्त शिक्षा गारंटी योजना केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की मांग तथा शिक्षा के लिये परिवेश का निर्माण एंव अन्य समस्त संसाधनों का संकेन्द्रण (Convergence) इसी समिति का अधिकार एंव दायित्व है। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, आचार्यों, आंगनवाडी केन्द्रों के स्टाफ के वेतन/ मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। छात्रवृत्तियों का वितरण,

पोषाहार वितरण का नियन्त्रण, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण ग्राम शिक्षा समिति के पर्यवेक्षण में किया जायेगा।

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र (एन0पी0आर0सी0):-

इस जनपद में सभी न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों का निर्माण उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत कराया जा चुका है। इसे सुसज्जित किये जाने के साथ-साथ संकुल प्रभारियों की नियुक्ति कर उन्हें प्रशिक्षित किया जा चुका है। इनको प्रशिक्षण के माध्यम से और अधिक सक्रिय एवं क्रियाशील बनाया जायेगा।

कार्य एवं दायित्व :

1. न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण करना।
2. अध्यापकों की साप्ताहिक बैठक करना उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयों पर विचार-विमर्श एवं उसका निराकरण करना।
3. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित कराना।
4. ग्राम शिक्षा समितियों के सहायोग से न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों में गुणवत्ता के सुधार परिवेश निर्माण आदि की योजना तैयार करना।
5. न्याय पंचायत स्तरीय शैक्षिक सूचनाओं का संकलन एवं सूक्ष्म नियोजन।

क्षेत्र पंचायत स्तरीय समिति :

जिले की भाँति ही प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक ब्लाक शिक्षा सलाहकार समिति गठित हैं जो सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम निर्धारण अनुश्रवण आदि के लिये उत्तरदायी होगी।

क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समिति में निम्नलेखित पदाधिकारी सम्मिलित है-

1.	ब्लाक प्रमुख	अध्यक्ष
2.	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक	सदस्य - सचिव

3. विकास खण्ड का एक ग्राम प्रधान सदस्य

4. विकास खण्ड का एक वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक सदस्य

अधिकार एवं दायित्व :

इस समिति का मुख्य कार्य ब्लाक संसाधन केन्द्र एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना। जिला परियोजना समिति के निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वन एवं अनुश्रवण करना इसका मुख्य दायित्व होगा। ।यह समिति ग्राम शिक्षा समितियों एवं जिला शिक्षा परियोजना समिति के बीच सम्पर्क सूत्र का कार्य करेगी तथा सुनिश्चित रोजगार योजना/ जे0जी0एस0वाई0 के लिये आवंटित धनराशि में से प्राथमिकता के आधार पर धन उपलब्ध कराने में यह विशेष सहायक होगी। इस समिति की प्रत्येक महीने में एक बैठक अनिवार्य होगी।

प्रशासनिक संगठन - ब्लाक स्तर :

प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी /प्रति उप विद्यालय निरीक्षक कार्यरत हैं जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियन्त्रण में परियोजना के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करायेंगे तथा नियमित रूप से पर्यवेक्षण व अनुश्रवण करेंगे। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, परियोजना क्रियान्वयन एवं प्रगति हेतु उत्तरादायी होंगे। विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों, ब्लाक संसाधन केन्द्र, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के मध्य समन्वय स्थापित करना उनका दायित्व होगा और इसके लिये उन्हें आवश्यक अधिकार एवं सुविधायें प्रदान की जायेंगी। विकास खण्ड के विद्यालय सांख्यिकी को समय से एकत्रित करना तथा जिला परियोजना समिति को उपलब्ध कराया जाना एवं सांख्यिकी की शुद्धता को बनाये रखने में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी की विशेष भूमिका एवं उत्तरादायित्व होगा। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन विकास खण्ड परियोजना अधिकारी होंगे। साररूप में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी के प्रमुख उत्तरादायित्व निम्नलिखित होंगे:-

1. सर्व शिक्षा अभियान की नीतियों एंव कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।

2. विद्यालय भवनों के निर्माण का पर्यवेक्षण करना।

3. ग्राम शिक्षा समितियों को प्रभावी बनाना।

4. ब्लाक परियोजना समिति की बैठक कराना एवं उसके निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराना।

5. ब्लाक स्तर पर शैक्षिक ऑकड़े एकत्रित कर संकलित करना।

6. सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों का वितरण सुनिश्चित कराना तथा सूचना एकत्र करना।

7. खाद्यान्न वितरण तथा उससे सम्बन्धित सूचना संकलित कराना।

8. विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं एवं अनु0जा0/जन0जा0 के सभी बालक/ बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का समय से वितरण सुनिश्चित कराना।

9. विद्यालयों का निरीक्षण करना तथा गुणवत्ता में सुधार लाना।

10. विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापक-छात्र अनुपात बनाये रखना और आवश्यकतानुसार शिक्षा मित्रों की नियुक्तियां सुनिश्चित कराना।

11. ग्राम शिक्षा समितियों तथा ब्लाक शिक्षा समिति के बीच समन्वय स्थापित करना।

12. अध्यापकों के वेतन बिल प्रस्तुत करना तथा वेतन भुगतान सुनिश्चित करना।

ई.जी.एस. तथा ए.आई.ई. के संचालन का अनुश्रवण सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उप विद्यालय निरीक्षक करेगें तथा ई0जी0एस0 एंव ए0आई0ई0 केन्द्रों पर अध्ययनरत छात्र एंव छात्राओं का विवरण एंव कार्यक्रम की प्रगति नियमित रूप से जिला परियोजना कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध करायेगें।

सहायक वेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय हेतु बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत पूर्व में ही निर्मित ब्लाक संसाधन केन्द्र में आवश्यक स्थान की व्यवस्था की जायेगी। वे सर्व शिक्षा अभियान

में विकास खण्ड परियोजना अधिकारी की भुमिका में समस्त दायित्वों का निर्वहन करेगें। इस हेतु उनकी क्षमता में वृद्धि तथा गतिशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से एक मोटर साइकिल के साथ यात्रा भत्ता तथा रख-रखाव हेतु नियत धनराशि (18000/- प्रति वर्ष प्रति विकास खण्ड) उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। उन्हे ई0जी0एस0/ ए0आई0ई0 योजना के कार्य सम्पादन हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा। तथा उनके शासकीय दायित्वों के निष्पादन में सहायता हेतु एक बी0आर0सी0 सह समन्वयक प्रत्येक विकास खण्ड संसाधन केन्द्र में नियुक्त किया जायेगा।

ब्लाक संसाधन केन्द्र (बी0आर0सी0)

इस जनपद में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना से संचालित हो चुकी है और सभी विकास खण्डों ब्लाक संसाधन केन्द्रों के भवनों का निर्माण कराया जा चुका है। परियोजना के अर्न्तगत सभी ब्लाक संसाधन केन्द्र विद्युतीकृत एवं सुसज्जित है। यहां समन्वयक भी नियुक्त किये जा चुके है और वे प्रशिक्षण भी प्राप्त कर चुके है। सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत कार्यक्रम की व्यापकता तथा उच्च प्राथमिक स्तर तक विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक ब्लाक संसाधन केन्द्र में एक अतिरिक्त सह समन्वयक का पद सृजित किया जायेगा, जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के परियोजना कार्यो के पर्यवेक्षण, सूचना को एकत्रित करना, संकलन, विद्यालय सांख्यिकी के संकलन एवं सभी प्रकार की बैठकों के आयोजन तथा कार्यक्रमों के अनुश्रवण मे सहायता करेगे।

शैक्षिक, गुणवत्ता सम्वर्द्धन व समर्थन हेतु देखा गया है कि बी0आर0सी0 समन्वयक का अधिकाधिक समय सूचना के एकत्रीकरण एंव विश्लेषण में व्यय होता है। अतः प्रत्येक बी0आर0सी0 को एक कम्प्यूटर व एक कम्प्यूटर आपरेटर के साथ सुदृढ़ीकृत करने की योजना है। जिसके लिये प्रत्येक बी0आर0सी0 एक लाख रूपये का प्राविधान किया जा रहा है। किसी एक अध्यापक/समन्वयक को प्रशिक्षण देकर कम्प्यूटर का संचालन कराया जायेगा।

कार्य एंव दायित्व :

1. अध्यापकों को अभिनवीकरण प्रशिक्षण प्रदान करना।
2. विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण कर यह सुनिशित करना कि नवीन विधियों के अनुसार शिक्षण कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं।
3. विकास खण्डों की एकेडमिक आवश्यकताओं का आंकलन एवं संकलन करना, शैक्षणिक आवश्यकताओं का सूक्ष्म नियोजन करना।
4. ब्लाक स्तर पर एकेडमिक संसाधन समूह का गठन करना।
5. न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण के बीच सम्पर्क सूत्र के रूप में कार्य करना।
6. ब्लाक स्तर के अधिकारियों एवं अन्य विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना एवं शिक्षा के हित में उसका नियोजन करना।
7. विकास खण्ड़ के अर्न्तगत स्कूल से बाहर बच्चों के संबंध में बस्तीवार तथा बच्चों का नामवार कम्प्यूअराईज्ड विवरण तैयार करना।
8. ब्लाक में विद्यालय सांख्यिकी का समय-समय पर एक एकत्रीकरण व सेम्पल चैकिंग का अनुश्रवण करना।

जनपद स्तरीय समितिः-

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत नीति निर्धारण एंव रणनीतियों के निर्धारण के लिये जिला स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति, उ0प्र0 वेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत पूर्व से ही गठित है जिसके अध्यक्ष जनपद के जिलाधिकारी, उपाध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी एंव सचिव जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी है।

समिति का गठन निम्नवत है -

- ❖ जिलाधिकारी - अध्यक्ष
- ❖ मुख्य विकास अधिकारी - उपाध्यक्ष
- ❖ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी - सदस्य-सचिव
- ❖ प्राचार्य डाइट - सदस्य
- ❖ जिला श्रम अधिकारी - सदस्य
- ❖ जिला समाज कल्याण अधिकारी - सदस्य
- ❖ वित्त एंव लेखाधिकारी(बिसिक शिक्षा) - सदस्य
- ❖ अधिशासी अभियंता(आर.ई.एस.) - सदस्य
- ❖ अधिशासी अभियंता(पी0डब्ल्यू0डी0) - सदस्य
- ❖ जिला विद्यालय निरीक्षक - सदस्य
- ❖ दो शिक्षा विद् (विश्वविद्यालय एंव महाविद्यालय से) - सदस्य

जिलाधिकारी द्वारा नामित

- ❖ दो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष वर्णमाला कम-से (एक वर्ष के लिये)
- ❖ दो शिक्षक (राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त)
- ❖ स्वैच्छिक संगठन के दो प्रतिनिधि (जिलाधिकारी द्वारा नामित)

जिला शिक्षा परियोजना समिति के अधिकार एंव दायित्वः-

यह समिति सर्व शिक्षा अभियान हेतु जिले की सर्वोच्च नीति नियामक समिति है। जिले स्तर पर उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के द्वारा निर्धारित सीमाओं के अर्न्तगत रहते हुये इसे जनपद स्तर पर आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार है। रणनीतियों में परिवर्तन से लेकर निर्माण कार्य, गुणवत्ता में सुधार एवं जनसहभागिता सुनिश्चित करने, रणनीति निर्धारण के संबंध में इसके

निर्णय प्रभावी होगें। प्रवेश, धारण, गुणवत्ता संवंधन, निर्माण के लिये तकनीकि पर्यवेक्षण के लिये संस्थाओं का निर्धारण एंव प्रचार-प्रसार के लिये सभी कार्य इसी समिति द्वारा निर्धारित किये जायेगें। यह समिति जिले के अर्न्तगत सर्व शिक्षा अभियान के संरचना संचालन एंव निर्देश के लिये जनपद स्तर की सर्वोच्च समिति होगी। जनपद में ई0जी0एस0/ ए0आई0ई0 से सम्बन्धित प्रस्तावों का अनुमोदन तथा कार्यक्रम के संचालन का पूर्ण दायित्व भी इसी समिति का होगा।

जिला बेसिक शिक्षा समिति :

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना परिषद अधिनियम 1972 के अर्न्तगत प्रत्येक जिले में ग्रामीण क्षेत्र के लिये जिला बेसिक शिक्षा समिति गठित की गयी है जिसकी सदस्यता निम्न प्रकार है:-

1.	जिला पंचायत अध्यक्ष	अध्यक्ष
2.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य - सचिव
3.	अपर जिला मजिस्ट्रेट (नियोजन)	पदेन सदस्य
4.	जिला समाज कल्याण अधिकारी	पदेन सदस्य
5.	जिला विद्यालय निरीक्षक	पदेन सदस्य
6.	अपर बेसिक शिक्षा अधिकारी(महिला)यदि कोई हो और उनकी अनुपस्थिति में विद्यालय उप निरीक्षक	पदेन सदस्य
7.	तीन व्यक्ति, जो जिला पंचायत के सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेगें।	सदस्य
8.	विद्यालय उप निरीक्षक (पदेन) जो समिति का सहायक सचिव होगा।	सदस्य

जिला बेसिक शिक्षा समिति, परिषद अधीक्षण और निर्देशो के अधीन रहते हुये निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी।

(क) जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बेसिक स्कूलों का प्रशासन करना।

(ख) नये बेसिक स्कूल स्थापित करना।

(ग) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार-सुधार के लिये योजनाऐं तैयार करना।

अतः उपरोक्त समिति नये स्कूलों तथा असेवित क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु विद्यालय के लिये स्थल चयन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन करेगी।

प्रशासनिक तन्त्र - जिला परियोजना कार्यालय :

जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपदीय परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य करेगे। राज्य परियोजना समिति तथा जिला परियोजना समिति द्वारा निर्धारित नीति एवं कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियावन्यन, उसका दायित्व होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति के निर्देशन व मार्ग दर्शन में कार्यक्रमों का क्रियावनयन करेगे। इस कार्य में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की सहायता हेतु जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना की जायेगी। जिसमें आवश्यक स्टाफ के पद उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के नियमों के अनुसार सृजित कर उसमे तैनाती की जायेगी।

जिला परियोजना कार्यालय में निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारी होंगे-

1.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	पदेन	जिला परियोजना अधिकारी
2.	उप बेसिक शिक्षा अधिकारी (ई0जी0एस0/ए0आई0ई0)	1	प्रतिनियुक्ति पर
3.	समन्वयक	4	प्रतिनियुक्ति अथवा नियत वेतन पर
4.	सलाहकार	2	रू. 10,000/- नियत वेतन प्रति पद
5.	ई.एम.आई.एस अधिकारी	1	रू. 10,000/- नियत वेतन प्रति पद
6.	कम्प्यूटर आपरेटर/ सांख्यिकी सहायक	3	रू. 7,000/- नियत वेतन प्रति पद
7.	सहायक लेखाधिकारी	1	प्रतिनियुक्ति पर
8.	लिपिक	1	नियत मानदेय के आधार पर
9.	परिचारक	1	नियत मानदेय के आधार पर

उपरोक्त में से उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना के सस्टेनिबिलिटी प्लान के अर्न्तगत कोई भी पद सृजित नही है। उपर्युक्त सभी अधिकारी एवं कर्मचारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी /जिला परियोजना अधिकारी के नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेगें तथा परियोजना कार्यक्रमों के क्रियावयन में उसके प्रति उत्तरदायी होगें। जनपद के कार्यरत सभी उप बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन उप जिला परियोजना अधिकारी होगें तथा अपने क्षेत्र से सम्बन्धित सभी प्रकार के परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होगें।

उपरोक्त स्टाफ के अतिरिक्त, अन्य उप बेसिक शिक्षा अधिकारी/ सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी /प्रति-उप विद्यालय निरिक्षक तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के सहायक स्टाफ का यह दायित्व होगा कि वे सर्व शिक्षा अभियान का कार्य अपने सरकारी कर्त्वय की तरह करेगें। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु पूर्ण लिपिकीय समर्थन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कर्मियों द्वारा प्रदान किया जायेगा।

निमार्ण कार्य के तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्थाः-

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत होने वाले विद्यालय निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उददे्श्य से तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की भांति रखी जायेगी। निमार्ण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अथवा लघु सिंचाई विभाग के अभियन्ताओं से कराया जायेगा, जिसके लिये उन्हे मानदेय सर्व शिक्षा अभियान से दिया जायेगा। ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा व लघु सिंचाई विभाग में पूर्व से ही विकास खण्ड स्तर पर अभियन्ता उपलब्ध हैं। मानदेय की जो दर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत निर्धारित है प्रथमतः उसी दर से भुगतान किया जायेगा। वर्तमान में प्रति प्राथमिक विद्यालय भवन हेतु रू 1,000, प्रति अतिरिक्त कक्षा कक्ष /न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र हेतु रू0 500 तथा प्रति शौचालय हेतु रू0 200 की दर अनुमन्य है। प्राथमिक विद्यालय के भवन के साथ शौचालय के

निमार्ण के तकनीकी पर्यवेक्षण हेतु अलग से मानदेय नहीं दिया जायेगा। यह विद्यालय भवन में सम्मिलित माना जायेगा। तीन वर्ष बाद मानदेय की दर में संशोधन का प्रावधान रखा जायेगा। 'अभियन्ताओं को मानदेय की धनराशि का भुगतान कार्य संतोषजनक होने पर जिलाधिकारी की अनुमति से जिला परियोजना कार्यालय द्वारा दिया जायेगा।

एजूकेशनल मेनेजमेन्ट इन्फोरमेशन सिस्ट्म (ई0एम0आई0एस0):-

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत संचालित कार्यक्रमों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु जिला परियोजना कार्यालय में एक सुदृढ़ एंव क्रियाशील एम0आई0एस0 स्थापित किया जायेगा। बेसिक शिक्षा परियोजना जनपद में पूर्व से ही एम0आई0एस0 डाटा केप्चर प्रणाली व प्राथमिक स्तर का डायस साफटवेयर स्थापित है तथा कम्प्यूटर हार्डवियर भी उपलब्ध है। वर्ष 1997-98 से वर्ष 2000-2001 तक के शैक्षिक आकडे उपलब्ध हैं। उच्च प्राथमिक स्तर के लिये साफटवेयर डाटाबेस तथा आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर हार्डवियर को उच्चीकृत कराने की व्यवस्था की जायेगी। इसके अतिरिक्त जनपद में अनौपचारिक शिक्षा के अर्न्तगत एक कम्प्यूटर उपलब्ध है। उससे शिक्षा गारंटी योजना, वैकल्पिक शिक्षा योजना तथा नवाचार शिक्षा योजना सम्बन्धी गतिविधियों का अनुश्रवण, आंकडों का संकलन एवं विश्लेषण किया जायेगा। इन दोनों कम्प्यूटर सिस्टम को संकलित कर एक अध्यावधिक एंव उपयुक्त ई0एम0आई0एस0 तथा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट उपलब्ध हो सकेगा।

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की औपचारिक शिक्षा एंव वैकल्पिक/ नवाचार शिक्षा योजना की प्रतिवर्ष शैक्षिक सांख्यिकी के व्यापक कार्य को संपादित करने के लिये स्थापित कम्प्यूटराइज्ड ई0एम0आई0एस0 के संचालनार्थ एक ई0एम0आई0एस0 अधिकारी एंव तीन कम्प्यूटर आपरेटर्स/ सांख्यिकी सहायक रखे जायेगें जिससे इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित हो सके कि विभिन्न प्रकार के शैक्षिक डाटा की रिपार्ट व विश्लेषण तत्परता से उपलब्ध हो सके और जिला परियोजना कार्यालय, अपने स्तर पर ही ई0एम0आई0एस0 के विभिन्न महत्वपूर्ण इण्डीकेटर्स पर रिर्पोट तैयार

कर सके। वस्तुतः जिला परियोजना कार्यालय विभिन्न शैक्षिक आंकडों के एक संसाधन के रूप में विकसित हो सकेगा, जिसका उपयोग शैक्षिक नियोजन एंव अनुश्रवण में अधिक से अधिक किया जायेगा।

ई0एम0आई0एस0 अधिकारी के कार्य एवं दायित्व

जिला परियोजना कार्यालय में स्थापित कम्प्यूटराइज्ड सूचना प्रबन्ध प्रणाली में तैनात ई0एम0आई0एस0 अधिकारी के निम्नलिखित कार्य एवं दायित्व होंगे-

- विद्यालयों हेतु सांख्यिकी प्रपत्रों का मुद्रण व वितरण कराना।
- समय से फील्ड स्टाफ (बी0आर0सी0 समन्वयक, एन0पी0आर0सी0 समन्वयक, प्रधानाध्यापकों) का प्रशिक्षण आयोजित कराना।
- माह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में विद्यालय से भरे हुए प्रपत्रों का एकत्रीकरण कराना।
- भरे हुए प्रपत्रों की सैम्पुल चैकिंग संपादित कराना तथा परिवर्तन यदि कोई हो, अभिलिखित करना।
- समयबद्ध रूप में दिसम्बर, 2001 के अन्त तक डाटा एन्ट्री पूर्ण कराना तथा रिपोर्ट तैयार कराकर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजना।
- संकुलवार व विकासखण्डवार जनपद की ई0एम0आई0एस0 रिपोर्ट का विश्लेषण तैयार कराना तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, जिला समन्वयकों तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों को उपलब्ध कराना।
- सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना कार्यालय में सभी प्रकार की शैक्षिक सांख्यिकी के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करना तथा राज्य स्तरीय बैठकों/ कार्यशालाओं में प्रतिभाग करना।

- माइक्रोप्लानिंग डाटा का कम्प्यूटरीकरण, विश्लेषण तथा रिपोर्ट तैयार कर सभी संबंधित को प्रस्तुत /प्रेषित करना।

ई0एम0आई0एस0 अधिकारी की शैक्षिक योग्यता, कम्प्यूटर आपरेटर की शैक्षिक योग्यता के समतुल्य होने के साथ ही सांख्यिकी विश्लेषण, प्रक्षेपण तकनीक आदि में अभीष्ट जानकारी व अनुभव रखना आवश्यक होगा।

प्रशिक्षणः-

विद्यालय सांख्यिकी सम्बन्धी कार्य हेतु कम्प्यूटर आपरेटर, प्रधानाध्यापक, सकुल प्रभारी, बी0आर0सी0 समन्वयक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों का जनपद स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा और उन्हे ई0एम0आई0एस0 सम्बन्धी प्रपत्र तथा उन्हे भरने, संकलन, विश्लेषण आदि की जानकारी दी जायेगी। इसके अतिरिक्त विद्यालय सम्बन्धी आंकडों के दो प्रतिशत सेम्पल चेकिंग के लिये भी फील्ड स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जायेगा जिससे आकडों की शुद्धता की जांच हो सके।

1. ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (जिला स्तर पर)

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें जिला परियोजना अधिकारी, सभी समन्वयक, स्टाफ, कम्प्यूटर आपरेटर, लेखा स्टाफ प्रशिक्षण प्राप्त करेगें।

2. ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (ब्लाक स्तर पर)

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक एंव बी0आर0सी0 समन्वयक/सह समन्वयक आदि प्रतिभाग करेगें।

3. ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (न्याय पंचायत स्तर पर)

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें एन0पी0आर0सी0 समन्वयक/ सह समन्वयक तथा सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक प्रतिभाग करेगें।

4. ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (प्रोजेक्ट मेनेजमेंन्ट स्तर पर)

एस0पी0ओ0/सीमेट द्वारा आयोजित यह प्रशिक्षण एक सप्ताह का होगा इसमें डी0पी0ओ0 एंव बी0आर0सी0 के कम्प्यूटर आपरेटर भाग लेंगे। प्रथम तीन दिन ई0एम0आई0एस0 प्रबंधन एंव दूसरे तीन दिन में प्रोजेक्ट मेंनेजमेंन्ट इन्फारमेशन सिस्टम का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

आंकडों का एकत्रीकरण तथा शुद्धता की जांचः-

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर दोनों के लिये नीपा, नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया विद्यालय सांख्यिकी प्रपत्र उपलब्ध हो गया है जिस पर प्रतिवर्ष विद्यालय स्तर से 30 सिमम्बर की स्थिति के अनुसार आकडों को एकत्रित किया जायेगा एंव कम्प्यूटर पर डाटा एन्ट्री के पश्चात ई0एम0आई0एस0 रिपोर्ट तैयार की जायेगी। प्रतिवर्ष विद्यालयों सें प्राप्त भरें हुये प्रपत्रों का कम्प्यूटर प्रिन्ट-आउट जिला परियोजना कार्यालय द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यापक को भेजा जायेगा ताकि प्रधानाध्यापक को यह जानकारी हो सके कि उनके द्वारा जो सूचना भरकर भेजी गयी थी वह सही है। अप्रत्यक्ष रूप से यह सूचना की पुष्टि स्वरूप होगा और यदि कोई त्रुटि हो गयी हो तो उसे शुद्ध करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा।

आंकडों का उपयोगः-

ई0एस0आई0एस0 आंकडों के विश्लेषण से महत्वपूर्ण इन्डीकेट्र्स जैसे- जी0ई0आर0, एन0ई0आर0, ड्राप-आउट दर, रिपीटीशन दर छात्र-अध्यापक अनुपात, कक्षा-कक्ष अनुपात, एकल अध्यापकीय विद्यालय आदि प्रतिवर्ष प्राप्त होगें। इन इन्डीकेट्र्स का उपयोग डिसिजन सपोर्ट सिस्टम्स में किया जायेगा ताकि बार-बार सूचनाओं के एकत्रीकरण में समय की बचत हो सके और कार्य योजना की संरचना में तदनुसार कार्यक्रमों का समावेश/ संशोधन किया जा सके। 'डायस' के अर्न्तगत ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकडों से स्कूल के बाहर के बच्चों की संख्या ज्ञात नही हो पाती है और स्कूल में अध्ययनरत तथा स्कूल के बाहर बच्चों की संख्या का विश्लेषण एक ही स्रोत

से प्राप्त आंकडों के आधार पर नहीं हो सकता है। अतः यह व्यवस्था प्रस्तावित है कि माईक्रोप्लानिंग से प्राप्त ग्राम स्तरीय आंकडों तथा ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकडों का मिलान व विश्लेषण किया जायेगा तथा तदानुसार कार्य योजना में वांछित कार्यक्रमों का समावेश/ संशोधन अभीष्ठ होगा। ई0एम0आई0एस0 एंव माईक्रोप्लानिंग के आंकडों का उपयोग निम्न कार्यो हेतु भी किया जायेगाः-

1. नवीन विद्यालयों हेतु असेन्टि बस्तियों की पहचान।
2. शिक्षा गारंटी केन्द्र हेतु बस्तियों की पहचान तथा जनसंख्या के आधार पर बस्तियों की प्राथमिकता का निर्धारण।
3. छात्र संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता की पहचान।
4. एकल अध्यापकीय विद्यालयों का चिन्हीकरण।
5. छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की आवश्यकता वाले विद्यालयों की पहचान।
6. बालिकाओं के कम नामांकन वाले विद्यालयों व न्याय पंचायतों का चिन्हीकरण।
7. निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण हेतु लाभार्थी समूहों की संख्या का आंकलन।
8. अवस्थापना सम्बन्धी मांग का आंकलन व निर्धारण।
9. शिक्षकों का विवरण।
10. विभिन्न स्तरों पर विद्यालय निरीक्षण का रोस्टर।
11. विकलांगतावार आंकडों के अनुसार उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

ई0एम0आई0एस0 में प्राप्त महत्वपूर्ण निष्कर्षों एंव सूचनाओं का उपयोग सम्बन्धित विषय/क्षेत्र के अधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर अपने से सम्बन्धित कार्यक्रमों के आयोजन की प्राथमिकताओं के निर्धारण में किया जायेगा, जिसके लिये उन्हे प्रशिक्षण दिया जायेगा और उत्तरदायी बनाया जायेगा।

कोहॉर्ट स्टडी:-

छात्र-छात्राओं के ठहराव में वृद्धि की प्रगति के अनुश्रवण हेतु जनपद में ड्राप-आऊट दर ज्ञात करने हेतु तीन वर्ष में एक बार कोहर्ट स्टडी करायी जायेगी। स्टडी बाह्य एजेन्सी द्वारा कराई जायेगी जिसका अनुश्रवण सीमेट द्वारा कराया जायेगा। यह स्टडी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर के लिये पृथक-पृथक से की जायेगी। एक स्टडी की अनुमानित लागत रु.2 लाख रखी गयी है।

प्रोजेक्ट मेनेजमेंट इन्फोरमेशन सिस्टम:-

एम0आई0एस0 के द्वारा जनपद में परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की भौतिक एंव वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट प्रतिमाह तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजी जायेगी और जिन कार्यक्रमों में प्रगति धीमी है उनकी ओर जनपद के सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी का ध्यान आर्कषित किया जायेगा तथा प्रगति को बढाने की प्रभावी कार्यवाही की व्यवस्था की जायेगी।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत एल0ऐ0सी0आई0 (LACI) के अर्न्तगत कम्प्यूटराईज्ड वित्तीय प्रबंधन प्रणाली विकसित की जा रही है, जिसे सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत उपयोग किया जायेगा, जिसके लिये भी एम0आई0एस0 प्रयोग में लाया जायेगा।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान :

गुणवत्ता में सुधार के लिए जिला स्तर पर पूर्व से ही जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित है। जनपद का प्रशिक्षण संस्थान उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत सुदृढ़ किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के व्यापक कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए इसको ओर अधिक सुदृढ़ किया जायेगा। परियोजना के अर्न्तगत इसके निम्नलिखित कार्य होंगे:-

1. विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु मास्टर ट्रेनर/ सन्दर्भ व्यक्तियों को चयनित कर प्रशिक्षित कराना।

2. राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख संस्थानों से सम्पर्क स्थापित करना तथा शिक्षा के अभिनव कार्यक्रमों और अनुसंधानों तथा अल्पकालिक शोध कार्यो के लिये डायट स्टाफ की क्षमता का विकास करना।

3. ब्लाक स्तर के सन्दर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना तथा परियोजना द्वारा निर्धारित शैक्षिक कार्यक्रमों, शिक्षण विधियों और लक्ष्यों से अवगत करना।

4. जिले स्तर की शिक्षा की समस्याओं के निदान एव उपचार के लिए शोध कार्य करना और उसके परिणामों/ निष्कर्षो की जानकारी सर्व संबंधित को उपलब्ध कराना ताकि आवश्यक उपाय किया जा सके।

5. जिले के समस्त स्कूलों का गुणवत्तामूलक निरीक्षण करना, उनके परिणामों का विश्लेषण करना तथा आवश्यकतानुसार अध्यापकों को मार्गदर्शन देना।

6. ब्लाक संसाधन केन्द्रों के समस्त शैक्षिक क्रिया-कलापों का निर्देशन एवं नियन्त्रण करना।

7. जिले स्तर पर अन्य विभागो एवं अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना तथा शैक्षिक कार्यो में नियोजन करना।

8. जिले स्तर पर एकाडमिक संसाधन समूह का गठन करना।

9. न्यूनतम अधिगम स्तर सुनिश्चित करना और इसके लिए बेस लाइन सर्वे कराना।

10. शिक्षा के लिए नवाचार कार्यक्रम विकसित करना।

11. शैक्षिक आकडों (ई0एम0आई0एस0 के माध्यम से संकलित) का विश्लेषण करना तथा नियोजन में उनके उपयोग करने हेतु जिला स्तर के अभिकर्मियों को प्रशिक्षण देना।

12- शिक्षकों, समन्वयकों, ई0सी0ई0 तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, निरीक्षण अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित कराना ।

निधि का हस्तांतरण (फ्लो ऑफ फण्ड):-

प्रत्येक वर्ष जनपद अपनी वार्षिक कार्ययोजना एंव बजट तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को प्रस्तुत करेगा। सीमेट के अप्रेजल के पश्चात एंव उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के अनुमोदन के उपरान्त जिले की वार्षिक कार्ययोजना एंव बजट के आधार पर राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा धनराशि जिला परियोजना कार्यालय एंव जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान के लिये अवमुक्त की जायेगी। प्रशिक्षण, आकादमिक पर्यवेक्षण आदि गुणवत्ता कार्यक्रम हेतु धनराशि जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान द्वारा बी0आर0सी0 एंव एन0पी0आर0सी0 को उपलब्ध करायी जायेगी। निर्माण, वैकल्पिक शिक्षा आदि अन्य कार्यक्रमों के लिये धनराशि जिला परियोजना कार्यालय द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी संस्था जैसे- ग्राम शिक्षा समिति, स्वंम सेवी सस्थाओं, अध्यापकों आदि के सीधे खातों के माध्यम से हस्तान्तरित की जायेगी।

सर्व शिक्षा अभियान के नाम से अलग बैंक खाता होगा जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा लेखाधिकारी द्वारा सयुंक्त रूप से परिचालित किया जायेगा। सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद की वित्तीय सन्दर्शिका पहले से ही प्रख्यापित है जिसके अनुसार जिलाधिकारी को विभागाध्यक्ष के सभी अधिकार प्रतिनिधानित है। अतः रू0 5000 मूल्य से अधिक के सभी वित्तीय मामलों पर जिलाधिकारी की अनुमति आवश्यक है। इसी प्रकार की व्यवस्था जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान पर भी लागू है। डायट का खाता भी डायट प्राचार्य एंव उसी के लेखा सम्बन्धित अधिकारी/ कर्मचारी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित होगा। ब्लाक संसाधन केन्द्र/ न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर भी सयुंक्त खाता खुला है। जिसका परिचालन उ0प्र0 सभी के लिय शिक्षा परियोजना के नियमों के अनुसार किया जा रहा है। वित्तीय संदर्शिका में लेखा जोखा रखने के वित्तीय नियम

स्पष्ट निर्धारित हैं। परचेज एंव-प्रोक्योरमेंट के नियम भी इसी सन्दर्शिका में निर्धारित किये गये हैं, जो परियोजना में भी अपनायें जायेगें तथापि सर्व शिक्षा अभियान की रूप रेखा में यदि संशोधन की कोई आवश्यकता होगी तो उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा की जायेगी। समस्त लेखा सम्बन्धित स्टाफ को सर्व शिक्षा अभियान के नियमों तथा वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में प्रथम वर्ष में ही प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा समय-समय पर रिफ्रेशर कोर्स भी आयोजित किये जायेगें। परियोजना कार्यक्रमों की अधिकांश धनराशि ग्राम शिक्षा समितियों को भेजी जाती है, जिनके बैंक में खातें पूर्व से ही संचालित हैं। जिला परियोजना कार्यालय एंव जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय को प्राप्त एंव व्यय धनराशि का संकलित विवरण प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा। सामान्यतः राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा त्रैमासिक आधार पर धनराशि जिलों को अवमुक्त की जायेगी।

फन्ड फ्लो डॉयग्राम

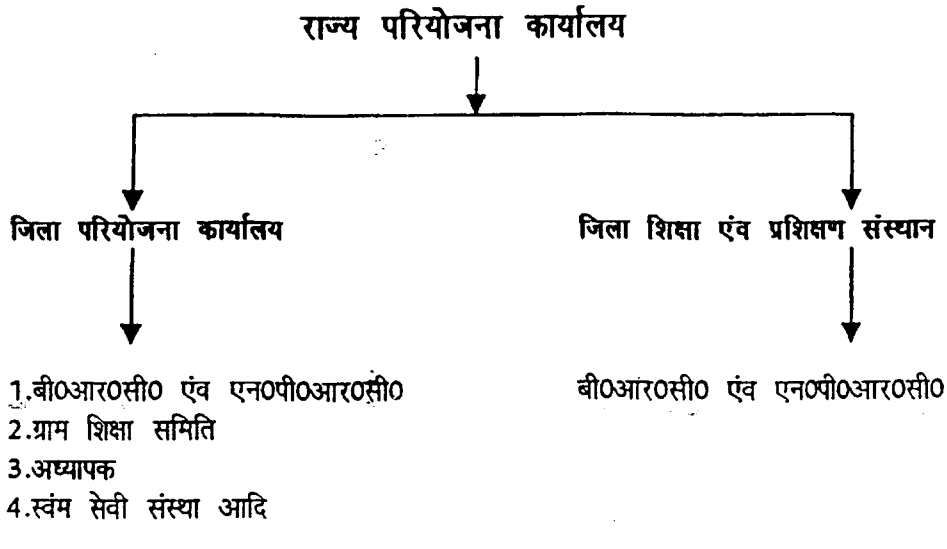

सम्प्रेक्षण व्यवस्थाः-

उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के अन्तर्गत प्रतिवर्ष सर्व शिक्षा अभियान के सभी जनपदों में लेखे जोखे का स्वतंत्र सम्प्रेक्षण (इन्डिपैन्डैन्ट आडिट) चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट के माध्यम से

किया जायेगा। यह कार्य वित्तिय वर्ष समाप्ति के तुरन्त बाद प्रारम्भ कर दिया जायेगा। चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट का चयन व टर्म्स आफ रिफरैन्स फार आडिट का निर्धारण सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा। राज्य सरकार/ भारत सरकार के नियमों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के समस्त जनपदों के लेखे जोखे का सम्प्रेक्षण (आडिट) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा भी प्रतिवर्ष किया जायेगा।

राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ द्वारा भी समय-समय पर आंतरिक सम्प्रेक्षण (इन्टरनल आडिट) की व्यवस्था रहेगी।

मध्य सत्रीय उपचारात्मक प्रणाली की स्थापनाः-

परियोजना का क्रियान्वयन निर्धारित लक्ष्य व उद्देश्यों के अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयकों, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों, प्रति उप विद्यालय निरिक्षकों, बी0आर0सी0 समन्वयकों की पाक्षिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जायेगी जिसमें योजना कार्यो को सम्पादित करने में आने वाली समस्याओं के विषय में चर्चा की जायेगी एवं उसके स्थानीय समाधान हेतु प्रयास किया जायेगा। इसी प्रकार प्रचार्य डायट द्वारा संकुल सदस्यों व बी0आर0सी0 समन्वयकों की मासिक बैठक आयोजित की जायेगी औ कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा अनुभूति कठिनाईयों पर फीड बैक प्राप्त किया जायेगा। राज्य स्तरीय निर्देश की आवश्यकता वाली समस्याओं को राज्य परियोजना कार्यालय में होने वाली मासिक बैठक में अवगत कराया जायेगा तथा मार्ग दर्शन व निर्देश प्राप्त कर आवश्यक उपाय किये जायेंगे। साथ ही समय-समय पर पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण कार्यशालाओं के माध्यम से भी योजना को सशक्त किया जाता रहेगा औ कमियों का निराकरण करते हुए सुधार लाया जायेगा।

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN
BANDA

31.07.2001

(Rs. In Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	Primary including all models of DPEP	0.705 per child	4500	3173	7500	5288	10470	7381	9000	6345	4500	3173	1500	1058							37470	26418
	Upper Primary	1.0 per child	1500	1500	3210	3210	3210	3210	1710	1710	810	810									10440	10440
	Total		6000	4673	10710	8498	13680	10591	10710	8055	5310	3983	1500	1058	0	0	0	0	0	0	47910	36858
A4	Back to school campaign	1.5 per child	600	900	600	900	400	600	400	600	280	420	200	300							2480	3720
	Innovation of EGS	50			1	50															1	50
A5	Bridge/Remedial courses	1.5 per child	120	180	120	180	80	120	40	60											360	540
	Updation of Microplanning Data	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	0	450
A6	Strengthening Maqtab/Madrasa																				0	0
	SubTotal (A)		6891	22870	11834	50786	14965	97063	12330	126417	6866	121695	2905	104870	1205	103512	1206	103712	1206	103619	60407	434437
(R)	RETENTION																					
	Additional Classrooms	70	78	5460	500	35000	550	38500	500	35000	250	17500									1878	131460
	Additional Teachers Primary School (5.5+2.2)	7.7	190	8778	441	40748	615	56826	795	73458	1044	96466	1105	102102	1167	107831	1231	113744	1261	116516	7849	716469
	Additional Teachers Upper Primary School	6.5																			0	0
R1	Toilets (PS + UPS)	10	70	700	100	1000	50	500													229	2290
	Ree of Old PS	191			20	3820	18	3438													38	7258
	Ree of Old UPS	270	3	810	5	1350	5	1350													13	3510
R2	Drinking Water (PS + UPS)	18	50	900	150	2700															200	3600
R3	Repair and Maintenance of School	5PA/per schools	1440	7200	1440	7200	1500	7600	1604	7070	1060	6346	1704	8520	1704	8520	1704	8520	1704	8520	14459	72295
R3	Boundary Walls (PS+UPS) Girls School	40			87	3480	400	16000	400	16000	300	12000									1187	47480

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN
BANDA

31.07.2001

(Rs. In Thousands)

S. No	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	Repairs (PS+UPS)																					
	Minor	20			93	1860	55	1100													148	2960
	Major	70			124	8680	67	4690													191	13370
R4	School Improvement Grant (PS)	2 pa per school					10	20	29	58	29	58	29	58	29	58	29	58	29	58	34	368
	School Improvement Grant (UPS)	2 pa per school					50	100	125	250	200	400	235	470	235	470	235	470	235	470	1315	2630
	Residential School for Girls																					
	Civil Work + Furniture	392			2	784															2	784
	Salary	30			12	360	12	360	12	360	12	360	12	360	12	360	12	360	12	360	96	2880
	TLM	275			1	275	1	275	1	275	1	275	1	275	1	275	1	275	1	275	8	2200
	Contingency	20			1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	8	160
R5	Innovative Programmes upto max. Rs. 50 lacs	5000 per district																				
	Promoting Girls Education																				0	0
	Summer Camps	10 per camp	20	200	15	150	15	150	10	100	5	50									65	650
R6	MCDA including	75 per cluster	2	150	2	150	1	75	1	75											6	450
	Gender Sensitization																					
R7	SUPW for girls	25 per school	75	1875	100	2500	75	1875	75	1875	75	1875	50	1250	50	1250	25	625			525	13125
R9	Opening of ECCE centre in nonICDs block	18 per centre																			0	0
1	Strengthening ICDs Centres																					
2	Development & Distribution of ECCE Materials	100 per district	1	100																	1	100
4	Civil Works (one additional room)	70																			0	0

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN
BANDA

31.07.2001

(Rs. In Thousands)

S. No	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
5	TLM	5 per centre	20	100	40	200	30	150													90	450
6	Additional Honorarium (InstructorWorker)	0.375 per centre	20	90	60	270	90	405	90	405	90	405	90	405	90	405	90	405	90	405	710	3195
7	Contingency/Recurrent grant	1.5 per centre			20	30	60	90	90	135	90	135	90	135	90	135	90	135	90	135	620	930
8	Training of ECCE Instructor (at BRC)																					
	Induction	3	20	60	40	120	30	90													90	270
	Recurring	1.2			20	24	60	72	90	108	90	108	90	108	90	108	90	108	90	108	620	744
R10	Community Mobilisation																					
1	MTA/PTA training	0.007	5560	30	5560	38			5710	40	5710	40			5710	40	5710	40			33060	230
2	Kala Jatha (VEC, Blick Level & Dist. Level)	8 per NPRC	25	200	25	200	15	120	10	80	10	80									85	680
3	Development of Awareness Material	5 per block	8	40	8	40	8	40			8	40			8	40					40	200
4	Bal Mela at NPRC	5 pa/per NPRC	72	360	72	360	72	360	72	360	72	360	72	360	72	360	72	360	72	360	648	3240
5	Production of Audio Tapes	10 per district	1	10							1	10							1	10	3	30
6	Production of Video Tapes	10 per district	1	10							1	10							1	10	3	30
8	Assistance to NGOs for Community Mobilisation	50 per district																			0	0
R11	Award of Best VEC (2 No.)	25	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	18	450

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN
BANDA

31.07.2001

(Rs. In Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
R12	Award of Best Shiksha Mitras	5	3	15	3	15	3	15	3	15	3	15	3	15	3	15	3	15	3	15	27	135
R12a	Award to Best BRC	10 per Bl.	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	9	90
R12b	Award to Best NPRC	7 per Bl.	8	56	8	56	8	56	8	56	8	56	8	56	8	56	8	56	8	56	72	504
R12c	Award to Best Teacher	5 per Bl.	8	40	8	40	8	40	8	40	8	40	8	40	8	40	8	40	8	40	72	360
R13	Remedial Teaching of SC/ST Education	0.705 per child	500	353	500	353	500	353	500	353	500	353	500	353							3000	2118
R14	Assistance of NGOs, For SC/ST Education	0.705 per child																			0	0
R15	Provision For disabled children	1.20 (per child)	510	612	510	612	510	612	500	600											2030	2436
1	Assistance of NGOs, For integrated/ inclusive education	1.20 (per child)																			0	0
R16	Computer Education for UPS composite school	100			10	1000	10	1000	10	1000	10	1000	10	1000	10	1000	10	1000			70	7000
	School Health Check Up (PS/UPS)	0.500 per school	1432	716	1492	746	1586	793	1661	831	1712	856	1712	856	1712	850	1712	856	1712	856	14731	7300
	Book Bank & School Library PS/UPS	5.0 per school	1432	7160			1586	7930			1712	8560			1712	8500			1712	8560	8154	40770
	Sub Total (B)		**11561**	**36183**	**11472**	**114241**	**8004**	**144965**	**12298**	**139524**	**13814**	**149477**	**5723**	**116443**	**12715**	**130459**	**11034**	**127147**	**7033**	**136834**	**93454**	**1095273**
	(Q) Quality Improvement																					
(1)	Training Programmes																					
1	Induction Training for Shiksha Mitra (30 Days)	0.07 per person per day	190	399	261	548	193	405	180	378	187	393	249	523	61	128	62	130	64	134	1447	3038
2	Induction Traning for Assistant Teacher (6 Days)	0.07 per person per day	190	80	261	109	193	81	180	76	187	79	249	105	61	26	62	26	64	27	1447	609

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN
BANDA

31.07.2001

(Rs. In Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
3	Induction Traning of Head Teacher (PS) (6 Days)	0.07 per person per day			10	4	19	8													29	12
4	Induction Traning of Head Teacher (UPS) (6 Days)	0.07 per person per day			50	21	75	32	75	32	51	21									251	106
5	In service teachers training (5 Days)	0.07 per person per day	2922	2045	3183	2228	3376	2363	3556	2489	3743	2620	3992	2794	4053	2837	4115	2880	4179	2925	33119	23181
6	Inservice training of Shiksha Mitra	0.07 per person per day																			0	0
7	Induction training of EGS/AIE worker (30 Days)	0.07 per person per day	150	315	100	210	99	208													349	733
8	Refresher course for Shiksha Mitra (15 Days)	0.07 per person per day			190	200	451	474	644	676	824	865	1011	1062	1260	1323	1321	1387	1383	1452	7084	7439
9	Refresher course of EGS/AIE workerds (15 days)	0.07 per person per day			150	158	250	263	349	366	349	366									1098	1153
10	Training for BRC Coordinator (10 days)	0.07 per person per day	16	11																	16	11
11	NPRC Coordinator's training (10 days)	0.07 per person per day	72	50																	72	50
12	Refresher Training for BRC Coordinator (5 days)	0.07 per person per day			16	6	16	6	16	6	16	6	16	6	16	6	16	6	16	6	128	48

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN
BANDA

31.07.2001

(Rs. In Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
13	Refresher training for NPRC Coordinators (5 days)	0.07 per person per day			72	25	72	25	72	25	72	25	72	25	72	25	72	25	72	25	576	200
14	Training of resources person at (DIET) (20 days)	0.07 per person per day	20	28	20	28	20	28	20	28	20	28	20	28	20	28	20	28	20	28	180	252
15	Staff Development training for DIETs (7 days)	0.300 per person per day	20	42	20	42	20	42	20	42	20	42	20	42	20	42	20	42	20	42	160	378
16	BEC/NPRC Coordinators management training by SIEMAT (5 days)	0.300 per person per day	8	12	8	12	8	12	8	12	8	12	8	12	8	12	8	12	8	12	72	108
17	ABSA/SDI Training (5 days)	0.07 per person per day	17	6			17	6			17	6			17	6			17	6	85	30
18	Training for AE & JE (5 days)	0.07 person per day	16	6																	16	6
19	Teacher Training Computer (UPS)/DIETE Faculty (20 days)	1.50 per person	20	30	20	30	20	30	20	30	20	30	20	30	20	30	20	30	20	30	180	270
20	Orientation of VECs/Ward Committee (3 days)	0.03 per person per day	4170	375	4170	375	4170	375							4170	375	4170	375	4170	375	20	2250
21	Training of RCI(IED)	70.00 (45 days)																			0	0
22	Teachers Orientation in IED (5 days)	0.07	500	175	500	175	500	175	500	175											2000	700
23	AWPB Review and Training of Core Planning Teams by SIEMAT (7 days)	0.500 per person per day	7	25	7	25	7	25	7	25	7	25	7	25	7	25	7	25	7	25	63	225

31.07.2001

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN
BANDA

(Rs. In Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
24	Training on EMIF by SIEMAT (5 days)	0.500 per person per day	8	20	8	20	8	20	8	20	8	20	8	20	8	20	8	20	8	20	72	180
25	Teahcers ABSA/BRC/NPRC Staff training for Gender Sensitisation (3 days)	0.07 per participant per day	1035	217	1035	217	1035	217													3105	651
	Total		9361	3836	10081	4433	10549	4795	5655	4380	5529	4538	5672	4672	9793	4883	9901	4986	10048	5107	78589	41630
Q2	Teaching Learning Material																					
1	Teacher Grant (PT+SM)	0.5	3112	1556	3373	1687	3566	1783	3746	1873	3933	1967	4182	2091	4243	2122	4305	2153	4369	2185	34829	17417
2	Teacher Grant (UPS)	0.5	913	457	1113	557	1413	707	1713	857	1917	959	1917	959	1917	959	1917	959	1917	959	14737	7373
3	Free Text Book to SC/ST Children & Girls (PS)	0150 per	132004	19806	142335	21350	153716	23057	157096	23564	160551	24082	164082	24612	167691	25153	171379	25706	175149	26272	1424003	213602
	Free Text Book to SC/ST Children & Girls (UPS)	Child per year	44615	6692	46845	7026	49185	7377	61645	7740	64743	6211	66927	6704	61608	9226	62860	9429	64242	9636	466670	74047
4	Supplementary Reading Material (PS)	0.5	1112	556	1122	561	1141	571													3375	1688
5	Supplementary Reading Material (UPS)	1	320	320	370	370	445	445	520	520	571	571									2226	2226
6	Printing & Distribution of Syllabus (PS + UPS) + Teachers Guide	LS	1	1000			1	1000			1	1000									3	300[illegible]
7	Printing & Distribution of Training Modules (PS + UPS)	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	9	[illegible]440
8	Printing & Distribution of Trainers Guides (PS + UPS)	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	9	1440
9	Development Printing and Distrubution of AS Training Modules	10	1	10	1	10	1	10													3	30
10	Children learing Evaluation (PS) (3 Times in 10 years)	400 each	1	400							1	400					1	400			3	1200

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN
BANDA

31.07.2001

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
11	Children learning Evaluation (UPS) 3 times	400 each	1	400							1	400					1	400			3	1200
12	School Awards	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25		25	1	25	1	25	9	225
	Total		182083	31542	195162	31906	209471	35295	214723	34905	221721	37935	228211	36711	235362	37805	240466	39392	245680	39397	1972879	324888
	Subtotal (C)		191444	35378	205243	36339	220020	40090	220378	39285	227250	42473	233883	41383	245155	42688	250367	44378	255728	44504	2049468	366518
C1	DIET																					
	Civil Work	5000																			0	0
1	Furniture	100																			0	0
2	Equipments (including audio visual)	300																			0	0
3	Computers Work Station	600																			0	0
4	Vehicle (where applicable)	350																			0	0
5	Hiring	5																			0	0
6	POL	30																			0	0
7	Maintenance of Vehicle	20																			0	0
8	Research/Action Research	200																			0	0
	Seminars	200																			0	0
9	Faculty Development	30																			0	0
	Publication	400																			0	0
10	Exposure visits	50																			0	0
11	Library	25																			0	0
12	Salary of Computer Operator	7																			0	0
13	Salary of Driver (where applicable)	4																			0	0
14	Consumable/Computer Stationary	10																			0	0
	Contingency	100																			0	0
	Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

150

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN
BANDA

31.07.2001

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
C2	Block Resource Centre																					
1	Civil Construction	800																			0	0
2	Salary Coordinator	6.5																			0	0
3	Asstt Coordinator (2 No)	5.5*2 = 11	96	528	96	528	96	528	96	528	96	528	96	528	00	528	00	528	96	528	864	4752
4	Chowkidar	3*12																			0	0
5	Equipment/Furniture	100																			0	0
6	Travelling Allowance	5	8	40	8	40	8	40	8	40	8	40	8	40	8	40	0	40	8	40	72	360
7	Maint of Equipment	1	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	72	72
8	Maint of building	6	8	48	8	48	8	48	8	48	8	48	8	48	8	48	0	48	8	48	72	432
9	Books	10	8	80			8	80			8	80			8	80			8	80	40	400
10	Monitoring & Supervision (PS&UPS)	0300 per school	1432	430	1492	448	1586	476	1661	498	1712	514	1712	514	1712	514	1712	514	1712	514	14731	4422
11	Consumables	5	8	40	8	40	8	40	8	40	8	40	8	40	8	40	8	40	8	40	72	360
12	Contingency	12	8	96	8	96	8	96	8	96	8	96	8	96	8	96	8	96	8	96	72	864
13	Monthly Review Meeting of CRC Co-ordinators	0.300 per meeting	864	259	864	259	864	259	864	259	864	259	864	259	864	259	864	259	864	259	7776	2331
	Total		2440	1529	2492	1467	2594	1575	2661	1517	2720	1613	2712	1533	2720	1613	2712	1533	2720	1613	23771	13993
C3	School Complex (NPRC)																					
1	Construction	200																			0	0
2	Salary Coordinator	6.5																			0	0
3	Equipment/Furniture	10																			0	0
4	Books for Library/Book Bank	5	72	360			72	360			72	360			72	360			72	360	360	1800
5	Contingency	2.5	72	180	72	180	72	180	72	180	72	180	72	180	72	180	72	180	72	180	648	1620

151

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN
BANDA

31.07.2001

(Rs. In Thousan)

S. No	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
6	Monthly Review meeting at CRC	0.200 x12 per meeting	864	173	864	173	864	173	864	173	864	173	864	173	864	173	864	173	864	173	7776	1557
7	Monitoring & Supervision (PS/UPS)	0.200 per school	1432	286	1492	298	1586	317	1661	332	1712	342	1712	342	1712	342	1712	342	1712	342	14731	2943
	Total		2440	999	2428	651	2594	1030	2597	685	2720	1055	2648	695	2720	1055	2648	695	2720	1055	23515	7920
C4	District Project Office																					
	Staffing Coordinators4																					
	Consultants2																					
	AAO																					
	Driver1																					
	(if vehicle is purchases)	71	12	426	12	652	12	852	12	852	12	852	12	852	12	852	12	852	12	852	108	7242
	Equipment	50	1	50																	1	50
	Furniture & Fixture	50	1	50																	1	50
	Books	10	1	10			1	10			1	10			1	10			1	10	5	50
	Purchase of Vehicle (Only Kanpur city, Lucknow) new distt	350	1	350																	1	350
	Motorcycle	50	12	600																	12	600
	Travelling Allowances	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	9	180
	Consumables	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	9	225
	Telephone/fax	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	9	270
	Vehicle Maintenance & POL	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	9	450
	Honorarium of AE/JE	6 per Block	96	576	96	576	96	576													288	1728
	Maintenance of equipment	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	9	90
	Hiring of Vehicles	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	9	45
	Supervision & Monitoring	0.158 per school	1432	226	1492	236	1586	251	1661	262	1712	260	1712	270	1712	270	1712	270	1712	270	14731	2315

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN
BANDA

31.07.2001

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	Contingency	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	9	90
	Research & Evaluation	0.300 per scholl	1432	430	1492	448	1586	476	1661	498	1712	514	1712	514	1712	514	1712	514	1712	514	14731	4422
	Total		2995	2868	3099	2262	3288	2315	3341	1762	3444	1786	3443	1786	3444	1796	3443	1786	3444	1796	29941	18157
C4 1	MIS																					
1	MIS Call Furnisning	50	1	50																	1	50
2	Salary of Computer Operator (3 Nos.)	7 p.m. ×12	6	126	12	252	12	252	12	252	12	252	12	252	12	252	12	252	12	252	102	2142
	Salary of MIS Officers	10	1	60	1	120	1	120	1	120	1	120	1	120	1	120	1	120	1	120	9	1020
3	MIS Equipments (where applicable)	460	1	460																	1	460
4	Printing & Distribution of Data Formats	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	9	180
5	Maintenance of Equipments	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	9	180
6	Computer Consumables	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	9	225
	Total		12	761	16	437	16	437	16	437	16	437	16	437	16	437	16	437	16	437	140	4257
	Sub Total (D)		7887	6157	8035	4817	8492	5357	8615	4401	8900	4891	8819	4451	8900	4901	8819	4451	8900	4901	77367	44327
	Grand Total		217783	100588	236584	206183	251481	287475	253621	309627	256630	318536	251330	267147	267975	281560	271426	279688	272866	289751	2279696	2340555

Note : Salaries in the First Year will be Provided for Six Months.

SUMMARY OF PROJECT COST - I

DIST. BANDA

(Rs. In Thousands)

YEAR	CIVIL WORK	MANAGEMENT COST	PROGRAMME	TOTAL COST
2001-2002				
Amount	18658	3629	78301	**100588.00**
2002-2003				
Amount	45178	2699	158306	**206183.00**
2003-2004				
Amount	111307	2752	173416	**287475.00**
2004-2005				
Amount	94458	2199	212970	**309627.00**
2005-2006				
Amount	67363	2223	248950	**318536.00**
2006-2007				
Amount	26068	2223	238856	**267147.00**
2007-2008				
Amount	8568	2233	270759	**281560.00**
2008-2009				
Amount	8568	2223	268897	**279688.00**
2009-2010				
Amount	8568	2233	278950	**289751.00**
TOTAL	388736	**22414**	**1929405**	**2340555.00**
As % of Total Cost	**16.61**	**0.96**	**82.43**	**100.00**

SUMMARY OF PROJECT COST - II
BANDA

(Amount In Thousands)

YEAR	ACCESS	RETENTION	QUALITY	CAP. BUILDING	TOTAL COST
2001-2002					
Amount	22870.00	36183.00	35378.00	6157.00	100588.00
As % of Total Project Cost	22.74	35.97	35.17	6.12	100.00
2002-2003					
Amount	50786.00	114241.00	36339.00	4817.00	206183.00
As % of Total Project Cost	24.63	55.41	17.62	2.34	100.00
2003-2004					
Amount	97063.00	144965.00	40090.00	5357.00	287475.00
As % of Total Project Cost	33.76	50.43	13.95	1.86	100.00
2004-2005					
Amount	126417.00	139524.00	39285.00	4401.00	309627.00
As % of Total Project Cost	40.83	45.06	12.69	1.42	100.00
2005-2006					
Amount	121695.00	149477.00	42473.00	4891.00	318536.00
As % of Total Project Cost	38.20	46.93	13.33	1.54	100.00
2006-2007					
Amount	104870.00	116443.00	41383.00	4451.00	267147.00
As % of Total Project Cost	39.26	43.59	15.49	1.67	100.00
2007-2008					
Amount	103512.00	130459.00	42688.00	4901.00	281560.00
As % of Total Project Cost	36.76	46.33	15.16	1.74	100.00
2008-2009					
Amount	103712.00	127147.00	44378.00	4451.00	279688.00
As % of Total Project Cost	37.08	45.46	15.87	1.59	100.00
2009-2010					
Amount	103512.00	136834.00	44504.00	4901.00	289751.00
As % of Total Project Cost	35.72	47.22	15.36	1.69	100.00
GRAND TOTAL	834437.00	1095273.00	366518.00	44327.00	2340555.00
As % of Total Cost	35.65	46.80	15.66	1.89	100.00

अस्यांपि - 12

ANNUAL WORK PLAN BUDGET
BANDA

31.07.2001 (Rs. in Thousands)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
(A)	ACCESS					
A1.	New Primary SchoolsUnserved	259 (191+10+18+40)	10	2590	10	2590
1	New Upper Primary Schools	338 (270+10+22+40)	25	8450	25	8450
2	Salary of PS Asstt. Teacher/New School) 7+2.2×12=9.2	9.2	10	552	10	552
3	Salary of Teacher in UPS (4No.) in new school 4A.M./school	7	100	4200	100	4200
4	HT of New UPS 1 HT/UPS	7.5	25	1125	25	1125
5	Furniture / Fixture & Equipment					
	PS	15				
	UPS	50				
	Assessment of New UPS	200	1	200	1	200
	Cohart Study	200				
	Total		**171**	**17117**	**171**	**17117**
A2	Upgradatgion of Egs (TLE) to PS	10				
	Total					
	Interventions for out of school children					
A3	Alternative School (EGS + AIE)					
	EGS					
	Primary including all models of DPEP	0.705 per child	4500	3173	4500	3173
	Upper Primary	1.0 per child	1500	1500	1500	1500
	Total		6000	4673	6000	4673
A4	Back to school campaign	1.5 per child	600	900	300	450

ANNUAL WORK PLAN BUDGET
BANDA

31.07.2001 (Rs. in Thousands)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
	Innovation of EGS	50				
A5	Bridge/Remedial courses	1.5 per child	120	180	60	90
	Updation of Microplanning Data	50	1	50	1	25
A6	Strengthening Maqtab/Madarsa					
	SubTotal (A)		6891	22870	6531	22330
(R)	RETENTION					
	Additional Classrooms	70	78	5460	78	5460
	Additional Teachers Primary School (5.5+2.2)	7.7	190	8778	190	8778
	Additional Teachers Upper Primary School	6.5				
R1	Toilets (PS + UPS)	10	79	790	79	790
	Ree. of Old PS	191				
	Ree of Old UPS	270	3	810	3	810
R2	Drinking Water (PS + UPS)	18	50	900	50	900
R3	Repair and Maintenance of School	5PA/per schools	1440	7200	1440	7200
R3	Boundary Walls (PS+UPS) Girls School	40				
	Repairs (PS+UPS)					
	Minor	20				
	Major	70				
R4	School Improvement Grant (PS)	2 pa per school				
	School Improvement Grant (UPS)	2 pa per school				
	Individual School for Girls					
	Civil Work	392				
	Salary	30				
	TLM	275				
	Contingency	20				

ANNUAL WORK PLAN BUDGET
BANDA

31.07.2001 (Rs. in Thousands)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
R5	Innovative Programmes upto max. Rs. 50 lacs	5000 per district				
	Promoting Girls Education					
	Summer Camps	10 per camp	20	200	10	100
R6	MCDA including	75 per cluster	2	150	1	75
	Gender Sensitization					
R7	SUPW for girls	25 per school	75	1875	38	938
R9	Opening of ECCE centre in nonICDs block	18 per centre				
1	Strengthening ICDs Centres					
2	Development & Distribution of ECCE Materials	100 per district	1	100	1	100
4	Civil Works (one additional room)	70				
5	TLM	5 per centre	20	100	20	100
6	Additional Honoranium (InstructorWorker)	0.375 per centre	20	90	20	90
7	Contingency/Recurrent grant	1.5 per centre				
8	Training of ECCE Instructor (at BRC)					
	Induction	3	20	60	20	60
	Recurring	1.2				
R10	Community Mobolisation					
1	MTA/PTA training	0.007	5560	38	5560	38
2	Kala Jatha (VEC, Blick Level & Dist. Level)	8 per NPRC	25	200	13	100
3	Development of Awareness Material	5 per block	8	40	4	20
4	Bal Mela at NPRC	5 pa/per NPRC	72	360	36	180
5	Production of Audio Tapes	10 per district	1	10	1	5

ANNUAL WORK PLAN BUDGET
BANDA

31.07.2001 (Rs. in Thousands)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
6	Production of Video Tapes	10 per district	1	10	1	5
8	Assistance to NGOs for Community Mobilisation	50 per district				
R11	Award of Best VEC (2 No.)	25	2	50	2	50
R12	Award of Best Shiksha Mitras	5	3	15	3	15
R12a	Award to Best BRC	10 per Bl.	1	10	1	10
R12b	Award to Best NPRC	7 per Bl.	8	56	8	56
R12c	Award to Best Teacher	5 per Bl.	8	40	8	40
R13	Remedioal Teaching of SC/ST Education	0.705 per child	500	353	250	177
R14	Assistance ot NGOs, For SC/ST Education	0.705 per child				
R15	Provision For disabled children	1.20 (per child)	510	612	255	306
1	Assistance ot NGOs, For integrated' inclusive education	1.20 (per child)				
R16	Computer Education for UPS composite school	100				
	School Health Check Up (PS/UPS)	0.500 per school	1432	716	716	358
	Book Bank & School Library PS/UPS	5.0 per school	1432	7160	716	3580
	Sub Total (B)		**11561**	**36183**	**9522**	**30340**
	(Q) Quality Improvement					
Q1	Training Programmes					
1	Induction Training for Shiksha Mitra (30 Days)	0.07 per person per day	190	399	95	200
2	Induction Traning for Assistant Teachet (6 Days)	0.07 per person per day	190	80	95	40

ANNUAL WORK PLAN BUDGET
BANDA

31.07.2001 (Rs. in Thousands)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
3	Induction Traning of Head Teacher (PS) (6 Days)	0.07 per person per day				
4	Induction Traning of Head Teacher (UPS) (6 Days)	0.07 per person per day				
5	In service teachers training (5 Days)	0.07 per person per day	2922	2045	1461	1023
6	Inservice training of Shiksha Mitra	0.07 per person per day				
7	Induction training of EGS/AIE worker (30 Days)	0.07 per person per day	150	315	75	158
8	Refresher course for Shiksha Mitra (15 Days)	0.07 per person per day				
9	Refresher course of EGS/AIE workerds (15 days)	0.07 per person per day				
10	Training for BRC Coordinator (10 days)	0.07 per person per day	16	11	8	6
11	NPRC Coordinator's training (10 days)	0.07 per person per day	72	50	36	25
12	Refresher Training for BRC Coordinator (5 days)	0.07 per person per day				
13	Refresher training for NPRC Coordinators (5 days)	0.07 per person per day				
14	Training of resources person at (DIET) (20 days)	0.07 per person per day	20	28	10	14
15	Staff Development training for DIETs (7 days)	0.300 per person per day	20	42	10	21
16	BEC/NPRC Coordinators management training by SIEMAT (5 days)	0.300 per person per day	8	12	4	6
17	ABSA/SDI Training (5 days)	0.07 per person per day	17	6	9	3

ANNUAL WORK PLAN BUDGET
BANDA

31.07.2001 (Rs. in Thousands)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
18	Training for AE & JE (5 days)	0.07 person per day	16	6	8	3
19	Teacher Training Computer (UPS)/DIETE Faculty (20 days)	1.50 per person	20	30	10	15
20	Orientation of VECs/Ward Committee (3 days)	0.03 per person per day	4170	375	2085	188
21	Training of RCI(IED)	70.00 (45 days)				
22	Teachers Orientation in IED (5 days)	0.07	500	175	250	88
23	AWPB Review and Training of Core Planning Teams by SIEMAT (7 days)	0.500 per person per day	7	25	4	13
24	Training on EMIF by SIEMAT (5 days)	0.500 per person per day	8	20	4	10
25	Teahcers ABSA/BRC/NPRC Staff training for Gender Sensitisation (3 days)	0.07 per participant per day	1035	217	518	109
	Total		**9361**	**3836**	**4681**	**1918**
Q2	Teaching Learning Material					
1	Teacher Grant (PT+SM)	0.5	3112	1556	3112	1556
2	Teacher Grant (UPS)	0.5	913	457	913	457
3	Free Text Book to SC/ST Children & Girls (PS)	0150 per	132004	19806	132004	19806
	Free Text Book to SC/ST Children & Girls (UPS)	Child per year	44615	6692	44615	6692
4	Supplementary Reading Material (PS)	0.5	1112	556	1112	556
5	Supplementary Reading Material (UPS)	1	320	320	320	320

ANNUAL WORK PLAN BUDGET
BANDA

31.07.2001 (Rs. in Thousands)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
6	Printing & Distribution of Syllabus (PS + UPS) + Teachers Guide	LS	1	1000	1	1000
7	Printing & Distribution of Training Modules (PS + UPS)	160	1	160	1	160
8	Printing & Distribution of Trainers Guides (PS + UPS)	160	1	160	1	160
9	Development Printing and Distribution of AS Training Modules	10	1	10	1	10
10	Children learing Evaluation (PS) (3 Times in 10 years)	400 each	1	400	1	400
11	Children learning Evaluation (UPS) 3 times	400 each	1	400	1	400
12	School Awards	25	1	25	1	25
	Total		**182083**	**31542**	**182083**	**31542**
	Subtotal (C)		**191444**	**35378**	**186764**	**33460**
C1	**DIET**					
	Civil Work	5000				
1	Furniture	100				
2	Equipments (including audio visual)	300				
3	Computers Work Station	600				
4	Vehicle (where applicable)	350				
5	Hiring	5				
6	POL	30				
7	Maintenance of Vehicle	20				
8	Research/Action Research	200				
	Seminars	200				
9	Faculty Development	30				
	Publication	400				

ANNUAL WORK PLAN BUDGET
BANDA

31.07.2001 (Rs. in Thousands)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
10	Exposure visits	50				
11	Library	25				
12	Salary of Computer Operator	7				
13	Salary of Driver (where applicable)	4				
14	Consumable/Computer Stationary	10				
	Contingency	100				
	Total					
C2	Block Resource Centre					
1	Civil Construction	800				
2	Salary Coordinator	6.5				
3	Asstt. Coordinator (2 No)	5.5×2 = 11	96	528	96	528
4	Chowkidar	3×12				
5	Equipment/Furniture	100				
6	Travelling Allowance	5	8	40	4	20
7	Maint of Equipment	1	8	8	8	8
8	Maint of building	6	8	48	8	48
9	Books	10	8	80	4	40
10	Monitoring & Supervision (PS&UPS)	0300 per school	1432	430	716	215
11	Consumables	5	8	40	4	20
12	Contingency	12	8	96	4	48
13	Monthly Review Meeting of CRC Co ordinators	0.300 per meeting	864	259	432	130
	Total		**2440**	**1529**	**1276**	**1057**

ANNUAL WORK PLAN BUDGET
BANDA

31.07.2001 (Rs. in Thousands)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
C3	School Complex (NPRC)					
1	Construction	200				
2	Salary Coordinator	6.5				
3	Equipment/Furniture	10				
4	Books for Library/Book Bank	5	72	360	72	360
5	Contingency	2.5	72	180	72	180
6	Monthly Review meeting at CRC	0.200 x12 per meeting	864	173	432	87
7	Monitoring & Supervision (PS/UPS)	0.200 per school	1432	286	716	143
	Total		**2440**	**999**	**1292**	**770**
C4	District Project Office					
	Staffing Coordinators4					
	Consultants2					
	Comuter Operator1					
	Driver1					
	(if vehicle is purchases)	71	12	426	12	426
	Equipment	50	1	50	1	50
	Furniture & Fixture	50	1	50	1	50
	Books	10	1	10	1	10
	Purchase of Vehicle (Only Kanpur city, Lucknow) new distt.	350	1	350	1	350
	Motorcycle	50	12	600	12	600
	Travelling Allowances	20	1	20	1	20
	Consumables	25	1	25	1	25
	Telephone/fax	30	1	30	1	30
	Vehicle Maintemance & POL	50	1	50	1	50

ANNUAL WORK PLAN BUDGET
BANDA

31.07.2001 (Rs. in Thousands)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
	Honorarium of AE/JE	6 per Block	96	576	96	576
	Maintenance of equipment	10	1	10	1	10
	Hiring of Vehicles	5	1	5	1	5
	Supervision & Monitoring	0.158 per school	1432	226	1432	226
	Contingency	10	1	10	1	10
	Research & Evaluation	0.300 per scholl	1432	430	1432	430
	Total		**2995**	**2868**	**2995**	**2868**
C4 1	MIS					
1	MIS Call Furnisning	50	1	50	1	50
2	Salary of Computer Operator (3 Nos.)	7 p.m. ×12	6	126	6	126
	Salary of MIS Officers	10	1	60	1	60
3	MIS Equipments (where applicable)	460	1	460	1	460
4	Printing & Distribution of Data Formats	20	1	20	1	20
5	Maintenance of Equipments	20	1	20	1	20
6	Computer Consumables	25	1	25	1	25
	Total		12	761	12	761
	Sub Total (D)		7921	7123	5609	6421
	Grand Total		217817	101554	208426	92551

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No. D-11493
Date 09-07-2002.

परिशिष्ट

पृष्ठ संख्या—177

रजि० नं० एस०एस०/एन०पी० 890

लाइसेन्स नं० डब्लू०पी० [illegible]

[illegible]

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 5 मई, 2000

वैशाख 15, 1922 शक संवत

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 1245/सत्रह-वि०-1—1 (क)-29-1999

लखनऊ, 5 मई, 2000

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2000 पर दिनांक 5 मई, 2000 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2000 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2000

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2000)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2000 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 21 जून, 1999 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 1972 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 को, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 की उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायगा, और—

(क) इस प्रकार से पुनः संख्यांकित उपधारा (1) में,—

(एक) खण्ड (ङ) में शब्द "जिला परिषद्, अन्तरिम जिला परिषद्, नगर महापालिका, नगरपालिका बोर्ड, टाउन एरिया कमेटी या नोटीफाइड एरिया कमेटी" के स्थान पर शब्द "जिला पंचायत या नगरपालिका" रख दिये जायेंगे;

(2) खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्—

"(च) 'नगरपालिका' का तात्पर्य, यथास्थिति, किसी नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद् या नगर निगम से है।"

(ख) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

"(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो यथास्थिति, संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 या उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 में उनके लिये दिये गये हैं।"

धारा 3 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (3) में,—

(क) खण्ड (ङ) में शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 17 के अधीन स्थापित जिला परिषदों" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 17 के अधीन स्थापित जिला पंचायतों" रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (च) में शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 9 के अधीन संघटित महापालिकाओं" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 9 के अधीन संघटित निगमों" रख दिये जायेंगे;

(ग) खण्ड (छ) में शब्द और अंक "यू0 पी0 म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 के अधीन स्थापित नगरपालिका बोर्डों" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अधीन स्थापित नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों" रख दिये जायेंगे।

धारा 4 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (2) में,—

(क) खण्ड (ग) में शब्द "जिला बेसिक शिक्षा समितियों अथवा नगर बेसिक शिक्षा समितियों" के स्थान पर शब्द "गांव शिक्षा समितियों या नगरपालिकाओं" और शब्द "उनके प्रशासन पर अधीक्षण करना" के स्थान पर शब्द "गांव शिक्षा समितियों, ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं के प्रशासन पर अधीक्षण करना" रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (घ) में शब्द "नार्मल स्कूलों" के स्थान पर शब्द "जिला शिक्षा प्रौढ़ प्रशिक्षण संस्थान" रख दिये जायेंगे;

(ग) खण्ड (ङ) में शब्द "जिला बेसिक शिक्षा समिति या नगर शिक्षा समिति" के स्थान पर शब्द "गांव शिक्षा समितियों, जिला पंचायतों या नगरपालिकाओं" रख दिये जायेंगे;

(घ) खण्ड (च) में शब्द "और विशेषतया किसी बेसिक स्कूल या नार्मल स्कूल के लिए किसी भवन अथवा पुरस्कार का दान ऐसी शर्तों पर जिन्हें वह उचित समझे, स्वीकार करना" निकाल दिये जायेंगे;

(ङ) खण्ड (ङ-1) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

"(ङ-1) राज्य सरकार के सामान्य नियंत्रण के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन गांव शिक्षा समितियों, ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों या

नगरपालिकाओं को उनके कृत्यों के संपादन में ऐसे निर्देश जारी करेगा, जो इस अधिनियम से असंगत न हों ।"

(ख) खण्ड (ख-2) निकाल दिया जायगा ।

5—मूल अधिनियम की धारा 5 में,— धारा 5 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में शब्द और अंक "धारा 10 में अभिदिष्ट प्रत्येक जिला बेसिक शिक्षा समिति तथा" निकाल दिये जायेंगे ।

(ख) उपधारा (2) में,—

(एक) खण्ड (क) में शब्द "किसी समिति" के स्थान पर शब्द "समिति" रख दिया जायगा;

(दो) खण्ड (ख) में शब्द "किसी समिति" के स्थान पर शब्द "समिति" रख दिया जायगा ।

6—मूल अधिनियम की धारा 9 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :— नई धारा 9-क का बढ़ाया जाना

"9—क (1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारम्भ के दिनांक को और से,—

बेसिक स्कूल के अध्यापकों और सम्पत्तियों का नियंत्रण

(क) बेसिक स्कूल का ऐसा प्रत्येक अध्यापक जो ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व परिषद् के अधीन सेवारत रहा हो, यथास्थिति, ऐसी ग्राम पंचायत या नगरपालिका के, जिसके प्रादेशिक क्षेत्र की सीमा के भीतर बेसिक स्कूल अवस्थित है, प्रशासनिक नियंत्रण में होगा;

(ख) किसी बेसिक स्कूल के संबंध में परिषद् के सभी भवन, सम्पत्तियां और परिसम्पत्तियां यथास्थिति, ऐसी ग्राम पंचायत या नगरपालिका को, जिसके प्रादेशिक क्षेत्र की सीमा के भीतर बेसिक स्कूल अवस्थित हो, अन्तरित और उसमें निहित हो जायगी ।

(ग) जहां ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व किसी भवन या उसके किसी भाग पर किसी बेसिक स्कूल के प्रयोजन के लिए परिषद् किरायेदार के रूप में अध्यासित रहा हो वहां ऐसे भवन या उसके भाग के संबंध में किरायेदारी किसी संविदा, पट्टा या अन्य लिखत में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति ग्राम पंचायत या नगरपालिका के पक्ष में अन्तरित हो जायगी;

(घ) धारा 13-ख की उपधारा (2) में निर्दिष्ट भवन या उसके भाग के संबंध में परिषद् लाइसेन्सधारी नहीं रह जायेगा और, यथास्थिति, ऐसी ग्राम पंचायत या नगरपालिका को जिसके प्रादेशिक क्षेत्र की सीमा के भीतर ऐसा भवन अवस्थित हो, यदि वह पहले से उसका स्वामी न हो तो ऐसे भवन या उसके भाग के संबंध में ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जैसी राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाय, लाइसेन्सधारी समझा जायेगा ।

(2) किसी ग्राम पंचायत या नगरपालिका को, यथास्थिति, ऐसी ग्राम पंचायत या नगरपालिका को उपधारा (1) के अधीन अन्तरित या उसमें निहित किसी भवन, सम्पत्ति या परिसम्पत्तियों को विक्रय, दान, विनिमय, बंधक, पट्टा द्वारा या अन्यथा अन्तरित करने की शक्ति नहीं होगी ।"

7—मूल अधिनियम की धारा 10, 10-क और 11 के स्थान पर निम्नलिखित धारायें रख दी जायेंगी, अर्थात् :— धारा 10, 10-क और 11 का प्रतिस्थापन

"10—उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के अधीन जिला पंचायतों के अधिकारों और कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक जिला पंचायत, परिषद् या राज्य सरकार के अधीक्षण और निदेशन

जिला पंचायत के कृत्य

के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित समस्त या उनमें से किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात् :—

(क) जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिए योजनायें तैयार करना;

(ख) जिले में बेसिक शिक्षा के संबंध में ग्राम पंचायतों के क्रियाकलाप का, समय-समय पर ऐसी रीति से जैसी विहित की जाये, पर्यवेक्षण करना;

(ग) बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करना जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपा जाय ।

नगरपालिकाओं के कृत्य

10-क—यथास्थिति, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 या उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अधीन नगरपालिकाओं के अधिकारों और कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रत्येक नगरपालिका, परिषद् या राज्य सरकार के अधीक्षण और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, निम्नलिखित समस्त या उनमें से किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात् :—

(क) नगरपालिका क्षेत्र में बेसिक स्कूलों की स्थापना, उनका प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंध करना;

(ख) ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय-पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे जायं;

(ग) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिए योजनायें तैयार करना;

(घ) नगरपालिका क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना;

(ङ) नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, लघु दण्ड देने की सिफारिश करना;

गांव शिक्षा समिति और उसके कृत्य

11-(1) प्रत्येक गांव या गांव समूह के निमित्त, जिसके लिए संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 के अधीन ग्राम पंचायत स्थापित हो, एक समिति स्थापित की जायेगी जो गांव शिक्षा समिति कहलायेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(क) ग्राम पंचायत का प्रधान, जो अध्यक्ष होगा;

(ख) बेसिक स्कूलों के छात्रों के तीन संरक्षक (जिसमें एक संरक्षक महिला होगी) जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे;

(ग) ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक स्कूल का मुख्य अध्यापक और यदि वहां एक से अधिक स्कूल हों तो उनके मुख्य अध्यापकों में से, ज्येष्ठतम, जो सदस्य-सचिव होगा;

(2) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय और ग्राम पंचायत के अधीक्षण और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, गांव शिक्षा समिति निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात् :—

(क) पंचायत क्षेत्र में बेसिक स्कूलों की स्थापना, उनका प्रशासन, नियंत्रण और प्रबन्धन करना;

(ख) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिए योजनायें तैयार करना;

(ग) पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना;

(घ) बेसिक स्कूलों, उनके भवनों और उपस्करों के सुधार के लिए जिला पंचायत को सुझाव देना;

(ङ) ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की समय-पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे जायं;

(च) पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, लघु दण्ड देने की सिफारिश करना;

(छ) बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यों को करना, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जायं।"

8—मूल अधिनियम की धारा 12-क निकाल दी जायगी। — धारा 12-क का निकाला जाना

9—मूल अधिनियम की धारा 13 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :— — नई धारा 13-क का बढ़ाया जाना

"13-क—संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947, उत्तर प्रदेश नगर-पालिका अधिनियम, 1916 और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे।" — अध्यारोही प्रभाव

10—मूल अधिनियम की धारा 14 में, उपधारा (1) में शब्द "शक्ति" के स्थान पर शब्द "शक्ति, नियम बनाने की शक्ति के सिवाय" रख दिये जायेंगे। — धारा 14 का संशोधन

11—मूल अधिनियम की धारा 17 में, उपधारा (2) में शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1977 के पश्चात्" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात्" रख दिये जायेंगे। — धारा 17 का संशोधन

12—(1) उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 2000 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। — निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा या उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1999 द्वारा या उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1999 द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

र प्रदेश ादेश या 4 2000 र प्रदेश ादेश 1 13 1999 प्रदेश देश 16 999

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

No. 1245 (2)/XVII-V-1—1 (KA)-29-1999

Dated Lucknow, May 5, 2000

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Basic Shiksha (Sanshodhan) Adhiniyam, 2000 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 18 of 2000) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on May 5, 2000.

THE UTTAR PRADESH BASIC EDUCATION (AMENDMENT) ACT, 2000

(U. P. Act No. 13 of 2000)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Basic Education Act, 1972.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-first Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) Act, 2000.

(2) It shall be deemed to have come into force on June 21, 1999.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 34 of 1972

2. Section 2 of the Uttar Pradesh Basic Education Act, 1972, hereinafter referred to as the principal Act, shall be renumbered as sub-section (1) thereof and,

(a) in sub-section (1) as so renumbered,—

(i) in clause (*e*) *for* the words "Zila Parishad, Antarim Zila Parishad, Nagar Mahapalika, Municipal Board, Town Area Committee or Notified Area Committee" the words, "Zila Panchayat or Municipality" shall be *substituted*;

(ii) *after* clause (*e*) the following clause shall be *inserted*, namely :—

"(*f*) "Municipality" means a Nagar Panchayat, Municipal Council or Municipal Corporation, as the case may be."

(b) *after* sub-section (1) as so renumbered, the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(2) Words and expressions used in this Act but not defined shall have the meaning assigned to them in the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947, the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 or the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959, as the case may be."

Amendment of section 3

3. In section 3 of the principal Act, in sub-section (3),—

(a) in clause (*b*) *for* the words and figures "Zila Parishads established under section 17 of the Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zila Parishads Adhiniyam, 1961," the words and figures "Zila Panchayats established under section 17 of the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961" shall be *substituted*;

(b) in clause (*c*) *for* the words and figures "Mahapalikas constituted under section 3 of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959", the words and figures "Corporations constituted under section 9 of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959" shall be *substituted*;

(c) in clause (*d*) *for* the words and figures "Municipal Boards established under the U. P. Municipalities Act, 1916," the words and figures "Municipal Council and Nagar Panchayats established under the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916" shall be *substituted*.

Amendment of section 4

4. In section 4 of the principal Act, in sub-section (3),—

(a) in clause (*a*) *for* the words "Zila Basic Shiksha Samitis or Nagar Basic Shiksha Samitis and to superintend the said Samitis", the words "the Gaon Shiksha Samitis, or Municipalities and to superintend Gaon Shiksha Samitis, Gram Panchayats and Municipalities" shall be *substituted*;

(b) in clause (*d*) *for* the words "Normal schools" the words "District Institute of Education and Training" shall be *substituted*;

(c) in clause (*e*) *for* the words "the Zila Basic Shiksha Samiti or the Nagar Shiksha Samiti", the words "Gaon Shiksha Samitis, Zila Panchyats or Municipalities" shall be *substituted* ;

(d) in clause (*f*) the words "and in particular, to a[illegible] any [illegible] of any [illegible] such [illegible] as it thinks fit" shall be *omitted*;

(e) *for* clause (g-1) the following clause shall be *substituted*, namely:—

"(g-1) subject to the general control of the State Government to issue directions not inconsistant with this Act, to Gaon Shiksha Samitis, Gram Panchayats, Zila Panchayats or Municipalities in the performance of their functions under this Act;"

(*f*) clause (g-2) shall be *omitted*.

5. In section 5 of the principal Act,— Amendment of section 5

(*a*) in sub-section (1) the words and figures "each Zila Basic Shiksha Samiti referred to in section 10 and" shall be *omitted*,

(*b*) in sub-section (2),—

(*i*) in clause (*a*) *for* the words "any Samiti" the words "the Samiti" shall be *substituted*.

(*ii*) in clause (*d*) *for* the words "any Samiti" the words "the Samiti" shall be *substituted*.

6. *After* section 9 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely:— Insertion of new section 9-A

9-A (1) Notwithstanding anything contained to the contrary in any other provisions of this Act, on and from the date of commencement of the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) Act, 2000,— Control of teacher and properties of basic schools

(*a*) every teacher of the basic school serving under the Board immediately before such commencement shall be under the administrative control of the Gram Panchayat or the Municipality, as the case may be, within whose territorial limits the basic school is situated ;

(*b*) all buildings, properties and assets of the Board in respect of a basic School shall stand transferred to, and vest in, the Gram Panchayat or the Municipality, as the case may be, within whose territorial limits the basic school is situated;

(*c*) where any building or part thereof is occupied as a tenant by the Board for the purpose of a basic school immediately before such commencement, the tenancy in respect of such building or part thereof shall, notwithstanding anything contained in any contract, lease or other instrument, stand transferred in favour of the Gram Panchayat, or the Municipality, as the case may be;

(*d*) the Board shall cease to be the licensee in respect of the building or part thereof referred to in sub-section (1) of section 18-A and the Gram Panchayat or the Municipality, as the case may be, within whose territorial limits such building is situated, shall, if it is not already owner thereof, be deemed to have become licensee in respect of such building or part thereof on such terms and conditions as may be determined by the State Government.

(2) No Gram Panchayat or Municipality shall have power to transfer by sale, gift, exchange, mortgage, lease or otherwise any building, property or assets transferred to, and vested in, such Gram Panchayat or Municipality, as the case may be, under sub-section (1).

Substitution of sections 10, 10-A and 11

7. *For* section 10, 10-A and 11 of the principal Act, the following sections shall be *substituted*, namely :—

Functions of Zila Panchayats

"10. Without prejudice to the powers and functions of Zila Panchayats under the Uttar Pradesh Zila Panchayats and Kshetra Panchayats Adhiniyam, 1961, every Zila Panchayat shall, subject to superintendence and directions of the Board or the State Government perform all or any of the following functions, namely :—

(*a*) to prepare schemes for the development, expansion and improvement of basic schools in the rural areas of the district ;

(*b*) to supervise generally in such manner as may be prescribed the activities of Gram Panchayats in the district with regard to basic education ;

(*c*) to perform such other functions pertaining to basic education as may be entrusted to it by the State Government.

Functions of Municipalities

10-A Without prejudice to the powers and functions of Municipalities under the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 or the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916, as the case may be, every Municipality shall, subject to superintendence and control of the Board or the State Government, perform all or any of the following functions, namely:—

(*a*) to establish, administer, control and manage basic schools in the Municipal area;

(*b*) to take all such necessary steps as may be considered necessary to ensure punctuality and attendance of teachers and other employees of basic schools;

(*c*) to prepare schemes for the development, expansion and improvement of such basic schools;

(*d*) to promote and develop basic education, non-formal education and adult education in the Municipal area;

(*e*) to make recommendation for minor punishment in such manner as may be prescribed on a teacher or other employee of a basic school situate within the limits of the municipal area.

Gaon Shiksha Samiti and its function

11. (1) For each village or group of villages for which a Gram Panchayat is established under the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947, there shall be established a committee to be known as Gaon Shiksha Samiti which shall consist of the following members, namely:—

(*a*) the Pradhan of the Gram Panchayat who shall be the Chairman;

(*b*) three guardians of students of basic schools (of whom one guardian must a woman) to be nominated by the Assistant Basic Education Officer;

(*c*) the head master of the basic school situated in the Gram Panchayat and if there are more than one such schools, the senior-most of the head masters thereof, who shall be the Member-Secretary;

(2) except as otherwise provided in any other provisions of this Act and subject to the supervision and control of the Gram Panchayat, the Gaon Shiksha Samiti shall perform the following functions, namely :—

(*a*) to establish, administer, control and manage basic schools in the panchayat area;

(*b*) to prepare schemes for the development, expansion and improvement of such basic schools;

संख्या: 2604/15-5-99-282/98

प्रेषक,

श्री राजेन्द्र भौनवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

(1) शिक्षा निदेशक (बे0)
उ0प्र0 लखनऊ।

(2) राज्य परियोजना निदेशक,
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना,
निशातगंज, लखनऊ।

शिक्षा (5) अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 26 मई, 1999

विषय:- उ0प्र0 के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु "शिक्षा मित्र योजना" लागू किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के संदर्भ में प्राथमिक विद्यालयों में निर्धारित मानकानुसार अध्यापक-छात्र अनुपात को बनाये रखने हेतु राज्यपाल महोदय वर्तमान शिक्षा सत्र 1999-2000 से प्रदेश में संलग्न "शिक्षा मित्र योजना" लागू करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- शिक्षा मित्र योजना का कार्यान्वयन मुख्यत: निर्धारित अध्यापक-छात्र अनुपात को बनाये रखने हेतु उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित ऐसे प्राथमिक विद्यालयों में किया जायेगा जिनमें निर्धारित मानक के अनुसार अध्यापकों की व्यवस्था नहीं हो सकी है । शिक्षा सत्र 1999-2000 में पूरे प्रदेश में 10,000 की सीमा तक शिक्षा मित्रों को अनुबंधित किया जायेगा।

3- योजना के संचालनार्थ जिला स्तर पर एक समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है :-

1- जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2- जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य
3- लेखाधिकारी, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
4- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य-सचिव

4- जनपद में उपर्युक्त योजनान्तर्गत कार्यक्रम को संचालित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व उपर्युक्त समिति का होगा।

5- योजनान्तर्गत " शिक्षा मित्रों " के चुनाव हेतु विस्तृत निर्देश संलग्न योजना में दिये गये हैं, जिनका अक्षरशः पालन किया जायेगा।

6- योजना के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रत्येक शिक्षा मित्र को प्रतिमाह रूपये 1450/- का मानदेय देय होगा। इसके अतिरिक्त एक माह की प्रशिक्षण अवधि के लिए उन्हें रूपये 400/- की दर से मानदेय देय होगा। शिक्षा मित्रों के प्रशिक्षण हेतु जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को निर्धारित दरों पर धनराशि देय होगी।

7- कृपया तद्नुसार योजना के संचालनार्थ वित्तीय आवश्यकताओं का आंगणन कर प्रस्ताव शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजेन्द्र भौनवाल)
सचिव।

संख्या: व दिनांक: तदैव:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त मण्डलायुक्त उ०प्र०।
2- समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
3- समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत उ०प्र०।
4- निदेशक, एस०सी०ई०आर०टी०, निशातगंज लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे संलग्न योजना के प्राविधानों के अनुसार चयनित शिक्षा मित्रों के एक माह के प्रशिक्षण हेतु आवश्यक धनराशि का आंगणन कर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5- सचिव, उ०प्र० शासन पंचायती राज विभाग।
6- निदेशक, पंचायती राज विभाग उ०प्र० लखनऊ।
7- समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे०) उ०प्र०
8- समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ०प्र०।
9- शिक्षा निदेशक (मा०/प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा / उर्दू एवं प्राच्य भाषायें) उ०प्र० लखनऊ।
10- पंचायती राज अनुभाग -1
11- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव / कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।
12- शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।

आज्ञा से,

(दिनेश चन्द्र शर्मा)
विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या : 2604/15-5-99-282/98 दिनांक 26 मई 1999 का संलग्नक।

शिक्षा मित्र योजना

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के संदर्भ में निर्धारित मानक के अनुसार अध्यापक -छात्र अनुपात को बनाये रखने हेतु कम लागत पर शिक्षण की व्यवस्था के लिए शिक्षा मित्र नामक योजना का रूप रेखा निम्नवत् है । यह योजना शैक्षिक सत्र 1999-2000 से लागू होगी ।

शिक्षा मित्र की संकल्पना

1- स्थानीय आवश्यकता और मांग के संदर्भ में ग्राम सभा स्तर पर उपलब्ध इण्टरमीडिएट तक शिक्षित व्यक्तियों में से निश्चित मानदेय पर पंचायत राज अधिनियम के अन्तर्गत गठित ग्राम पंचायत की शिक्षा समिति द्वारा शिक्षण कार्य हेतु संविदा पर आमंत्रित किये जाने वाला व्यक्ति "शिक्षा मित्र " होगा।

2- ।।। शिक्षा मित्र योजना का कार्यान्वयन मुख्यत: निर्धारित अध्यापक छात्र अनुपात को बनाये रखने हेतु बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित ऐसे प्राथमिक विद्यालयों में किया जायेगा जिनमें निर्धारित मानक के अनुसार अध्यापकों की व्यवस्था नहीं हो सकी है।

।।।।ग्राम पंचायत की ग्राम शिक्षा समिति में "शिक्षा मित्र" की आवश्यकता का प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय लेगी कि शिक्षा समिति विद्यालय में "शिक्षा मित्र" की व्यवस्था हेतु सहमत एवं तैयार है ।

शिक्षा मित्र की अधिक योग्यता एवं अर्हता

3- ।।। शिक्षा मित्र (पुरूष /महिला) की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण अथवा राज्य सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होगी।

।।।। उक्त ग्राम शिक्षा समिति प्रस्ताव पारित कर निर्णय लेने से पूर्व जिस गाँव में विद्यालय स्थित है, उसमें निर्धारित अर्हताधारी महिला अथवा पुरूष अभ्यर्थी को चिन्हित करेगी। विशेष परिस्थिति में किसी गाँव में निर्धारित अर्हताधारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर संबंधित न्याय पंचायत में से जहाँ ऐसे अर्हताधारी महिला /पुरूष अभ्यर्थी उपलब्ध हैं, अर्हताधारी महिला अथवा पुरूष को चिन्हित किया जायेगा।

.....2....

(iii) किसी भी विद्यालय में पूर्णकालिक अध्यापक तथा 'शिक्षा मित्र' का अनुपात अधिकतम 3:2 होगा।

शिक्षा मित्र की संख्या का निर्धारण

4- निदेशक परियोजना द्वारा बी०ई०पी०/डी०पी०ई०पी० परियोजना से आच्छादित जनपदों में तथा गैर परियोजना जनपदों में शिक्षा निदेशक (बे०) द्वारा शिक्षा मित्रों की संख्या का निर्धारण सर्वेक्षण में प्राप्त आँकड़ों के अनुसार तथा अध्यापक छात्र के 1:40 के अनुपात को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा। निर्धारित संख्या के अन्तर्गत ही जनपदों में शिक्षा मित्र रखे जायेंगे।

आयु

5- शिक्षा मित्र की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 30 वर्ष होगी। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शिक्षण कार्य करने योग्य सक्षम स्थानीय / निकटवर्ती गाँव के अर्ह व्यक्ति (महिला/पुरुष) का चयन किया जा रहा है।

शिक्षा मित्र का चयन

6- (क) ग्राम शिक्षा समिति शिक्षा मित्र / मित्रों के चयन हेतु बैठक आहूत करेगी जिसमें समिति के सदस्यों की कुल संख्या के दो तिहाई सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

(ख) समिति के द्वारा सदस्यों के सम्मुख उपलब्ध अर्ह व्यक्तियों की सूची प्रस्तुत की जायेगी। यह सूची उनके द्वारा हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा के प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत के औसत अंकों के आधार पर निर्मित की जायेगी तथा सूची में अधिक अंक प्राप्त करने वाले का नाम पहले रखा जायेगा।

(ग) समिति आवश्यकतानुसार शिक्षा मित्रों की संख्या का आंकलन करेगी। यह संख्या 1:40 के आधार पर शिक्षकों की कुल संख्या में से कार्यरत शिक्षकों की संख्या को घटाकर निकाली जायेगी। तद्नुसार 181 छात्र संख्या पर 3 तथा इसके उपरान्त 40 छात्रों की पूर्ण संख्या पर एक अतिरिक्त शिक्षक की आवश्यकता का आंकलन किया जायेगा।

(घ) विद्यालय में कुल रखे जाने वाले शिक्षा मित्रों में 50% महिलायें होंगी। इनका भी चयन बिन्दु (ख) में इंगित आधार पर किया जायेगा।

(ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं अन्य श्रेणियों के आरक्षण हेतु प्रचलित नियमों/ निर्देशों का पालन यथावत् सुनिश्चित किया जायेगा।

....3..

(घ) ग्राम शिक्षा समिति के सभापति व सचिव के निकट संबंधी का चयन शिक्षा मित्र के रूप में नहीं किया जायेगा।

संविदा की अवधि

7- शिक्षा मित्र ग्राम शिक्षा समिति द्वारा प्रस्ताव पारित कर चालू शैक्षिक सत्र के लिए संविदा पर रखा जायेगा जो मई माह के अन्तिम दिवस को स्वतः समाप्त हो जायेगी।

संविदा अवधि का मानदेय

8- शिक्षा मित्र को संविदा पर रुपया 1450/- प्रतिमाह निश्चत मानदेय पर रखा जायेगा।

संविदा समाप्त करने की प्रक्रिया

9- (1) किसी भी शिक्षा मित्र का कार्य संतोषजनक न होने की दशा में ग्राम शिक्षा समिति, समिति के दो तिहाई बहुमत से लिखित प्रस्ताव पारित कर संविदा समाप्त कर सकती है। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा इस संबंध में लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

(2) संबंधित शिक्षा मित्र को उस माह का मानदेय देय होगा जिस माह में उसके विरुद्ध ग्राम शिक्षा समिति द्वारा संविदा समाप्त करने के आशय का प्रस्ताव पारित कर निर्णय लिया जायेगा तथा इस प्रकार हटाये गये शिक्षा मित्र को पुनः सेवा का अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

शिक्षा मित्र के मानदेय की स्वीकृति

10- (1) उपर्युक्त अनुच्छेद-6 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ग्राम शिक्षा समिति द्वारा शिक्षा मित्र का चयन करने के उपरान्त एतदर्थ अनुदान प्राप्त करने हेतु औपचारिक प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर पूर्ण सूचनाओं सहित संबंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अपेक्षित सत्यापन एवं पुष्टि के उपरान्त प्रस्तावों पर शासन द्वारा नामित समिति का अनुमोदन प्राप्त करेंगे एवं अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त अनुदान की स्वीकृति अथवा अस्वीकृत करें, निर्णय संबंधित ग्राम शिक्षा समिति को सूचित करेंगे।

(2) अनुदान स्वीकृत किये जाने की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित ग्राम शिक्षा समिति संबंधित शिक्षा मित्र को इस आशय की सूचना देगी कि वह जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में प्रारम्भिक प्रशिक्षण हेतु अपनी उपस्थिति दें। उनके द्वारा संतोषजनक ढंग से एक माह का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिये जाने पर निर्धारित प्राथमिक स्कूल में शिक्षा मित्र को अध्यापन कार्य हेतु मानदेय रुपया 1450/-

प्रतिमाह पर संविदा के आधार पर नियुक्त किया जायेगा। यह संविदा आगामी 31 मई को स्वतः समाप्त हो जायेगी।

प्रशिक्षण

11- शिक्षा मित्र के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था निम्न प्रकार होगी :-

(1) प्रशिक्षण- प्रत्येक चयनित शिक्षा मित्र को जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में एक माह का प्रारम्भिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करना होगा। इसके बाद ही ग्राम शिक्षा समिति द्वारा पारित प्रस्तावानुसार शिक्षा मित्र कार्य आरम्भ करेगा। प्रशिक्षण अवधि में प्रत्येक शिक्षा मित्र को रू0 400/- का मानदेय देय होगा। संबंधित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को निर्धारित मानकों के अनुसार प्रति शिक्षा मित्र की दर से धनराशि प्रशिक्षण के आयोजन तथा प्रशिक्षण अवधि में भोजन, आवास आदि पर व्यय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

(11) पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण- प्रत्येक वर्ष आगामी शिक्षा सत्र में पूर्व 15 दिन के पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण में प्रत्येक ऐसे शिक्षा मित्र को प्रतिभाग करना अनिवार्य होगा, जो आगामी शैक्षिक सत्र में शिक्षा मित्र के दायित्व को निर्वहन करने को तैयार हो, किन्तु ऐसे शिक्षा मित्रों के लिए अप्रैल माह में ग्राम शिक्षा समिति द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर इसकी सूचना संबंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं प्राचार्य जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान को देनी अनिवार्य होगी। पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण की अवधि में शिक्षा मित्र को रू0 200/- का मानदेय दिया जायेगा। तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को निर्धारित मानकों की दर से आवास भोजन तथा प्रशिक्षण के आयोजन हेतु धनराशि दी जायेगी।

पर्यवेक्षण

12- (1) शिक्षा मित्र को आवश्यक सहायता न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र/ विकास खण्ड संसाधन केन्द्र द्वारा प्रदान की जायेगी तथा उनका शैक्षिक पर्यवेक्षण प्रमुखतः इन केन्द्रों के समन्वयकों द्वारा किया जायेगा। न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र / सरंगना स्कूल पर प्रत्येक माह आयोजित होने वाली एक दिवसीय कार्यशाला / बैठक में शिक्षा मित्र का प्रतिभाग करना अनिवार्य होगा। इस एक दिवसीय कार्यशाला में विकास खण्ड संसाधन केन्द्र /न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयक द्वारा प्रत्येक शिक्षा मित्र से शिक्षण कार्य में उनके अनुभव, समस्याओं तथा आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त कर उसकी समस्याओं का समाधान

...5..

किया जायेगा तथा उसे पृथक पंजिका में अभिलिखित भी किया जायेगा। यदि कोई समस्या ऐसी है जिसका समाधान समन्वयक के स्तर से संभव नहीं हो तो उसकी जानकारी संबंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा की जायेगी एवं इस संबंध में वरीयता से कार्यवाही कर उसका निदान जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान/विकास खण्ड संसाधन केन्द्र / न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र से कराया जायेगा।

(।।) शिक्षा मित्र पर पूर्ण नियंत्रण ग्राम शिक्षा समिति का होगा तथा वे इसके प्रति उत्तरदायी होंगे, किन्तु शिक्षा मित्र अपने शिक्षण दायित्वों का निर्वहन विद्यालय के प्रधान अध्यापक /प्रभारी प्रधान अध्यापक के नियंत्रण एवं निर्देशन में करेंगे।

(।।।) ग्राम शिक्षा समिति के पदाधिकारी / सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक अथवा किसी अन्य अधिकारी द्वारा स्कूल के निरीक्षण / पर्यवेक्षण के समय स्कूल के अन्य अध्यापकों की भाँति "शिक्षा मित्र" भी पूर्ण रूप से जवाबदेह होंगे।

(IV) विकास खण्ड संसाधन केन्द्र / न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयक तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक द्वारा शिक्षा मित्र के शिक्षण कार्य के संबंध में पर्यवेक्षण टिप्पणी प्रस्तुत की जायेगी जिस पर ग्राम शिक्षा समिति विचार करेगी। यदि शिक्षा मित्र के विरुद्ध लगातार टिप्पणी आती है तब ग्राम शिक्षा समिति उक्त शिक्षा मित्र की निर्धारित प्रक्रियानुसार संविदा समाप्त सकती है और अन्य शिक्षा मित्र का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चयन कर सकती

दान की व्यवस्था

13- (।) इस योजना के अधीन "शिक्षा मित्र" के मानदेय तथा प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय की धनराशि को एक मुश्त संबंधित जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निदेशक, सभी के लिए शिक्षा परियोजना तथा गैर परियोजना जनपदों में शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वारा अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की स्वीकृति से उपरान्त धनराशि का आगणन निर्धारित दर पर आगामी मई 31 तक के लिए किया जायेगा तथा एक किश्त स्वीकृत कर दिये जाने पर आगामी किश्त पूर्व स्वीकृत किश्त के उपभोग प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही स्वीकृत की जायेगी। धनराशि दो समान किश्तों में संबंधित ग्राम शिक्षा समिति को उपलब्ध कराई जायेगी।

......

14- प्रस्तर -13 में उल्लिखित नामित समिति को यह अधिकार होगा कि किसी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा " शिक्षा मित्र " योजना के अधीन स्वीकृत अनुदान की धनराशि के दुरुपयोग की शिकायत प्राप्त होने पर अनुदान की दूसरी किस्त की धनराशि के हस्तान्तरण को रोक दें अथवा पूर्व में स्वीकृत धनराशि की नियमानुसार वसूली कर लें।

15- उपरोक्त नियमों में प्रयुक्त ग्राम शिक्षा समिति का तात्पर्य ग्राम पंचायत की शिक्षा समिति से है।

(दिनेश चन्द्र कनोजिया)
विशेष सचिव।

संख्या-129(1)/15-5-2000-282/98

प्रेषक,

श्री एन0 रविशंकर
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) शिक्षा निदेशक(बे)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(2) राज्य परियोजना निदेशक,
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना परिषद,
निशातगंज, लखनऊ।

शिक्षा अनंभाग-5

लखनऊ: दिनांक: 1 जुलाई, 2000

विषय:- प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के लिए शिक्षित युवाओं की सहभागिता हेतु शिक्षा मित्र योजना का कार्यान्वयन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या- 2604/15-5-99-282/98, दिनांक 26.5.1999 एवं शा0 सं0-4336/15-5-99-282/98 टीसी, दिनांक 11.08.1999 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के प्रयासों के अन्तर्गत शासन ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित युवा पीढ़ी को शिक्षा के प्रसार में स्वेच्छा उनकी सहभागिता सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में ग्राम पंचायतों द्वारा प्राप्त करने के लिए शिक्षा मित्र योजना की रचना की है। वस्तुत: यह योजना मुख्य रूप से ग्रामीण शिक्षित युवा शक्ति को अपने ही ग्राम से शिक्षा के आलोक को सामुदायिक सेवा के रूप में प्रज्वलित करने हेतु उन्हें उत्प्रेरित करने के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रारम्भ की गयी है। यहां यह भी स्पष्ट रूप से इंगित कर दिया जाना आवश्यक है कि शिक्षा मित्र योजना सेवायोजन परक योजना नहीं है, प्रत्युत इसका उद्देश्य ग्रामीण शिक्षित युवाओं को प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में उनको सामुदायिक सेवा हेतु उत्प्रेरित करना मात्र है।

शासन ने उपर्युक्त योजना के अंतर्गत शिक्षा मित्रों की आवश्यकता के आंकलन, चयन तथा योजना के कार्यान्वयन से सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं के संबंध में कार्यवाही निम्नलिखित मार्ग निर्देशों के अनुसार प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है:-

1. शिक्षा मित्र की आवश्यकता का आंकलन:

प्रदेश में विभिन्न जनपदों में शिक्षा मित्र की आवश्यकता का आंकलन एवं संख्या का निर्धारण विश्व बैंक वित्त पोषित परियोजनाओं से आच्छादित जनपदों में राज्य परियोजना निदेशक द्वारा तथा

शेष जनपदों में शिक्षा निदेशक(बे) द्वारा शासन द्वारा पूरे प्रदेश के लिए निर्धारित संख्या के अंतर्गत किया जायेगा तथा साथ ही यह भी ध्यान में रखा जायेगा कि प्रत्येक विद्यालय में अध्यापक छात्र अनुपात 1:40 का अनुसरण हो।

प्रत्येक विद्यालय में पूर्णकालिक अध्यापक तथा शिक्षा मित्र का अनुपात अधिकतम 3:2 का होगा। शिक्षा मित्र की तैनाती उन्हीं विद्यालयों में होगी जहां पहले से न्यूनतम एक नियमित अध्यापक कार्यरत हो। दूसरा शिक्षा मित्र सम्बन्धित विद्यालय में तभी तैनात किया जा सकेगा जब विद्यालय में पहले से दो नियमित अध्यापक कार्यरत हों और अध्यापक छात्र के 1:40 के अनुपातिक आधार पर शिक्षा मित्र की आवश्यकता हो। दो से अधिक शिक्षा मित्रों को एक विद्यालय में नहीं रखा जायेगा।

उपर्युक्त प्रक्रिया एवं रोस्टर का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. <u>योजना के आच्छादन हेतु विद्यालयों का चिन्हांकन:</u>

योजनान्तर्गत शिक्षा मित्रों की जनपदवार आवश्यकता का निर्धारण शिक्षा निदेशक(बे) एवं राज्य परियोजना निदेशक, बेसिक शिक्षा परियोजना द्वारा करा लिये जाने के उपरान्त विद्यालयों का चिन्हांकन शासनादेश दिनांक 26 मई, 1999 द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा। जिला स्तरीय समिति द्वारा शिक्षा मित्रों की व्यवस्था करने हेतु शिक्षा निदेशक(बे)/परियोजना निदेशक द्वारा संबंधित जनपद के लिए निर्धारित शिक्षा मित्रों की संख्या के आधार पर ग्राम पंचायतों, जहां प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्र की व्यवस्था अपेक्षित हो, का चिन्हांकन ऐसे एकल अध्यापकीय विद्यालयों जो जनपद के दुर्गम क्षेत्रों में स्थित हों और अध्यापकों की कमी के कारण जहां पठन-पाठन में समस्या रही हो, को वरीयता प्रदान करते हुए विद्यालयों के चयन हेतु संस्तुति की जायेगी।

3. <u>ग्राम शिक्षा समिति द्वारा शिक्षा मित्र के चिन्हांकन की प्रक्रिया:</u>

जिला स्तरीय समिति द्वारा योजना के आच्छादन हेतु विद्यालयों का चिन्हांकन हो जाने के उपरान्त सम्बन्धित ग्राम शिक्षा समिति अपनी ग्राम पंचायत की प्रादेशिक सीमा के अंतर्गत अवस्थित विद्यालय हेतु शिक्षा मित्र की व्यवस्था हेतु प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय लेगी कि समिति सम्बन्धित विद्यालय में शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अंतर्गत शिक्षा मित्र की व्यवस्था हेतु सहमत है।

उपर्युक्त प्रस्ताव के पारित हो जाने के उपरान्त ग्राम शिक्षा समिति शिक्षा मित्र की व्यवस्था के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सार्वजनिक सूचना ग्राम पंचायत के सूचना पटल तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र में अन्य उपयुक्त माध्यमों से प्रसारित करेगी।

सूचना के प्रकाशन/प्रसारण की तिथि से 10 दिन की समयावधि में इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त किये जा सकेंगे।

ग्राम शिक्षा समिति द्वारा उस ग्राम पंचायत में जिसकी प्रादेशिक सीमा में विद्यालय अवस्थित है के निर्धारित अर्हता धारी अभ्यर्थियों के ही आवेदन पत्र आमंत्रित करेगी। विशेष परिस्थिति में यदि किसी गांव में अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो सम्बन्धित न्याय पंचायत में से अर्ह अभ्यर्थी चिन्हांकित किये जा सकेंगे।

4. शिक्षा मित्र की अर्हतायें:-

शिक्षा मित्र (पुरूष/महिला) की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण अथवा राज्य सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होगी किन्तु प्रतिबंध यह है कि प्रदेश में संचालित मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालयों तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित महाविद्यालयों/प्रशिक्षण महाविद्यालयों में संस्थागत छात्र के रूप में बी0एड0/एल0टी0 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अधिमान्यता प्रदान की जायेगी। शिक्षा मित्र की न्यूनतम आयु चयन वर्ष की 1 जुलाई को 18 वर्ष व अधिकतम 30 वर्ष होगी।

5. शिक्षा मित्र का कार्यकाल:

शिक्षा मित्र का कार्यकाल सामान्यतया किसी शिक्षा सत्र में माह मई के अंतिम दिवस को स्वत: समाप्त हो जायेगा। शिक्षा मित्र के शिक्षण कार्य एवं आचरण से संतुष्ट होने की स्थिति में समिति द्वारा अगले शिक्षा सत्र के लिए भी उसे चिन्हित किया जा सकता है।

किसी भी शिक्षा मित्र का कार्य व आचरणसंतोषजनक न होने की दशा में शिक्षा समिति के दो तिहाई बहुमत से लिखित प्रस्ताव पारित कर सत्र के मध्य में भी समिति शिक्षा मित्र को किसी भी समय हटा सकती है। इस संबंध में शिक्षा समिति का निर्णय अंतिम होगा और इस प्रकार हटाये गये शिक्षा मित्र को पुन: इस रूप में कार्य करनेका अवसर नहीं दिया जायेगा।

6. शिक्षा मित्र का मानदेय:

शिक्षा मित्र को रू0 2250/- प्रति माह का नियत मानदेय ग्राम शिक्षा समिति द्वारा भुगतान किया जायेगा। मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा निधि के माध्यम से किया जायेगा। मानदेय की धनराशि ग्राम शिक्षा निधि के खाते में रखी जायेगी। जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन के उपरान्त मानदेय हेतु अपेक्षित धनराशि हस्तांतरित होगी।

शिक्षा सत्र के मध्य में हटाये जाने वाले शिक्षामित्र को उस माह का मानदेय देय होगा जिस माह उसके विरूद्ध शिक्षा समिति द्वाराउसे हटाये जाने के संबंध में निर्णय लिया जाता है।

7. शिक्षा मित्र का प्रशिक्षण:

ग्राम पंचायत द्वारा चयनित एवं जिला समिति द्वारा अनुमोदित शिक्षा मित्र को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में एक माह का प्रशिक्षण प्रदान कियाजायेगा। यह प्रशिक्षण शिक्षा मित्र को सफलता पूर्वक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके पश्चात ही ग्राम शिक्षा समिति द्वारा पारित प्रस्तावानुसार शिक्षा मित्र को शिक्षा कार्य करने की अनुमति प्रदान की जायेगी। इस प्रशिक्षण अवधि के लिए उसे रू0 2250/- के स्थान पर रू0 450/- का मानदेय देय होगा।

यदि शिक्षा मित्र का अगले शिक्षा सत्र के लिये चयन शिक्षा समिति द्वारा कर लिया जाता है तो उसे आगामी सत्र में 15 दिन का पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण सफलता पूर्वक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण अवधि में उसे रू0 2250/- का मानदेय दिया जायेगा।

उपर्युक्त प्रशिक्षण अवधियों में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा उन्हें निःशुल्क आवास एवं भोजन की सुविधा दी जायेगी।

निर्दिष्ट अर्हता/अभिमानी अर्हता एवं आयु सीमा के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थी शिक्षा मित्र के रूप में शिक्षण से सम्बन्धित सामाजिक कार्य के लिए अपनी सेवायें सुलभ कराये जाने हेतु निर्दिष्ट-प्रारूप एक में आवेदन पत्र अपनी शैक्षिक/प्रशिक्षण अर्हता, आयु एवं जाति सम्बन्धी स्वघोषणा-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे। शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता के प्रमाण पत्रों के साथ उनके द्वारा हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट तथा बी0एड0/एल0टी0 परीक्षा की अंक तालिकायें तथा प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जायेंगे।

ग्राम शिक्षा समिति द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए निर्दिष्ट समयावधि पूरी हो जाने के 10 दिन) तुरन्त बाद आवेदन पत्रों का सम्यक रूप से परीक्षण एवं उन पर विचार हेतु अपनी बैठक आहूत की जायेगी। शिक्षा समिति सम्बन्धित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों से उनकी अर्हता/अभिमानी अर्हता तथा आयु के संबंध में सत्यापन सुनिश्चित करेंगे।

शिक्षा मित्र को चिन्हित करने हेतु ग्राम शिक्षा समिति की बैठक में सदस्यों की दो तिहाई उपस्थिति अनिवार्य होगी।

समिति हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट तथा बी0एड0/एल0टी0 परीक्षा के प्राप्तांको के प्रतिशत के औसत अंकों के आधार पर शिक्षा मित्र के चयन हेतु पात्रता सूची तैयार करेगी तथा सूची में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम पहले क्रम पर और उससे कम अंक वाले अभ्यर्थियों को अवरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जायेगा।

विद्यालय में कुल रखे जाने वाले शिक्षा मित्रों में 50 प्रतिशत महिला होंगी। ग्राम पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत जो ग्राम पंचायत शिक्षा मित्र के चिन्हांकन के समय परिसीमन के अनुसार जिस रूप में वर्गीकृत हो अर्थात- सामान्य/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, उस पंचायत की प्रादेशिक सीमा में अवस्थित प्राथमिक विद्यालय में 'शिक्षा मित्र' के रूप में प्रथम रिक्ति पर परिसीमन के अनुसार यथास्थिति उसी वर्ग के अभ्यर्थी अर्थात सामान्य/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए आरक्षित होगी। निर्दिष्ट मानके के अनुसार सम्बन्धित प्राथमिक विद्यालय में यदि शिक्षा मित्र के रूप में दो अभ्यर्थी चिन्हित होते है तो दूसरी रिक्ति अनारक्षित होगी।

शिक्षा समिति के सभापति व सचिव के निकट सम्बन्धी का चयन शिक्षा मित्र के रूप में नहीं कियाजायेगा। सम्बन्धियों का तात्पर्य पिता, दादा, स्वसुर (पित्र एवं मात्र सम्बन्धी) पुत्र, पौत्र,दामाद, भाई, बहन, पति, पत्नी, पुत्री तथा मां से है।

ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मित्र के रूप में नहीं रखा जायेगा जिसे केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा किसी शैक्षिक संस्थान जो कि राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त एवं सहायतित है, को सेवा से पृथक अथवा सेवाच्युत करने का दण्ड दिया गया हो अथवा किसी अनैतिक कार्यों में लिप्त होने के कारण जेल की सजा काट चुका हो।

शिक्षा समिति उपर्युक्त सभी बिन्दुओं के संबंध में अपना समाधान करने एवं संबंधित व्यक्ति जिसे शिक्षा मित्र के रूप में समिति द्वारा रखा जाना प्रस्तावित हो, के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन सुनिश्चित करेगी।

शिक्षा समिति द्वारा उपर्युक्त प्रक्रिया को अनुसरण करते हुए चिन्हित शिक्षा मित्र को सम्बन्धित विद्यालय में प्रारूप-दो के अनुसार उनकी सहमति प्राप्त कर शिक्षण कार्य की अनुमति प्रदान की जायेगी।

प्रारूप-एक

शिक्षा मित्र के रूप में सामुदायिक सेवा का अवसर दिये जाने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप ।

सेवा में,

अध्यक्ष,
ग्राम शिक्षा समिति,
ग्राम पंचायत -.....
जिला -.....

महोदय,

ग्राम पंचायत-.....द्वारा प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के परिप्रेक्ष्य में शिक्षित युवाओं की सामुदायिक सेवा में सहभागिता के लिए शिक्षा मित्र योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु दिनांक.....को प्रसारित विज्ञापन के संदर्भ में मै शिक्षा मित्र के रूप में सामुदायिक सेवा किये जाने हेतु अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करता हूँ।

मेरे अभ्यर्थन के संबंध में वांछित सूचनायें निम्नवत् है:-

1. नाम .
2. पिता/पति का नाम
3. निवास स्थान, ग्राम- ग्राम पंचायत जिला
4. शैक्षिक योग्यता -
   (क) हाई स्कूल - श्रेणी प्राप्तांक
   (ख) इण्टरमीडिएट श्रेणी प्राप्तांक
   (ग) अधिमानी अर्हता-बी0एड0/एल0टी0 श्रेणी प्राप्तांक
5. जन्म तिथि

[(क)(ख)(ग) तथा 5. के संबंध में प्रमाण पत्र/अंक तालिकायें संलग्न है।]

6. जाति-(यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का हो) प्रमाण पत्र सहित उल्लेख।

शिक्षा मित्र योजना के अंतर्गत सामुदायिक सेवा करने हेतु मुझे अवसर प्रदान किया जाता है तो मुझे योजना के सभी नियम व शर्तें मान्य होगी।

दिनांक- भवदीय,

(

नाम/पता:

8. <u>शिक्षा मित्र के कर्तव्य व दायित्व:</u>

शिक्षा मित्र पर पूर्ण नियंत्रण ग्राम शिक्षा समिति का होगा और वह समिति के प्रति पूर्णतया उत्तरदायी होगा। किन्तु वह अपने शिक्षण दायित्वों का निर्वहन सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी अध्यापक के नियंत्रण एवं सतत निर्देशन में करेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा विद्यालय के निरीक्षण/पर्यवेक्षण के समय शिक्षा मित्र अपने कर्तव्य एवं दायित्वों के प्रति पूर्ण रूपेण जवाबदेह होंगे।

शिक्षा मित्र को अकादमिक सहायता न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र/विकास खण्ड संसाधन केन्द्र द्वारा प्रदान की जायेगी और उनका शैक्षिक पर्यवेक्षण प्रमुखतः इन केन्द्रों के प्रभारी/समन्वयकों द्वारा किया जायेगा। शैक्षणिक गतिविधियों के संबंध में अन्य व्यवस्थायें शासनादेश दिनांक 26 मई, 1999 से संलग्न शिक्षा मित्र योजना के अनुरूप प्रभावी होंगी। संदर्भगत शासनादेश दिनांक 26 मई, 1999 को उक्त सीमा तथा संशोधित/परिवर्तित समझा जाय।

कृपया तदनुसार शिक्षा मित्र योजना के कार्यान्वयन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

N. Ravi Shankar

(एन0 रविशंकर)
सचिव ।

<u>संख्या: व दिनांक तदैव:</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत, उ0प्र0।
4. निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 निशातगंज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे संलग्न योजना के प्राविधानों के अनुसार आचार्यों के एक माह के प्रशिक्षण हेतु आवश्यक धनराशि का आगणन कर प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5. सचिव, उ0प्र0 शासन पंचायती राज विभाग।
6. निदेशक, पंचायत राज विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0) उ0प्र0।
8. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
9. शिक्षा निदेशक, माध्यमिक/प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा/उर्दू एवं प्राच्य भाषायें, उ0प्र0, लखनऊ।
10. पंचायती राज अनुभाग-1
11. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
12. शिक्षा सचिव शाखा के समस्त अधिकारी/अनुभाग

आज्ञा से,

(जे0 डी0 त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

प्रारूप-दो

शिक्षा मित्र द्वारा दिया जाने वाला सहमति पत्र ।

मैं.. आत्मज/पत्नी ....

ग्राम .... पंचायत समिति ....

जिला .... स्वेच्छा से समाजसेवी की हैसियत से शिक्षा मित्र के रूप में कार्य करने के आधार पर निम्नलिखित शर्तें स्वीकार करता/करती हूँ:

1. मैं गांव के विद्यालय में एक समाज सेवी की हैसियत से शिक्षण कार्य करूँगा/करूँगी। मैं एक स्वैच्छिक कार्यकर्ता हूँ एवं अपने आपको राजकीय/परिषदीय कर्मचारी नहीं समझूंगा/समझूंगी। मैं इस समाज सेवा के लिए कोई वेतन नहीं लूंगा/लूंगी, केवल इस निमित्त नियमानुसार देय मानदेय ही प्रतिमाह प्राप्त करूँगा/करूँगी।
2. यदि मेरे द्वारा ग्राम पंचायत की अपेक्षाओं के अनुसार कार्य नहीं किया जावे अथवा योजना के निर्धारित मानदण्डों पर मैं खरा न उतरूँ तो मेरी कार्य करने की दी गयी स्वीकृति रद्द कर दी जावे।
3. मेरा यह समाधान है कि शिक्षा मित्र के रूप में मेरा यह चयन केवल प्रशिक्षण के लिए किया गया है। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्वक पूर्ण करने के बाद मुझे सर्वथा योग्य पाये जाने पर मुझे शिक्षा मित्र के रूप में सामुदायिक सेवा करने का अवसर मिल सकेगा।
4. मैं ग्राम पंचायत शिक्षा समिति को यह अधिकार देता हूँ कि शिक्षा मित्र के प्रशिक्षण के दौरान या बाद मेरे विरुद्ध कोई शिकायत या प्रतिकूल तथ्य प्रमाणित होते हैं तो मैं शिक्षा मित्र के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य समझा जाऊँगा।
5. योजना नियमांतर्गत अथवा जनहित में पंचायत द्वारा दिये गये निर्णयों का सम्मान करूँगा/करूँगी और स्वार्थवश कोई उद्दण्डता नहीं करूँगा/करूँगी।
6. मेरे द्वारा दी गयी सूचना/सूचनायें तथ्यहीन या असत्य पायी जावें तो उनकी तथ्यता प्रकाश में आने के तुरन्त बाद बिना नोटिस के शिक्षा मित्र के रूप में कार्य करने की दी गयी अनुज्ञा रद्द कर दी जावे।
7. यदि मेरे प्रति ग्राम समुदाय में विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होती है तो मुझे हटा दिया जावे।
8. शिक्षा सत्र के मध्य अथवा अंत में मेरे कार्य के मूल्यांकन में यदि मैं सफल नहीं हुआ/हुई तो मुझे कार्य करने की दी गयी अनुज्ञा निरस्त कर दी जावे।

दिनांक

हस्ताक्षर शिक्षा मित्र

हस्ताक्षर ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यगण।

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी०पी०ई०पी०)

राज्य परियोजना कार्यालय, विद्या भवन,
उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद
विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007
☎ 780995, 781315, फैक्स : 0522 - 781128, 781123
E -Mail : updpep@lw1.vsnl.net.in

पत्रांक:रा0प0नि0/ 539 /2001–2002

लखनऊ, दिनांक 7 जून, 2001

कार्यालय–ज्ञाप

उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद की का कारिणी समिति की बैठक दिनांक16.05.2001 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में भारत सरकार की केन्द्र पुरोनिधानित एजूकेशन गारण्टी स्कीम तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा योजना के क्रियान्वयन व निर्देशन हेतु उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के अधीन उच्चाधिकार प्राप्त समिति का निम्नवत् गठन किया जाता है :–

(1)	प्रमुख सचिव, शिक्षा	अध्यक्ष
(2)	सचिव, बेसिक शिक्षा	उपाध्यक्ष
(3)	प्रमुख सचिव, नियोजन अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
(4)	प्रमुख सचिव, वित्त अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
(5)	राज्य परियोजना निदेशक	सदस्य
(6)	निदेशक, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा	सदस्य–सचिव
(7)	निदेशक, बेसिक शिक्षा	सदस्य
(8)	निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0	सदस्य
(9)	भारत सरकार द्वारा नामित एक सरकारी प्रतिनिधि	सदस्य
(10)	भारत सरकार द्वारा नामित एक गैर सरकारी प्रतिनिधि	सदस्य
(11)	सचिव, श्रम विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव से कम स्तर के न हो	सदस्य
(12)	राज्य नगरीय विकास अभिकरण का निदेशक	सदस्य
(13)	सचिव, स्वास्थ्य विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव से कम स्तर के न हो	सदस्य
(14)	निदेशक, समन्वित बाल विकास परियोजना	सदस्य
(15)	निदेशक, साइमेट, इलाहाबाद	सदस्य
(16)	निदेशक, एस0आई0ई0टी0, लखनऊ	सदस्य

(17)	निदेशक, महिला समाख्या	सदस्य
(18)	सचिव, महिला एवं बाल कल्याण विभाग या उनके प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव के स्तर से कम के न हो।	सदस्य
(19)	प्रमुख सचिव (शिक्षा) द्वारा नामांकित चार गैर सरकारी प्रतिनिधि, जिसमें से एक महिला, एक अनुसूचित जाति, एक पिछड़ी जाति तथा एक अल्प संख्यक वर्ग का प्रतिनिधि अवश्य हो।	सदस्य

शिक्षा गारण्टी योजना/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना के कार्यक्रमों के सम्बन्ध में उक्त समिति निम्न कर्तव्यों एवं दायित्वों का वहन करेगी :-

- शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा कार्यक्रमों की क्रियान्वयन एवं अनुदान समिति यथापेक्षा अध्यक्ष की अनुमति से अन्य व्यक्तियों को समिति के सदस्य के रूप में नामित करने के लिए अधिकृत होगी।
- इस समिति को अपने सदस्यों के मध्य में समितियों/उपसमितियों के गठन तथा किसी व्यक्ति विशेष को समितियों/उपसमितियों पर कार्य करने के लिए "कोआप्ट" करने के लिए अधिकृत होगी।
- यह समिति ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 कार्यक्रमों के लिए राज्य स्तर पर चिन्हित स्टेट सोसाइटी- "सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद" के लिए प्रदेश में योजना बनाने और उसे लागू करने प्रबन्धकीय और वित्तीय दृष्टिकोण से प्रदेश में योजना का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करने के लिए उत्तरदायी होगी।
- इस समिति में "शिक्षा गारण्टी योजना एवं वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा कार्यक्रमों" के उद्देश्यों की प्राप्ति, प्रगति और कार्यक्रमों को सुदृढ करने हेतु आवश्यक एवं समीचीन कार्यों के निष्पादन की शक्ति निहित होगी और समिति इन कार्यों को करेगी अथवा सदस्यों के माध्यम से करायेगी।
- योजना से सम्बन्धित कार्यों के निष्पादन हेतु आवश्यकतानुसार कर्मियों की व्यवस्था नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति या सेकेन्डमेन्ट के आधार पर "स्टेट सोसाइटी" के निर्देशन में व्यवस्था करायेगी।
- राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से यह समिति योजना से सम्बन्धित नियमों/विनियमों तथा यथासंभव उसके आवश्यक संशोधन प्रस्तावित कर सकेगी।
- स्टेट सोसाइटी के लिए योजना के कुल व्यय का 25 प्रतिशत अंशदान राज्य सरकार से तथा 75 प्रतिशत अंशदान भारत सरकार से प्राप्त करेगी तथा उसे सम्बन्धित व्यक्तियों अथवा एजेन्सियों को आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायेगी।
- समिति का अलग से लेखा होगा और बैंक में अलग से खाता खोला जायेगा, जिसके लेखे का प्रत्येक वर्ष चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा अंकेक्षण कराया जायेगा।

.....3/-

- योजना की शुरूआत में प्रदेश के जनपदों में स्कूल मैपिंग/माइक्रो-प्लानिंग/कैपेसिटी बिल्डिंग के अभ्यास के बाद योजना से सम्बन्धित प्रस्तावों को जनपदों से प्राप्त करेगी। इन प्रस्तावों को तैयार किये जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगी।
- वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा तथा ब्रिज कोर्स के संचालन सम्बन्धी संकलित प्रस्तावों को साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा निदेशालय के माध्यम से प्राप्त करेगी।
- समिति शिक्षा गारण्टी योजना, वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा से सम्बन्धित उन्हीं प्रस्तावों को विचार-विमर्श हेतु स्वीकार करेगी, जिन प्रस्तावों के साथ समुदाय की ओर से मांग की स्पष्ट अभिव्यक्ति परिलक्षित हो रही हो।
- स्वैच्छिक संगठनों का योजना में सहयोग प्राप्त करने हेतु गैर सरकारी संस्थाओं से आवेदन पत्र प्राप्त करने और उन आवेदन पत्रों का वास्तविक मूल्यांकन कर उपयुक्त स्वयं सेवी संगठनों का अनुदान जारी करने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार करेगी तथा अनुदान स्वीकृति प्रदान करेगी।।
- समिति प्रदेश में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा लागू किये गये शिक्षा गारण्टी योजना एवं वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा के कार्यक्रमों हेतु एक मॉनीटरिंग सिस्टम विकसित कर कार्यक्रमों का नियमित अनुश्रवण करेगी।
- कार्यक्रमों के अनुश्रवण में विभिन्न समितियों के साथ-साथ सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों से भी सहयोग प्राप्त करेगी।।
- अपेक्षित स्तर तक कार्य करने में स्वयं सेवी संगठन यदि चेतावनी के बाद भी अपने कार्य में सुधार नहीं लाते हैं, तो उन्हें "काली सूची" में दर्ज करते हुये ऐसे संगठनों के विरूद्ध समिति विस्तृत अनुसंशाएं प्रस्तावित करेगी।

- समिति योजनान्तर्गत कार्यक्रमों के संचालन हेत अनुदेशक मनोनयन, उनके प्रशिक्षण, केन्द्र/कोर्स हेतु पाठ्य-पुस्तक की व्यवस्था, पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत करेगी।
- इस योजना में विभिन्न स्तरों पर संलग्न अधिकारियों/कर्मचारियों/कार्यकर्ताओं के लिए समय-समय पर अभिनवीकरण प्रशिक्षण/कार्यशालाएं भी आयोजित करायेगी।
- यह समिति विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं (बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा) का ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक कनवर्जेन्स एवं कोऑर्डिनेशन का लगातार अनुश्रवण करेगी।

.....4/-

* यह समिति प्रदेश में संचालन किये जाने वाले शिक्षा गारण्टी योजना एवं वैकल्पिक तथा नवाचार शिक्षा के लिए वार्षिक कार्ययोजना तैयार करायेगी। समिति वार्षिक कार्ययोजना को स्वीकृति प्रदान करेगी तथा उसके बजट को भी अनुमोदित करेगी।

(वृन्दा सरूप)
राज्य परियोजना निदेशक
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद
विद्याभवन, निशातगंज
लखनऊ।

पृ0सं0:- रा0प0नि0/ 534 /2001-2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपि:-

(1) प्रमुख सचिव, शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) निदेशक, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा।
(6) शिक्षा निदेशक, बेसिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा निदेशालय, निशातगंज, लखनऊ।
(7) निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, निशातगंज, लखनऊ।
(8) संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
(9) सचिव, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(10) निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, लखनऊ।
(11) निदेशक, समन्वित बाल विकास परियोजना, लखनऊ।
(12) निदेशक, साइमेट, एलेनगंज, इलाहाबाद।
(13) निदेशक, एस0आई0ई0टी0, निशातगंज, लखनऊ।
(14) निदेशक, महिला समाख्या, पत्रकारपुरम, योमतीनगर, लखनऊ।
(15) सचिव, महिला एवं बाल कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(वृन्दा सरूप)
राज्य परियोजना निदेशक
उ0प्र0-सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद
विद्याभवन, निशातगंज
लखनऊ।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी०पी०ई०पी०)

राज्य परियोजना कार्यालय, विद्या भवन,
उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद
विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007
☎ 780995, 781315, फैक्स : 0522 - 781128, 781123
E -Mail : updpep@lw1.vsnl.net.in

पत्रांक:-रा0प0नि0/ 466 /2001-2002

लखनऊ, दिनांक: 15 जून, 2001

कार्यालय-ज्ञाप

उ0प्र0-सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद की कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 16.05.2001 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में भारत सरकार की केन्द्र पुरोनिधानित एजूकेशन गारण्टी स्कीम तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा योजना के क्रियान्वयन व निर्देशन हेतु उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के अधीन राज्य स्तर पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है। जनपद सतर पर एजूकेशन गारण्टी स्कीम तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा योजना के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं निर्देशन का कार्य उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के अधीन कार्यालय ज्ञाप सं0:542/1996-97 दिनांक 17.06.96 द्वारा पूर्व से गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया है। जिला शिक्षा परियोजना समिति का गठन निम्नवत है :

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
3.	अध्यक्ष, जिला परिषद का एक नामित प्रतिनिधि	सदस्य
4.	अनु0 जाति/अनु0जनजाति के दो ब्लॉक प्रमुख	सदस्य
5.	दो महिला ब्लॉक प्रमुख	सदस्य
6.	महापालिका अध्यक्ष का एक नामित प्रतिनिधि	सदस्य
7.	जिलाधिकारी द्वारा नामित दो शिक्षाविद्	सदस्य
8.	शिक्षण संस्थाओं से एक सदस्य	सदस्य
9.	एक शिक्षक प्रतिनिधि	सदस्य
10.	जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
11.	जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी	सदस्य
12.	जिला कार्यक्रम अधिकारी (आई0सी0डी0एस0)	सदस्य
13.	प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	सदस्य
14.	लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अधिशासी अभियन्ता	सदस्य
14.	समन्वयक महिला समाख्या	सदस्य
15.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य-सचिव

.....2/-

परियोजना कार्यक्रमों से सम्बन्धित कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन के अतिरिक्त एजूकेशन गारण्टी स्कीम/वैकल्पिक एवं नावचार शिक्षा योजना के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं निर्देशन के सम्बन्ध में जिला शिक्षा परियोजना समिति निम्न कर्तव्यों एवं दायित्वों को वहन करेंगी :-

(1) जनपद में संचालित शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, मार्गदर्शन एवं समीक्षा का कार्य यह समिति करेगी।

(2) योजना हेतु माइक्रोप्लानिंग के आधार पर तैयार किये गये प्रस्तावों को प्राप्त करेगी। उपयुक्त स्वैच्छिक संगठनों से भी प्रस्ताव प्राप्त किये जायेंगे।

(3) शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा तथा ब्रिजकोर्स से सम्बन्धित प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा कर उसे साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा निदेशालय के माध्यम से शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा की राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुदान समिति को विचारार्थ प्रस्तुत करेगी।

(4) राज्य स्तरीय समिति/साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा निदेशालय से जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में जनपद में कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित करायेगी।

(5) यह समिति जनपद के लिए प्राप्त प्रस्तावों को संकलित करते हुए वार्षिक कार्ययोजना बजट प्रस्तावों के साथ तैयार करेगी और उसे राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुमोदन समिति को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगी।

(6) समिति जनपद स्तर पर सभी सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों के साथ कनवर्जेन्स कर कार्यक्रमों को संचालित करेगी।

(7) समिति जनपद से निम्न स्तरों (विकास खण्ड स्तर/ग्राम स्तर) पर विभिन्न विभागों के साथ-साथ ही स्वयं सेवी संगठनों के साथ समन्वयन सुनिश्चित करेगी।

(8) समिति सभी स्तरों पर गुणवत्ता बनाये रखने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं के आयोजन की व्यवस्था करायेगी।

(9) समिति शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा कार्यक्रमों के लिए एक अलग से लेखा रखेगी, जिसका राष्ट्रीयकृत बैंक में अलग से खाता रखा जायेगा, जिसका प्रत्येक वर्ष चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से अंकेक्षण कराया जायेगा।

(वृन्दा सरूप)
राज्य परियोजना निदेशक
उ0प्र0-सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद
राज्य परियोजना कार्यालय
विद्याभवन, निशातगंज
लखनऊ।

.....3/-

पृ0सं0:- रा0प0नि0/ 466 /2001-2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपि:-

(1) प्रमुख सचिव, शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) निदेशक, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा।
(4) जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, उत्तर प्रदेश।
(5) मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(6) अध्यक्ष, जिला परिषद, उत्तर प्रदेश।
(7) अध्यक्ष, महापालिका, उत्तर प्रदेश।
(8) जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
(9) जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(10) जिला कार्यक्रमअधिकारी, आई0टी0डी0एस0, उत्तर प्रदेश।
(11) प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश।
(12) अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
(13) समन्वयक, महिला समाख्या।
(14) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(15) शिक्षा निदेशक (बेसिक/माध्यमिक) एवं निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ।

(वृन्दा सरूप)
राज्य परियोजना निदेशक
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद
राज्य परियाजना कार्यालय
विद्याभवन, निशातगंज,
लखनऊ।

[illegible]

उत्तर प्रदेश शासन

[illegible]

संख्या-2000/65-2-2000-2/13(91)/93

लखनऊ: दिनांक 29 जून, 2000

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

राज्य सहायतित परियोजना की सहायता से संचालित "जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी0पी0ई0पी0) के द्वारा अर्ली चाईल्ड केयर एण्ड एजूकेशन (ई0सी0सी0ई0) केन्द्रों को बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से संचालित करने के उद्देश्य से प्रदेश में, अनुलग्नक-1 में उल्लिखित जनपदों में एक प्रशासनिक समिति का गठन निम्नवत किया जाता है :-

(1)	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
(2)	जिला कार्यक्रम अधिकारी, आई0सी0डी0एस0	सदस्य
(3)	सम्बन्धित विकास खण्ड के उप विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
(4)	सम्बन्धित विकासखण्ड के बाल विकास परियोजना अधिकारी, आई0सी0डी0एस0	सदस्य/सचिव
(5)	सम्बन्धित न्याय पंचायत केन्द्रों के प्रभारी	सदस्य
(5)	जिला समन्वयक, बालिका शिक्षा	सदस्य

2. उपरोक्त योजना का मूल उद्देश्य यह है कि अपने घर पर छोटे भाई/बहनों की देखभाल करने के कारण स्कूल शिक्षा से वंचित रहने वाली बालिकाओं को स्कूल शिक्षा प्रदान की जाए। ऐसी बालिकाएं समीपवर्ती स्कूलों में दाखिला लें तथा उनके छोटे भाई/बहनों की देखरेख, स्थापित किए जाने वाले ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों में की जाए। जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों में यह योजना संचालित की जायेगी, उनके खुलने तथा बन्द होने का समय वही होगा जो वहां के स्कूल खुलने और बन्द होने का समय होगा।

3. आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, ई0सी0सी0ई0 केन्द्र का संचालन करेगी और उसकी केन्द्र सहायिका, ई0सी0सी0ई0 केन्द्र में भी सहायिका का कार्य करेगी। अर्थात् दोनों केन्द्र समन्वित रूप से संचालित होंगे। चूंकि उपरोक्त व्यवस्था के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र पर कार्यरत कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त समय तक कार्य करना पड़ेगा अतः उनके इस बढ़े हुए कार्य के सम्पादन हेतु निम्नवत् प्रोत्साहन राशि अतिरिक्त मानदेय के रूप में स्वीकृत की जायेगी :-

1- आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री — रु0 250/-

2- [illegible] — रु0 125/-

जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

(डी०पी०ई०पी०) के अन्तर्गत चलाये जाने वाले ई०सी०सी०ई० केन्द्रों का संचालन होगा, वहां की कार्यकत्रियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी०पी०ई०पी०) के अन्तर्गत राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा की जायेगी। उपरोक्तवत् आवंटित मानदेय सम्बन्धित ग्राम पंचायत के ग्राम शिक्षा निधि में हस्तान्तरित की जायेगी। प्रस्तर-1 में गठित समिति यह सुनिश्चित करेगी कि प्रतिमाह मानदेय नियमित रूप से ग्राम निधि के माध्यम से ई०सी०सी०ई० कार्यकत्रियों को प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं।

5- परियोजना के अन्तर्गत प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र को रु0 5000/- की धनराशि अनावर्तक अनुदान के रूप में तथा रु0 1500/- की धनराशि आवर्तक अनुदान के रूप में प्रतिवर्ष प्रदान की जायेगी। जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन का निर्माण प्रस्तावित / निर्माणाधीन है, वहां यदि शैक्षिक उपकरण पूर्व में ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं तो अनावर्तक अनुदान के रूप में प्राप्त रु0 5000/= की धनराशि बच्चों हेतु स्थानीय रूप से निर्माण में व्यय की जा सकती है। शेष आंगनबाड़ी केन्द्रों में अनावर्तक अनुदान से क्रय की जाने वाली सामग्री की सूची के स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार दरी, बच्चों के खिलौने, शैक्षिक उपकरण व बाल-पुस्तकें आदि पर प्रस्तर-1 में वर्णित समिति के अनुमोदन से व्यय की जायेगी। आवर्तक अनुदान का व्यय स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त सामग्री ग्राम शिक्षा समिति के अनुमोदन से क्रय की जायेगी। अतः रु0 5000/= की धनराशि अनावर्तक अनुदान भी ग्राम निधि में स्थानान्तरण की जायेगी।

6- आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का यह दायित्व होगा कि उनके आंगनबाड़ी केन्द्र पर संचालित किये जाने वाले ई०सी०सी०ई० केन्द्रों का संचालन समुचित तरीके से करें तथा ई०सी०सी०ई० केन्द्र में आने वाले बच्चों का नाम से लेखा-जोखा रखा जाए।

7- प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर फलदार पेड़ जैसे [illegible] नींबू, अमरूद तथा पपीता के पेड़ लगाया जाना अनिवार्य होगा। इन पेड़ों की खरीद क्रय करने पर आने वाला व्यय प्रस्तर-5 में वर्णित अनुदान से वहन किया जायेगा। प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्रों का यह दायित्व होगा कि वह आंगनबाड़ी भवन के आकार पर अधिक से अधिक इन पेड़ों को लगाए क्योंकि इन पेड़ों के फलों से लाभार्थियों को प्राकृतिक रूप में अतिरिक्त पुष्टाहार उपलब्ध हो सकेगा।

8– प्रत्येक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह अपने जिले में इस योजना के संचालन हेतु समुचित व्यवस्था करें और अपेक्षित सहयोग प्रदान करें। योजना के पर्यवेक्षण हेतु सम्बन्धित जिला स्तर पर जिला परियोजना अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

उपरोक्त निर्देश राज्य परियोजना निदेशक, उ0प्र0 सबके लिए शिक्षा परियोजना परिषद/ जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

ललित श्रीवास्तव
सचिव।

संख्या-2003(1)/69-2-2000, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1– निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2– राज्य परियोजना निदेशक, उ0प्र0 सबके लिए शिक्षा परियोजना/ जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, निशातगंज, लखनऊ।
3– समस्त जिलाधिकारी।
4– समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी।
5– समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी/द्वारा उप निदेशक निरीक्षक।

आज्ञा से,

(लाल बहादुर सिंह)
उपसचिव।

क्रम सं०	जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	ग्रामों की संख्या	
1	2	3	4	5
1-	देवरिया	बरहज	35	तलरही, दौला, मंछिल, सड़ठा मांग, पैना, रामपुर बरहज, सवापार, करसड़ा, लड़सड़ा, करदवार, हरखौरा, चोटवा, परसिया, ससोहर, सोहई, दुलारपरसा, दरवान उपाध्याय, तवनी गंगा, हरखरी, मंगापुर, करायसुरत, हडेसर, कपरवार, दरिबिहवा, डुहड, विशुनपुर, सहुवाडपरा, हरिडी, मदेश, सनिवा, पकरहा, देवपार, कोल्हुआ, छापिया बुजुर्ग, उसरामोहत, विशुनपुर, लक्ष्मीपुर, ईश्वर तवकली।
		रुद्रपुर	18	गड्हा, पकड़ियवा, मलिहरपुर, सहसराय, रामपाल, कसहौली, केवटलिया, गरौलिया, कुमरिहा, मछिया तिवारी, सकसुल, लगलपुर, मझिआरी, परसिया, रामईपुर, शीतलपाली, तारापट्टी, बहरहा।
		सलेमपुर	10	बेराड़ी, सवलपुर, बैलीपुर, देवरिया खास रामपुर, हरखौर, अतरौली, सवरा गोपाई, पांडेयलिया, रिंग डाकमाली, गलवेली।
		बैतालपुर	12	सुकुवंपुर, जगदीशपुर, पैलकरिया, गोविन्दपुर, पाण्डेयपुर, करमैल पजरही, पतुहीपुर, परारी परसार, जोकहाड़ाप, लेहड़ई, प्रसवा, महराजगंज, ईटवा।
2-	सोनभद्र	घोरावल	67	लकहारी, परसौना, करवौना, पुरवा, सपका, कोगई, रमबा, देवगढ़, मलिकबडा, रिमुझार, हडेउर, पिसरेडी-1, हिनौती, पड़ाबिना, गडपहा, सुरेठ, अहरौरा, सोरिहार, मझौली, पिपरवार, घोरावल, पिपरहरी-1, लोढी-1, चनौली, केवली, डिरवाई, बसरदेवा, सोनिखी, रामपाहर, दुरकही, मिलहटा, दुरवास-1, मितरी, मगरदहा, गुरमिया, कुआरी, सिधि, केवटा, मुसा, पाण्डेय, कोसारीकला, सिलौली, अंदार, दरसोना, पिड़रिया, शीलगढ़, ओझरिया, [illegible]-1, झलारया-1, पाण्डेयपुर, कुसा, परासेल [illegible]

	दुद्धी	44	सीडर, रजखड़, दुम्हौल, महुवरया, झारखण्डरिया, धौरा, शारोक्ता, अटौली, झारोखुर्द, पिपराडी, गड़ौली, रजडू, महदेवा, बघाड़, मुरी, टेढ़ा, वीडू, हथवां, डुमरा, सिंगराडीह, पिपरडीह, गाहुर, हरपुरा, महुली, करिहा, मडीरामर, सरैयाडीह, टरही, कोलदा, कुरेवहवा, कोविलडुवा, जातगुहा, देवास रज रजखड़-II, दुम्हौल-II, हराडी, नरसा धौर। चपता, अटौली, धौरा, महुअरिया, कुसरडीहा, कंवर, वीहुम। कुसरडीहा।
3-. ललितपुर	मडावरा	16	रहवांव, गुरयाजा, वैरपारा, मड़ावरा, अर्जुनखिरिया, गोजा, गोजा, रजपारा, इकोना, बसंदर, पडडीआ, चौकड़ा, धौरीसागर, बमराना, उत्तरजाखुर्द, डोगरा
	बिरधा	04	बालाबेहट, खजुरा, पटसेमरा, धौरी।
	बार	25	बारौद, टोड़ी, बेलगवां, अरावली, मोगाबा, बार, बजर, देवरान, पिंगलौआ, नाबुर, डगराना, खारीटोरन, डोलीलोन, गैदौरा, सतवारा, धवा, गदेरारा, भारौली, बनारा, हीरापुर, पिपला, करहा, दिगौरा, देवधारा, भावती।
	महरौरा	03	पिपरा, सिवनीखुर्द, वनरौआ।
	महरौनी	03	पठा, कम्हेड़ी, बेंवारा।
	तालबेहट	24	करेमा, बजगंवरका, सिजरौठा, पाली, मदांव, मड़, कोटरा, उदगुवां, पिपरापुरा, पुराकला, धुरावली, डुमेरा, कडेसराकलां, सेरवांसकला, सिजरौठा, पिहारीपुरा, राजीपुरा, भादौनी, बरेठारा, झुरटोरा, कडहारी, रमपुरा, भरोरी, जांखा, रजावन।
4-. बदायूँ	वजीरगंज	25	रौठा, अकौलिया, नौई-गौठा, कल्लिया-फाजलपुर, सिरसुवा, पैपल, परौरा, आगी, हरनाथपुर, हर्ड्डपुर, सिरतौली गंज, रहौरिया, उरैना, हरनाथपुर, पीरपुर, कदुआ, भीरापुर, पिरजरी, बाकरपुर, कोर, इरटौना, अधवारी, इमरा, मलिहा कोटिया, सिहरा, पलोरा महनगवार।

		[illegible]	25	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] ।
5-	महराजगंज	पनियरा	11	[illegible], [illegible]-2, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], देवीपुर, [illegible], [illegible], [illegible] तिवारी, [illegible] ।
		महराजगंज	15	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] तिवारी, [illegible], [illegible], [illegible] ।
		[illegible]	10	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] ।
		फरेन्दा	40	[illegible], [illegible]-[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], गणेशपुर, [illegible], [illegible], फरेन्दा [illegible], [illegible] तिवारी, गोपालपुर [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] महराज, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] देवी पाटन, [illegible], [illegible] । पंचरुखी, हरपुर, फरेन्दा [illegible], [illegible], [illegible] ।
6-	[illegible]	[illegible]	21	[illegible], [illegible] ।
		[illegible]	21	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], देवराज, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] ।

........4

7- [illegible] 43 [illegible]

[illegible] 41 [illegible]

8- [illegible] 25 [illegible]

[illegible] 25 [illegible]

				[illegible], [illegible] अमेठी, [illegible], [illegible], [illegible], मधुरी, ओरिया, अरवहिया । अमेठी ।
[illegible]	[illegible]	पुरावाजार	15	मलोहरपुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], मोतीपुर, रामपुर, [illegible], देवमाफी, [illegible], देवरामपुर, [illegible], रघुपुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] ।
		पितार्.	09	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] माजी, राजा का सहपुर, कुढ़, गैहरा, देपुर ।
		कुदरची	15.	पिलपुर, [illegible], [illegible], हाजीपुर [illegible], [illegible], [illegible] मझुपुर, हरिहाता, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] ।
10-	गोण्डा	पंडरी कृपाल	25	पंडरी कृपाल, [illegible], [illegible], सिसौरखड्डपुर, रमपापुरदयाम, [illegible] द्वितीय, शेखपुर, सिपरा, [illegible], [illegible], [illegible], सिमपुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] द्वितीय, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] माफी, [illegible], मीरपुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], गंतारी ।
11-	हरदोई	सण्डीला	25	[illegible], मीती, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-।।, [illegible], [illegible]-।, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-।, [illegible], [illegible]-।, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-।, [illegible], [illegible] ।
		[illegible]	22	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], बरवा, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] देव, [illegible], [illegible], गोरी, [illegible]-।।, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] ।

12- बरेली बरेली शहर 124 इज्जतनगर, [illegible], सिविल लाइन्स,
[illegible],
कुतुबखाना, [illegible],
[illegible],
[illegible],
[illegible],
[illegible],
[illegible],
[illegible],
[illegible],
[illegible],
[illegible], कुंवरपुर, [illegible]
[illegible],
[illegible],
[illegible], [illegible]–
।।, [illegible]–।।, [illegible]–।।, [illegible]
–।।, [illegible]–।।, [illegible]–।।, अत्तरछेड़ी–।।,
शिवपुरी–।।, [illegible]–।।, [illegible]–।।, [illegible]–
।।, [illegible]–।।, [illegible]–।।, [illegible]–।।,
[illegible]–।।, [illegible]–।।, [illegible]–।।।, [illegible],
[illegible]–।।, [illegible]–।।, [illegible]–।।,
[illegible]–।।, [illegible]–।।, [illegible]–।।, [illegible]–
।।, [illegible]–।।, [illegible]–।।, [illegible]–
[illegible]–।।, [illegible]–।।, [illegible]–।।, [illegible]
[illegible]–।।।, [illegible]–।।।, [illegible]–।।।,
अत्तरछेड़ी–।।।, राजपुरकलाँ–।।।, शिवपुरी–।।।,
[illegible]–।।।, [illegible]–।।, [illegible], [illegible]–4, [illegible]–5, [illegible]–6,
[illegible]–4, [illegible]–5, [illegible]–6, [illegible]–7,
शिवपुरी–4, शिवपुरी–5, शिवपुरी–6, शिवपुरी–7,
[illegible]–4, [illegible]–।।, [illegible]–।।।,
[illegible]–4, [illegible]–4, [illegible]–5, [illegible]
–4 ।

13- पीलीभीत [illegible] 25 [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]
[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]
[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible],
[illegible], [illegible], [illegible], [illegible],
[illegible]–2, [illegible], [illegible], [illegible],
[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]
[illegible] ।

		[illegible]पुर	[illegible]	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], रमपुर [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], मुरली, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]पुर [illegible], [illegible] ।
		[illegible]	25	[illegible], [illegible] ।
14-	[illegible]	[illegible]	25	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-2, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], रामपुर-[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-2, [illegible]-1, [illegible]-2, [illegible], [illegible] ।
		[illegible]	25	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], रेहरा, [illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible] ।
		[illegible]	25	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible] ।
15-	[illegible]	[illegible]	22	[illegible], [illegible]पुर, [illegible] ।

......

संख्या-3274 /5-11-2000- ई-42/99

प्रेषक,

डा0 डी0 एस0 माहेश्वरी
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1. राज्य परियोजना निदेशक,
   उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना
   निशातगंज लखनऊ।

2. शिक्षा निदेशक (बेसिक)
   उत्तर प्रदेश, लखनऊ

3. समस्त जिलाधिकारी
   उत्तर प्रदेश।

4. महानिदेशक
   रा.शै.अ. एवं मूल्यांकन
   उ0प्र0, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-11   लखनऊ: दिनांक: 09 [illegible], 2000

विषय:- उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषदीय प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालक/बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण।

:-----:

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-एम.एल.17/5-11-99 ई-42/98, दिनांक 21 जुलाई, 1999, जिसके द्वारा गत वर्ष प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (यू.पी.बी.ई.पी./डी.पी.ई.पी.) के अन्तर्गत 35 जनपदों में प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किये जाने के निर्देश दिये गये थे, का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. उक्त कार्यक्रम की गत वर्ष की सफलता को दृष्टिगत रखते हुये शासन ने वर्तमान शिक्षा सत्र में इस कार्यक्रम को प्रदेश के 78 जनपदों जिनकी सूची संलग्न है, तथा लखनऊ को आच्छादित [illegible] पी.ओ.आई.यू.एस. के अन्तर्गत [illegible] है। उक्त कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य चिकित्सकों की देख-रेख में सुनियोजित ढंग से बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण, [illegible], [illegible], बीमार बच्चों का [illegible] तथा [illegible]

अभियान चलाया जाता है ताकि बच्चों का नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण एवं उनका उपचार समयानुसार हो सके।

3. उक्त कार्यक्रम के सुचारू संचालन हेतु शासन स्तर पर निम्न निर्णय लिये गये हैं :-

(1) इस कार्यक्रम को तीन चरणों में माह 15 अगस्त, 2000 से दिसम्बर, 2000 तक पूरा किया जाये। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी से विचार-विमर्श करके सभी विद्यालयों को तद्नुसार सूचित करायेंगे।

(2) स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) अपने क्षेत्र में एक माह में आठ विद्यालयों को आच्छादित करेंगी व हेल्थ कार्ड तथा संदर्भ कार्ड बनवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगी। स्वास्थ्य विभाग सुनिश्चित करेगा कि वजन नापने की मशीन व हाईट स्केल उपलब्ध हों।

(3) आवश्यकतानुसार बेसिक शिक्षा विभाग स्वास्थ्य विभाग को परिवहन की सुविधा उपलब्ध करायेगा ताकि आवश्यकता पड़ने पर दूरस्थ स्थानों के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा सके।

(4) बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी कार्ड व सन्दर्भ कार्ड राज्य परियोजना निदेशक, उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। इस संदर्भ में जो कार्ड बनाये जायेंगे वह निम्न तीन प्रकार के होंगे :-

1. लाल संदर्भ कार्ड — गम्भीर रोगों के लिये
2. पीला संदर्भ कार्ड — कम गम्भीर रोगों के लिए
3. हरा संदर्भ कार्ड — साधारण रोगों के लिए

स्वास्थ्य कार्डों व संदर्भ कार्डों में प्रविष्टियाँ अंकित करने एवं इनके रख-रखाव का कार्य सम्बन्धित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक द्वारा किया जायेगा। इस कार्य में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) आवश्यकतानुसार प्रधानाध्यापक को सहयोग करेंगी।

[signature]

5- जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं शिक्षा विभाग तथा बाल विकास परियोजना के अधिकारी सदस्य होंगे। यह समिति समय-समय पर बैठकें करके इस परियोजना की समीक्षा करेगी और आने वाली समस्याओं का जिला स्तर पर समाधान करने का प्रयास करेगी। समिति के गठन की कार्यवाही सम्बन्धित जिलाधिकारी अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इस समिति के सदस्य सचिव होंगे।

6- जिलाधिकारी अपने जनपद में रेडक्रास सोसाइटी एवं अन्य स्वयंसेवी/धार्मिक/परोपकारी संस्थाओं का सहयोग भी लेने का पूरा प्रयास करेंगे एवं उनके सहयोग से विशेषकर पर्याप्त मात्रा में समय से कृमिनाशक (डी-वार्मिंग) औषधियों की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

7- विकलांग बच्चों के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक ब्लाक में सी.एच.सी. स्तर पर परीक्षण किये जाने तथा उन्हें प्रमाण-पत्र दिये जाने की कार्यवाही की जाये। इसके लिये सी.एच.सी. पर प्रत्येक माह के अन्तिम सप्ताह कोई एक दिन/तिथि निर्धारित की जाय और उस दिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी उपस्थित रहें। यथा सम्भव सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर उस दिन ई.एन.टी. सर्जन, आर्थोपेडिक सर्जन तथा नेत्र विशेषज्ञ उपलब्ध रहेंगे। दिवस/तिथि के निर्धारण की कार्यवाही सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जायेगी तथा जनपद में इसका विशेष प्रचार-प्रसार भी सुनिश्चित किया जायेगा। बेसिक शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी भी इसकी सूचना प्रत्येक गाँव पंचायत व विद्यालय को पहुँचायेंगे।

आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही समयानुसार सम्पन्न कराने तथा प्रगति प्रत्येक माह के प्रारम्भ पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, राज्य परियोजना निदेशक, सभी के लिये शिक्षा परियोजना एवं निदेशक प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, लखनऊ को भी प्रेषित करते हुए एक प्रति महानिदेशक, परिवार कल्याण को अवगत करायेंगे।

संलग्नक: उपरोक्त

भवदीय,

(डा० पी.डी. माहेश्वरी)

सचिव।

संख्या-3274(1)/5-11-2000, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के निजी सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।

2- प्रमुख सचिव, वित्त उत्तर प्रदेश शासन।

3- सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।

4- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तराखण्ड।

5- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।

6- समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

7- समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

6-8-2000

आज्ञा से,

(कमलिनी श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

उ०प्र० राज्य के लिए शिक्षा परियोजना (बेसिक शिक्षा परियोजना जनपद)

1. वाराणसी
2. भदोही
3. गोरखपुर
4. इलाहाबाद
5. बांदा
6. इटावा
7. सीतापुर
8. अलीगढ़
9. सहारनपुर
10. पौड़ी
11. नैनीताल
12. उधम सिंह नगर
13. कौशाम्बी
14. औरैया
15. हाथरस
16. चन्दौली
17. चित्रकूट

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी०पी०ई०पी० (तृतीय) जनपद)

1. महाराजगंज
2. सिद्धार्थनगर
3. गोण्डा
4. बदायूं
5. लखीमपुर खीरी
6. ललितपुर
7. पीलीभीत
8. बस्ती
9. मुरादाबाद
10. शाहजहाँपुर
11. रामपुर
12. देवरिया
13. हरदोई
14. बरेली
15. फिरोजाबाद
16. बलरामपुर
17. ज्योतिबाफुले नगर
18. संत कबीर नगर

डी.पी.ई.पी. जनपदों की सूची

क्रमांक	जनपद का नाम	क्रमांक	जनपद का नाम
1.	उन्नाव	33.	बिजनौर
2.	रायबरेली	34.	बागेश्वर
3.	कानपुर देहात	35.	पिथौरागढ़
4.	फर्रुखाबाद	36.	चम्पावत
5.	कन्नौज	37.	उत्तरकाशी
6.	मैनपुरी	38.	टिहरी
7.	एटा	39.	रामपुर
8.	आगरा	40.	बाराबंकी
9.	मथुरा	41.	बहराइच
10.	मेरठ	42.	श्रावस्ती
11.	बागपत	43.	लखनऊ
12.	बुलन्दशहर		
13.	गाजियाबाद		
14.	गौतमबुद्ध नगर		
15.	कुशीनगर		
16.	झांसी		
16.	जालौन		
18.	फैजाबाद		
19.	अम्बेडकर नगर		
20.	सुल्तानपुर		
21.	आजमगढ़		
22.	बलिया		
23.	मऊ		
24.	जौनपुर		
25.	गाजीपुर		
26.	मिर्जापुर		
27.	प्रतापगढ़		
28.	फतेहपुर		
29.	हमीरपुर		
30.	महोबा		
31.	मुजफ्फरनगर		
32.	हरिद्वार		

विद्यालयों में बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण की प्रगति रिपोर्ट

जनपद का नाम............ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 रिपोर्ट माह ....

क्र0 सं0	प्राथमिक स्वा0 केन्द्र का नाम	विद्यालय का नाम	स्वास्थ्य परीक्षण की तिथि	कुल छात्रों की संख्या जिनका परीक्षण किया गया	छात्रों की संख्या जिनको विद्यालय में ही उपचार दिया गया	छात्रों की संख्या जिन्हें संदर्भित किया गया			सामु0स्वा0 केन्द्रों में विकलांगों की परीक्षण तिथि	प्रदत्त विकलांग प्रमाण पत्रों की संख्या			अन्य विवरण
						गंभीर	कम गंभीर	साधारण		मूक	श्रव्य दोष	दृष्टिदोष	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

विद्यालय गुणवत्ता निष्पादन (परफारमेन्स) के आधार पर विद्यालय श्रेणीकरण हेतु

चेक बिन्दु

कुल अंक – 50

विद्यालय एवं कक्षा–कक्षों का भौतिक तथा शैक्षिक वातावरण

भाग – एक

कुल अंक – 9

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
1	विद्यालय भवन / कक्षा–कक्षों की रंगाई, पुताई, सफाई	1	• वर्षवार प्राप्त विद्यालय अनुदान का प्रयोग – रंगाई, पुताई, टाट पट्टियाँ, प्लास्टिक की चटाई, अध्यापक की कुर्सियाँ, सनमाइका टाप टेबल, विकलांग बच्चों के लिए रेम्प, खेल--कूद का सामान तथा अन्य कार्य
2	शौचालय का रखरखाव / प्रयोग	1	• क्या शौचालय का प्रयोग हो रहा है? • क्या शौचालय स्वच्छ हैं?

क्र०स०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
3	पीने के पानी की व्यवस्था / हैण्ड पम्प का रखरखाव	1	• क्या हैण्ड पम्प सही स्थिति में है? • हैण्ड पम्प प्रयोग हो रहा है? • उसके चारों ओर स्वच्छता है? सीमेन्ट का चबूतरा बना है? पानी निकास की व्यवस्था है?
4	विद्यालय अभिलेख का रखरखाव	1	• बालगणना पंजिका • उपस्थिति पंजिका • पुस्तक वितरण / बुक बैंक पंजिका • अन्य प्रोत्साहन, छात्रवृत्ति, खाद्यान्न वितरण • ग्राम शिक्षा योजना अद्यतन स्थिति • स्वास्थ्य कार्ड एवं स्वास्थ्य परीक्षण की अद्यतन स्थिति • छात्रों के मूल्यांकन कार्ड एवं अद्यतन स्थिति • ग्राम शिक्षा समिति बैठक / कार्यवाही पंजिका • माता शिक्षक / अभिभावक शिक्षक बैठक / कार्यवाही पंजिका

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
5	विद्यालय–वाह्य भीति की साज–सज्जा	1	• सूक्ष्म नियोजन के आंकड़ों की तालिका • शैक्षिक मानचित्रण • विद्यालयों को प्राप्त अनुदान / धनराशि एवं व्यय का वर्षवार विवरण, (भवन निर्माण, मरम्मत, टी०एल०एम० अनुदान, विद्यालय सुधार अनुदान) • विद्यालय सूचना पट्ट • खुले प्रांगणीय कक्षा हेतु श्यामपट्ट (बाह्य दीवार पर)
6	कक्षा–कक्षों में श्यामपट्ट एवं छात्रों के प्रयोगार्थ तीन फीट की पट्टी की उपलब्धता	1	• क्या प्रत्येक कक्षा कक्ष में दो कक्षाओं के लिए दो दीवारों पर दो श्यामपट्ट उपलब्ध हैं? • छात्रों के प्रयोगार्थ कक्षा के चारों ओर तीन फीट की हरी पट्टी उपलब्ध है? बच्चों के द्वारा उसे प्रयोग में लाया जाता है?

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
7	कक्षा–कक्षों में लर्निंग कार्नर की स्थापना	1	• शिक्षण अधिगम सामग्री • अनुपूरक शिक्षण सामग्री • मानचित्र / ग्लोब इत्यादि
8	छात्रों के बैठने की व्यवस्था	1	• पर्याप्त प्लास्टिक चटाइयों / टाट पट्टियों की व्यवस्था है या नहीं • बालिकाओं एवं बालकों की मिश्रित बैठने की व्यवस्था • क्या बच्चे पंक्तिबद्धए अर्धचन्द्राकार, गोले में या अन्य अन्य किसी गैर परम्परागत विन्यास में बैठकर कार्य करते हैं? • क्या सभी बच्चों के पास अभ्यास / गतिविधियां करने के लिए पर्याप्त स्थान है? • पर्याप्त प्रकाश / व्यवस्था है या नहीं?
9	बच्चों की स्वच्छता	1	• क्या बच्चे साफ–सुथरे हैं? उनके बाल कढ़े हुए हैं? • क्या उनके कपड़े साफ–सुथरे हैं?

शिक्षक एवं शिक्षण/अधिगम संबधी

भाग – दो

कुल अंक – 29

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
9	शिक्षक का व्यक्तित्व	1	• वेशभूषा, साफ सुथरी • संयत एवं मुस्कुराहट • प्रसन्नचित्त, मृदुस्वभाव, समयबद्धता • शिष्ट एवं अनुशासित आचरण
10	शिक्षक की भाषा एवं सम्प्रेषण क्षमता	3	• स्थानीय भाषा का प्रयोग करता है। • शुद्ध उच्चारण का प्रयोग करता है। • उसकी बात/भाषा, कक्षा के सभी बच्चों को समझ में आती है। • बालक एवं बालिकाओं को समान रूप से सम्बोधित करता है।

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
11	अध्यापक का बच्चों के प्रति दृष्टिकोण	1	• मित्रवत् – स्नेहपूर्ण • सकारात्मक • बालिकाओं एवं बालकों के प्रति समान भाव रखता हो। • अध्यापकों का व्यवहार छात्रों को प्रोत्साहन देता है या नकारात्मक शब्दों से उन्हें हतोत्साहित करता है। • बच्चों की शैक्षिक प्रगति के प्रति सचेत/प्रयासरत रहता है या नहीं।
12	सभी बच्चों तथा शिक्षक के पास अपनी पाठ्य पुस्तकें तथा अनुपूरक साहित्य उपलब्ध हैं?	1	• शिक्षक के द्वारा T.L.M. अनुदान से स्वयं के लिए पुस्तकें क्रय की गई है या नहीं। • बालिकाओं एवं अनु०जाति के लड़कों को पुस्तक समय से उपलब्ध हुई या नहीं। • अन्य आर्थिक रुप से कमजोर बच्चों को बुक बैंक से पुस्तकें उपलब्ध करायी गई या नही।

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
13	विद्यालय अनुशासन	1	• क्या विद्यालय समय से खुलता है? • बच्चों की एसेम्बली (प्रार्थना सभा) होती है? • बच्चे विद्यालय तथा कक्षाओं में अनुशासित हैं?
14	• कक्षावार समय सारिणी की उपलब्धता • पाठ्यक्रत की उपलब्धता • समयबद्ध शैक्षिक इकाईयों के अनुसार पढ़ाई की जा रही है या नहीं?	3	• समय सारिणी का अनुपालन करना • समयबद्ध रूप से शैक्षिक इकाईयों को पढ़ाया जा रहा है या नहीं। • पूर्व में पढ़ाई गई इकाईयों पर पुनरावृत्ति करायी जाती है या नहीं।
15	शिक्षक संदर्शिका के आधार पर शिक्षक के द्वारा T.L.M. एवं वतिविधियों की अन्य आवश्यक तैयारी की है या नहीं।	3	• नवीन इकाई/विषय वस्तु के लिए पाठ योजना बनाकर तैयारी करता है या नहीं।

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
16	क्या शिक्षक बच्चे पाठ/विषय के अनुसार शिक्षक अधिगम सामग्री का निर्माण एवं प्रयोग करते हैं।	2	• क्या विषय वार, पाठ वार शिक्षण अधिगम सामग्री की समझ अध्यापक को है? एवं इसका आवश्यकतानुसार विकास किया जा रहा है? • स्थानीय सामग्री का प्रयोग शिक्षक अधिगम सामग्री के रूप में तथा इसके निर्माण में किया जाता है?
17	क्या शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में गतिविधियाँ कराई जा रही हैं?	1	• बच्चों को करके सीखने में अध्यापक मदद करता है? • क्या बच्चे स्वयं गतिविधियाँ करते हैं?
18	क्या अध्यापक कक्षा गतिविधियों में सभी बच्चों की प्रतिभागिता सुनिश्चित कराता है।	3	• क्या बालिकाओं और कमजोर बच्चों को अभिव्यक्ति एवं गतिविधि करने का समान अवसर दे रहा है। • कुछ बच्चे गतिविधि करें तथा कुछ निष्क्रिय, उपेक्षित हों ऐसा तो नहीं।

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
19	कक्षा के समस्त बच्चे क्रियाशील हैं?	3	• क्या बच्चों से वाचन/लेखन कार्य कराया जाता है? • क्या बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं? • क्या बच्चे गतिविधि करके सीख रहे हैं? • क्या बच्चे समूह में एक दूसरे से सीख रहे हैं। • क्या बच्चे एकाग्रचित्त हो कर अपना अभ्यास कार्य कर रहे हैं? • क्या अध्यापक के द्वारा विभिन्न प्रत्ययों के स्पष्टीकरण के समय बच्चे सचेत होकर ध्यान दे रहें हैं? • क्या बच्चे गणित के प्रश्न अथवा अन्य लेखन कार्य एकाग्रता से कर रहे हैं? • क्या बच्चे श्यामपट्ट पर कार्य कर रहे हैं?

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
20	पाठ्य पुस्तक में दिये गये अभ्यास कार्य नियमित रूप से पूर्ण किये जा रहे है या नहीं।	3	• पाठ्य पुस्तकों में प्रत्येक पाठ के उपरान्त दिए अभ्यास कार्यों को किया जा रहा है? • प्रत्येक इकाई के उपरान्त दिए गए अभ्यास एवं मुल्यांकन • कक्षा कार्यों की जांच एवं उसके सुधार का अवसर दिया गया?

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
21	क्या अध्यापक पाठ्य सहगामी क्रियाएं कराता है?	1	• पाठ्य सहगामी क्रियाओं में लड़कियों की सहभागिता है या नहीं? • क्या बच्चे स्वतंत्र रूप से पाठ्य सहगामी कार्यक्रमों, क्रियाओं, अनुशासन, पुस्तकालय आदि का संचालन करते हैं तथा इसके लिए उनकी समितियाँ बनी हैं? • ड्राइंग, क्राफ्ट को सप्ताह में कितने दिन तथा कितने घण्टे समय दिया? • खेल–कूद/पी०टी० को सप्ताह में कितना समय मिलता है? • स्कूल में 3 माह में कितनी बार तथा किस प्रकार की प्रतियोगिताएं हुईं? • पुस्तकालय की पुंस्तकों को पढ़ने के लिए कितना समय दिया गया है?

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
22	क्या विद्यालय में विद्यालयी सरकार बनी है।	1	• क्या बालिकाओं को उक्त समितियों में सरकार का भागीदार बनाया गया है? • क्या बच्चों की सरकार विद्यालय संचालन में सहयोग करती है? (पुस्तक वितरण, पर्व–उत्सव, बाल मेले, प्रतियोगिताएं, मूल्यांकन, शिक्षण, उपस्थिति सुनिश्चित कराना, दीवार समाचार–पत्र बच्चों के द्वारा तैयार किया गया तथा कब बनाकर लगाया गया? इत्यादि)
23	अध्यापक के द्वारा किए गए अभिनव प्रयोग / कार्य	2	

छात्रों के प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन/अनुश्रवण सम्बन्धी

भाग – तीन

कुल अंक – 12

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
24	पाठ्य पुस्तक में 'कितना सीखा' के आधार पर मूल्यांकन किया जा रहा है या नहीं?	1	• इकाई आधारित
25	शिक्षक के द्वारा गृह कार्य दिया जा रहा है/उसकी जाँच की जा रही है?	1	

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
26	छात्रों के सम्प्राप्ति स्तर की स्थिति	3	पर्यवेक्षण कर्ता स्वयं पर्यवेक्षण के समय तक्ष से कम दो विषय भाषा एवं गणित का मूल्यांकन उस समय तक पढ़ाई जा चुकी इकाइयों में से 5–5 प्रश्न / अभ्यास कराके जाँच करें।
27	क्या अध्यापक बच्चों का वर्षवार / छमाही संचयी मूल्यांकन अभिलेखन करता है एवं उसका प्रयोग करता है?	1	

NIEPA DC
D11493

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
28	मासिक परीक्षण/इकाई परीक्षण के उपरान्त उभरे कठिन स्थलों/बिन्दुओं पर शिक्षक के द्वारा उपचारात्मक शिक्षण किया गया अथवा नहीं।	3	• कमजोर, पिछड़े बच्चों के लिए व्यक्तिगत रूप से किए गए प्रयास • (गिफ्टेड) अतिमेधावी बच्चों के लिए संसाधन जुटाना। उन्हें नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा दिलाना।
29	क्या पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मूल्यांकन भी किया जा रहा है।	1	प्रतियोगिताओं में अच्छे कार्यों का विवरण मूल्यांकन कार्ड
30	क्या बच्चों की प्रगति से अभिभावकों को अवगत कराता है?	2	• छमाही पर बच्चों के उपलब्धि स्तर उनके श्रेष्ठ प्रदर्शन एवं कमजोरियों के सम्बंध में अभिभावकों के साथ विचार विमर्श किया जाता है?

कुल अंक	:	50
श्रेणीकरण	:	

अंक	श्रेणी
41-50	अ (A)
26-40	ब (B)
16-25	स (C)
0-15	द (D)

Month wise categories provided to the school

	July	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May
NPRC-C											
BRC-C											
SDI, ABSA											
BSA											
DIET											
Others											
Total											